बहारे शरीअत

11 से 20

मुसन्निफ

सदरुश्शरीआ मौलाना अमजद अ़ली आज़मी रज़वी अ़लैहिर्रहमा

हिन्दी तर्जमा

मौलाना मुहम्मद अमीनुल कादरी बरेलवी

नाशिर

क़ादरी दारुल इशाअ़त

[illegible] मीनार मस्जिद

[illegible] [illegible], पुराना शहर बरेली

وَمَآ اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ

(اے محبوب ہم نے آپ کو سارے جہاں کیلئے رحمت بنا کر بھیجا)



किताब को पढ़ने से पहले
इस किताब को स्कैन करने वाले
और इस काम मे हिस्सा लेने वालो के हक़ में

दुआ फरमाएं

अल्लाह अज़्ज़वजल हमारे तमाम
सगीरा व क़बीरा गुनाहों को मुआफ़ फ़रमाये
और ईमान पर इस्तेक़ामत अता फ़रमाये!

आमीन

बहारे शरीअत

पन्द्रहवां हिस्सा

मुसन्निफ़
सदरूश्शरीआ मौलाना अमजद अली आज़मी रज़वी अलैहिर्रहमा

हिन्दी तर्जमा
मौलाना मुहम्मद अमीनुल क़ादरी बरेलवी

नाशिर
क़ादरी दारूल इशाअत
मुस्तफ़ा मस्जिद, वैलकम, दिल्ली–53
Mob:–9219132423

जुमला हुकूक बहक़्के नाशिर महफ़ूज़

नाम किताब	बहारे शरीअ़त (पन्द्रहवां हिस्सा)
मुसन्निफ़	सदरुश्शरीअ़ मौलाना अमजद अ़ली आज़मी रज़वी अ़लैहिर्रहमह
हिन्दी तर्जमा	**मौलाना मुहम्मद अमीनुल क़ादरी बरेलवी**
कम्प्यूटर कम्पोज़िंग	रज़ा कम्प्यूटर सेण्टर दो मीनार मस्जिद एजाज़नगर बरेली
क़ीमत जिल्द दोम	750रू0 मुकम्मल 1500रू0
तादाद	1000
इशाअ़त	2010 ई.

मिलने के पते :

1 मकतबा नईमिया ,मटिया महल, दिल्ली।
2 नाज़ बुक डिपो ,मोहम्मद अ़ली रोड़ मुम्बई
3 अलकुरआन कम्पनी ,कमानी गेट,अजमेर।
4 चिश्तिया बुक डिपो दरगाह शरीफ़ अजमेर।
5 क़ादरी दारुल इशाअ़त, 523 मटिया महल जामा मस्जिद दिल्ली। 9312106346
6 मकतबा रहमानिया रज़विया दरगाह आ़ला हज़रत बरेली शरीफ़

بسم الله الرحمن الرحيم
نحمده و نصلی علی رسوله الکریم

इकराह का बयान

अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल फ़रमाता है।

﴿مَنْ كَفَرَ بِاللّٰهِ مِنْ م بَعْدِ اِيْمَانِهٖ اِلَّا مَنْ اُكْرِهَ وَ قَلْبُهٗ مُطْمَئِنٌّ بِالْاِيْمَانِ وَلٰكِنْ مَّنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللّٰهِ وَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ﴾

"जिसने ईमान के बाद कुफ़्र किया (उस पर अल्लाह का ग़ज़ब हो) मगर जो शख़्स मजबूर किया गया और उस का दिल ईमान पर मुतमइन है (वह अज़ाब से बरी है) व लेकिन जिसने कुफ़्र के लिये सीने को खोल दिया उन पर अल्लाह का ग़ज़ब है, और उनके लिये बहुत बड़ा अज़ाब है"।

हिदाया में है कि यह आयत अम्मार इब्ने यासिर रदियल्लाहु तआला अन्हुमा के बारे में नाज़िल हुई जब कि मुश्रिकीन ने कलिमा–ए–कुफ़्र बोलने पर उन्हें मजबूर किया और उन्होंने ज़बान से कह दिया फिर जब हुज़ूर अक़दस सल्ललाहु तआला तआला अलैहि वसल्लम क़ी ख़िदमत में हाज़िर हुये। हुज़ूर ने दरयाफ़्त फ़रमाया कि तुमने अपने क़ल्ब को किस हाल पर पाया अर्ज़ की मेरा दिल ईमान पर बिलकुल मुतमइन था इरशाद फ़रमाया कि अगर वह फिर ऐसा करें तो तुम को ऐसा ही करना चाहिए यानी दिल ईमान पर मुतमइन रहना चाहिए। तफ़्सीरे बैज़ावी शरीफ़ में है कि कुफ़्फ़ारे क़ुरैश ने अम्मार और उनके वालिद यासिर और उनकी वालिदा सुमय्या रदियल्लाहु तआला अन्हुम को इर्तिदाद (ईमान से फिर जाना) पर मजबूर किया उनके वालिदैन ने इन्कार किया उन दोनों को क़त्ल कर डाला और यह दोनों पहले दो शख़्स हैं जो इस्लाम में शहीद किये गये और अम्मार रदियल्लाहु तआला अन्हु ने ज़बान से वह कह दिया जो कुफ़्फ़ार ने चाहा था किसी ने हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ख़िदमत में अर्ज़ की या रसूलल्लल्लह अम्मार काफ़िर होगया। फ़रमाया हरगिज़ नहीं, बेशक अम्मार चोटी से क़दम तक ईमान से भर पूर है ईमान उसके गोश्त व ख़ून में सरायत किये हुए है इस के बाद अम्मार रदियल्लाहु तआला अन्हु रोते हुए हाज़िरे ख़िदमते अक़दस हुए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उनकी आँखों से आँसू पोंछा और फ़रमाया कि तुम्हें क्या हुआ (जो रोते हो) अगर वह फिर ऐसा करें तो तुम वैसा ही करना।

और अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल इरशाद फ़रमाता है।

﴿لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُوْنَ الْكٰفِرِيْنَ اَوْلِيَآءَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللّٰهِ فِيْ شَيْءٍ اِلَّا اَنْ تَتَّقُوْا مِنْهُمْ تُقٰةً وَ يُحَذِّرُكُمُ اللّٰهُ نَفْسَهٗ وَ اِلَى اللّٰهِ الْمَصِيْرُ﴾

"मुसलमान मुसलमानों के सिवा काफ़िरों को दोस्त न बनायें और जो ऐसा करेगा वह अल्लाह के दीन से किसी शय में नहीं है मगर यह कि बचाव के तौर पर (इकराह की सूरत में ज़बानी दोस्ती का इज़हार कर सकते हो)और अल्लाह तुम को अपनी ज़ात से डराता है और अल्लाह ही की तरफ़ लौटना है"।

और फ़रमाता है।

﴿وَلَا تُكْرِهُوْا فَتَيٰتِكُمْ عَلَى الْبِغَآءِ اِنْ اَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوْا عَرَضَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُّكْرِهْهُّنَّ فَاِنَّ اللّٰهَ مِنْ بَعْدِ اِكْرَاهِهِنَّ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ﴾

"और अपनी बाँदियों को ज़िना पर मजबूर न करो अगर वह पारसाई का इरादा करें ताकि ज़िन्दगी दुनिया की मताअ् हासिल करो और जिसने उन्हें मजबूर किया तो इस के बाद कि वह मजबूर की गई अल्लाह बख़्शने वाला मेहरबान है"।

मसअ्ला.1:– इकराह जिसको जब्र करना भी लोग बोलते हैं इसके शरई मअ्ना यह हैं कि किसी के साथ नाहक़ ऐसा फ़ेअ्ल करना कि वह शख़्स ऐसा काम करे जिसको वह करना नहीं चाहता और कभी ऐसा भी होता है कि मुकरेह ने कोई ऐसा फ़ेअ्ल नहीं किया जिसकी वजह से मुकरह अपनी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ काम करे मगर मुकरह जानता है कि यह शख़्स ज़ालिम, जाबिर है जो कुछ

यह कहता है अगर मैंने न किया तो मुझे मार डालेगा इस सूरत में भी इकराह है। (दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमोहतार) मजबूर करने वाले को मुकरेह और जिसको मजबूर किया उस को मुकरह कहते हैं पहली जगह रे को ज़ेर है दूसरी जगह ज़बर।

मसअ्ला.2:– इकराह का हुक्म उस वक़्त मुतहक़्क़क़ (साबित) होता है जब ऐसे शख़्स की जानिब से हो कि वह जिस चीज़ की धमकी दे रहा है उसके कर डालने पर क़ादिर हो जैसे बादशाह या डाकू कि उनके कहने के मुताबिक़ अगर न करे तो यह वह काम कर गुज़रेंगे जिसकी धमकी देरहे हैं(हिदाया)

मसअ्ला.3:– इकराह की दो किस्में हैं एक ताम और इस को मुल्जी भी कहते हैं दूसरी नाक़िस इस को ग़ैर मुल्जी भी कहते हैं। इकराह ताम यह है कि मार डालने या अ़ज़ू काटने या ज़र्बे शदीद की धमकी दी जाये ज़र्बे शदीद का मत़लब यह है कि जिस से जान या अ़ज़ू के तल्फ़ होने का अन्देशा हो मस्लन किसी से कहता है कि यह काम करो वरना तुझे मारते मारते बेकार कर दूँगा। इकराहे नाक़िस यह है कि जिसमें इस से कम की धमकी हो मस्लन पाँच जूते मारूँगा या पाँच कोड़े मारूँगा या मकान में बन्द कर दूँगा या हाथ पाँव बाँधकर डाल दूँगा। (दुर्रेमुख़्तार, रद्दुल'मुहतार)

इकराह की शराइत़

मसअ्ला.4:– इकराह की शराइत़ यह हैं।(1)मुकरिह उस फ़ेअ्ल के करने पर क़ादिर हो जिसकी वह धमकी देता हो। (2)मुकरह यानी जिसको धमकी दीगई उसका ग़ालिब गुमान यह हो कि अगर मैं इस काम को न करूँगा तो जिसकी धमकी दे रहा है उसे कर गुज़रेगा। (3)जिस चीज़ की धमकी है वह जान जाना है या अ़ज़ू काटना है या ऐसा ग़म पैदा करना है जिसकी वजह से वह काम अपनी ख़ुशी व रज़ा'मन्दी से न हो। (4)जिस को धमकी दी गई वह पहले से उस काम को न करना चाहता हो और उसका न करना ख़्वाह हक़ की वजह से हो मस्लन इस से कहा गया कि तू अपना माल हलाक करदे या बेचदे और यह ऐसा करना नहीं चाहता या किसी दूसरे शख़्स की वजह से इस काम को नहीं करना चाहता मस्लन फुलाँ शख़्स का माल हलाक कर या हक़्क़े शरअ् की वजह से ऐसा नहीं करना चाहता मस्लन शराब पीना, ज़िना करना। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.5:– शर्ते सोम में बयान किया गया कि ऐसा ग़म पैदा होजाये जिसकी वजह से रज़ा'मन्दी से काम करना न हो यह इकराह का अद्ना मरतबा है, और इस में सब लोगों की एक हालत नहीं है शरीफ़ आदमी के लिये सख़्त कलामी ही से यह बात पैदा होजायेगी और कमीना आदमी हो तो जब तक उसे ज़र्बे शदीद की नोबत न आये मअ्मूली तौर पर मारने और गाली देने की भी उसे परवाह नहीं होती। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.6:– इकराह की एक सूरत यह भी है कि ऐसा करो वरना तुम्हारा माल ले लूँगा या हाकिम ने कहा यह मकान मेरे हाथ बैअ् करदो वरना तुम्हारे फ़रीक़ को दिला दूँगा।(दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.7:– क़त्ल या ज़र्बे शदीद या हब्से मदीद की धमकी दी इस लिये कि वह अपनी कोई चीज़ बेच डाले या फुलाँ चीज़ ख़रीदे या इजारा करे या किसी चीज़ का इक़रार करे और इस धमकी की वजह से उसने यह सब काम कर लिये तो मुकरह को उन उक़ूद के फ़स्ख़ करने का हक़ बाक़ी रहता है यानी इकराह जाते रहने के बाद उन चीज़ों को फ़स्ख़ कर सकता है और यह हक़ उन दोनों में से कोई मर जाये जब भी बाक़ी रहता है कि उसका वारिस् फ़स्ख़ कर सकता है और मुश्तरी के मरजाने से भी यह हक़ बातिल नहीं होता न ज़ियादते मुन्फ़सिला (किसी शय में ऐसी ज़्यादती जो उसमें मिली हुई न हो) या ज़ियादते मुत्तसिला मुतवल्लिदा (किसी शय में ऐसी ज़्यादती जो उस में ख़ुद ब ख़ुद पैदा होजाये और उस के साथ मिली हुई भी हो जैसे जानवर का बड़ा होना, मोटा होना) से यह हक़ बातिल होता है बल्कि वह चीज़ अगर एक के बाद दूसरे बहुत से हाथों में पहुँचगई जब भी यह लेसकता है।(दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.8:– दो एक कोड़ा मारना ज़र्बे शदीद है। हब्से मदीद यह कि एक दिन से ज़्यादा हो ज़ी इज़्ज़त आदमी के लिये ज़र्बे ग़ैर शदीद और हब्से ग़ैर मदीद में वही सूरत है जो औरों के लिए ज़र्बे

शदीद में है। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअला.9:– इक़रार में माले क़लील व कसीर का फ़र्क़ है कि माले क़लील के इक़रार में ज़र्बे ग़ैर शदीद से भी इकराह पाया जायेगा और माले कसीर में ज़र्बे शदीद से इकराह होगा। (रद्दुल'मुहतार)

मसअला.10:– मुकरह की बैअ् नाफ़िज़ है अगर्चे लाज़िम नहीं लाज़िम उस वक़्त होगी कि रज़ा'मन्दी से इजाज़त देदे लिहाज़ा मुश्तरी जो कुछ इस बैअ् में तसर्रुफ़ करेगा वह तसर्रुफ़ात सही होंगे और मुकरह ने सुमन पर राज़ी ख़ुशी क़ब्ज़ा किया या मबीअ् को ख़ुशी से तस्लीम कर दिया तो अब वह बैअ् लाज़िम होगई। यानी अब बैअ् को फ़स्ख़ नहीं कर सकता और अगर क़ब्ज़े सुमन (यानी तै शुदा कीमत पर कब्ज़ा करना) व तस्लीमे मबीअ् (बेची गई चीज हवाले करना) भी इकराह के साथ हो तो हक़्क़े फ़स्ख़ बाक़ी रहेगा, और हिबा में इकराह हो तो सिरे से मौहूब'लहू चीज़ का मालिक ही नहीं होगा और इस के तसर्रुफ़ात सहीह नहीं होंगे। (हिदाया)

मसअला.11:– बाइअ् ने अगर इकराह के साथ सुमन पर क़ब्ज़ा किया है तो फ़स्ख़े बैअ् की सूरत में सुमन वापस करदे अगर उसके पास मौजूद है और हलाक होगया है तो उसपर ज़मान वाजिब नहीं कि सुमन बाइअ् के पास अमानत है। (हिदाया, इनाया)

मसअला.12:– इकराह के साथ बैअ् अगर्चे बैअ् फ़ासिद है मगर इसमें और दीगर बुयूअ़े फ़ासिदा में चन्द वजह से फ़र्क़ है। 1.यह बैअ् इजाज़ते क़ौली या फ़ेअ्ली के बाद सहीह होजाती है दूसरी बैअ़ें फ़ासिद की फ़ासिद ही रहती हैं। 2.जिसने इससे ख़रीदा है इस के तसर्रुफ़ात तोड़ दिये जायेंगे अगर्चे यके बाद दीगरे कहीं से कहीं पहुँची हो। 3. मबीअ् ग़ुलाम था और मुश्तरी ने उसे आज़ाद कर दिया तो बाइअ् को इख़्तियार है कि मुश्तरी से यौमुलक़ब्ज़ (क़ब्ज़ा करने के दिन) की क़ीमत ले या यौमुलइताक़ (आज़ाद करने का दिन) की अगर बाइअ् पर इकराह हो तो सुमन इस के पास अमानत है और मुश्तरी पर इकराह हो तो बैअ् इस के पास अमानत है और दीगर बुयूअ् फ़ासिदा में यह चारों बातें नहीं हैं। (दुर्रेमुख़्तार, रद्दुल'मोहतार)

मसअला.13:– बैअ् अगर हलाक होचुकी है तो बाइअ् उसकी क़ीमत लेगा यानी चीज़ की जो वाजिबी क़ीमत होगी वह मुश्तरी से वसूल करेगा। (हिदाया)

मसअला.14:– बादशाह का कह देना ही इकराह है अगर्चे वह धमकी न दे कि उसकी मुख़ालफ़त में जान जाने या अत्लाफ़े अ़ज़ू का अन्देशा है यूँहीं जिन लोगों से इस क़िस्म का अन्देशा हो उनका कह देना ही इकराह है अगर्चे धमकी न दें बाज़ शौहर भी ऐसे होते हैं कि उनका ख़िलाफ़ करने में औ़रत को उसी क़िस्म का अन्देशा होता है ऐसे शौहर का कहना ही इकराह है। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअला.15:– मआज़ल्लाह शराब पीने या ख़ून पीने या मुर्दार का गोश्त खाने या सुअर का गोश्त खाने पर इकराह किया गया अगर वह इकराह ग़ैर मुल्जी है यानी हब्स व ज़र्ब की धमकी है तो उन चीज़ों का खाना, पीना जाइज़ नहीं है अल'बत्ता शराब पीने में इस सूरत में हद नहीं मारी जायेगी कि शुब्ह से हद साक़ित होजाती है और अगर वह इकराह मुल्जी है यानी क़त्ल या क़त्ऐ अ़ज़ू की धमकी है तो उन कामों का करना जाइज़ बल्कि फ़र्ज़ है और अगर सब्र किया उन कामों को नहीं किया और मार डाला तो गुनाहगार हुआ कि शरअ् ने उन सूरतों में इस के लिये यह चीज़ जाइज़ की थी जिस तरह भूक की शिद्दत और इज़्तिरार की हालत में यह चीज़ें मुबाह हैं। हाँ अगर इस को यह बात मालूम न थी कि इस हालत में उन चीज़ों का इस्तेअ्माल शरअ्न जाइज़ है और ना'वाक़िफ़ी की वजह से इस्तेअ्माल न किया और क़त्ल करदिया गया तो गुनाह नहीं यूँहीं अगर इस्तेअ्माल न करने से कुफ़्फ़ार को ग़ैज़ व ग़ज़ब में डालना मक़सूद हो तो गुनाह नहीं। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअला.16:– मआज़ल्लाह कुफ़्र करने पर इकराह हुआ और क़त्ल या क़त्ऐ अ़ज़ू की धमकी दी गई तो इस शख़्स को सिर्फ़ ज़ाहिरी तौर पर इस कुफ़्र के कर लेने की रुख़सत है और दिल में वही यक़ीने ईमानी क़ाइम रखना लाज़िम है जो पहले था और इस शख़्स को चाहिए कि अपने क़ौल व

फ़ेअ्ल में तौबा करे यानी अगर्चे इस फ़ेअ्ल या कौल का ज़ाहिर कुफ़्र है मगर इसकी नियत ऐसी हो कि कुफ़्र न रहे मस्लन इसको मजबूर किया गया कि बुत को सजदा करे और इसने सजदा किया तो यह नियत करे कि खुदा को सजदा करता हूँ या सरकारे रिसालत मआब में गुस्ताख़ी करने पर मजबूर किया गया तो किसी दूसरे शख़्स की नियत करे जिसका नाम मुहम्मद हो और अगर इस शख़्स के दिल में तौबा का ख़्याल आया मगर इस शख़्स ने तौबा न किया यानी खुदा के लिये सजदा की नियत नहीं की तो यह शख़्स काफ़िर होजायेगा और उसकी औरत निकाह से ख़ारिज हो जायेगी और अगर उस शंख़्स को तौबा का ध्यान ही नहीं आया कि तौबा करता और बुत को ही सजदा किया मगर दिल से इस का मुन्किर है तो इस सूरत में काफ़िर नहीं होगा। (दुर्रेमुख़्तार, रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला.17:– कुफ़्र करने पर मजबूर किया गया और कुफ़्र न किया इस वजह से क़त्ल कर दिया गया तो सवाब पायेगा उसी तरह नमाज़ या रोज़ा तोड़ने या नमाज़ न पढ़ने या रोज़ा न रखने पर मजबूर किया गया या हरम में शिकार करने या हालते एहराम में शिकार करने या जिस चीज़ की फ़र्ज़ियत कुर्आन से साबित हो इस के छोड़ने पर मजबूर किया गया और इसने उसके ख़िलाफ़ किया जो मुकरेह कराना चाहता था और क़त्ल कर डाला गया सब में सवाब का मुस्तहिक़ है (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.18:– रोज़ादार मुसाफ़िर या मरीज़ है जिसको रोज़ा न रखने की इजाज़त है यह अगर रोज़ा तोड़ने पर मजबूर किया जाये तो रोज़ा तोड़दे और न तोड़ा यहाँ तक कि क़त्ल कर डाला गया तो गुनाहगार होगा। (रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला.19:– रमज़ान में दिन के वक़्त खाने, पीने या बीवी से जिमाअ् करने पर इकराह हुआ और रोज़ादार ने ऐसा कर लिया तो इस पर रोज़ा की क़ज़ा वाजिब है कफ़्फ़ारा वाजिब नहीं। (आलमगीरी)

मसअ्ला.20:– अगर इकराहे ग़ैर मुल्जी हो तो कुफ़्र का इज़हार नहीं कर सकता इस सूरत में इज़हारे कुफ़्र की रुख़सत नहीं है कि ग़ैर मुल्जी इसके हक़ में इकराह ही नहीं। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.21:– इस पर मजबूर किया गया कि किसी मुस्लिम या ज़िम्मी के माल को तल्फ़ करे और धमकी भी क़त्ल या क़तअ़े अ़ज़ू की है तो तल्फ़ करने की इस के लिये रुख़्सत है और अगर इस ने तल्फ़ न किया और इसके साथ वह कर डाला गया जिसकी धमकी दीगई थी तो सवाब का मुस्तहिक़ है और अगर इसने माल तल्फ़ कर डाला तो माल का तावान मजबूर करने वाले के ज़िम्मे है कि यह शख़्स उसके लिये ब'मन्ज़िला आला के है। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.22:– इस पर मजबूर किया गया कि फ़ुलाँ शख़्स को क़त्ल कर डाल या उसका अ़ज़ू काट डाल या उस को गाली दे अगर तूने ऐसा न किया तो मैं तुझे मार डालूँगा या तेरा अ़ज़ू काट डालूँगा तो इस को उन कामों के करने की इजाज़त नहीं है अगर इसके कहने के मुवाफ़िक़ करेगा गुनाहगार होगा और क़िसास मजबूर करने वाले से लिया जायेगा कि मुकरेह इसके लिये ब'मन्ज़िला आला के है जिसके अ़ज़ू काटने पर उसे मजबूर किया गया उसने इसको इजाज़त देदी कि हाँ तू ऐसा करले अब भी इसको इजाज़त नहीं है। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.23:– अगर इस को मजबूर किया गया कि तू अपना अ़ज़ू काट डाल वरना मैं तुझे क़त्ल कर डालूँगा तो इस को ऐसा करने की इजाज़त है और अगर इस पर मजबूर किया गया कि तू खुदकुशी करले वरना मैं तुझे मार डालूँगा इस को खुदकुशी करने की इजाज़त नहीं है। (रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला.24:– इकराह हुआ कि तू अपने को तलवार से क़त्ल कर वरना मैं तुझे इतने कोड़े मारूँगा कि तू मरजाये या निहायत बुरी तरह से क़त्ल करूँगा तो इस सूरत में खुदकुशी करने में गुनाह नहीं कि उस सख़्ती और तकलीफ़ से बचने के लिये खुदकुशी करता है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.25:– ज़िना पर इकराह हुआ ख़्वाह इकराह मुल्जी हो या ग़ैर मुल्जी ज़िना की इजाज़त नहीं मगर इस ज़ानी पर इकराहे मुल्जी में हद नहीं और औरत को मजबूर किया गया और इकराहे मुल्जी है तो उसे रुख़सत है और ग़ैर मुल्जी है तो रुख़सत नहीं और औरत से इकराहे ग़ैर मुल्जी में

भी हद साक़ित है। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.26:– लिवातत पर इकराह हुआ इकराहे मुल्जी हो या गैर मुल्जी बहर सूरत इसकी इजाज़त नहीं। (रद्दुल'मुहतार)

मसअ्ला.27:– औरत को ज़िना कराने पर मजबूर किया और उसने मर्द को काबू देदिया तो औरत भी गुनाहगार है और काबू न दिया और उसके साथ करलिया गया तो औरत गुनाहगार नहीं (आलमगीरी)

मसअ्ला.28:– ज़िना पर इकराह हुआ उसने ज़िना नहीं किया और क़त्ल कर दिया गया उसको स्वाब मिलेगा। (आलमगीरी)

मसअ्ला.29:– निकाह व तलाक़ व इताक़ पर इकराह हुआ यानी धमकी देकर ईजाब या क़बूल करा लिया या तलाक़ के अलफ़ाज़ कहलवाये या गुलाम को आज़ाद कराया तो यह सब सहीह हो जायेंगे और गुलाम की क़ीमत मुकरेह से वसूल कर सकता है और तलाक़ की सूरत में अगर औरत गैर मदख़ूला (जिस से जिमा, सम्भोग न किया गया हो) है तो निस्फ़ महर वसूल कर सकता है और मदख़ूला (जिस से जिमा किया गया हो) है तो कुछ नहीं। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.30:– खुद ज़ौजा ने शौहर को तलाक़ देने पर मजबूर किया और इकराहे मुल्जी है तो औरत शौहर से कुछ नहीं लेसकती और गैर मुल्जी है तो निस्फ़ महर लेसकती है। (रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.31:– निकाह में महर ज़िक्र नहीं किया गया और इकराह के साथ तलाक़ दिलवाई गई तो शौहर पर मुतआ़ वाजिब है जिसका बयान किताबुत्तलाक़ में गुज़रा और मुकरेह से उसको वसूल करेगा। (रद्दुल'मुहतार)

मसअ्ला.32:– एक तलाक़ देने पर इकराह हुआ और उसने तीन तलाक़ें देदीं और औरत गैर मदख़ूला है तो मुकरेह से निस्फ़ महर वापस नहीं लेसकता। (आलमगीरी)

मसअ्ला.33:– इस पर इकराह हुआ कि ज़ौजा को तफ़वीज़े तलाक़ करदे (यानी तलाक़ सिपुर्द करदे) या इसकी तलाक़ फुलाँ शख़्स के इख़्तियार में देदे इसने ऐसा ही करदिया और ज़ौजा या उस शख़्स ने तलाक़ देदी तलाक़ होजायेगी और गैर मदख़ूला है तो निस्फ़ महर मुकरेह से वसूल करेगा। (आलमगीरी)

मसअ्ला.34:– मर्द मरीज़ ने अपनी औरत को मजबूर किया कि वह उससे तलाक़े बाइन की दरख़्वास्त करे औरत ने उससे कहा कि तू मुझे तलाक़े बाइन देदे उसने देदी और इद्दत ही में वह शख़्स मरगया औरत वारिस् होगी और अगर औरत ने दो तलाक़ बाइन की दरख़्वास्त की तो वारिस् नहीं होगी। (आलमगीरी)

मसअ्ला.35:– औरत को मजबूर किया गया कि एक हज़ार के बदले में शौहर की तलाक़ क़बूल करे उसने क़बूल करली एक तलाक़ रजई वाक़ेअ् होगी और उसपर रूपये वाजिब नहीं होंगे और अगर एक हज़ार पर खुलअ् के लिये औरत पर इकराह हुआ और इसने खुलअ् कराया तो तलाक़े बाइन वाक़ेअ् होगी और माल वाजिब नहीं होगा। (आलमगीरी)

मसअ्ला.36:– एक शख़्स को मजबूर किया गया कि फुलानी औरत से दस हज़ार महर पर निकाह करे और उस औरत का महरे मिस्ल एक हज़ार है उसने दस हज़ार महर पर निकाह किया निकाह सहीह है मगर महर एक ही हज़ार वाजिब होगा। (आलमगीरी)

मसअ्ला.37:– एक शख़्स हज़ार रूपये पर खुलअ् कराने पर मजबूर नहीं की गई है तो एक हज़ार पर खुलअ् होगया औरत के ज़िम्मे यह रूपये लाज़िम होंगे और मर्द मजबूर करने वाले से कुछ नहीं लेसकता। (आलमगीरी)

मसअ्ला.38:– इकराह के साथ यह सब चीज़ें सहीह हैं नज़र, यमीन, ज़िहार, रजअ़त, ईला, फ़ी यानी इस को मन्नत मानने पर मजबूर किया कि नमाज़ या रोज़ा या सदक़ा या हज की मन्नत माने और इसने मानली तो मन्नत पूरी करनी होगी यूँहीं ज़िहार किया तो बिग़ैर कफ़्फ़ारा औरत से कुर्बत जाइज़ न होगी और ईला किया तो इस के अहकाम भी जारी होंगे और रजअ़त करली तो रजअ़त

होगई और ईला किया था फ़ी करने पर मजबूर किया गया फ़ी होगई। (आलमगीरी, दुर्रेमुख़्तार)

मसअला.39:– औरत से ज़िहार किया था उसको मजबूर किया गया कि ज़िहार के कफ़्फ़ारा में अपना गुलाम आज़ाद करे उसने आज़ाद किया अगर यह गुलाम ग़ैर मुअय्यन है जब तो कुछ नहीं कि उसने अपना फ़र्ज़ अदा किया और अगर मुअय्यन गुलाम को आज़ाद कराया तो दो सूरतें हैं वही सब में घटिया और कम दर्जा का है जब भी मुकरेह पर ज़मान वाजिब नहीं और अगर दूसरे गुलाम उससे घटिया हैं तो मुकरेह पर उसकी क़ीमत वाजिब है और कफ़्फ़ारा अदा न हुआ। (आलमगीरी)

मसअला.40:– क़सम के कफ़्फ़ारा देने पर मजबूर किया गया और यह मुअय्यन नहीं किया है कि कौनसा कफ़्फ़ारा दे और इसने कफ़्फ़ारा देदिया कफ़्फ़ारा सहीह है और अगर मोअय्यन करदिया है और इससे कम दर्जे का कफ़्फ़रा देसकता था तो मुकरेह पर ज़मान वाजिब है और कफ़्फ़ारा सहीह नहीं। (आलमगीरी)

मसअला.41:– इकराह के साथ इस्लाम सहीह है (दुर्रेमुख़्तार) यानी अगर उसने इकराह की वजह से अपना इस्लाम ज़ाहिर किया तो जब तक उससे कुफ़्र ज़ाहिर न हो उसको काफ़िर न कहेंगे इस लिये कि यह क्योंकर यक़ीन किया जा सकता है कि इसने महज़ ख़ौफ़ से ही इस्लाम ज़ाहिर किया दिल में उसके इस्लाम नहीं है। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक काफ़िर ने मुसलमान पर हमला किया और जब मुसलमान ने हमला किया तो उसने कलिमा पढ़ लिया उन्होंने यह ख़याल करके कि महज़ तलवार के ख़ौफ़ से इस्लाम ज़ाहिर किया है कलिमा पढ़ने के बावजूद उसको क़त्ल कर डाला जब हुज़ूर को इस की इत्तिलाअ़ हुई तो निहायत शिद्दत से इन्कार फ़रमाया। इस्लाम सहीह होने का यह मतलब नहीं कि महज़ मुँह से कह देने से ही वह हक़ीक़तन मुसलमान है कि इस्लाम हक़ीक़ी तो दिल से तस्दीक़ का नाम है सिर्फ़ मुँह से बोलना क्या मुफ़ीद हो सकता है जबकि दिल में तस्दीक़ न हो।

मसअला.42:– इकराह के साथ उससे दैन मुआफ़ कराया गया या कफ़ील को बरी कराया गया या शफ़ीअ़ को तलबे शुफ़ा से रोक दिया गया या किसी को जबरन मुर्तद बनाना चाहा यह सब चीज़ें इकराह से नहीं हो सकतीं। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअला.43:– क़ाज़ी ने मजबूर करके किसी से चोरी या क़त्ले अ़मद का इक़रार कराया और इस इक़रार पर उसका हाथ काटा गया या क़िसास लिया गया अगर वह शख़्स नेक है तो क़ाज़ी से क़िसास लिया जायेगा और अगर चोरी व क़त्ल में मुत्तहम है मशहूर है कि चोर है, क़ातिल है तो क़ाज़ी से क़िसास नहीं लिया जायेगा। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअला.44:– शौहर ने औरत को धमकी दी कि महर मुआफ़ करदे या हिबा करदे वरना तुझे मारूँगा उसने हिबा करदिया या मुआफ़ करदिया अगर शौहर उसके मारने पर क़ादिर है तो हिबा और मुआफ़ करना सहीह नहीं और अगर यह धमकी दी कि हिबा करदे वरना तलाक़ देदूँगा या दूसरा निकाह कर लूँगा तो यह इकराह नहीं इस सूरत में हिबा करेगी तो सहीह होजायेगा।(दुर्रेमुख़्तार)

मसअला.45:– शौहर ने औरत को उसके बाप, माँ के यहाँ जाने से रोक दिया कि जब तक महर न बख़्शेगी जाने नहीं दूँगा यह भी इकराह के हुक्म में है कि उस हालत में बख़्शना सहीह नहीं(दुर्रेमुख़्तार)

मसअला.46:– एक शख़्स को धमकी दीगई कि वह अपनी फ़ुलाँ चीज़ ज़ैद को हिबा करदे उसने ज़ैद व अम्र दोनों को हिबा करदी अम्र के हक़ में हिबा सहीह है और ज़ैद के हक़ में सहीह नहीं(आलमगीरी)

मसअला.47:– एक शख़्स को खाना खाने पर इकराह किया गया और वह खाना भी ख़ुद उसी का है अगर वह भूका है तो कुछ नहीं कि अपनी चीज़ का फ़ायदा ख़ुद उसी को पहुँचा और अगर आसूदा था तो मुकरेह से तावान लेगा। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअला.48:– बहुत से मुसलमान, काफ़िरों ने गिरफ़्तार करलिये हैं उन काफ़िरों का जो सरग़ना है यह कहता है कि अगर तुम अपनी लौन्डी ज़िना के लिये देदो तो एक हज़ार क़ैदी रिहा किये देता हूँ क़ैदी छुड़ाने के लिये उसको लौन्डी देना हलाल नहीं अल्लाह तआला उन असीरों के लिये कोई

सबब पैदा कर देगा या उन्हें इस मुसीबत पर स़ब्र व अज्र देगा। (दुर्रेमुख़्तार) इस से इस्लाम की निज़ाफ़त व पाकीज़गी का अन्दाज़ा करना चाहिए कि अपने एक हज़ार आदमी कुफ़्फ़ार के हाथ से छुड़ाने के लिये भी इस्लाम इसको जाइज़ नहीं रखता कि मुसलमान अपनी लौन्डी को भी ज़िना के लिये दे ब'ख़िलाफ़ दीगर मज़ाहिब कि उन्होंने बहुत मअ़मूली बातों के लिये अपनी बीवियाँ और लड़कियाँ पेश करदीं चुनाँचे तारीख़े आलम इस पर शाहिद है मालूम हुआ कि कुफ़्फ़ार को जब कभी कामयाबी हुई तो इसी क़िस्म की हरकात से।

मसअ्ला.49:– चोरों ने किसी को मजबूर किया कि तुम्हारा माल कहाँ है बताओ वरना हम क़त्ल कर डालेंगे उसने नहीं बताया उन्होंने क़त्ल कर डाला यह शख़्स गुनाहगार न हुआ। (आलमगीरी)

मसअ्ला.50:– मर्द व औरत दोनों ने इस पर इत्तिफ़ाक़ करलिया है कि लोगों के सामने एक हज़ार पर त़लाक़ दूँगा और त़लाक़ देना मक़सूद न होगा महज़ लोगों के दिखाने के लिये ऐसा किया जायेगा चुनाँचे लोगों के सामने एक हज़ार पर त़लाक़ देदी वाक़ेअ् होजायेगी और माल लाज़िम न होगा। (आलमगीरी)

हज्र का बयान

अल्लाह अ़ज़्ज़ व जल्ल फ़रमाता है।

﴿وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللّٰهُ لَكُمْ قِيَامًا وَّارْزُقُوْهُمْ فِيْهَا وَاكْسُوْهُمْ وَ قُوْلُوْا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوْفًا وَابْتَلُوا الْيَتٰمٰى حَتّٰى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ اٰنَسْتُمْ مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوْا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ﴾

"बे अक़्लों को उन के माल न दो जो तुम्हारे पास हैं जिन को अल्लाह ने तुम्हारी बसर औक़ात किया है और उन्हें उसी में से खिलाओ और पहनाओ और उन से अच्छी बात कहो और यतीमों को आज़माते रहो यहाँ तक कि जब वह निकाह के क़ाबिल हों तो अगर तुम उन की समझ ठीक देखो तो उन के माल उन्हें सिपुर्द करो"।

इमाम अहमद व अबूदाऊद व तिर्मिज़ी व इब्ने माजा व दारेक़ुत्नी अनस रदियल्लाहु तआ़ल अन्हु से रिवायत करते हैं कि एक शख़्स ख़रीद व फ़रोख़्त में धोका खा जाते थे उनके घरवालों ने हुज़ूर की ख़िदमत में हाज़िर होकर अ़र्ज़ की या रसूलल्लाह उनको महजूर कर दीजिये (ख़रीद व फ़रोख़्त का इख़्तेयार ख़त्म कर देना (अमीनुल क़ादरी)) उनको बुलाकर हुज़ूर ने बैअ् से मनअ् फ़रमाया उन्होंने अ़र्ज़ की या रसूलल्लाह मैं बैअ् से स़ब्र नहीं कर सकता हुज़ूर ने फ़रमाया "अगर बैअ् को तुम नहीं छोड़ते तो जब बैअ् करो यह कह दिया करो कि धोका नहीं है"। दूसरी हदीस् में फ़रमाया तीन शख़्सों से क़लम उठा लिया गया है सोते से यहाँ तक कि बेदार हो और बच्चे से यहाँ तक कि बालिग़ हो जाये और मजनून से यहाँ तक कि होश में आये।

मसअ्ला.1:– किसी शख़्स के तसर्रुफ़ाते क़ौलिया रोक देने को हजर कहते हैं। इन्सान को अल्लाह तआ़ला ने मुख़्तलिफ़ मरातिब पर पैदा फ़रमाया है किसी को समझ, बूझ और दानाई व होश्यारी अ़ता फ़रमाई और बाज़ की अ़क़्लों में फ़ुतूर और कमज़ोरी रखी जैसे मजनून और बच्चे कि उनकी फ़हम व अ़क़्ल में जो कुछ क़ुसूर है वह मख़्फ़ी नहीं अगर उनके तसर्रुफ़ात नाफ़िज़ होजाया करें और बसा औक़ात यह अपनी कम फ़हमी से ऐसे तसर्रुफ़ात कर जाते हैं जो ख़ुद उनके लिये मुज़िर हैं तो उन्हीं को नुक़सान उठाना पड़ेगा लिहाज़ा उसकी रहमते कामिला ने उनके तसर्रुफ़ात को रोक दिया कि उनको ज़रर न पहुँचने पाये। बाँदी, ग़ुलाम की अ़क़्ल में फ़ुतूर नहीं है मगर यह ख़ुद और जो उनके पास है सब मिल्के मौला है लिहाज़ा उनको पराई मिल्क में तसर्रुफ़ करने का क्या हक़ है।

मसअ्ला..2:– हज्र के अस्बाब तीन हैं। **ना'बालिग़ी, जुनून, रुक़्क़ियत,** नतीजा यह हुआ कि आज़ाद आ़क़िल बालिग़ को क़ाज़ी महजूर नहीं कर सकता हाँ अगर किसी शख़्स के तसर्रुफ़ात का ज़रर आ़म लोगों को पहुँचता हो तो उसको रोक दिया जायेगा मस्लन त़बीबे जाहिल कि फ़न्ने त़िब में महारत नहीं रखता और इलाज करने को बैठ जाता है लोगों को दवायें देकर हलाक करता है। आज कल बकस्रत ऐसा होता है कि किसी शख़्स से या मदरसा में त़िब पढ़ लेते हैं और इलाज व मुआ़लजा से साबिक़ा भी नहीं पड़ता दो तीन बरस के बाद सनदे त़िब हासिल कर के मत़ब खोल

लेते हैं और हर तरह के मरीज़ पर हाथ डाल देते हैं मर्ज़ समझ में आया या न आया हो नुस्ख़े पिलाना शुरू कर देते हैं वह इस कहने को कसरे शान (तौहीन) समझते हैं कि मेरी समझ में मर्ज़ नहीं आया ऐसों को इलाज करना कब जाइज़ व दुरुस्त है। इलाज करने के लिये ज़रूरी है कि मुद्दते दराज़ तक उस्तादे कामिल के पास बैठे और हर क़िस्म का इलाज देखे और उस्ताद की समझ में आजाये कि यह शख़्स अब इलाज में माहिर होगया तो इलाज की इजाज़त दे। आज कल तअ़लीम और इम्तिहान की सनदों को इलाज के लियये काफ़ी समझते हैं मगर ग़लती है और सख़्त ग़लती है, उसी की दूसरी मिसाल जाहिल मुफ़्ती है कि अगर लोगों को ग़लत फ़तवे देकर ख़ुद भी गुमराह व गुनाहगार होता है और दूसरों को भी करता है तबीब ही की तरह आजकल मौलवी भी हो रहे हैं कि कुछ इस ज़माना में मदारिस में तअ़लीम है वह ज़ाहिर है अव्वल तो दर्से निज़ामी जो हिन्दुस्तान के मदारिस में उमूमन जारी है उसकी तकमील करने वाले भी बहुत क़लील अफ़राद होते हैं। उमूमन कुछ मअ़मूली तौर पर पढ़कर सनद हासिल कर लेते हैं और अगर पूरा दर्स भी पढ़ा तो इस पढ़ने का मक़सद सिर्फ़ इतना है कि अब इतनी इस्तेअ़्दाद होगई कि किताबें देखकर मेहनत करके इल्म हासिल कर सकता है वरना दर्से निज़ामी में दीनियात की जितनी तअ़लीम है ज़ाहिर है कि उसके ज़रीआ से कितने मसाइल पर उबूर होसकता है मगर उनमें अकस्र को इतना बेबाक पाया गया है अगर किसी ने उनसे मसअ्ला दरयाफ़्त किया तो यह कहना ही नहीं जानते कि मुझे मालूम नहीं या किताब देख कर बताऊँगा कि इसमें वह अपनी तौहीन जानते हैं अटकल पच्चू, जी में जो आया कह दिया। सहाबा–ए–किब्बार व अइम्मा–ए–आलाम की ज़िन्दगी की तरफ़ अगर नज़र की जाती है तो मालूम होता है कि बा'वजूद ज़बर'दस्त पाया–ए–इज्तिहाद रखने के भी वह कभी ऐसी जुरअत नहीं करते थे जो बात न मालूम होती उसकी निस्बत साफ़ फ़रमाया करते कि मुझे मालूम नहीं। इन नो आमूज़ मौलवियों को हम ख़ैर ख़्वाना नसीहत करते हैं कि तकमीले दर्से निज़ामी के बाद फ़िक़्ह व उसूल व कलाम व हदीस व तफ़सीर का ब'कस्रत मुतालअ़् करें और दीन के मसाइल में जसारत (जुर्अत) न करें जो कुछ दीन की बातें उन पर मुन्कशिफ़ व वाज़ेह होजायें उन को बयान करें और जहाँ इश्काल पैदा (किसी मसअ्ले में मुश्किल पेश आये) हो उसमें कामिल ग़ौर व फ़िक्र करें ख़ुद वाज़ेह न हो तो दूसरों की तरफ़ रुजूअ़् करें कि इल्म की बात पूछने में कभी आर न करना चाहिए।

मसअ्ला.3:– जुनून क़वी हो या ज़ईफ़ हज्र के लिये सबब है। मअ़्तूह जिसको बोहरा कहते हैं वह है जो कम समझ हो उसकी बातों में इख़्तिलात हो ऊट, पटांग बातें करता फ़ासिदुत्तदबीर हो मजनून की तरह लोगों को मारता, गाली देता न हो यह मअ़्तूह इस बच्चे के हुक्म में है जिसको तमीज़ है। (दुर्रेमुख़्तार, रद्दुल'मुहतार)

मसअ्ला.4:– मजनून न तलाक़ दे सकता है न इक़रार कर सकता है उसी तरह ना'बालिग़ कि न उसकी तलाक़ सहीह न इक़रार। मजनून अगर ऐसा है कि कभी कभी उसे इफ़ाक़ा होजाता है और इफ़ाक़ा भी पूरे तौर पर होता है तो इस हालत में उसपर मजनून का हुक्म नहीं है और अगर ऐसा इफ़ाक़ा है कि अ़क़्ल ठिकाने पर नहीं आई हो तो ना'बालिग़ आक़िल के हुक्म में है।(दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.5:– गुलाम तलाक़ भी दे सकता है और इक़रार भी कर सकता है मगर उसका इक़रार उसकी ज़ात तक महदूद है लिहाज़ा अगर माल का इक़रार करेगा तो आज़ाद होने के बाद इससे वसूल किया जा सकता है और हुदूद व क़िसास का इक़रार करेगा तो फ़िलहाल क़ाइम कर देंगे आज़ाद होने का इन्तिज़ार नहीं किया जायेगा। (दुर्रेमुख़्तार वग़ैरा)

मसअ्ला.6:– ना'बालिग़ ने ऐसा अ़क़्द किया जिसमें नफ़अ़् व ज़रर दोनों होते हैं जैसे ख़रीद व फ़रोख़्त कि न हमेशा इसमें नफ़अ़् ही होता है न हमेशा ज़रर अगर वह ख़रीदने और बेचने के मअ़्ना जानता हो कि ख़रीदना यह है कि दूसरे की चीज़ हमारी होजायेगी और बेचना यह कि अपनी चीज़ अपनी न रहेगी दूसरे की होजायेगी तो इसका अ़क़्द वली की इजाज़त पर मौक़ूफ़ होता है जाइज़

कर देगा जाइज़ होजायेगा रद कर देगा बातिल होजायेगा और अगर इतना भी न जानता हो कि बेचना और ख़रीदना उसे कहते हैं तो उसका अ़क्द बातिल है वली के जाइज़ करने से भी जाइज़ नहीं होगा मजनून का भी यही हुक्म है। (हिदाया, दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.7:– फ़ेअ्ल में हज्र नहीं होता यानी उनके अफ़आल को कल'अदम नहीं समझा जायेगा बल्कि उनका एअ्तिबार किया जायेगा लिहाज़ा ना'बालिग़ या मजनून ने किसी की कोई चीज़ तल्फ़ करदी तो ज़मान वाजिब है फ़िल'हाल तावान वसूल किया जायेगा यह नहीं कि जब वह बालिग़ हो या मजनून होश में आये उस वक़्त तावान वसूल करें यहाँ तक कि अगर एक दिन के बच्चा ने करवट ली और किसी शख़्स की शीशे की कोई चीज़ थी वह टूटगई इस का भी तावान देना होगा। (दुर्रेमुख़्तार, आलमगीरी)

मसअ्ला.8:– बच्चे ने किसी से क़र्ज़ लिया या उसके पास कोई चीज़ अमानत रखी गई या इसको कोई चीज़ आ़रियत दीगई या इसके हाथ कोई चीज़ बैअ् कीगई और यह सब काम वली की बिग़ैर इजाज़त हुए और बच्चे ने वह चीज़ तल्फ़ करदी तो ज़मान वाजिब नहीं। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.9:– आज़ाद, आ़क़िल, बालिग़ पर हज्र नहीं किया जा सकता कि मस्लन वह सफ़ीह (बे'वकूफ़) है माल को बेजा ख़र्च करता है, अ़क्ल व शरअ् के ख़िलाफ़ वह अपने माल को बर्बाद करता है, गाने बजाने वालों को दे देता है, तमाशा करने वालों को देता है, कबूतर बाज़ी में माल उड़ाता है, बेश क़ीमत कबूतरों को ख़रीदता है, पतंग बाज़ी में, आतिशबाज़ी में, और तरह तरह की बाज़ियों में माल ज़ाइअ् करता है, ख़रीद व फ़रोख़्त में बे महल टोटे में पड़ता है कि एक रूपया की चीज़ है दस पाँच में ख़रीदली, दस की चीज़ है बिला वजह एक रूपया में बैअ् करडाली ग़र्ज़ उसी क़िस्म के बे'वकूफ़ी के काम जो शख़्स करता है उसको हमारे इमामे आज़म रदियल्लाहु तआला अन्हु के नज़्दीक हज्र नहीं किया जा सकता इसी तरह फ़िस्क़ या ग़फ़लत की वजह से या मदयून है इस वजह से उस पर हज्र नहीं होसकता मगर साहिबैन के नज़्दीक उन सूरतों में भी हज्र किया जा सकता है और साहिबैन ही के क़ौल पर यहाँ फ़तवा दिया जाता है। (दुर्रेमुख़्तार, रद्दुल'मुहतार)

मसअ्ला.10:– सफ़ीह यानी जिस आज़ाद, आ़क़िल, बालिग़ पर हज्र हो उसके वह मुतसर्रिफ़ात जो फ़िस्क़ का एहतिमाल रखते हैं और हज़्ल से बातिल होजाते हैं उन्हीं में हज्र का असर होता है कि यह शख़्स ना'बालिग़ आ़क़िल के हुक्म में होता है और जो तसर्रुफ़ात ऐसे हैं कि न फ़स्ख़ होसकें औरन हज़्ल से बातिल हों उनमें हज्र का असर नहीं होता लिहाज़ा निकाह, तलाक, इताक़, इस्तीलाद, (लौन्डी को उम्मे वलद बनाना) तदबीर, (गुलाम लौन्डी को मुदब्बिर या मुदब्बिरा बनाना) वुजूबे ज़कात व फ़ित्रा, व हज व दीगर इबादते बदनिया, बाप, दादा की विलायत का ज़ाइल होना, नफ़क़ा में ख़र्च करना यानी अपने और अहल व एयाल पर और उन लोगों पर ख़र्च करना जिनका नफ़क़ा इसके ज़िम्मे वाजिब है। नेक कामों में एक तिहाई तक वसियत करना उक़ूबात (जुर्म) का इक़रार करना यह चीज़ें वह हैं कि बा'वजूद हज्र भी सहीह हैं और उन के एलावा जिन में हज़्ल का एअ्तिबार है वह क़ाज़ी की इजाज़त से कर सकता है यानी क़ाज़ी अगर नाफ़िज़ करदेगा तो नाफ़िज़ होजायेंगे(दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.11:– ना'बालिग़ जिसका माल वली या वसी के क़ब्ज़े में था वह बालिग़ हुआ और उसकी हालत अच्छी मालूम होती है और चाल चलन ठीक हैं (यहाँ नेक चलनी के सिर्फ़ यह मअ्ना हैं कि माल को मौक़ा से ख़र्च करता हो और बे मौक़ा ख़र्च करने से रुकता हो जिस को रुश्द कहते हैं) तो उसके अमवाल उसे देदिये जायें और अगर चाल चलन अच्छे न हों तो अमवाल न दिये जायें जब तक उसकी उम्र पच्चीस साल की न होजाये और उनके तसर्रुफ़ात पच्चीस साल से क़ब्ल भी नाफ़िज़ होंगे और इस उम्र तक पहुँचने के बाद भी उसमें रुश्द ज़ाहिर न हुआ तो इमामे आज़म रदियल्लाहु तआला अन्हु के नज़्दीक अब माल देदिया जाये वह जो चाहे करे मगर साहिबैन फ़रमाते हैं कि अब भी न दिया जाये जब तक रुश्द ज़ाहिर न हो माल सिपुर्द न किया जाये अगर्चे उसकी उम्र सत्तर साल की होजाये(हिदाया वग़ैरा)

मसअ्ला.12:– बालिग़ होने के बाद नेक चलन था और अमवाल देदिये गये अब उसकी हालत

ख़राब होगई तो इमामे आज़म के नज़्दीक हज्र नहीं होसकता मगर साहिबैन के नज़्दीक महजूर कर दिया जायेगा जैसा ऊपर मज़कूर हुआ। (हिदाया)

मसअ्ला.13:– किसी शख़्स पर ज़्यादा कर्ज़े होगये कर्ज़ ख़्वाहों को अन्देशा है कि अगर उसने अपने अमवाल को हिबा कर दिया या सदका करदिया या और किसी तरह ख़र्च कर डाला तो हम अपने दैन क्योंकर वसूल करेंगे उन्होंने क़ाज़ी से महजूर करने की दरख़्वास्त की तो ऐसे शख़्स को क़ाज़ी महजूर कर देगा अब उसके तसर्रुफ़ात हिबा वग़ैरा नाफ़िज़ नहीं होंगे और क़ाज़ी उसके अमवाल को बैअ् करके दैन अदा कर देगा। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.14:– एक शख़्स मुफ़्लिस (दीवालिया) होगया और उसके पास कुछ वह चीज़ें हैं जिनको उस ने ख़रीदा है और समन बाइअ् को नहीं दिया है तो यह चीज़ तनहा बाइअ् को नहीं मिलेगी बल्कि उसमें दीगर कर्ज़ ख़्वाह भी शरीक हैं जितनी बाइअ् के हिस्सा में आये उतनी ही ले सकता है अगर उसने अब तक उस चीज़ पर क़ब्ज़ा ही नहीं किया है या बिग़ैर इजाज़ते बाइअ् क़ब्ज़ा कर लिया है तो तन्हा बाइअ् उसका हक़दार है। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.15:– मदयून का दैन नुकूद (नक़द रक़म) से अदा किया जायेगा उनसे न अदा हो तो दीगर सामान और उनसे भी न हो तो जायदादे ग़ैर'मन्कूला से और सिर्फ़ एक जोड़ा कपड़े का उसके लिये छोड़ दिया जाये.बाक़ी सब अम्वाल अदा–ए–दैन में सर्फ़ कर दिये जायें। (आलमगीरी)

बुलूग़ का बयान

मसअ्ला.16:– लड़के को जब इन्ज़ाल होगया वह बालिग़ है। वह किसी तरह हो सोते में हो जिस को एहतिलाम कहते हैं या बेदारी की हालत में हो। और इन्ज़ाल न हो तो जब तक उसकी उम्र पन्द्रह साल की न हो बालिग़ नहीं जब पूरे पन्द्रह साल का होगया तो अब बालिग़ है अलामते बुलूग़ पाये जायें या न पाये जायें लड़के के बुलूग़ के लिये कम से कम जो मुद्दत है वह बारह साल की है यानी अगर इस मुद्दत से क़ब्ल वह अपने को बालिग़ बताये उस का क़ौल मोअ्तबर न होगा(आलमगीरी)

मसअ्ला.17:– लड़की का बुलूग़ एहतिलाम से होता है या हमल से या हैज़ से उन तीनों में से जो बात भी पाई जाये तो वह बालिग़ क़रार पायेगी और उनमें से कोई बात न पाई जाये तो जब तक पन्द्रह साल की उम्र न हो जाये बालिग़ नहीं और कम से कम उस का बुलूग़ नौ साल में होगा इस से कम उम्र है और अपने को बालिग़ा कहती हो तो मोअ्तबर नहीं। (दुर्रेमुख़्तार वग़ैरा)

मसअ्ला.18:– लड़के की उम्र बारह साल या लड़की की नौ साल की हो और वह अपने को बालिग़ बताते हैं अगर ज़ाहिर हाल उनकी तकज़ीब न करता हो (झुटलाता न हो) कि उनके हम उम्र बालिग़ हों तो उनकी बात मान ली जायेगी। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.19:– जब उनका बालिग़ होना तस्लीम करलिया गया तो बालिग़ के जितने अहकाम हैं उन पर जारी होंगे और इसके बाद वह अपने बालिग़ होने से इन्कार करे भी तो मोअ्तबर न होगा अगर्चे यह एहतिमाल है कि वह ना'बालिग़ हो, उसकी बैअ व तक़सीम नहीं तोड़ी जायेगी।(दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.20:– जिस लड़के की उम्र बारह साल की हो और उसके हम उम्र बालिग़ हों उसने अपनी औरत से जिमाअ् किया और औरत के बच्चा पैदा हुआ तो उसके बुलूग़ का हुक्म दिया जायेगा और बच्चा साबितुन्नसब होगा। (आलमगीरी)

माज़ून का बयान

हज्र से तसर्रुफ़ात नहीं कर सकता था जिसका बयान गुज़रा इस हज्र के दूर करने को इज़्न कहते हैं यहाँ सिर्फ़ उन मसाइल को बयान करना है जिनका तअल्लुक़ ना'बालिग़ या मअ्तूह से है ग़ुलाम माज़ून के मसाइल ज़िक्र करने की हाजत नहीं।

मसअ्ला.1:– ना'बालिग़ के तसर्रुफ़ात तीन किस्म हैं **(1)नाफ़ेअ् महज़** यानी वह तसर्रुफ़ जिसमें नफ़अ् ही नफ़अ् है जैसे इस्लाम क़बूल करना। किसी ने कोई चीज़ हिबा की उसको क़बूल

करना उसमें वली की इजाज़त दरकार नहीं। **(2)ज़ार महज़** जिसमें ख़ालिस नुक़सान हो यानी दुनियावी मुज़र्रत हो अगर्चे आख़िरत के एअ्तिबार से मुफ़ीद हो जैसे सदक़ा व क़र्ज़ गुलाम को आज़ाद करना। ज़ौजा को तलाक़ देना। उसका हुक्म यह है कि वली इजाज़त दे तो भी नहीं कर सकता बल्कि ख़ुद भी बालिग़ होने के बाद अपनी ना'बालिग़ी के उन तसर्रुफ़ात को नाफ़िज़ करना चाहे नहीं कर सकता उसका बाप या क़ाज़ी उन तसर्रुफ़ात को करना चाहें तो यह भी नहीं कर सकते। **(3)बाज़ वजह से नाफ़ेअ् बाज़ वजह से ज़ार** जैसे बैअ्, इजारा, निकाह यह इज़्ने वली पर मौक़ूफ़ हैं। (दुर्रेमुख़्तार वग़ैरा) नाबालिग़ से मुराद वह है जो ख़रीद व फ़रोख़्त का मतलब समझता हो जिसका बयान ऊपर गुज़र चुका और जो इतना भी न समझता हो और उस के तसर्रुफ़ात ना क़ाबिले एअ्तिबार हैं। मअ्तूह के भी यही अहकाम हैं जो ना'बालिग़ समझदार के हैं।

मसअ्ला.2:— जब वली ने बैअ् की इजाज़त देदी तो उसने जिस क़ीमत पर भी ख़रीद व फ़रोख़्त की हो जाइज़ है और इज़्न से क़ब्ल जो अक़्द किया है वह इज़्न पर मौक़ूफ़ है वली के नाफ़िज़ करने से नाफ़िज़ होगा और इज़्न के बाद वह उन तसर्रुफ़ात में आज़ाद बालिग़ की मिस्ल है(आलमगीरी)

मसअ्ला.3:— नाबालिग़ ग़ैर माज़ून ने बैअ् की थी और वली ने उसके मुतअ़ल्लिक़ कुछ नहीं कहा था यहाँ तक कि यह ख़ुद बालिग़ होगया तो अब इजाज़ते वली पर मौक़ूफ़ नहीं है यह ख़ुद नाफ़िज़ कर सकता है। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.4:— वली बाप है बाप के मरने के बाद उसका वसी फिर वसी का वसी फिर दादा फिर उसका वसी फिर उस वसी का वसी फिर बादशाह या क़ाज़ी या वह जिसको क़ाज़ी ने वसी मुक़र्रर किया हो उन तीनों में तक़दीम व ताख़ीर नहीं उन तीनों में से जो तसर्रुफ़ करेगा नाफ़िज़ होगा(आलमगीरी)

मसअ्ला.5:— चचा और भाई और माँ या उसके वसी को विलायत नहीं है तो बहन फूपी ख़ाला को क्या होती। (आलमगीरी, दुर्रेमुख़्तार) यहाँ माल की विलायत का ज़िक्र है निकाह का वली कौन है इस को हम किताबुन्निकाह में बयान कर चुके हैं वहाँ से मालूम करें।

मसअ्ला.6:— वली ने ना'बालिग़ या मअ्तूह को बैअ् करते देखा और मनअ् न किया ख़ामोश रहा तो यह सुकूत भी इज़्न है और क़ाज़ी ने उनको बैअ् व शिरा (ख़रीद व फ़रोख़्त) करते देखा और ख़ामोश रहा तो इस का सुकूत इज़्न नहीं। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.7:— ना'बालिग़ व मअ्तूह के लिये वली न हो या वली हो मगर वह बैअ् वग़ैरा की इजाज़त न देता हो तो क़ाज़ी को इख़्तियार है कि वह इजाज़त देदे। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.8:— क़ाज़ी ने इजाज़त देदी उसके बाद वह क़ाज़ी मरगया या मअ्ज़ूल होगया तो बाप वग़ैरा अब भी उसे नहीं रोक सकते और वसी ने इजाज़त दी थी फिर वह मरगया तो हज्र हो गया यानी उसके बाद वली है उसकी इजाज़त दरकार है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.9:— उन दोनों यानी नाबालिग़ व मअ्तूह के पास जो चीज़ है उसके मुतअ़ल्लिक़ यह इक़रार किया कि यह फ़ुलाँ की है ख़्वाह यह चीज़ उनके कसब (कमाई) की हो या मीरास में मिली हो उनका इक़रार सहीह है और अगर बाप ने ही उनको इज़्न दिया और उसी के लिये इक़रार किया तो यह इक़रार सहीह नहीं। (दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.10:— बाप ने अपने दो ना'बालिग़ लड़कों को इजाज़त दी उनमें से एक ने दूसरे से कोई चीज़ ख़रीदी यह बैअ् जाइज़ है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.11:— लड़का मुसलमान है और उसका बाप काफ़िर है तो यह बाप वली नहीं और उसको इज़्न देने का इख़्तियार नहीं। (आलमगीरी)

मसअ्ला.12:— ना'बालिग़ माज़ून पर दअ्वा हुआ और वह इन्कार करता है तो उसपर हल्फ़ दिया जायेगा। (आलमगीरी)

ग़सब का बयान

अल्लाह अ़ज़्ज़ व जल्ल फ़रमाता है।

وَلَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ

तर्जमा :— "एक का माल दूसरा शख़्स ना'हक़ तौर पर न खाये"।

हदीस (1) सहीह बुख़ारी व सहीह मुस्लिम में सईद इब्ने ज़ैद रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़रमाते हैं "जिसने एक बालिश्त ज़मीन ज़ुल्म के तौर पर लेली क़ियामत के दिन सातों ज़मीनों से उतना हिस्सा तौक़ बनाकर उसके गले में डाल दिया जायेगा"।

हदीस (2) सहीह बुख़ारी शरीफ़ में अब्दुल्लाह इब्ने उमर रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से मरवी कि हुज़ूर अक़्दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया "जिसने किसी की ज़मीन में से कुछ भी ना'हक़ ले लिया क़ियामत के दिन सात ज़मीनों तक धंसा दिया जायेगा"।

हदीस (3) व (4) इमाम अहमद ने यअ्ला इब्ने मुर्रा रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया "जिसने ना'हक़ ज़मीन ली क़ियामत के दिन उसे यह तकलीफ़ दी जायेगी कि उसकी मिट्टी उठाकर मैदाने हश्र में लाये"। दूसरी रिवायत इमाम अहमद की उन्हीं से यूँ है कि हुज़ूर ने फ़रमाया "जिसने एक बालिश्त ज़मीन ज़ुल्म के तौर पर ली अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल उसे यह तकलीफ़ देगा कि उस हिस्सा–ए–ज़मीन को खोदता हुआ सात ज़मीन तक पहुँचे फिर यह सब उस के गले में तौक़ बनाकर डालदिया जायेगा और यह तौक़ उस वक़्त तक उसके गले में रहेगा कि तमाम लोगों के मा'बैन फ़ैसला होजाये।

हदीस (5) सहीह मुस्लिम में अब्दुल्लाह इब्ने उमर रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया "कोई शख़्स दूसरे का जानवर बिगैर इजाज़त न दूहे क्या तुम में कोई शख़्स यह पसन्द करता है कि उसके बाला ख़ाना पर कोई आकर ख़ज़ाने की कोठरी तोड़कर जो कुछ उसमें खाने की चीज़ें हैं उठा लेजाये। उन लोगों यानी एअ्राब और बद्दुओं के खाने के ख़ज़ाने जानवरों के थन हैं यानी जानवरों का दूध ही उनकी गिज़ा है"।

हदीस (6) सहीह मुस्लिम में जाबिर रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के ज़माने में आफ़ताब में गहन लगा और उसी रोज़ हुज़ूर के साहिबज़ादा हज़रत इब्राहीम की वफ़ात हुई थी हुज़ूर ने गहन की नमाज़ पढ़ाई और उसके बाद यह फ़रमाया तमाम वह चीज़ें जिनकी तुम्हें ख़बर दीजाती है संबको मैंने अपनी उस नमाज़ में देखा मेरे सामने दोज़ख़ पेश कीगई और यह उस वक़्त कि तुमने मुझे पीछे हटते हुए देखा कि कहीं उसकी लपट न लगजाये मैंने उसमें साहिबे मिह्जन को देखा कि वह अपनी आंतें जहन्नम में घसीट रहा है मिह्जन उस छड़ी को कहते हैं जिसकी मुंठ टेढ़ी होती है जाहिलियत में एक शख़्स उमर बिन लही नामी था, जो उसी क़िस्म की छड़ी रखता उसको साहिबे मिह्जन कहते थे वह हाजियों की चीज़ छड़ी की मोंठ से खींच लिया करता था अगर हाजी को पता चल जाता कि मेरी चीज़ किसी ने खींच ली तो कह देता कि तुम्हारी चीज़ मेरी छड़ी की मोंठ से हिलग गई और उसे पता न चलता तो यह चीज़ उठा लेजाता, और मैंने जहन्नम में बिल्ली वाली औरत को देखा जिसने बिल्ली पकड़कर बाँध रखी थी न उसे कुछ खिलाया न छोड़ा कि वह कुछ खालेती वह बिल्ली उसी हालत में भूक से मर गई फिर उसके बाद जन्नत मेरे सामने पेश कीगई यह उस वक़्त कि तुमने मुझे आगे बढ़ते देखा यहाँ तक कि अपनी जगह पर जाकर खड़ा होगया और मैंने हाथ बढ़ाया था और मैंने इरादा किया था कि जन्नत के फलों में से कुछ लेलूँ कि तुम भी उन्हें देखलो फिर मेरी समझ में आया कि ऐसा न करूँ।

हदीस (7) बैहक़ी ने शोअ्बुल ईमान और दारे क़ुत्नी ने मुजतबा में अबूहुर्रा रक़्क़ाशी से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया "ख़बरदार तुम लोग ज़ुल्म न करना सुनलो किसी का माल बिग़ैर उसकी ख़ुशी के हलाल नहीं"।

हदीस (8) तिर्मिज़ी व अबूदाऊद ने साइब इब्ने यज़ीद से वह अपने वालिद से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया "कोई शख़्स अपने भाई (मुसलमान) की छड़ी हंसी, मज़ाक़ में वाक़ेई तौर पर न लेले यानी ज़ाहिर तो यह है कि मज़ाक़ कर रहा है और

हक़ीक़त यह है कि लेना ही चाहता है और जिसने इस तरह ली हो वह वापस करदे"।

हदीस् (9) इमाम अहमद व अबूदाऊद व नसाई समुरा रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी कि हुज़ूर ने इरशाद फ़रमाया "जो शख़्स अपना बिऐनिही माल किसी के पास पाये तो वही हक़दार है और वह शख़्स जिसके पास माल था अगर उसने किसी से ख़रीदा है तो वह अपने बाइअ् से मुतालबा करे"।

हदीस् (10) अबूदाऊद ने समुरा रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया "जब कोई शख़्स जानवरों में पहुँचे (और दूध दोहना चाहे) अगर मालिक वहाँ हो तो उससे इजाज़त लेले और वहाँ न हो तो तीन मरतबा मालिक को आवाज़ दे अगर कोई जवाब दे तो उससे इजाज़त लेकर दोहे और जवाब न आये तो दोहकर पीले वहाँ से ले न जाये" (यह हुक्म उस वक़्त है कि यह शख़्स मुज़तर हो)

हदीस (11) तिर्मिज़ी व इब्ने माजा ने अब्दुल्लाह इब्ने उ़मर रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया "जो शख़्स बाग़ में जाये तो खाये, झोली में रख कर ले न जाये" (यह भी इज़्तिरार की सूरत में है या वहाँ का ऐसा उर्फ होगा)

हदीस् (12) अबूदाऊद व तिर्मिज़ी व इब्ने माजा राफ़ेअ् इब्ने उ़मर व ग़फ़्फ़ारी रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी कहते हैं मैं लड़का था अन्सार के पेड़ों से खजूरें झाड़ रहा था कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाये और फ़रमाया "ऐ लड़के पेड़ों पर क्यों ढेले फेंकता है" मैंने अ़र्ज़ की झाड़कर खाता हूँ फ़रमाया "झाड़ो मत जो नीचे गिरी हैं उन्हें खालो" फिर उनके सर पर हाथ फेर कर दुआ की "इलाही तू इसे आसूदा करदे"।

हदीस् (13) त़ब्रानी ने अश्अस् इब्ने क़ैस रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कि फ़रमाया नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने "जो शख़्स पराया माल ले लेगा वह क़ियामत के दिन अल्लाह तआला से कोढ़ी होकर मिलेगा"

माले मुतक़व्विम मोहतरम मन्कूल (मन्कूल वह माल है जो एक जगह से दूसरी जगह लेजाया जा सके (अमीनुल क़ादरी)) से जाइज़ क़ब्ज़ा को हटाकर नाजाइज़ क़ब्ज़ा करना ग़सब है जबकि यह क़ब्ज़ा खुफ़ियतन न हो इस ना'जाइज़ क़ब्ज़ा करने वाले को ग़ासिब और मालिक को मग़सूब मिन्हु और चीज़ को मग़सूब कहते हैं जिस चीज़ पर ना'जाइज़ क़ब्ज़ा हुआ मगर किसी जाइज़ क़ब्ज़ा को हटाकर नहीं हुआ वह ग़सब नहीं मसलन जो चीज़ ग़सब की थी उसमें कुछ ज़ाइद चीज़ें पैदा होगईं, जैसे जानवर ग़सब किया था उससे बच्चा पैदा हुआ गाय ग़सब की थी उसका दूध दुहा उन ज़वाइद को ग़सब करना नहीं कहा जायेगा, ग़ैर मुतक़व्विम चीज़ पर क़ब्ज़ा किया यह भी ग़सब नहीं मसलन मुसलमान के पास शराब थी उसने छीन ली और माले मोहतरम न हो जैसे हरबी काफिर का माल छीन लिया यह भी ग़सब नहीं ग़ैर मन्कूल पर क़ब्ज़ा ना'जाइज़ किया यह भी ग़सब नहीं। (दुर्रेमुख़्तार वग़ैरा)

मसअ्ला.1:– बाज़ ऐसी सूरतें भी हैं कि अगर्चे वह ग़सब नहीं हैं मगर उनमें ग़सब का हुक्म जारी होता है यानी ज़मान का हुक्म दिया जाता है इस वजह से उनको भी ग़सब से तअ्बीर किया जाता है मसलन मूदअ् ने वदीअ़त से इन्कार कर दिया हलाक करदिया कि यहाँ तावान लाज़िम है। पड़ा माल उठाया और उसपर गवाह नहीं बनाया, पराई मिल्क में कुँआ खोदा और उसमें किसी की चीज गिरकर हलाक होगई और उनके एलावा बहुत सी ऐसी सूरतें हैं जिनमें तावान का हुक्म है और वहाँ ग़सब नहीं कि उन सब सूरतों में तअ़द्दी की वजह से ज़मान लाज़िम आता है। (रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.2:– जानवर को ग़सब कर लाया उसके साथ लगा हुआ बच्चा चला आया या ग़सब के बाद बच्चा पैदा हुआ बच्चा का तावान ग़ासिब पर नहीं या बच्चा को ग़सब कर लाया और उसे हलाक करदिया इस के जुदा होने से गाय का दूध सूख गया यहाँ बच्चा का ज़मान है और गाय में जो कमी हुई उसका नुक़सान देना होगा। यह नुक़सान तअ़द्दी की वजह से है। (रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.3:– किसी शख़्स का मिट्टी का ढेला या एक क़तरा पानी लेलिया अगर्चे बिग़ैर इजाज़त ऐसा करना जाइज़ नहीं मगर यह ग़सब नहीं कि माले मुतक़व्विम नहीं। (रद्दुल'मुहतार)

मसअ्ला.4:– छुपाकर किसी की चीज़ लेली जिसको चोरी कहते हैं अगर दस दिरहम क़ीमत की है जिसमें हाथ काटा जाता है यह ग़सब नहीं कि हलाक होने से यहाँ तावान लाज़िम नहीं।(रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.5:– दूसरे के जानवर पर बिग़ैर इजाज़ते मालिक बोझ लादना या सवार होना बल्कि मुश्तरक जानवर पर बिग़ैर इजाज़ते शरीक बोझ लादना या सवार होना ग़सब है हलाक होने से तावान देना होगा दूसरे के बिछौने पर बिग़ैर इजाज़त बैठना ग़सब नहीं अगर वह हलाक होजाये तो तावान नहीं जब तक उसके फ़ेअ्ल से हलाक न हो। (हिदाया, दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.6:– ग़सब का हुक्म यह है कि अगर मालूम हो कि दूसरे का माल है तो ग़ासिब गुनहगार है और चीज़ मौजूद हो तो मालिक को वापस करदे मौजूद न हो तो तावान दे और मालूम न हो कि पराया माल है तो उसका हुक्म वापस करना या चीज़ मौजूद न हो तो तावान देना है और उस सूरत में गुनाहगार नहीं हुआ। (हिदाया, दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.7:– ग़ासिब से दूसरा शख़्स छीन लेगया तो मग़सूब मिन्हु को यानी जिस की चीज़ ग़सब की गई उसे इख़्तियार है कि ग़ासिब से ज़मान ले या ग़ासिबुल'ग़ासिब से। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.8:– शय मौकूफ़ ग़सब की जिसकी क़ीमत एक हज़ार है फिर ग़ासिब से किसी ने ग़सब करली और उस वक़्त उसकी क़ीमत दो हज़ार है तो अगर ग़ासिब दोम ग़ासिबे अव्वल से ज़्यादा मालदार है उसी ग़ासिबे दोम से तावान ले वरना मुतवल्ली को इख़्तियार है जिससे चाहे ले और जिस एक से लेगा दूसरा बरी होजायेगा। (रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.9:– पराई दीवार गिरादी तो मालिक का जो कुछ नुक़सान हुआ लेले उसमें दो सूरतें हैं एक यह कि दीवार की क़ीमत उससे वसूल करे और गिरा हुआ मलबा उसे देदे या मलबा ख़ुद लेले और दीवार की क़ीमत से मलबे की क़ीमत कम करके बाक़ी उससे वसूल करे उसको यह हक़ नहीं कि उससे दीवार बनाने का मुतालबा करे हाँ अगर मस्जिद या किसी इमारते मौकूफ़ा की दीवार किसी ने गिराई है तो उसे दीवार बनवानी होगी। (दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.10:– दीवार गिराने वाले ने अगर वैसी ही दीवार बनवादी तो ज़मान से बरी होजायेगा और अगर दीवार में नक़्श व निगार फूल पत्ते हैं तो उनका भी तावान देना होगा और अगर तस्वीरें बनी हैं तो रंग का ज़मान है तसावीर का ज़मान नहीं। (रद्दुल'मुहतार)

मसअ्ला.11:– जिस चीज़ को जहाँ से ग़सब किया वहीं वापस करना होगा ग़ासिब अगर दूसरे शहर में देना चाहता है मालिक उससे कह सकता है कि जहाँ से लाये हो वहीं चलकर देना(दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.12:– ग़ासिब के वापस करने के लिये यह ज़रूरी नहीं है कि इस तरह वापस करे कि मालिक को इल्म होजाये अगर इसकी ला'इल्मी में चीज़ वापस करदी बरी होगया मसलन उसके सन्दूक़ या थैली में से रुपये निकाल लेगया था फिर उसमें रख आया और मालिक को पता न चला यह वापसी भी सहीह है। यूंही अगर किसी दूसरे नाम से मालिक को देदी जब भी बरी होजायेगा मसलन मालिक को हिबा किया या वदीअ्त के नाम से उसे देआया बल्कि अगर वह चीज़ खाने की थी मालिक को खिलादी इस सूरत में भी बरी होजायेगा। मगर उस चीज़ में अगर तग़ईर(तब्दीली) करदी है और मालिक को दे आया तो बरी नहीं मसलन कपड़े को क़त्अ़ करके उसको सी कर मालिक को दिया या गेहूँ को पिसवाकर उसकी रोटी मालिक को खिलादी या शकर का शरबत बनाकर पिलादिया। (दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.13:– गेहूँ ग़सब किये थे मालिक को यह गेहूँ पीसने को देआया पीसने के बाद उसे मालूम हुआ कि यह तो मेरे ही गेहूँ हैं। आटे को रोक सकता है यूहीं सूत ग़सब किया था और मालिक को कपड़ा बुनने के लिये देआया कपड़ा बुनने के बाद मालिक को मालूम हुआ कि यह सूत मेरा ही था

कपड़ा रख सकता है। (आलमगीरी)
मसअ्ला.14:– सोते में अँगूठी या जूते या टोपी उतारली अगर वहाँ से ले नहीं गया और पहनादी तो ज़मान नहीं और वहाँ से लेगया तो अब बेदारी में देने से ज़मान से बरी होगा और सोते में पहना देगा तो बरी न होगा। (आलमगीरी)
मसअ्ला.15:– ग़ासिब ने मग़सूब को मालिक की गोद में रख दिया उसको यह नहीं मालूम हुआ कि मेरी चीज़ है उसकी गोद में से कोई दूसरा उठा लेगया ग़ासिब बरी होगया। (आलमगीरी)
मसअ्ला.16:– जो चीज़ ग़सब की और वह हलाक होगई उसकी दो सूरतें हैं अगर वह चीज़ क़ियमी है तो क़ीमत तावान दे और मिस्ली है तो उसकी मिस्ल तावान में दे और मिस्ली है मगर इस वक़्त मौजूद नहीं है यानी बाज़ार में नहीं मिलती अगर्चे घरों में उसका वजूद है तो इस सूरत में भी क़ीमत तावान में दे सकता है। (हिदाया वग़ैरहा)
मसअ्ला.17:– मिस्ली चीज़ अगर दूसरी जिन्स के साथ मख़लूत (मिलजाये) होजाये और तमीज़ दुश्वार हो जैसे गेहूँ को जौ में मिलादिया या तमीज़ न होसके जैसे तिल का तेल कि उसको रोग़ने ज़ैतून में मिलादिया या पाक तेल को नापाक तेल में मिलादिया अब यह मिस्ली नहीं है बल्कि क़ियमी है यूंही अगर उसमें सन्अ़त की वजह से इख़्तिलाफ़ पैदा होजाये मस्लन तांबे वग़ैरा के बर्तन कि यह भी क़ियमी हैं अगर्चे तांबा मिस्ली था। (दुर्रेमुख़्तार)
मसअ्ला.18:– बाज़ ज़वातुल'कय्यिम और ज़वातुल'अमसाल की तफ़सील। पनीर ज़मान के बारे में क़ीमती है और दीगर उमूर में मस्लन सलम के बाब में मिस्ली है कि उसमें सलम सही है। कोयला, गोश्त अगर्चे कच्चा हो। ईंट, साबुन, गोबर, दरख़्त के पत्ते, सुई, चमड़ा कच्चा हो या पकाया हुआ नजिस तेल, निस्फ़ साअ़ से कम ग़ल्ला, रोटी, पानी, कुस्म, तांबे, पीतल ,मिट्टी के बर्तन, अनार, सेब, खीरा, ककड़ी तरकारियाँ, दही, चर्बी, दुम्बे की चक्की उन सब की निस्बत क़ियमी होना मुसर्रह है। तांबा, पीतल, लोहा, सीसा, खजूर की सब क़िस्में एक ही जिन्स हैं। सिर्का, रूई, आटा, ऊन, काती हुई ऊन, रेशम, चूना, रुपया, अशर्फ़ी, पैसा, भूसा, मेहन्दी, वसमा (नील के पत्ते जिनसे ख़िज़ाब तैयार किया जाता है) ख़ुश्क फूल, काग़ज़, दूध इन चीज़ों के मिस्ली होने की तसरीह है। (आलमगीरी)
मसअ्ला.19:– मिस्ली और क़ियमी के मुतअ़ल्लिक़ क़ाइदा–ए–कुल्लिया यह है कि जिस चीज़ की मिस्ल बाज़ार में पाई जाती हो और उसकी क़ीमतों में मोअ्तद'बिही फ़र्क़ न हो वह मिस्ली है जैसे अन्डे, अख़रोट और जिनकी क़ीमतों में बहुत कुछ तफ़ावुत होता है जैसे गाय, भैंस, आम, अमरूद वग़ैरहा यह सब क़ियमी हैं। (दुर्रेमुख़्तार)
मसअ्ला.20:– कपड़े जो गज़ों से बिकते हैं जैसे मल'मल, लठ्ठा वग़ैरा कि इसकी सब तहें एकसी होती हैं यह मिस्ली हैं और जो कपड़े ऐसे होते हैं कि गज़ों से न बिकें वह क़ियमी हैं। (रद्दुल'मुहतार)
मसअ्ला.21:– ग़ासिब यह कहता है कि शय मग़सूब हलाक होगई तो उसे हाकिम क़ैद करे जब इतना ज़माना गुज़र जाये कि यह मालूम होजाये कि अगर इसके पास चीज़ होती तो ज़रूर ज़ाहिर कर देता क़ैद ख़ाना में पड़ा न रहता तो अब इस के'मुतअ़ल्लिक़ तावान का हुक्म होगा ख़्वाह मिस्ल तावान दिलाई जाये या क़ीमत। (हिदाया, वग़ैरहा)
मसअ्ला.22:– ग़ासिब कहता है कि मैंने चीज़ मालिक को वापस करदी थी उसके यहाँ हलाक हुई और मालिक कहता है ग़ासिब के पास हलाक हुई और दोनों ने सुबूत के गवाह पेश किये ग़ासिब के गवाहों को तरजीह दी जायेगी और क़ीमत में इख़्तिलाफ़ हो तो मालिक के गवाह मोअ्तबर हैं और अगर खुद मग़सूब में इख़्तिलाफ़ हो ग़ासिब कहता है मैंने यह चीज़ ग़सब की और मालिक कहता है वह चीज़ ग़सब की तो क़सम के साथ ग़ासिब का क़ौल मोअ्तबर है। (दुर्रेमुख़्तार)
मसअ्ल.23:– किसी की जायदाद ग़ैर मन्क़ूला छीन ली (यह हक़ीक़तन ग़सब नहीं है जैसा कि हम ने पहले बयान किया) अगर यह चीज़ मौजूद है तो मालिक को दिलादी जायेगी और अगर हलाक होगई

मस्लन मकान था गिरगया और हलाक होना आफ़ते समाविया से हो मस्लन ज़मीन दरिया बुर्द होगई, मकान बारिश की कस्रत से या ज़लज़ला या आँधी से गिरगया तो ज़मान वाजिब नहीं और अगर हलाक होना किसी के फ़ेअ्ल से हो तो उसपर ज़मान वाजिब है ग़ासिब ने हलाक किया हो तो ग़ासिब तावान दे किसी और ने किया हो तो वह दे और अगर वह चीज़ मस्लन मकान मौजूद है मगर ग़ासिब के रहने, इस्तेअ्माल करने की वजह से उसमें नुक़सान पैदा होगया है या खेत में ज़राअ़त करने की बजह से ज़मीन कमज़ोर होगई तो इस नुक़सान का तावान देना होगा। और नुक़सान का अन्दाज़ा यूँ किया जायेगा कि उस जमीन का उस हालत में क्या लगान होता और अब क्या है मकान की उस हालत में क्या क़ीमत होती और इस हालत में क्या है। (हिदाया, आलमगीरी)

मसअ्ला.24:– ज़मीन ग़सब की और काश्त की जिसकी वजह से उसे ज़मीन का नुक़सान देना पड़ा तो बीज और यह नुक़सान की मिक़दार पैदावार में से लेले बाक़ी जो कुछ ग़ल्ला है उसे तसद्दुक़ करदे मस्लन मन भर बीज डाले थे और एक मन की क़ीमत की क़द्र ज़मान देना पड़ा और खेत में चार मन ग़ल्ला पैदा हुआ तो दो मन खुद लेले और दो मन सदक़ा करदे। (आलमगीरी)

मसअ्ला.25:– जायदादे मौक़ूफ़ा (वक़्फ़ की जायदाद) मकान या ज़मीन को ग़सब किया उसका तावान देना होगा अगर्चे उसने खुद हलाक न की हो बल्कि उससे जो कुछ मनफ़अ़त (फ़ायदा) हासिल की है उस का भी तावान देना होगा मकान में सुकूनत की तो वाजिबी (राइज) किराया लिया जायेगा ज़मीन में ज़राअ़त की तो लगान वसूल किया जायेगा उसी तरह ना बालिग़ की जायदाद गैर मनकूला पर क़ब्ज़ा किया तो उसका ज़मान लिया जायेगा और मुनाफ़अ् हासिल किये तो उजरते मिस्ल भी ली जायेगी। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.26:– चीज़ में नुक़सान की चार सूरतें हैं (1)नर्ख़ का कम होजाना (2)उस के अजज़ा का जाता रहना मस्लन गुलाम की आँख जाती रही। (3)वस्फ़ मरग़ूब फ़ी का फ़ौत होजाना मस्लन बहरा होगया, आँख की रौशनी जाती रही, गेहूँ खुश्क होगया, सोने चाँदी के ज़ेवर थे टूटकर सोना चाँदी रह गये। (4)मअ्ना मरग़ूब फ़ी जाते रहे मस्लन ग़ुलाम कोई काम करना जानता था ग़ासिब के पास जाकर वह काम भूलगया पहली सूरत में अगर मग़सूब चीज़ देदी तो ज़मान नहीं और दूसरी सूरत में मुतलक़न ज़मान वाजिब है और तीसरी सूरत में अगर मग़सूब अम्वाले रिबा में से न हो तो ज़मान वाजिब है और वह मग़सूब अम्वाले रिबा में से हो तो ज़मान नहीं मस्लन गेहूँ ग़सब किये थे वह ख़राब होगये या चाँदी का बर्तन या ज़ेवर ग़सब किये थे और ग़ासिब ने तोड़ डाले उसमें मालिक को इख़्तियार है कि वही ख़राब लेले या उसका मिस्ल लेले यह नहीं होसकता कि वह चीज़ भी ले और नुक़सान का मुआवज़ा भी ले और चौथी सूरत में अगर मअ्मूली नुक़सान है तो नुक़सान का ज़मान लेसकता है और ज़्यादा नुक़सान है तो मालिक को इख़्तियार है कि वह चीज़ लेले और जो कुछ नुक़सान हुआ वह ले या चीज़ को न ले बल्कि उसकी पूरी क़ीमत वसूल करे। (रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.27:– मग़सूब शय को उजरत पर दिया और उससे उजरत हासिल की और फ़र्ज़ करो उजरत पर देने से उस चीज़ में नुक़सान पैदा होगया तो जो कुछ नुक़सान का मुआवज़ा देने के बाद उस उजरत में से बचे उसको सदक़ा करदे यूंही अगर मग़सूब हलाक होगया तो उस उजरत से तावान दे सकता है और उसके बाद कुछ बचे तो तसद्दुक़ करदे और अगर ग़ासिब ग़नी हो तो कुल आमदनी तसद्दुक़ करदे। (दुर्रेमुख़्तार, रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला.28:– मग़सूब या वदीअ़त अगर मुअ़य्यन चीज़ हो उसे बेचकर नफ़अ् हासिल किया तो उस नफ़अ् को सदक़ा करदेना वाजिब है मस्लन एक चीज़ की क़ीमत सौ रूपये थी और ग़ासिब ने उसे सवा सौ में बेचा सौ रूपये तावान के देने होंगे और पच्चीस रुपये को सदक़ा कर देना होगा और अगर वह चीज़ ग़ैर मुतअ़य्यन यानी अज़ क़बीले नुक़ूद (यानी सोने, चाँदी, रूपये, पैसे) हो तो उसमें चार सूरतें हैं। (1)अ़क़्द व नक़्द दोनों उसी हराम माल पर मुजतमेअ् हों मस्लन यूँ कहा कि उस रूपये की फ़ुलां चीज़ दो फिर वही रुपया देदिया था फिर उससे चीज़ ख़रीदी यह चीज़ हराम है

(2)अ़क़्द हो नक़द न हो यानी ह़राम रुपया की त़रफ़ इशारा करके कहा कि उसकी फ़ुलाँ चीज़ दो मगर बाइअ़् को यह रुपया नहीं दिया बल्कि दूसरा दिया। (3)अ़क़्द न हो नक़्द हो बाइअ़् से ह़राम की त़रफ़ इशारा करके नहीं कहा कि उस रुपया की चीज़ दो बल्कि मुत़लक़न कहा कि एक रुपया की चीज़ दो मगर स़मन में यही ह़राम रुपया अदा किया उन तीन स़ूरतों में तस़द्दुक़ वाजिब नहीं है और बाज़ फ़ुक़हा उन सूरतों में भी तस़द्दुक़ को वाजिब कहते हैं और यह क़ौल भी बाक़ुव्वत है मगर ज़माना की हालत देखते हुए कि ह़राम से बचना बहुत दुश्वार होगया क़ौले अव्वल पर बाज़ उ़लमा ने फ़तवा दिया है। (दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमुहतार)

मग़स़ूब चीज़ में तग़ईर

मसअ्ला.1:— मग़सूब में ऐसी तब्दीली करदी कि वह दूसरी चीज़ होगई यानी पहला नाम भी बाक़ी न रहा और उसके अकस़्र मक़ास़िद भी जाते रहे या उसको अपनी चीज़ या दूसरे की चीज़ में उस त़रह मिला दिया कि तमीज़ न होसके मस़्लन गेहूँ को गेहूँ में मिला दिया या दुश्वारी से जुदा होसके मस़्लन जौ में गेहूँ मिला दिये तो ग़ास़िब तावान देगा और उस चीज़ का मालिक होजायेगा मगर ग़ास़िब उस चीज़ से नफ़अ़् ह़ास़िल नहीं कर सकता जब तक तावान न देदे, या मालिक उसे मुआ़फ़ न करदे, या काज़ी उसके तावान का हुक्म न करदे, यानी मालिक की रज़ा'मन्दी दरकार है और वह उन तीन सूरतों से होती है। (हिदाया, दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.2:— रुपया ग़सब करके गला दिया तो अगर्चे अब वह नाम बाक़ी न रहा उसे रुपया नहीं कहा जायेगा मगर इस के अकस़्र मक़ास़िद अब भी बाक़ी हैं कि अब भी वह स़मन है उसका ज़ेवर वग़ैरा बन सकता है लिहाज़ा मालिक को वापस लेने का ह़क़ बाक़ी है। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.3:— मालिक मौजूद नहीं है परदेस चला गया है ग़ास़िब चाहता है कि उसकी चीज़ वापस करदे मगर मालिक के इन्तिज़ार में चीज़ ख़राब होने का अन्देशा है तो लोगों को गवाह बनाले कि मैं उसे ज़मान दे दूँगा अब इस से नफ़अ़् ह़ास़िल कर सकता है। (रद्दुल'मुहतार)

मसअ्ला.4:— खाने की चीज़ ग़सब की और उसको चबाया कि चीज़ उस क़ाबिल न रही कि मालिक को वापस दीजाये मगर चूंकि ज़मान दिया नहीं लिहाज़ा ह़ल्क़ से उतारना लुक़मा ह़राम निगलना है। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.5:— बकरी ग़सब करके ज़बह़ करडाली उसका गोश्त भूना या पकाया या गेहूँ ग़सब करके आटा पिसवाया या खेत में बोदिये या लोहा ग़सब करके उसकी तलवार, छुरी वग़ैरा बनवाली या तांबा पीतल ग़सब करके उनके बर्तन बनवा लिये उन सब सूरतों में ग़ास़िब के ज़िम्मा ज़मान लाज़िम होगा और चीज़ ग़ास़िब की मिल्क होजायेगी मगर बे'रज़ामन्दी मालिक इन्तिफ़ाअ़् (फ़ायदा उठाना) ह़लाल नहीं। (हिदाया, दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.6:— बकरी ज़बह़ करडाली बल्कि बोटी भी बनाली तो अब भी मालिक ही की मिल्क है मालिक को इख़्तियार है कि बकरी की क़ीमत लेकर बकरी ग़ास़िब को देदे या बकरी खुद लेले और ग़ास़िब से नुक़स़ान का मुआवज़ा ले अगर बकरी का आगे का पाँव काट लिया जब भी यही हुक्म है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.7:— जो जानवर ह़लाल नहीं हैं उनके हाथ पाँव काट डाले तो काटने वाले पर क़ीमत वाजिब है। जानवर के कान या दुम काट डाली नुक़स़ान का तावान देना होगा। घोड़ा ख़च्चर गधा और वह जानवर जिससे काम लिया जाता है जैसे बैल, भैंसा उन की आँख फोड़दी तो चौथाई क़ीमत तावान दे और जिनसे काम नहीं लिया जाता जैसे गाय, बकरी उनकी आँख फोड़दी तो जो कुछ नुक़स़ान हुआ वह तावान दे। गधे को ज़बह़ कर डाला तो पूरी क़ीमत वाजिब है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.8:— मग़सूब चीज़ मौजूद है मगर उसके लेने में ग़ास़िब का नुक़स़ान होगा मस़्लन शहतीर (बड़ी कड़ी) ग़सब कर मकान में लगाली कि अब उसके निकालने में ग़ास़िब का मकान तोड़ना होगा या ईंटें ग़सब करके इमारत चुनवाई तो इस सूरत में ग़ास़िब से उसकी क़ीमत दिलवाई जायेगी

ग़ासिब को क़ीमत देनी होगी। (आलमगीरी)

मसअ्ला.9:– बिला क़स्द एक शख़्स की चीज़ दूसरे की चीज़ में इस तरह चलीगई कि बिग़ैर नुक़सान उस चीज़ को हासिल न किया जासके तो जिसकी चीज़ ज़्यादा क़ीमत की हो वह कम क़ीमत वाले को नुक़सान दे मस्लन एक शख़्स की अशर्फ़ी दूसरे की दवात में चलीगई और जब तक दवात न तोड़ी जाये अशर्फ़ी न निकल सके तो दवात तोड़ी जायेगी और उसकी क़ीमत अशर्फ़ी वाला देगा या मुर्ग़ी ने मोती निगल लिया या गाय ने देग में सर डालदिया और किसी तरह बाहर नहीं निकलता और अगर आदमी ने मोती निगल लिया तो मोती की क़ीमत तावान दे और आदमी निगलकर मरगया तो पेट चाक करके मोती निकाला जासकता है। (दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.10:– सोना या चाँदी ग़सब करके रुपया, अशर्फ़ी या बर्तन बनालिया तो मालिक की मिल्क बदस्तूर क़ाइम है मालिक उन चीज़ों को लेलेगा और बनाने का कोई मुआवज़ा न देगा।(हिदाया)

मसअ्ला.11:– ग़ासिब ने कपड़ा ग़सब किया था और उसे फाड़डाला उसमें तीन सूरतें हैं। (1)अगर इस तरह फाड़ा कि काम का न रहा तो पूरी क़ीमत तावान दे। (2)और अगर ज़्यादा फाड़ा कि उस के बाज़ मुनाफ़ेअ् फ़ौत होगये मगर काम का है तो मालिक को इख़्तियार है कि कपड़ा ग़ासिब को दे दे और पूरी क़ीमत वसूल करले या कपड़ा ख़ुद ही रखले और जो कमी होगई उसका तावान ले। (3)और अगर थोड़ा फाड़ा है कि उसके मुनाफ़ेअ् बदस्तूर बाक़ी हैं मगर उसमें ऐब पैदा होगया तो मालिक को कपड़ा रख लेना होगा और नुक़सान का तावान ले सकता है और अगर फाड़ कर उसने कुछ सन्अ़त की मस्लन उसका कुर्ता वग़ैरा बनालिया तो मालिक की मिल्क जाती रही सिर्फ़ क़ीमत तावान में ले सकता है। (हिदाया, वग़ैरहा)

मसअ्ला.12:– कपड़ा ग़सब करके रंग दिया मालिक को इख़्तियार है कि कपड़ा लेले और रंग की क़ीमत देदे यानी रंग की वजह से कपड़े की क़ीमत में जो कुछ ज़्यादती हुई वह देदे और चाहे तो सफ़ेद कपड़े की क़ीमत तावान ले और कपड़ा ग़ासिब ही को देदे या चाहे तो कपड़ा बैअ् करके कपड़े की क़ीमत के मुक़ाबिल में समन का जो हिस्सा है ख़ुद ले और रंग की ज़्यादती के मुक़ाबिल में समन का जो हिस्सा है वह ग़ासिब को देदे। (हिदाया, आलमगीरी)

मसअ्ला.13:– अगर कपड़ा दूसरे के रंग में गिर गया और उस पर रंग आगया तो मालिक को इख़्तियार है कि कपड़ा लेकर रंग की क़ीमत देदे या कपड़ा बेचकर समन को क़ीमत पर तक़सीम करदे। (आलमगीरी)

मसअ्ला.14:– रंग ग़सब करके अपना कपड़ा रंगलिया तो रंग का तावान देना होगा। (आलमगीरी)

मसअ्ला.15:– एक शख़्स का कपड़ा ग़सब किया दूसरे का रंग ग़सब किया और कपड़ा रंगलिया तो कपड़े का मालिक कपड़ा लेले और रंग वाले को रंग या उसकी क़ीमत देदे या चाहे तो कपड़ा बेचकर समन दोनों पर तक़सीम कर दिया जाये और अगर एक ही शख़्स के कपड़े और रंग दोनों को ग़सब किया और रंगदिया तो मालिक को इख़्तियार है कि रंगा हुआ कपड़ा लेले और इस सूरत में ग़ासिब को कुछ नहीं दिया जायेगा और चाहे तो ग़ासिब को ही वह कपड़ा देदे और कपड़े और रंग दोनों का तावान ले। (आलमगीरी)

मसअ्ला.16:– कपड़ा ग़सब करके धोया या उसमें फुन्ने बनाये जिस तरह रुमाल तौलिया में बनाते हैं तो मालिक अपना कपड़ा लेले और ग़ासिब को धोने या फुन्ने बटने का कोई मुआवज़ा नहीं दिया जायेगा हाँ अगर झालर लगाई तो उसका हुक्म वही है जो रंग का है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.17:– सत्तू ग़सब करके उसमें घी मलदिया तो मालिक को इख़्तियार है कि सत्तू का तावान ले और यह सत्तू ग़ासिब को देदे या यह सत्तू ख़ुद लेले और उतना ही घी ग़ासिब को देदे।

मसअ्ला.18:– चाँदी या सोने के ज़ेवर या बर्तन ग़सब करके तोड़, फोड़ डाले तो मालिक को इख़्तियार है कि वही टूटा, फूटा लेले और तोड़ने से जो नुक़सान हुआ है उसका मुआवज़ा कुछ नहीं मिल सकता कि सूद होगा और चाहे तो यह कर सकता है कि चाँदी के ज़ेवर या बर्तन की क़ीमत

सोने से लगाकर उतना सोना लेले और सोने के बर्तन या ज़ेवर की क़ीमत चाँदी से लगाकर उतनी चाँदी लेले कि जिन्स बदल जाने की सूरत में सूद न होगा। (आलमगीरी)

मसअ्ला.19:– चाँदी की चीज़ पर सोने का मुलम्मअ् था ग़ासिब ने मुलम्मअ् दूर करदिया मालिक को इख़्तियार है कि अपनी यही चीज़ लेले और नुक़सान का मुआवज़ा कुछ नहीं लेसकता और चाहे तो ग़ैर जिन्स से उस मुलम्मअ् शुदा चीज़ की क़ीमत का तावान ले और अगर बैअ् में यही सूरत होती कि मुलम्मअ् शुदा चीज़ ख़रीदकर मुश्तरी ने उसके मुलम्मअ् को दूर करदिया फिर उसके बाद उस चीज़ के किसी ऐबे साबिक़ (यानी ख़रीदने से पहले जो ऐब था) पर मुत्तलअ् हुआ तो न चीज़ को वापस कर सकता कि उसने उस में एक जदीद ऐब पैदा कर दिया और न नुक़सान ले सकता कि सूद होगा। (दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.20:– तांबे, लोहे, पीतल की चीज़ें अगर अपनी सन्अ़त की वजह से हद्दे वज़न से ख़ारिज न हुई हों यानी अब भी वह वज़न से बिकती हों और उनको ग़ासिब ने ख़राब कर डाला तो मालिक को इख़्तियार है कि उसी जिन्स को तावान में ले और उस सूरत में कुछ ज़्यादा नहीं ले सकता और चाहे तो रुपये पैसे से उस की क़ीमत लेले ख़राबी थोड़ी हो या ज़्यादा सब का एक हुक्म है और अगर हद्दे वज़न से ख़ारिज होकर गिन्ती से बिकती हों तो अगर थोड़ा नुक़सान है मालिक यही कर सकता है कि चीज़ अपने पास रखले और नुक़सान का मुआवज़ा ले चीज़ ग़ासिब को देकर क़ीमत नहीं लेसकता और अगर ज़्यादा ऐब पैदा होगया है तो इख़्तियार है कि चीज़ देदे और क़ीमत लेले या चीज़ रखले और नुक़सान वुसूल करे। (आलमगीरी)

मसअ्ला.21:– जानवर ग़सब किया ग़ासिब के यहाँ वह मुद्दत तक रहा, बढ़गया और उसकी क़ीमत ज़्यादा होगई मालिक अपना जानवर लेलेगा और ग़ासिब को कोई मुआवज़ा नहीं मिलेगा; खेत या बाग़ को छीनकर उसको पानी दिया ज़राअ़त बढ़गई दरख़्त में फल आगये मालिक अपना खेत और बाग़ लेलेगा और कोई मुआवज़ा नहीं देगा। (आलमगीरी)

मसअ्ला.22:– रूई ग़सब करके कतवाली या सूत करके कपड़ा बुनवालिया मालिक कपड़े या सूत को नहीं लेसकता बल्कि रूई या सूत का तावान ले। (आलमगीरी)

मसअ्ला.23:– ज़मीन ग़सब करके उसमें इमारत बनाली या दरख़्त लगाये ग़ासिब को हुक्म दिया जायेगा कि अपनी इमारत उठा लेजा और दरख़्त काटले और अगर इमारत व दरख़्त के निकालने में ज़मीन ख़राब होने का अन्देशा हो तो मालिक ज़मीन दरख़्त या इमारत की क़ीमत देदे और यह इसके हो जायेंगे। क़ीमत उसतरह दिलाई जायेगी कि देखा जाये तन्हा ज़मीन की क्या क़ीमत है और ज़मीन की मअ् इमारत या दरख़्त के क्या क़ीमत है जो कुछ ज़्यादती हो वह ग़ासिब को दिलादी जाये। (हिदाया)

मसअ्ला.24:– ज़मीन ग़सब कर उसी ज़मीन की मिट्टी से दीवार बनवाई तो यह दीवार भी मालिक ज़मीन की है उसका मुआवज़ा ग़ासिब को नहीं मिलेगा। (आलमगीरी)

मसअ्ला.25:– लकड़ी ग़सब करके चीर डाली वह अबतक मालिक ही की मिल्क है। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.26:– लकड़ी चीरने के लिये आरा आ़रियत लिया वह टूटगया और उसने बिला इजाज़त मालिक उसे जुड़वाया टूटे हुए आरा की क़ीमत मालिक को दे और यह आरा उसी का होगया। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.27:– मुर्दार का चमड़ा ग़सब करके उसे पका लिया अगर ऐसी चीज़ से पकाया जिसकी कोई क़ीमत नहीं जब तो मालिक चमड़े को मुफ़्त लेलेगा और अगर ऐसी चीज़ से पकाया जिसकी कोई क़ीमत है तो जो कुछ पकाने से चमड़े की क़ीमत में ज़्यादती हुई ग़ासिब को मालिक देगा यानी अगर यह चमड़ा मज़बूह का होता तो क्या क़ीमत होती और अब पकने पर क्या क़ीमत है जो कुछ क़ीमत में इज़ाफ़ा हो ग़ासिब को दे और अगर ग़ासिब के पास वह चमड़ा बिग़ैर किसी के फ़ेअ्ल के ज़ाइअ् होगया तो ग़ासिब से तावान नहीं लिया जायेगा। (आलमगीरी)

मसअ्ला.28:– दरवाज़े का एक बाज़ू तल्फ़ करदिया या मौज़े या जूते में से एक को तल्फ़ कर दिया तो मालिक को इख़्तियार है कि दूसरा भी उसी को देकर दोनों बाज़ू या दोनों मौज़े या दोनों जूते की क़ीमत उससे वसूल करे अगर अँगूठी का हल्क़ा ख़राब कर डाला नगीना बाक़ी है तो सिर्फ़ हल्क़ा ही का तावान ले सकता है। (आलमगीरी)

इतलाफ़ (चीज़ बर्बाद होने) से कहाँ ज़मान वाजिब है कहाँ नहीं

मसअ्ला.1:– अन्डा तोड़दिया अन्दर से गन्दा निकला या अख़रोट तोड़दिया अन्दर से ख़ाली निकला ज़मान वाजिब नहीं कि यह माल नहीं है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.2:– चटाई की बनावट खोल डाली या दरवाज़े की चोखट अलग करदी या उसी तरह किसी और शय की तर्कीब और बनावट ख़राब करदी अगर उसको पहली हालत पर लाया जा सकता है तो उसको हुक्म दिया जायेगा कि उसी तरह ठीक करदे और ठीक न किया जा हो तो उससे क़ीमत वसूल की जाये और यह टूटी हुई चीज़ उसे देदी जाये। (आलमगीरी)

मसअ्ला.3:– दीवार गिरादी और वैसी ही बनादी तो ज़मान से बरी होगया और लकड़ी की दीवार थी उसी लकड़ी की बनाई बरी होगया और दूसरी लकड़ी की बनाई तो बरी न हुआ हाँ अगर यह उससे बेहतर है तो बरी होजायेगा। (दुर्रेमुख़्तार, आलमगीरी)

मसअ्ला.4:– दूसरे की ज़मीन से मिट्टी उठाई अगर वहाँ मिट्टी की कोई क़ीमत नहीं है और मिट्टी ले लेने से ज़मीन में कोई नुक़सान भी पैदा नहीं हुआ तो कुछ नहीं और ज़मीन में नुक़सान होगया तो नुक़सान का ज़मान दे और अगर मिट्टी की वहाँ क़ीमत है तो तावान बहर हाल है(आलमगीरी)

मसअ्ला.5:– दूसरे का गोश्त बिग़ैर उसके हुक्म के पका डाला ज़मान देना होगा और अगर मालिक ने गोश्त को देगची में रखकर चूल्हे पर चढ़ादिया और चूल्हे में लकड़ियाँ भी रखदी थीं उसने उस के बिग़ैर कहे लकड़ियों में आग देदी और गोश्त पकगया उसपर तावान नहीं उसी की मिस्ल चार सूरतें और हैं। **अव्वल** यह कि किसी शख़्स के गेहूँ बिग़ैर उसके हुक्म के पीस दे तावान देना होगा और अगर गेहूँ वाले ने गेहूँ पीसने के लिये चक्की में डाले थे और चक्की में बैल जोड़ दिया था उसने बैल को चला दिया और गेहूँ पिस गये तावान नहीं **दोम** यह कि दूसरे का घड़ा उठाया और टूट गया तावान देना होगा और घड़े वाले ने घड़ा झुकाया और उठाना चाहता था उसने हाथ लगादिया और घड़ा दोनों से छूटकर गिरा तावान नहीं **सोम** किसी के जानवर पर बोझ लाद दिया और जानवर हलाक होगया तावान है और अगर मालिक ने बोझ लादा था और वह बोझ रास्ते में गिर पड़ा उसने उठाकर लाद दिया और जानवर हलाक होगया तावान नहीं **चहारुम** किसी के कुर्बानी का जानवर अय्यामे कुर्बानी के सिवा दूसरे दिनों में ज़बह किया तावान है और कुर्बानी के दिनों में ज़बह करडाला जाइज़ है और तावान नहीं जिन सूरतों में तावान नहीं उसकी वजह यह है कि अगर्चे सराहतन इजाज़त नहीं है मगर दलालतन इजाज़त है और दलालतन भी एअ्तिबार की जाती है जबकि सराहत के ख़िलाफ़ न हो। (आलमगीरी)

मसअ्ला.6:– एक शख़्स ने दीवार गिराने के लिये मज़दूर इकट्ठे किये थे उसकी दीवार बिला इजाज़त गिरादी तावान नहीं कि यहाँ दलालतन इजाज़त है। उसका क़ाइदा–ए–कुल्लिया यह है कि जो काम ऐसा है कि उसमें जिससे भी मदद लेलें फ़र्क़ नहीं होता उसमें दलालत काफ़ी है और अगर हर शख़्स यकसाँ न कर सकता हो तो हर शख़्स के लिये इजाज़त नहीं है मसलन बकरी ज़बह करके खाल खींचने के लिये लटकादी थी कोई आया और उसने बिग़ैर इजाज़त खाल खींची ज़ामिन है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.7:– क़स्साब ने बकरी ख़रीदी थी और बिग़ैर इजाज़त किसी ने ज़बह करडाली ज़मान देना होगा और अगर क़स्साब ने बकरी को गिराकर उसके हाथ पाँव ज़बह करने के लिये बाँध रखे थे और उसने ज़बह करदी तावान नहीं। (आलमगीरी)

मसअ्ला.8:– दूसरे के माल को बिग़ैर इजाज़त ख़र्च करना चन्द मौक़ों पर जाइज़ है मरीज़ के माल

यानी नुकूद को उसका बाप या बेटा उसकी ज़रूरियात में बिगैर इजाज़त सर्फ कर सकता है सफ़र में कोई शख़्स बीमार होगया या वह बेहोश होगया उसके साथ वाले उसकी ज़रूरियात में उसका माल सर्फ कर सकते है। मूदअ़, मूदेअ़ के माल को उसके वालिदैन पर ख़र्च कर सकता है जबकि ऐसी जगह हो कि काज़ी से इजाज़त हासिल न कर सके। सफ़र में कोई शख़्स मरगया उसके सामान को बेचकर तजहीज व तकफीन में सर्फ कर सकते हैं और बाकी जो रहजाये वह वुरसा को देदें। मस्जिद का कोई मुतवल्ली नहीं है अहले महल्ला मस्जिद की आमदनी को लोटे, चटाई वग़ैरा ज़रूरियाते मस्जिद में सर्फ कर सकते हैं मय्यित ने किसी को वसी नहीं किया है बड़े वुरसा छोटों पर ख़र्च कर सकते हैं। (रद्दुल'मुहतार)

मसअ्ला.9:– जानवर छूटगया और उसने किसी का खेत चर लिया तावान वाजिब नहीं। बिल्ली ने किसी का कबूतर खा लिया तावान नहीं और अगर कबूतर या मुर्गी पर बिल्ली छोड़ी और उसने उसी वक्त पकड लिया तावान है और कुछ देर बाद पकडा तो तावान नहीं। (आलमगीरी)

मसअ्ला.10:– मुसलमान के पास शराब थी उसे किसी ने तल्फ करदिया उसपर तावान नहीं तल्फ़ करने वाला मुस्लिम हो या काफिर और ज़िम्मी की शराब किसी ने तल्फ़ की तो उस पर तावान है। मुस्लिम ने तल्फ की है तो कीमत दे और ज़िम्मी ने तल्फ की तो उसकी मिस्ल शराब दे। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.11:– मुसलमान ने काफिर से शराब ख़रीदकर पी ली तो न ज़मान वाजिब है न स्मन(दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.12:– मुसलमान की शराब गसब करके सिर्का बनालिया अगर ऐसी चीज डालकर बनाया जिस की कुछ कीमत नहीं है मसलन थोडा सा नमक या थोड़े से गेहूँ तो यह सिर्का उसी का है जिसकी शराब थी और अगर ज़्यादा नमक वगैरा डाला जिसकी कुछ कीमत है तो सिर्का गासिब का है और गासिब पर तावान भी नही। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.13:– किसी ने दूसरे की चीज तल्फ़ करदी मालिक ने उसको जाइज़ रखा कहदिया कि मैंने जाइज़ करदिया मैं उस पर राज़ी हूँ वह ज़मान से बरी नहीं होगा यानी मालिक चाहे तो उसके कहने के बाद भी ज़मान लेसकता है। (तनवीर)

मसअ्ला.14:– गासिब के पास से कोई दूसरा गसब कर के लेगया मालिक को इख़्तियार है गासिब अव्वल से तावान ले या गासिब दोम से अगर गासिब अव्वल से ज़मान लिया तो वह गासिब दोम से रुजूअ् करेगा और गासिब दोम से लिया तो वह अव्वल से रुजूअ् नहीं कर सकता यूंही अगर गासिब ने मगसूब को किसी के पास वदीअत रखा तो मालिक उस मूदअ् से तावान लेसकता है एक से ज़मान लेगा तो दूसरा बरी होजायेगा। (आलमगीरी)

मसअ्ला.15:– गासिबुल'गासिब ने मगसूब चीज गासिबे अव्वल के पास वापस करदी तावान से बरी होगया और मगसूब चीज गासिब दोम ने हलाक करदी और उसकी कीमत गासिबे अव्वल को देदी अब भी बरी होगया। अब मालिक उससे तावान का मुतालबा नहीं कर सकता मगर यह ज़रूर है कि मगसूब का वापस करना या उसकी कीमत अदा करना मअ्रूफ हो काज़ी ने उसके मुतअ़ल्लिक़ फ़ैसला किया हो या गवाहों से साबित हो या ख़ुद मालिक ने तस्दीक़ की हो। और अगर यह बातें न हों बल्कि गासिबे अव्वल ने इकरार किया हो कि उसने चीज़ या उसकी कीमत मुझ को देदी है तो यह इक़रार महज गासिबे अव्वल के हक में मोअ्तबर है यानी उसको लेने वाला क़रार दिया जायेगा अस्ल मालिक के हक़ में वह इकरार बे'कार है यानी वह अब भी गासिबे दोम से मुतालबा करके ज़मान वसूल कर सकता है मगर चूंकि गासिबे अव्वल इक़रार कर चुका है लिहाज़ा गासिबे दोम उससे रुजूअ् करेगा और अगर गासिबे अव्वल से मालिक ने ज़मान लिया तो वह दोम से नहीं ले सकता कि मगसूब या उसकी कीमत पाने का इकरार कर चुका है। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.16:– गासिब ने मगसूब को बतौर आरियत देदिया है तो मालिक मुईर (आरियत लेने वाला) व मुस्तईर (आरियत देने वाला) जिससे चाहे ज़मान ले सकता है जिससे लेगा वह दूसरे से नहीं ले सकता

हाँ अगर मुस्तईर ने उस चीज़ को तल्फ़ कर दिया है और मालिक ने मुईर से ज़मान लिया तो वह मुस्तईर से रुजूअ् कर सकता है और ग़ासिब ने हिबा करदिया है और मौहूब'लहू के पास हलाक हो गई और मालिक ने उससे ज़मान लिया तो यह वाहिब से रुजूअ् नहीं कर सकता। (आलमगीरी)

मसअ्ला.17:– ग़ासिब ने मग़सूब को बेच डाला और मुश्तरी को तस्लीम करदिया और मालिक ने ग़ासिब से ज़मान लेलिया तो बैअ् सहीह होगई और समन ग़ासिब का होगया और मुश्तरी से ज़मान लिया तो बैअ् बातिल होगई मुश्तरी ग़ासिब से समन वापस ले और अगर मबीअ् मुश्तरी को नहीं दी है तो मुश्तरी से ज़मान नहीं लेसकता। (आलमगीरी)

मसअ्ला.18:– ग़ासिब ने मग़सूब को रहन रख दिया है या उजरत पर देदिया है और मालिक ने मुरतहिन या मुस्ताजिर से तावान लिया तो यह ग़ासिब पर रुजूअ् करेंगे यूंही मूदअ् से तावान लिया तो वह ग़ासिब से वसूल करेगा। (रद्दुल'मुहतार)

मसअ्ला.19:– मालिक को इख़्तियार है कि कुछ हिस्सा ज़मान का ग़ासिब से ले और बाक़ी ग़ासिबुल ग़ासिब से और एक से ज़मान को इख़्तियार करलिया तो अब दूसरे से नहीं लेसकता(दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.20:– ग़ासिब से मग़सूब को किसी ने इस लिये लिया है कि मालिक को देदेगा मालिक के यहाँ गया वह नहीं मिला तो यह शख़्स ग़ासिबुल'ग़ासिब के हुक्म में है जब तक मालिक को दे न दे बरियुज़्ज़िम्मा न होगा। (रद्दुल'मुहतार)

मसअ्ला.21:– एक शख़्स ने घोड़ा ग़सब किया उससे दूसरे ने ग़सब किया दूसरे के यहाँ से मालिक चुरा लेगया फिर ग़ासिब दोम उस मालिक से ज़बर'दस्ती छीन लेगया और मालिक को उससे मुक़ाबले की ताक़त नहीं है मालिक यह चाहता है कि ग़ासिबे अव्वल से मुतालबा करे अब यह नहीं हो सकता क्योंकि जब उसकी चीज़ उसको मिलगई किसी तरह से भी मिली ग़ासिब बरी होगया। (आलमगीरी)

मसअ्ला.22:– ग़ासिब ने मग़सूब को बैअ् करदिया और मालिक ने उस बैअ् को जाइज़ करदिया बैअ् सहीह होजायेगी बशर्ते कि वक़्ते इजाज़त बाइअ् यानी ग़ासिब और मुश्तरी व मग़सूब सब मौजूद हों हलाक न हुए हों और यह इजाज़त मुक़द्दमा दाइर करने से क़ब्ल हो। (आलमगीरी)

मसअ्ला.23:– ग़ासिब ने मगसूब को बैअ् करदिया फिर ख़ुद ग़ासिब उस चीज़ मग़सूब का मालिक होगया कि मालिक से ख़रीदली या उसने उसे हिबा करदी या मीरास् में यह चीज़ उसे मिली तो वह पहली बैअ् जो इस ने की थी बातिल होगई। (हिदाया)

मसअ्ला.24:– शहर या गाँव में आग लग गई बुझाने के लिये किसी की दीवार या मकान पर चढ़ा और उसके चढ़ने से इमारत को नुक़सान पहुँचा कोई चीज़ टूटगई या दीवार गिरगई उसका तावान वाजिब नहीं। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.25:– किसी के मकान में बिग़ैर इजाज़ते मालिक दाख़िल होना जाइज़ नहीं मगर ब'ज़रूरत मस्लन उसका कपड़ा उड़कर उस मकान में चला गया और मालूम है कि अगर मालिक मकान से कहदेगा तो वह लेलेगा उसे नहीं देगा मगर अच्छे लोगों से यह कहदे कि महज़ उस ग़र्ज़ से मकान में घुसना चाहता है अगर मालिक से अन्देशा नहीं है तो जाने की ज़रूरत नहीं मालिक से कहदे कि कपड़ा लाकर देदे दूसरी सूरत यह है कि कोई उचक्का उसकी चीज़ लेकर किसी के मकान में घुस गया यह उससे लेने के लिये उसके पीछे जासकता है। (दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.26:– एक शख़्स ने क़ब्र खुदवाई थी दूसरे ने अपनी मय्यित उसमें दफ़्न करदी अगर यह ज़मीन पहले शख़्स की मम्लूक है तो वह क़ब्र खोदकर मय्यित निकलवा सकता है या ज़मीन को बराबर करके उसको काम में ला सकता है और मय्यित की तौहीन करने वाला यह नहीं है बल्कि हक़ीक़तन मय्यित की तौहीन उसने की कि बिग़ैर इजाज़त पराई ज़मीन में दफ़्न करदी और अगर वह ज़मीन मुबाह या वक़्फ़ है तो न मय्यित को निकाल सकता है न ज़मीन को बराबर कर सकता

है क़ब्र खोदने की उजरत ले सकता है। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.27:– ग़ासिब ने मग़सूब चीज़ को ग़ाइब करदिया पता नहीं चलता कि कहाँ है मालिक को इख़्तियार है कि सब्र करे और चीज़ मिलने का इन्तिज़ार करे और चाहे तो ग़ासिब से ज़मान ले अगर ग़ासिब से ज़मान लेलिया तो चीज़ ग़ासिब की होगई और और ग़ासिब की यह मिल्क मिल्के मुस्तनद है यानी अगर्चे मिल्क का हुक्म उस वक़्त दिया जायेगा मगर यह मिल्क वक़्ते ग़सब से शुमार होगी और उस चीज़ में जो ज़वाइद मुत्तसिला हुए ग़ासिब उनका भी मालिक है और ज़वाइदे मुन्फ़सिला का मालिक नहीं जैसे दरख़्त में फल और जानवरों में बच्चे। (हिदाया, एनाया)

मसअ्ला.28:– उस चीज़ की क़ीमत क्या है अगर उसमें इख़्तिलाफ़ है तो गवाह मालिक के मोअ्तबर हैं और गवाह न हों तो ग़ासिब जो कहता है क़सम के साथ उस का क़ौल मोअ्तबर है(हिदाया)

मसअ्ला.29:– ग़ासिब अगर यह कहता है कि उसकी क़ीमत क्या है मैं नहीं जानता तो उसे मजबूर किया जायेगा कि बताये और नहीं बताया तो जो कुछ मालिक कहता है उसपर ग़ासिब को क़सम दी जाये यानी क़सम खाये कि यह क़ीमत नहीं है जो मालिक कहता है अगर क़सम खाने से इन्कार करता है तो मालिक जो कुछ कहता है देना होगा और क़सम खागया तो मालिक को क़सम खानी होगी कि जो कुछ मैंने क़ीमत बयान की वही है। (दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.30:– शय मग़सूब ज़मान लेने के बाद ज़ाहिर होगई तो मालिक को इख़्तियार है कि ज़मान जो लेचुका है वापस करदे और अपनी चीज़ लेले और चाहे तो ज़मान को नाफ़िज़ करदे यह उस सूरत में है कि क़ीमत वह लीगई जो ग़ासिब ने बताई है और ग़ासिब को इख़्तियार नहीं है और अगर क़ीमत वह दिलाई गई है जो मालिक ने बताई या मालिक ने गवाहों से साबित की है या ग़ासिब पर क़सम दीगई उसने क़सम खाने से इन्कार कर दिया है तो उन सूरतों में मालिक उस चीज़ को नहीं लेसकता। (हिदाया, एनाया)

मसअ्ला.31:– मग़सूब में जो ज़्यादते मुन्फ़सिला पैदा होती मस्लन जानवर का दूध, दरख़्त के फल यह ग़ासिब के पास ब'मन्ज़िला अमानत हैं अगर ग़ासिब ने उसमें तअ़द्दी की, हलाक कर डाली, ख़र्च करडाली या मालिक ने तलब की और ग़ासिब ने नहीं दी जब तो ज़मान वाजिब होगा वरना उनका ज़मान वाजिब नहीं। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.32:– तब्ला, सारंगी, सितार, यकतारा, दो तारा, ढोल और उनके एलावा दूसरी क़िस्म के बाजे किसी ने तोड़ डाले, तोड़ने वाले को तावान देना होगा मगर तावन में बाजे की क़ीमत नहीं दीजायेगी बल्कि उस क़िस्म की लकड़ी खुदी हुई बाजे के सिवा अगर किसी जाइज़ काम में आये उसकी जो क़ीमत हो वह दीजाये यह इमामे आज़म रदियल्लाहु तआला अन्हु का क़ौल है मगर साहिबैन के क़ौल पर फ़तवा है वह यह कि तोड़ने वाले पर कुछ भी तावान वाजिब नहीं बल्कि उन की बैअ् भी जाइज़ नहीं। और यह इख़्तिलाफ़ उसी सूरत में है जब वह लकड़ी किसी काम में आ सकती हो वरना बिल'इत्तिफ़ाक़ तावान नहीं अगर इमाम के हुक्म से तोड़े हों तो बिलइत्तिफ़ाक़ तावान नहीं और इख़्तिलाफ़ इसमें है कि वह बाजे ऐसे शख़्स के न हों जो गाता, बजाता हो और गवय्ये के हों तो भी बिल'इत्तिफ़ाक़ तावान वाजिब नहीं। (हिदाया, दुर्रे मुख़्तार, रद्दुल'मुहतार)

मसअ्ला.33:– शतरंज, गन्जफ़ा (एक क़िस्म का खेल जिसमें 96 गोल पत्ते और तीन खिलाड़ी होते हैं) चौसर, ताश, वग़ैरहा ना'जाइज़ खेल की चीज़ें तल्फ़ करदीं उनका भी तावान वाजिब नहीं। (आलमगीरी)

मसअ्ला.34:– तब्ले'ग़ाज़ी को तोड़ डाला या वह दफ़ जिसको शादियों में बजाना जाइज़ है उसे तोड़ा या छोटे बच्चों के ताशे, बाजे तोड़ डाले तो उनका तावान है। (दुर्रेमुख़्तार, आलमगीरी)

मसअ्ला.35:– बोलने वाले कबूतर या फ़ाख़्ता को तल्फ़ किया तो तावान में वह क़ीमत ली जायेगी जो बोलने वाले की है उसी तरह बाज़ कबूतर ख़ूबसूरत होते हैं उसकी वजह से उनकी क़ीमत ज़्यादा होती है तो तावान में यही क़ीमत लीजायेगी और उड़ने वाले कबूतरों में वह क़ीमत लगाई

जायेगी जो न उड़ने वाले की है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.36:– सींग वाला मेंढा जो लड़ाया जाता है या असील मुर्ग जिसको लडाते हैं उनमें वह कीमत लगाई जायेगी जो न लड़ने वालों की है क्योंकि उनका लड़ाना हराम है क़ीमत में उसका एअ्तिबार नहीं किया जायेगा। (आलमगीरी) यूंही तीतर, बटेर, वग़ैरा लड़ाते हैं और उसकी वजह से उन्हें बहुत दामों में ख़रीदते, बेचते हैं उनके इतलाफ़ में वही क़ीमत लीजायेगी, जो गोश्त खाने के तीतर बटेर की हो।

मसअ्ला.37:– दरख़्त में छोटे छोटे फल हैं जो इस वक़्त किसी काम के नहीं जैसे अमरूद के इब्तिदाई फल वह बर्बाद करडाले तो यह नहीं ख़याल किया जायेगा कि उनकी कुछ क़ीमत नहीं है बल्कि तावान लिया जायेगा और देखा जायेगा कि तन्हा दरख़्त की क्या क़ीमत है और दरख़्त मअ् फल की क्या क़ीमत है जो ज़्यादती क़ीमत में हो वह नुक़सान करने वाले से लीजाये यूंही अगर दरख़्त में कलियाँ निकली हैं और किसी ने उनको झाड़कर गिरा दिया तो यहाँ भी उसी सूरत से तावान लिया जायेगा। (आलमगीरी)

मसअ्ला.38:– किसी शख़्स ने ख़ास कुँए में निजासत डाली तो उससे तावान लिया जायेगा और आम कुँए में डाली तो उसे हुक्म होगा कि कुँए को पाक करे। (आलमगीरी)

मसअ्ला.39:– अ़ली इब्ने आ़सिम रहमतुल्लाहि तआ़ला अ़लैह कहते हैं मैने इमामे आज़म रदियल्लाहु तआ़ला अन्हु से सुवाल किया कि एक शख़्स का एक रूपया, दूसरे के दो रुपये में मिल गया उस के पास से दो रूपये जाते रहे एक बाक़ी है और मालूम नहीं यह किसका रुपया है उसका क्या हुक्म है इमाम ने फ़रमाया वह जो बाक़ी है उसमें से एक तिहाई एक रुपया वाले की है और दो तिहाईयाँ दो रुपये वाले की। अ़ली इब्ने आ़सिम कहते हैं उसके बाद मैं इब्ने शबरमा रदियल्लाहु तआ़ला अन्हु से मिला और उनसे भी यही सुवाल किया उन्होंने कहा तुमने इसको किसी और से भी पूछा है मैंने कहा हाँ अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि तआ़ला अ़लैह से पूछा है इब्ने शबरमा ने कहा उन्होंने यह जवाब दिया होगा मैंने कहा हाँ। इब्ने शबरमा ने कहा उन्होंने ग़लत जवाब दिया इस लिये कि दो रुपये जो गुम होगये उनमें एक तो यक़ीनन उसका है जिसके दो रुपये थे और एक में एहतिमाल है कि उसका हो या एक रुपया वाले का हो और जो बाक़ी है उसमें भी एहतिमाल है कि दो वाले का हो या एक वाले का दोनों बराबर का एहतिमाल रखते हैं लिहाज़ा निस्फ़ निस्फ़ दोनों बांटलें कहते हैं मुझे इब्ने शबरमा का जवाब बहुत पसन्द आया फिर मैं इमामे आज़म से मिला और उनसे कहा कि इस मसअ्ला में आपके ख़िलाफ़ ज़वाब मिला है इमाम ने फ़रमाया क्या तुम इब्ने शबरमा के पास गये थे मैंने कहा हाँ फ़रमाया उन्होंने तुमसे यह कहा है वह सब बातें बयान करदीं मैंने कहा हाँ। फ़रमाया कि जब तीनों रुपये मिलगये और इम्तियाज़ बाक़ी न रहा तो इस सूरत में हर रुपये में दोनों शरीक होगए एक वाले की एक तिहाई और दो वाले की दो तिहाई फिर जब दो गुम होगये तो दोनों की शिरकत के दो रुपये गुम हुए और जो बाक़ी है यह भी दोनों की शिरकत का है कि एक तिहाई एक की और दो तिहाईयाँ दूसरे की। (जौहरा)

मसअ्ला.40:– एक शख़्स ने दूसरे से कहा इस बकरी को ज़बह करदो उसने ज़बह करदी और बकरी उसकी न थी जिसने ज़बह करने को कहा था तो ज़बह करने वाले को तावान देना होगा उसे यह बात कि बकरी दूसरे की है मालूम हो या न हो दोनों का एक हुक्म है हाँ यह फ़र्क़ है कि अगर मालूम नहीं है तो कहने वाले से रुजूअ् कर सकता है और मालूम हो तो रुजूअ् भी नहीं कर सकता। (आलमगीरी)

मसअ्ला.41:– किसी ने कहा मेरे इस कपड़े को फाड़कर पानी में डाल आओ उसने ऐसा ही किया तो उसपर तावान नहीं मगर गुनेहगार है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.42:– ज़मीन ग़सब करके उसमें कोई चीज़ बोई मालिक ने खेत जोतकर कोई और चीज़ बोदी मालिक को तावान नहीं देना होगा। (आलमगीरी)

मसअ्ला.43:– दूसरे की ज़मीन में बिग़ैर इजाज़त काश्त की मालिक ने कहा तुमने ऐसा क्यों किया

मेरा खेत वापस दो बोने वाले ने कहा उतने ही बीज मुझे देदो और मैं उजरत के तौर पर काम करूँगा या यह कि जो कुछ खेत में हो निस्फ़ मेरा और निस्फ़ तुम्हारा मालिक ज़मीन ने बीज देदिये पैदावार मालिक ज़मीन लेगा और उसको उजरते मिस्ल देगा। (आलमगीरी)

मसअ्ला.44:– दरख़्त की शाख़ दूसरे की दीवार पर आगई उसको अपनी दीवार के नुक़सान पहुँच जाने का अन्देशा है मालिक दरख़्त से कहदे कि शाख़ काट डालो वरना मैं ख़ुद काट डालूँगा अगर मालिक ने काटदी फ़बिहा वरना यह काट डाले इसपर तावान वाजिब नहीं कि मालिक का ख़ामोश रहना रज़ामन्दी की दलील है अगर मालिके दरख़्त से बिग़ैर कहे काट डाली तो तावान वाजिब होगा (आलमगीरी)

मसअ्ला.45:– दो अन्डे ग़सब किये एक को मुर्ग़ी के नीचे रखदिया और दूसरे को उसने नहीं रखा बल्कि मुर्ग़ी आप सेती रही और दोनों से बच्चे हुए तो दोनों ग़ासिब के हैं और ग़ासिब से दो अन्डे तावान में लिये जायेंगे और अगर ग़सब न किये होते बल्कि उसके पास वदीअ़त होते तो जिस अन्डे को मुर्ग़ी ने खुद सेकर बच्चा निकाला वह मूदेअ़ का होता और जिसको मुर्ग़ी के नीचे रखता वह मूदअ़ का होता और इस अन्डे का तावान देना होता। (आलमगीरी)

मसअ्ला.46:– तन्नूर में इतनी लकड़ियाँ डालदीं कि तन्नूर उनका मोहतमिल (जितनी लकड़ियाँ ठीक से जल सकती थीं उस से ज़्यादा डालना (अमीनुल क़ादरी)) न था शोअ्ला उठा और वह मकान जला और पड़ोस का मकान भी जलगया उस मकान का तावान देना होगा। (आलमगीरी)

मसअ्ला.47:– एक शख़्स का दामन दूसरे शख़्स के नीचे दबा हुआ था दामन वाले को ख़बर न थी वह उठा और दामन फटगया आधा तावान उसपर वाजिब है जिसने दबा रखा था। (ख़ानिया)

मसअ्ला.48:– दलाल को बेचने के लिये चीज़ दी थी दलाल को मालूम हुआ कि यह चीज़ चोरी की है, जिसने दी उसे वापस करदी मालिक ने दलाल से अपनी चीज़ मांगी उसने कहा जिसने मुझे दी थी उसे देदी दलाल बरी होगया। (आलमगीरी)

मसअ्ला.49:– दाइन ने मदयून के सर से पगड़ी उतारली और यह कहा कि जब मेरा रुपया लाओगे तुम्हारी पगड़ी देदूँगा वह जब रुपया लाया तो पगड़ी ज़ाइअ़ होगई थी तो उसके लिये ग़सब का हुक्म नहीं बल्कि रहन का हुक्म है कि मरहून चीज़ हलाक होने पर जो किया जाता है यहाँ भी किया जायेगा (आलमगीरी)

मसअ्ला.50:– एक का जानवर दूसरे के घर में घुस गया घर में से निकालना जानवर के मालिक का काम है और परिन्द किसी के कुँए में गिरकर मरगया तो कुँए से उस को निकालना परिन्द के मालिक का काम है कुँवा साफ़ कराना उसके ज़िम्मे नहीं। (आलमगीरी)

मसअ्ला.51:– तरबूज़ ग़सब किया और उसमें से एक खांप काटली तो तरबूज़ मालिक ही का है और सब खांपें काट डालीं तो मालिक की मिल्क जाती रही। (आलमगीरी)

मसअ्ला.52:– एक मकान में बहुत लोग जमअ़ थे साहिबे ख़ाना का आईना उठाकर एक ने देखा उसने दूसरे को देदिया यके बाद दीगरे सब देखते रहे और आईना टूटगया किसी से तावान नहीं लिया जायेगा कि ऐसी चीज़ों के इस्तिअ़माल की आदतन इजाज़त हुआ करती है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.53:– एक ने किसी की टोपी उतारकर दूसरे के सर पर रखदी उसने अपने सर से उतार कर डालदी फिर वह टोपी ज़ाइअ़ होगई अगर उसने टोपी वाले के सामने फेंकी है कि अगर वह लेना चाहे तो लेसकता है तो किसी पर तावान नहीं वरना तावान है दोनों में से जिस से चाहे तावान वसूल कर सकता है यूंही एक शख़्स नमाज़ पढ़ रहा था उसके सिर से टोपी गिरगई उस को किसी ने वहाँ से हटादिया और वहाँ से चोर लेगया अगर जगह हटाकर रखी कि मुसल्ला लेना चाहे तो हाथ बढ़ाकर लेसकता है तो हटाने वाले पर तावान नहीं और अगर दूर रखी तो तावान है।(आलमगीरी)

शुफ़अ़ा का बयान

हदीस (1)सहीह बुख़ारी में अबू राफ़ेअ़ रदियल्लाहु तआ़ला अन्हु से मरवी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु

जायेगी जो न उड़ने वाले की है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.36:– सींग वाला मेंढा जो लड़ाया जाता है या अ़सील मुर्ग जिसको लड़ाते हैं उनमें वह क़ीमत लगाई जायेगी जो न लड़ने वालों की है क्योंकि उनका लड़ाना ह़राम है क़ीमत में उसका एअ्तिबार नहीं किया जायेगा। (आलमगीरी) यूंही तीतर, बटेर, वग़ैरा लड़ाते हैं और उसकी वजह से उन्हें बहुत दामों में ख़रीदते, बेचते हैं उनके इतलाफ़ में वही क़ीमत लीजायेगी, जो गोश्त खाने के तीतर बटेर की हो।

मसअ्ला.37:– दरख़्त में छोटे छोटे फल हैं जो इस वक़्त किसी काम के नहीं जैसे अमरूद के इब्तिदाई फल वह बर्बाद करडाले तो यह नहीं ख़याल किया जायेगा कि उनकी कुछ क़ीमत नहीं है बल्कि तावान लिया जायेगा और देखा जायेगा कि तन्हा दरख़्त की क्या क़ीमत है और दरख़्त मअ् फल की क्या क़ीमत है जो ज़्यादती क़ीमत में हो वह नुक़सान करने वाले से लीजाये यूंही अगर दरख़्त में कलियाँ निकली हैं और किसी ने उनको झाड़कर गिरा दिया तो यहाँ भी उसी सूरत से तावान लिया जायेगा। (आलमगीरी)

मसअ्ला.38:– किसी शख़्स ने ख़ास कुँएं में निजासत डाली तो उससे तावान लिया जायेगा और आ़म कुँए में डाली तो उसे हुक्म होगा कि कुँए को पाक करे। (आलमगीरी)

मसअ्ला.39:– अ़ली इब्ने आ़सिम रह़मतुल्लाहि तआ़ला अ़लैह कहते हैं मैंने इमामे आज़म रदि़यल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से सुवाल किया कि एक शख़्स का एक रूपया, दूसरे के दो रुपये में मिल गया उस के पास से दो रूपये जाते रहे एक बाक़ी है और मा़लूम नहीं यह किसका रुपया है उसका क्या हुक्म है इमा़म ने फ़रमाया वह जो बाक़ी है उसमें से एक तिहाई एक रुपया वाले की है और दो तिहाईयाँ दो रुपये वाले की। अ़ली इब्ने आ़सिम कहते हैं उसके बा़द मैं इब्ने शबरमा रदि़यल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से मिला और उनसे भी यही सुवाल किया उन्होंने कहा तुमने इसको किसी और से भी पूछा है मैंने कहा हाँ अबू ह़नीफ़ा रह़मतुल्लाहि तआ़ला अ़लैह से पूछा है इब्ने शबरमा ने कहा उन्होंने यह जवाब दिया होगा मैंने कहा हाँ। इब्ने शबरमा ने कहा उन्होंने ग़लत़ जवाब दिया इस लिये कि दो रुपये जो गुम होगये उनमें एक तो यक़ीनन उसका है जिसके दो रुपये थे और एक में एह़तिमाल है कि उसका हो या एक रुपया वाले का हो और जो बाक़ी है उसमें भी एह़तिमाल है कि दो वाले का हो या एक वाले का दोनों बराबर का एह़तिमाल रखते हैं लिहाज़ा निस़्फ़ निस़्फ़ दोनों बांटलें कहते हैं मुझे इब्ने शबरमा का जवाब बहुत पसन्द आया फिर मैं इमामे आज़म से मिला और उनसे कहा कि इस मसअ्ला में आपके ख़िलाफ़ ज़वाब मिला है इमाम ने फ़रमाया क्या तुम इब्ने शबरमा के पास गये थे मैंने कहा हाँ फ़रमाया उन्होंने तुमसे यह कहा है वह सब बातें बयान करदीं मैंने कहा हाँ। फ़रमाया कि जब तीनों रुपये मिलगये और इम्तियाज़ बाक़ी न रहा तो इस सू़रत में हर रुपये में दोनों शरीक होगए एक वाले की एक तिहाई और दो वाले की दो तिहाई फिर जब दो गुम होगये तो दोनों की शिरकत के दो रुपये गुम हुए और जो बाक़ी है यह भी दोनों की शिरकत का है कि एक ति़हाई एक की और दो तिहाईयाँ दूसरे की। (जौहरा)

मसअ्ला.40:– एक शख़्स़ ने दूसरे से कहा इस बकरी को ज़बह़ करदो उसने ज़बह़ करदी और बकरी उसकी न थी जिसने ज़बह़ करने को कहा था तो ज़बह़ करने वाले को तावान देना होगा उसे यह बात कि बकरी दूसरे की है मा़लूम हो या न हो दोनों का एक हुक्म है हाँ यह फ़र्क़ है कि अगर मा़लूम नहीं है तो कहने वाले से रुजूअ़् कर सकता है और मा़लूम हो तो रुजूअ़् भी नहीं कर सकता। (आलमगीरी)

मसअ्ला.41:– किसी ने कहा मेरे इस कपड़े को फाड़कर पानी में डाल आओ उसने ऐसा ही किया तो उसपर तावान नहीं मगर गुनेहगार है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.42:– ज़मीन ग़स़ब करके उसमें कोई चीज़ बोई मालिक ने खेत जोतकर कोई और चीज़ बोदी मालिक को तावान नहीं देना होगा। (आलमगीरी)

मसअ्ला.43:– दूसरे की ज़मीन में बिग़ैर इजाज़त काश्त की मालिक ने कहा तुमने ऐसा क्यों किया

मेरा खेत वापस दो बोने वाले ने कहा उतने ही बीज मुझे देदो और मैं उजरत के तौर पर काम करूँगा या यह कि जो कुछ खेत में हो निस्फ़ मेरा और निस्फ़ तुम्हारा मालिक ज़मीन ने बीज देदिये पैदावार मालिक ज़मीन लेगा और उसको उजरते मिस्ल देगा। (आलमगीरी)

मसअ्ला.44:– दरख़्त की शाख़ दूसरे की दीवार पर आगई उसको अपनी दीवार के नुक़सान पहुँच जाने का अन्देशा है मालिक दरख़्त से कहदे कि शाख़ काट डालो वरना मैं खुद काट डालूँगा अगर मालिक ने काटदी फ़बिहा वरना यह काट डाले इसपर तावान वाजिब नहीं कि मालिक का ख़ामोश रहना रज़ामन्दी की दलील है अगर मालिके दरख़्त से बिग़ैर कहे काट डाली तो तावान वाजिब होगा (आलमगीरी)

मसअ्ला.45:– दो अन्डे ग़सब किये एक को मुर्ग़ी के नीचे रखदिया और दूसरे को उसने नहीं रखा बल्कि मुर्ग़ी आप सेती रही और दोनों से बच्चे हुए तो दोनों ग़ासिब के हैं और ग़ासिब से दो अन्डे तावान में लिये जायेंगे और अगर ग़सब न किये होते बल्कि उसके पास वदीअ़त होते तो जिस अन्डे को मुर्ग़ी ने खुद सेकर बच्चा निकाला वह मूदेअ़ का होता और जिसको मुर्ग़ी के नीचे रखता वह मूदअ़ का होता और इस अन्डे का तावान देना होता। (आलमगीरी)

मसअ्ला.46:– तन्नूर में इतनी लकड़ियाँ डालदीं कि तन्नूर उनका मोहतमिल (जितनी लकड़ियाँ ठीक से जल सकती थीं उस से ज़्यादा डालना (अमीनुल कादरी)) न था शोअ्ला उठा और वह मकान जला और पड़ोस का मकान भी जलगया उस मकान का तावान देना होगा। (आलमगीरी)

मसअ्ला.47:– एक शख़्स का दामन दूसरे शख़्स के नीचे दबा हुआ था दामन वाले को ख़बर न थी वह उठा और दामन फटगया आधा तावान उसपर वाजिब है जिसने दबा रखा था। (खानिया)

मसअ्ला.48:– दलाल को बेचने के लिये चीज़ दी थी दलाल को मालूम हुआ कि यह चीज़ चोरी की है, जिसने दी उसे वापस करदी मालिक ने दलाल से अपनी चीज़ मांगी उसने कहा जिसने मुझे दी थी उसे देदी दलाल बरी होगया। (आलमगीरी)

मसअ्ला.49:– दाइन ने मदयून के सर से पगड़ी उतारली और यह कहा कि जब मेरा रुपया लाओगे तुम्हारी पगड़ी देदूँगा वह जब रुपया लाया तो पगड़ी ज़ाइअ़ होगई थी तो उसके लिये ग़सब का हुक्म नहीं बल्कि रहन का हुक्म है कि मरहून चीज़ हलाक होने पर जो किया जाता है यहाँ भी किया जायेगा (आलमगीरी)

मसअ्ला.50:– एक का जानवर दूसरे के घर में घुस गया घर में से निकालना जानवर के मालिक का काम है और परिन्द किसी के कुँए में गिरकर मरगया तो कुँए से उस को निकालना परिन्द के मालिक का काम है कुँवा साफ़ कराना उसके ज़िम्मे नहीं। (आलमगीरी)

मसअ्ला.51:– तरबूज़ ग़सब किया और उसमें से एक खांप काटली तो तरबूज़ मालिक ही का है और सब खांपें काट डालीं तो मालिक की मिल्क जाती रही। (आलमगीरी)

मसअ्ला.52:– एक मकान में बहुत लोग जमअ़ थे साहिबे ख़ाना का आईना उठाकर एक ने देखा उसने दूसरे को देदिया यके बाद दीगरे सब देखते रहे और आईना टूटगया किसी से तावान नहीं लिया जायेगा कि ऐसी चीज़ों के इस्तिअ़माल की आदतन इजाज़त हुआ करती है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.53:– एक ने किसी की टोपी उतारकर दूसरे के सर पर रखदी उसने अपने सर से उतार कर डालदी फिर वह टोपी ज़ाइअ़ होगई अगर उसने टोपी वाले के सामने फेंकी है कि अगर वह लेना चाहे तो लेसकता है तो किसी पर तावान नहीं वरना तावान है दोनों में से जिस से चाहे तावान वसूल कर सकता है यूंही एक शख़्स नमाज़ पढ़ रहा था उसके सिर से टोपी गिरगई उस को किसी ने वहाँ से हटादिया और वहाँ से चोर लेगया अगर जगह हटाकर रखी कि मुसल्ला लेना चाहे तो हाथ बढ़ाकर लेसकता है तो हटाने वाले पर तावान नहीं और अगर दूर रखी तो तावान है।(आलमगीरी)

शुफ़आ़ का बयान

हदीस (1) सहीह बुख़ारी में अबू राफ़ेअ़ रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से मरवी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु

तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया "पड़ोसी को शुफ़आ़ करने का हक़ है"।
नोटः— शुफ़आ़ का मत़लब यह है कि कोई शरीक या पड़ोसी अपनी कोई चीज़ बेच रहा है तो पहला हक़ पड़ोसी या शरीक का है कि दूसरा वह चीज़ जितने की ख़रीद रहा है पड़ोसी या शरीक को ख़रीदने का पहले मौक़ा दिया जाये। इस को शुफ़आ़ कहते हैं। (अमीनुल क़ादरी)
ह़दीस (2)इमाम अह़मद व तिर्मिज़ी व अबूदाऊद व इब्ने माजा व दारमी जाबिर रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया "पड़ोसी को शुफ़आ़ करने का हक़ है उसका इन्तिज़ार किया जायेगा अगर्चे वह ग़ाइब हो जबकि दोनों का रास्ता एक हो"।
ह़दीस (3)तिर्मिज़ी ने इब्ने अ़ब्बास रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा से रिवायत की कि नबी स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया शरीक ने इब्ने अ़ब्बास रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा से रिवायत की कि नबी स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया "शरीक शफ़ीअ़ है और शुफ़ा हर शय में है"।
ह़दीस (4)सह़ी मुस्लिम में जाबिर रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़ैसला फ़रमाया कि "शुफ़आ़ हर शिरकत की चीज़ में है जो तक़सीम न कीगई हो मकान हो या बाग़ हो उसे यह ह़लाल नहीं कि शरीक को बिग़ैर ख़बर किये बेच डाले ख़बर करने पर वह चाहे तो लेले और चाहे छोड़दे और अगर बिग़ैर ख़बर किये उसने बेच डाला तो वह ह़क़दार है"।
ह़दीस (5) स़ह़ीह़ बुख़ारी में जाबिर रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से मरवी कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़ैसला किया कि शुफ़आ़ हर ग़ैर मुन्क़सिम चीज़ (जो चीज़ तक़सीम न की गई हो) में है और जब ह़ुदूद वाक़ेअ़ होगये और रास्ते फेर दिये गये यानी तक़सीम करके हर एक का रास्ता जुदा करदिया गया तो अब शुफ़आ़ नहीं यानी शिरकत की वजह से जो शुफ़आ़ था वह अब नहीं।
ह़दीस (6) स़ह़ीह़ बुख़ारी में अ़म्र इब्ने शरीद से मरवी है कहते हैं मैं सअ़्द इब्ने अबी वक़्क़ास रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु के पास खड़ा था उतने में अबू राफ़ेअ़ रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु आये और यह कहा कि सअ़्द तुम्हारे दार में जो मेरे दो मकान हैं उन्हें ख़रीदलो उन्होंने कहा मैं नहीं ख़रीदूँगा मिसवर इब्ने मख़रमा रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु ने कहा वल्लाह तुमको ख़रीदना होगा सअ़्द रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु ने कहा वल्लाह मैं चार हज़ार दिरहम से ज़्यादा नहीं दूँगा और वह भी बा'क़िसात (क़िस्तों के साथ) अबू राफ़ेअ़ रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु ने कहा मुझे पाँच सौ अशर्फ़ियाँ मिल रही हैं और अगर मैंने रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम से यह सुना न होता कि पड़ोसी को क़ुर्ब की वजह से ह़क़ होता है तो चार हज़ार में नहीं देता जब कि पाँचसौ दीनार मुझे मिल रहे हैं यह कहकर उनको चार हज़ार में देदिया।

मसाइले फ़िक़्हिय्या

ग़ैर मन्क़ूल जायदाद को किसी शख़्स ने जितने में ख़रीदा उतने ही में उस जायदाद के मालिक होने का ह़क़ जो दूसरे शख़्स को ह़ासिल होजाता है उसको शुफ़आ़ कहते हैं यहाँ उसकी ज़रूरत नहीं कि मुश्तरी उसपर राज़ी हो जब ही शुफ़आ़ किया जाये वह राज़ी हो या नाराज़ बहर सूरत जो ह़क़दार है लेसकता है जिस शख़्स को यह ह़क़ ह़ासिल है उसको शफ़ीअ़ कहते हैं मुश्तरी ने मिस्ली चीज़ के एवज़ में जायदाद ख़रीदी है मस़लन रुपये अशर्फ़ी पैसे के एवज़ में है तो उसकी मिस्ल देकर शफ़ीअ़ लेलेगा और अगर क़ीमती चीज़ स़मन है तो उसकी जो कुछ क़ीमत है वह देगा।
मसअ्ला.1:— शुफ़आ़ वह शख़्स कर सकता है जिसकी मिल्क जायदादे मबीआ़ से मुत्तसिल है ख़्वाह उस जायदाद में शफ़ीअ़ की शिरकत हो या उसका जवार (पड़ोस) हो। (दुर्रेमुख़्तार)
मसअ्ला.2:— शुफ़ा के शराइत़ ह़स्बे ज़ैल हैं। (1)जायदाद का इन्तिक़ाल अ़क़्दे मुआ़वज़ा के ज़रीआ़ से हो यानी बैअ़ या मअ़्ना—ए—बैअ़ में हो। मअ़्ना बैअ़ मस़लन जायदाद को बदले सुलह़ क़रार दिया यानी उसको देकर सुलह़ की हो। और अगर इन्तिक़ाल में यह दोनों बातें न हों तो शुफ़आ़ नहीं हो

सकता मस्लन हिबा, सदका, मीरास, वसियत की रू से जायदाद हासिल हुई तो उसपर शुफ़आ नहीं होसकता है। हिबा ब'शरतिलएवज़ में अगर दोनों जानिब से तक़ाबुज़े बदलैन होगया तो शुफ़आ हो सकता है और अगर हिबा में एवज़ की शर्त न थी मगर मौहूब'लहू ने एवज़ देदिया मस्लन ज़ैद ने अम्र को एक मकान हिबा करदिया और अम्र ने ज़ैद को उसके एवज़ में मकान हिबा किया तो दोनों में से किसी पर शुफ़आ नहीं हो सकता (2)मबीअ् अक़्क़ार यानी जायदादे ग़ैर मन्क़ूला हो। मन्क़ूलात में शुफ़आ नहीं होसकता (3)बाइअ् की मिल्क ज़ाइल होगई हो लिहाज़ा अगर बाइअ् को ख़ियारे शर्त हो तो शुफ़आ नहीं होसकता जब वह अपना ख़ियारे शर्त साक़ित करदेगा तब होसकेगा। और मुश्तरी को ख़ियार हो तो शुफ़आ होसकता है (4)बाइअ् का हक़ भी ज़ाइल होगया हो यानी मबीअ् के वापस लेने का उसे हक़ न हो लिहाज़ा मुश्तरी ने बैअ् फ़ासिद के ज़रीआ से जायदाद बेची तो शुफ़आ नहीं हो सकता। हाँ अगर मुश्तरी ने उस जायदाद को बैअ् सहीह के ज़रिआ फ़रोख़्त करडाला तो अब शुफ़आ होसकता है और उस शुफ़आ को अगर बैअ् सानी पर बिना करे तो बैअ् सानी का जो कुछ समन है उसके साथ लेगा और अगर बैअ् अव्वल पर बिना करे तो मुश्तरी के क़ब्ज़ा करने के दिन जो उस की क़ीमत थी वह देनी होगी। (5)जिस जायदाद के ज़रीआ से उस जायदाद पर शुफ़आ करने का हक़ हासिल हुआ है वह उस वक्त शफ़ीअ् की मिल्क में हो यानी जबकि मुश्तरी ने उस शुफ़आ वाली जायदाद को खरीदा लिहाज़ा अगर वह मकान शफ़ीअ् के किराये में हो या आरियत के तौर पर उसमें रहता है तो शुफ़आ नहीं कर सकता या उन मकान को उसने पहले ही बैअ् कर दिया है तो अब शुफ़आ नहीं कर सकता। (6)शफ़ीअ् ने उस बैअ् से न सराहतन रज़ा'मन्दी ज़ाहिर की हो न दलालतन।

मसअ्ला.3:– दो मन्ज़िला मकान है उसकी दोनों मन्ज़िल में शुफ़ा होसकता है मस्लन अगर सिर्फ़ बाला ख़ाना फ़रोख़्त हुआ तो शुफ़आ होसकता है अगर्चे उसका रास्ता नीचे की मन्ज़िल में न हो(दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.4:– ना'बालिग़ और मजनून के लिये भी हक़्क़े शुफ़आ साबित होता है उनका वसी या वली उसका मुतालबा करेगा। (आलमगीरी)

मसअ्ला.5:– शुफ़आ के ज़रीआ से जो जायदाद हासिल की गई वह उसी की मिस्ल है जिसको ख़रीदा है यानी उस जायदाद में शफ़ीअ् को ख़ियारे रूयत, ख़ियारे ऐब हासिल होगा जिस तरह मुश्तरी को होता है। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.6:– शुफ़आ का हुक्म यह है कि जब उसका सबब पाया जाये यानी जायदाद बेचीगई तो तलब करना जाइज़ है और बाद तलब व इश्हाद यह मुअक्कद होजाता है और क़ाज़ी के फ़ैसला या मुश्तरी की रज़ा'मन्दी से शफ़ीअ् उस चीज़ का मालिक होजाता है। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.7:– मकाने मौक़ूफ़ के मुत्तसिल कोई मकान फ़रोख़्त हुआ तो न वाक़िफ़ शुफ़आ कर सकता है न मुतवल्ली न वह शख़्स जिसपर यह मकान वक़्फ़ है कि शुफ़आ के लिये यह ज़रूरत थी कि जिसके ज़रीआ से शुफ़आ किया जाये वह मम्लूक हो और मकाने मौक़ूफ़ मम्लूक नहीं। (आलमगीरी)

मसअ्ला.8:– ज़मीने मौक़ूफ़ (वक्फ की ज़मीन) में किसी ने मकान बनाया है और उसके जवार में कोई मकान फ़रोख़्त हुआ तो यह शुफ़आ नहीं कर सकता और अपनी इमारत बैअ् करे तो उसपर भी शुफ़ा नहीं होसकता। (आलमगीरी)

मसअ्ला.9:– जिस जायदादे मौक़ूफ़ा की बैअ् नहीं होसकती अगर किसी ने ऐसी जायदाद बैअ् करदी तो उस पर शुफ़आ नहीं हो सकता कि शुफ़आ के लिये बैअ् होना ज़रूरी है। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.10:– अगर वक़्फ़ ऐसा हो जिसकी बैअ् जाइज़ हो और वह फ़रोख़्त हुआ तो उसपर शुफ़आ होसकता है और अगर उसके जवार (करीब) में कोई जायदाद फ़रोख़्त हुई तो वक़्फ़ की जानिब से शुफ़आ नहीं होसकता कि उसका कोई मालिक नहीं जो शुफ़आ करसके यूहीं अगर जायदाद का एक जुज़ वक़्फ़ है और एक जुज़ मिल्क और जो हिस्सा मिल्क है वह फ़रोख़्त हुआ तो

हमे बड़ी मुसर्रत हो रही है कि अल्लाह त'आला और उसके हबीब सल्लल्लाहु त'आला अलैहि वसल्लम के हुक्म फ़ज़्ल-ओ-करम से और बुज़ुर्गाने दीन सिलसिला-ए-क़ादिरिया बिलख़ुसूस पिराने पीर दस्तगीर हुज़ूर ग़ौस-ए-आज़म शैख़ अब्दुल क़ादिर जीलानी रादिअल्लाहु त'आला अन्हू के फ़ैज़ से क़िताब बहार-ए-शरीअत (हिस्सा **11** से **20**) हिंदी में पीडीएफ **[PDF]** में आप की खिदमत में पेश की जा रही है।

ज़माना-ए- क़दीम से अवमुन्नास की इस्लाहे हाल और हिदायते उख़रवी व दुनयवी के लिए हक़ सदाक़त के जाम की फ़राहमी की जाती रही हैं और ये इलतेज़ाम ख़ालिक़-ए-क़ायनात जल्ला जलालहु ने ब अहसान अपनी मख़लूक़ के लिए फ़रमाया है। अम्बिया व मुर्सलीन के बेहतरीन दौर के बाद उसने यह ख़िदमत अपने मुक़र्रबीन रिज़वानुल्लाह त'आला अलैहिम अजमईन के सुपुर्द की और यह सिलसिला अला हालही जारी व सारि है।

मज़हब-ए-इस्लाम अल्लाह त'आला का पसंदीदा दीन है । ज़िंदगी का कोई ऐसा शोबा नही जिसके लिए इस्लाम ने हमे क़ानून न दिया हो ।

आज जिस दौर से हम गुज़र रहे है हमारा मुस्लिम तबका उर्दू की तरफ ध्यान नही दे रहा है और नई नस्ल तो बिल्कुल ही उर्दू से नावाक़िफ़ होती जा रही है । नतीजे के तौर पर दीनी और मज़हबी दिलचस्पियाँ कम हो रही है और हम अपने हाल को ग़ैर मुंज़बित तरीके पे छोड़े रहते है ।

लिहाज़ा ये किताब हिंदी में लिखी गई है और आप सब की आसानी के लिए हम ने इस किताब को पीडीएफ फ़ाइल में आप की ख़िदमत में पेश किया है।
आप सब से हमारी गुज़ारिश है कि अपनी मसरूफ ज़िन्दगी में से रोज़ाना वक़्त निकाल कर बुज़ुर्गो की तस्नीफ़ करदा किताबो को मुताला में रखें , इंशा अल्लाह त'आला दीन और दुनिया दोनो में मक़बूल होंगे।

दुआओं के तलबगार

वसीम अहमद रज़ा खान और साथी

+91-8109613336

https://t.me/Ahlesunnat_HindiBooks

वक़्फ़ की जानिब से उसपर शुफ़आ नहीं होसकता। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.11:– मकान को निकाह का महर क़रार दिया या उसको उजरत मुक़र्रर किया तो उसपर शुफ़आ नहीं होसकता और अगर महर कोई दूसरी चीज़ है मकान को उसके बदले में बैअ् किया या निकाह में महर का ज़िक्र न हुआ और महरे मिस्ल वाजिब हुआ उसके बदले में औरत के हाथ मकान बेच दिया तो शुफ़आ होसकता है। (आलमगीरी)

शुफ़आ के मरातिब

मसअ्ला.1:– शुफ़आ के चन्द अस्बाब मुजतमेअ् (कुछ सबब जमा हो जायें) होजायें तो उन में तर्तीब का लिहाज़ रखा जायेगा जो सबब क़वी हो उसको मुक़द्दम (पहले) किया जाये शुफ़आ के तीन सबब हैं शुफ़आ करने वाला शरीक है या ख़लीत़ है या जारे मुलासिक़ (पड़ोसी)। शरीक वह है कि ख़ुद मबीअ् में उसकी शिरकत हो मस्लन एक मकान दो शख़्सों में मुश्तरक है एक शरीक ने बैअ् की तो दूसरे शरीक को शुफ़आ पहुँचता है ख़लीत़ का यह मतलब है कि ख़ुद मबीअ् में शिरकत नहीं है उसका हिस्सा बाइअ् के हिस्से से मुमताज़ है मगर हक़्क़े मबीअ् में शिरकत है मस्लन दोनों मकानों का एक ही रास्ता है और रास्ता भी ख़ास है या दोनों के खेत में एक नाली से पानी आता हो। जारे मुलासिक़ यह है कि उसके मकान की पछीत दूसरे के मकान में हो। उन सब में मुक़द्दम शरीक है फिर ख़लीत़ और जारे मुलासिक़ का मर्तबा सबसे आख़िर में है। (हिदाया, दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.2:– शरीक ने मुश्तरी को तस्लीम करदी यानी शुफ़आ करना नहीं चाहता है तो ख़लीत़ को शुफ़आ का हक़ हासिल होगया कि उसके बाद उसी का मर्तबा है या उस जायदाद में किसी की शिरकत ही नहीं है तो ख़लीत़ को शुफ़आ का हक़ है और ख़लीत़ ने भी मुश्तरी से नहीं लेना चाहा तस्लीम करदी या कोई ख़लीत़ ही नहीं है तो जार (पड़ोस) का हक़ है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.3:– नहरे अज़ीम और रास्ता आम में शिरकत सबबे शुफ़आ नहीं है बल्कि उस सूरत में जारे मुलासिक़ को शुफ़आ का हक़ मिलेगा। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.4:– नहरे अज़ीम (बड़ी नहर) वह है जिस में कश्ती चल सकती हो और अगर कश्ती न चल सके तो नहरे सग़ीर (छोटी नहर) है। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.5:– कूचा–ए–सरबस्ता (बन्द गली) में जिन लोगों के मकानात हैं वह सब ख़लीत़ हैं कि ख़ास रास्ते में शिरकत होगई। कूचा–ए–सर बस्ता से दूसरा रास्ता निकाला कि आगे चलकर यह भी बन्द होगया इसमें भी कुछ मकानात हैं अगर इसमें कोई मकान फ़रोख़्त हुआ तो दोनों कूचा वाले बराबर के हक़दार हैं। (हिदाया)

मसअ्ला.6:– कूचा–ए–सर'बस्ता में एक मकान है जिसमें एक हिस्सा एक शख़्स का है और एक हिस्से में दो शख़्स शरीक हैं और जिस कूचे में यह मकान है उसमें दूसरों के भी मकानात हैं एक शरीक ने अपना हिस्सा बैअ् किया तो उसका शरीक शुफ़आ कर सकता है वह न करे तो दूसरा शख़्स करे जो शरीक न था मगर उसी मकान में उसका मकान भी है और यह भी न करे तो उस कूचे के दूसरे लोग करें। (आलमगीरी)

मसअ्ला.7:– मबीअ् में शिरकत की दो सूरतें हैं एक यह कि पूरी मबीअ् में शिरकत है मस्लन पूरा मकान दो शख़्सों में मुश्तरक हो **दोम** यह कि बाज़ मबीअ् में शिरकत हो यानी मकान का एक जुज़ मुश्तरक है और बाक़ी में शिरकत नहीं मस्लन पर्दा की दीवार दोनों की हो और एक ने अपना मकान बैअ् करदिया तो पर्दा की दीवार जो मुश्तरक है उसकी भी बैअ् होगई यह शख़्स शरीक की हैसियत से शुफ़आ करेगा लिहाज़ा दूसरे शफ़ीओं पर मुक़द्दम होगा मगर जो शख़्स पूरे मकान में शरीक है वह इस शरीक पर मुक़द्दम होगा। (दुर्रेमुख़्तार, आलमगीरी)

मसअ्ला.8:– दीवार में शिरकत से यह मुराद है कि दीवार की ज़मीन में शिरकत हो और अगर ज़मीन में शिरकत न हो सिर्फ़ दीवार में शिरकत हो तो उसको शरीक नहीं शुमार किया जायेगा

दोनों की सूरतें यह हैं एक के बीच में एक दीवार क़ाइम करदी गई फिर तक़सीम यूँ हुई कि एक शख़्स ने दीवार से उधर का हिस्सा लिया और दूसरे ने उधर का और दीवार तक़सीम में नहीं आई लिहाज़ा दोनों की हुई और अगर मकान को तक़सीम करके एक ख़त खींच दिया फिर बीच में दीवार बनाने के लिये हर एक ने एक एक बालिश्त ज़मीन देदी और दोनों के पैसों से दीवार बनी तो यहाँ ज़मीन में बिल्कुल शिरकत नहीं है अगर शिकरत है तो दीवार में है और दीवार व इमारत में शिरकत मूजिबे शुफ़आ नहीं लिहाज़ा उस शिरकत का एअ्तिबार नहीं बल्कि यह शख़्स जारे मलासिक़ है और उसी हैसियत से शुफ़आ कर सकता है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.9:– बीच की दीवार पर दोनों की कड़ियाँ हैं और यह मालूम नहा कि यह दीवार दोनों में मुश्तरक है सिर्फ़ इतनी बात से कि दोनों की कड़ियाँ हैं दीवार का मुश्तरक होना मालूम होता है उन में से एक का मकान फ़रोख़्त हुआ अगर दूसरे ने गवाहों से दीवार का मुश्तरक होना साबित कर दिया तो उसको शरीक क़रार दिया जायेगा और शुफ़आ में उसका मर्तबा जार से मुक़द्दम होगा(आलमगीरी)

मसअ्ला.10:– यह जो कहा गया कि शरीक के बाद जारे मुलासिक़ का मर्तबा है उसका मतलब यह है कि बैअ् की ख़बर सुनकर उसने शुफ़आ तलब किया हो और अगर उस वक़्त उसने शुफ़आ तलब न किया और शरीक ने शुफ़आ तस्लीम कर दिया यानी बज़रीआ–ए–शुफ़आ लेना नहीं चाहता तो अब उस जार को शुफ़आ करने का हक़ न रहा। (आलमगीरी)

मसअ्ला.11:– दो मन्ज़िला मकान है नीचे की मन्ज़िल ज़ैद व अम्र की शिरकत में है और ऊपर की मन्ज़िल में ज़ैद व बकर शरीक हैं अगर ज़ैद ने नीचे की मन्ज़िल बैअ् की तो अम्र शुफ़आ कर सकता है बकर नहीं और ऊपर की मन्ज़िल बेची तो बकर शुफ़आ कर सकता है अम्र नहीं। (बदाइअ)

मसअ्ला.12:– एक मकान की छत पर बालाख़ाना है मगर उस बालाख़ाना का रास्ता दूसरे मकान में है उस मकान में नहीं है जिसकी छत पर बाला ख़ाना है। यह बाला ख़ाना फ़रोख़्त हुआ तो वह शख़्स शुफ़आ करेगा जिसके मकान में उसका रास्ता है वह नहीं कर सकता जिसके मकान की छत पर बाला ख़ाना है और अगर पहले शख़्स ने तस्लीम करदिया न लेना चाहा तो दूसरा शख़्स शुफ़आ कर सकता है मगर बालाख़ाना का कोई जारे मुलासिक़ है तो शुफ़आ में यह भी शरीक है और अगर नीचे की मन्ज़िल फ़रोख़्त हुई तो बालाख़ाना वाला शुफ़आ कर सकता है और वह मकान जिसमें बालाख़ाना का रास्ता है फ़रोख़्त हुआ तो उसमें भी बालाख़ाना वाला शुफ़आ कर सकता है। (बदाइअ)

मसअ्ला.13:– कूचा–ए–सर बस्ता में चन्द अश्ख़ास के मकानात हैं उनमें से किसी ने अपना मकान या कोई कमरा बैअ् कर दिया और रास्ता मुश्तरी के हाथ नहीं बेचा बल्कि मुश्तरी से यह तै पाया कि उस मकान का दरवाज़ा शारेअ् आम में खोल ले उस सूरत में भी उस कूचे के रहने वाले शुफ़आ कर सकते हैं क्योंकि ब वक़्ते बैअ् यह लोग रास्ते में शरीक हैं और अगर उस वक़्त उन लोगों ने शुफ़आ न किया और मुश्तरी ने दरवाज़ा खोलने के बाद उसको बैअ् कर डाला तो अब शुफ़आ नहीं कर सकते कि रास्ते की शिरकत दूसरी बैअ् के वक़्त नहीं है बल्कि अब वह शख़्स शुफ़आ कर सकता है जो जारे मुलासिक़ हो। (आलमगीरी)

मसअ्ला.14:– मकान के दो दरवाज़े हैं एक दरवाज़ा एक गली में है दूसरा दूसरी गली में है उस की दो सूरतें हैं एक यह कि पहले दो मकान थे एक का दरवाज़ा एक गली में था दूसरे का दूसरी गली में था एक शख़्स ने दोनों को ख़रीदकर एक मकान कर दिया उस सूरत में हर गली वाले अपनी जानिब का मकान शुफ़आ करके ले सकते हैं एक गली वालों को दूसरी जानिब के हिस्से का हक़ नहीं दूसरी सूरत यह है कि जब वह मकान बना था उस वक़्त उसमें दो दरवाज़े रखे गये थे तो दोनों गली वाले पूरे मकान में शुफ़आ का बराबर हक़ रखते हैं यूंही अगर दो गलियाँ थीं दोनों के बीच की दीवार निकालकर एक गली करदी गई तो हर एक कूचे वाले अपनी जानिब में शुफ़आ का हक़ रखते हैं। दूसरी जानिब में उन्हें हक़ नहीं। उसी तरह कूचा–ए–सर बस्ता था उसकी दीवार निकालदी गई कि सर बस्ता न रहा बल्कि

कूचा–ए–नाफ़िज़ा होगया तो अब भी उसके रहने वाले शुफ़आ का हक़ रखेंगे। (आलमगीरी)

मसअ्ला.15:– बाप का मकान था उसके मरने के बाद बेटों को मिला और उनमें से कोई लड़का मरगया और उसने अपने बेटे वारिस छोड़े उन में से किसी ने अपना हिस्सा बैअ् किया तो उसके भाई और चचा सब शुफ़आ कर सकते हैं भाईयों को चचा पर तरजीह नहीं है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.16:– मकान के दो पड़ोसी हैं एक मौजूद है दूसरा ग़ाइब है मौजूद ने शुफ़आ का दअ्वा किया मगर क़ाज़ी ऐसे शुफ़आ का क़ाइल न था उसने दअ्वे को ख़ारिज करदिया कि शुफ़आ का तुझे हक़ नहीं है फिर वह ग़ाइब आया और उसने दूसरे क़ाज़ी के पास दअ्वा किया जिसके मज़हब में पड़ोसी के लिये भी शुफ़आ है यह क़ाज़ी पूरा मकान उसी शुफ़आ करने वाले को दिलायेगा (बदाइअ्)

मसअ्ला.17:– किसी के मकान का परनाला दूसरे के मकान में गिरता है या इस मकान की नाली उस मकान में है. तो उसको इस मकान में जवार की वजह से शुफ़आ का हक़ है शिरकत की वजह से नहीं। (आलमगीरी)

मसअ्ला.18:– शुफ़ा का दअ्वा किया और क़ाज़ी ने उसका हुक्म देदिया उसके बाद शफ़ीअ् ने जायदाद लेने से इन्कार करदिया तो दूसरे लोग जो उसके बाद शुफ़आ कर सकते थे उनका हक़ बातिल होगया यानी वह लोग अब शुफ़आ नहीं कर सकते कि बाद क़ज़ा–ए–क़ाज़ी (क़ाज़ी के फ़ैसले के बाद) उसकी मिल्क मुतक़र्रिर होगई और अगर क़ाज़ी के हुक्म से क़ब्ल ही यह अपने हक़ से दस्त बर्दार होगया तो दूसरे लोग कर सकते हैं। (दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.19:– बाज़ हक़दार मौजूद हैं बाज़ ग़ाइब हैं जो मौजूद हैं उन्होंने दअ्वा किया तो उनके लिये फ़ैसला करदिया जायेगा उसका इन्तिज़ार न किया जायेगा कि वह ग़ाइब भी आजाये क्योंकि आजाने के बाद वह मुतालबा करे या न करे क्या मालूम लिहाज़ा उसके आने तक फ़ैसला को मुअख़्ख़र न किया जाये। फिर उस ग़ाइब ने आने के बाद अगर मुतालबा किया तो उसकी तीन सूरतें हैं अगर उसका मर्तबा उससे कम है जिसके लिये फ़ैसला हुआ तो उसका मुतालबा साक़ित और बराबर का है यानी अगर वह शरीक है तो यह भी शरीक है या दोनों ख़लीत हैं या दोनों पड़ोसी हैं तो इस सूरत में दोनों को बराबर बराबर जायदाद मिलेगी और अगर उसका मर्तबा उस से ऊँचा है यानी मसलन वह ख़लीत या पड़ोसी था और यह शरीक है तो कुल जायदाद उसी को मिलेगी। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.20:– शफ़ीअ् चाहता है कि जायदादे मबीआ (बेची गई जायदाद) में से एक हिस्सा लेले और बाक़ी मुश्तरी के लिये छोड़दे उसका हक़ शफ़ीअ् को नहीं यानी मुश्तरी को उसके क़बूल करने पर मजबूर नहीं किया जा सकता क्योंकि होसकता है कि जायदाद का यह जुज़ लेने में मुश्तरी अपना ज़रर तसव्वुर करता हो (नुक़सान समझता हो)। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.21:– एक शफ़ीअ् ने अपना हक़्क़े शुफ़आ दूसरे को देदिया मसलन तीन शख़्स शफ़ीअ् थे उनमें से एक ने दूसरे को अपना हक़ देदिया यह देना सहीह नहीं बल्कि उसका हक़ साक़ित होगया और उसके सिवा जितने शफ़ीअ् हैं वह सब बराबर के हक़दार हैं बल्कि अगर दो शख़्स हक़दार हैं उनमें से एक ने यह समझकर कि मुझे निस्फ़ ही जायदाद मिलेगी निस्फ़ ही को तलब किया तो उसका शुफ़आ ही बातिल होजायेगा यानी ज़रूरी है कि हर एक पूरे का मुतालबा करे। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.22:– दो शख़्सों ने अपना मुश्तरक मकान (साझे का मकान) बैअ् किया शफ़ीअ् यह चाहता है कि फ़क़त एक के हिस्से में शुफ़आ करे यह नहीं होसकता और अगर दो शख़्सों ने एक मकान ख़रीदा और शफ़ीअ् फ़क़त एक मुश्तरी के हिस्से में शुफ़आ करना चाहता है यह होसकता है।(आलमगीरी)

मसअ्ला.23:– एक शख़्स ने एक अक़्द में दो मकान ख़रीदे और शफ़ीअ् दोनों में शुफ़आ कर सकता हो तो दोनों में शुफ़आ करे या दोनों को छोड़े यह नहीं होसकता कि एक में करे और एक को छोड़े और अगर एक ही में वह शफ़ीअ् है तो एक में शुफ़आ कर सकता है।(आलमगीरी)

मसअ्ला.24:– मुश्तरी के वकील ने जायदाद ख़रीदी और वह अभी उसी वकील के हाथ में है तो

शुफ़आ की तलब वकील से होसकती है और वकील ने मुअक्किल को देदी तो वकील से तलब नहीं करसकता बल्कि उससे तलब करने पर शुफ़आ ही साकित होजायेगा कि जिससे तलब करना चाहिए था बा'वजूद कुदरत शफ़ीअ् ने उससे तलब करने में देर की।(दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमुहतार)

तलबे शुफ़आ का बयान

तलब की तीन किस्में हैं **1.तलबे मुवास्बा 2.तलबे तक़रीर** उसको तलबे इश्हाद भी कहते हैं। **3.तलबे तम्लीक**। तलबे मुवास्बा यह है कि जैसे ही उसको उस जायदाद के फ़रोख़्त होने का इल्म हो फ़ौरन उस वक्त यह जाहिर करदे कि मैं तालिबे शुफ़आ हूँ अगर इल्म होने के बाद उसने तलब न की तो शुफ़आ का हक जाता रहा और बेहतर यह है कि अपने उस तलब करने पर लोगों को गवाह भी बनाले ताकि यह न कहा जासके कि उसने तलबे मुवास्बत नहीं की है।(हिदाया)

मसअ्ला.1:– जायदाद की बैअ् का इल्म कभी तो खुद मुश्तरी (ख़रीदार) ही से होता है कि उसने खुद उसे ख़बर दी और कभी मुश्तरी के क़ासिद के ज़रीआ से होता है कि उसने किसी की मअ्रिफ़त उसके पास कहला भेजा और कभी किसी अजनबी के ज़रीआ से होता है उस सूरत में यह ज़रूर है कि वह मुख़बिर आ़दिल हो या ख़बर देने वालों में अ़ददे शहादत पाया जाये यानी दो मर्द हों या एक मर्द और दो औ़रतें। ख़बर देने वाला एक ही शख़्स है और वह भी फ़ासिक़ है मगर शफ़ीअ् ने उस ख़बर में उसकी तस्दीक करली तो बैअ् का इल्म होगया यानी अगर तलबे मुवास्बा न करेगा शुफ़आ बातिल होजायेगा और अगर उसकी तकज़ीब की तो शफ़ीअ् के नज़्दीक बैअ् का सुबूत न हुआ यानी तलब न करने पर हक्के शुफ़आ बातिल न होगा अगर्चे वाक़ेअ् में उसकी ख़बर सहीह हो।(दुर्रमु0)

मसअ्ला.2:– तलबे मुवास्बा में अदना ताख़ीर भी शुफ़आ को बातिल कर देती है मस्लन किसी ख़त के ज़रीआ से उसे बैअ् की ख़बर दीगई और उस ख़त में बैअ् का ज़िक्र मुक़द्दम है और उसके बाद दूसरे मज़ामीन हैं या बैअ् का ज़िक्र दरम्यान में है उसने पूरा ख़त पढ़कर तलबे मुवास्बत की शुफ़आ बातिल होगया कि इतनी ताख़ीर भी यहाँ न होनी चाहिए।(हिदाया)

मसअ्ला.3:– ख़ुतबा होरहा है और उसको बैअ् की ख़बर दीगई और नमाज़ के बाद उसने तलबे मुवास्बत की अगर ऐसी जगह है कि ख़ुतबा सुन रहा है तो शुफ़आ बातिल नहीं हुआ और अगर ख़ुतबा की आवाज़ उसको नहीं पहुँची तो शुफ़आ बातिल है या नहीं इसमें इख़्तिलाफ़ है। नफ़्ल नमाज़ पढ़ने में उसे ख़बर मिली उसे चाहिए कि दो रकअ्त पर सलाम फेरदे और तलबे मुवास्बत करे और चार पूरी करली यानी दो रकअ्तें और मिलाईं तो बातिल होगया और क़ब्ले ज़ोहर या बादे ज़ोहर की सुन्नतें पढ़ रहा था और चार पूरी करके तलब किया तो बातिल न हुआ।(रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.4:– बैअ् की ख़बर सुनकर सुब्हानल्लाह या अल्हमदु'लिल्लाह या अल्लाहु अकबर या ला' हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह कहा तो शुफ़आ बातिल न हुआ कि उन अल्फ़ाज़ का कहना एअ्राज़ (इनकार करने) की दलील नहीं बल्कि ख़ुदा का शुक्र करता है कि उसके पड़ोस से निजात मिली या तअ़ज्जुब करता है कि उसने ज़रर (नुक़सान) पहुँचाने का इरादा किया था और नतीजा यह हुआ यूंही अगर इस के पास के किसी शख़्स को छींक आई और अल्हमदु लिल्लाह कहा इसने उसका जवाब दिया शुफ़आ बातिल न हुआ। (आलमगीरी, हिदाया)

मसअ्ला.5:– बैअ् की ख़बर मिलने पर उसने दरयाफ़्त किया कि किसी ने ख़रीदा या कितने में ख़रीदा यह पूछना ताख़ीर में शुमार नहीं क्योंकि होसकता है कि स्मन इतना हो जो इसके नज़्दीक मुनासिब है तो शुफ़आ करे और ज़्यादा स्मन है तो उसे इतने दामों में लेना मन्ज़ूर नहीं यूंही अगर मुश्तरी कोई नेक शख़्स है उसका पड़ोस नागवार नहीं है तो शुफ़आ की क्या ज़रूरत और ऐसा शख़्स मुश्तरी है जिसका कुर्ब मन्ज़ूर नहीं है तो शुफ़आ करने की ज़रूरत है लिहाज़ा यह पूछना शुफ़आ से एअ्राज़ की दलील नहीं।(हिदाया)

मसअ्ला.6:– शफ़ीअ् ने मुश्तरी को सलाम किया शुफ़आ बातिल नहीं हुआ और किसी दूसरे को

सलाम किया तो बातिल होगया मस्लन मुश्तरी का बेटा भी वहीं खड़ा था उस लड़के को सलाम किया बातिल होगया।(आलमगीरी)

मसअ्ला.7:– त़लबे मुवास्बा के लिये कोई लफ़्ज़ मख़सूस नहीं जिस लफ़्ज़ से भी उसका त़ालिबे शुफ़आ होना समझ में आता हो वह काफ़ी है।(दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.8:– जो जायदाद फ़रोख़्त हुई एक शख़्स उसमें शरीक है और एक उसका पड़ोसी है दोनों को एक साथ ख़बर मिली शरीक ने त़लबे मुवास्बा की पड़ोसी ने नहीं की फिर शरीक ने शुफ़आ छोड़दिया अब पड़ोसी को शुफ़आ का ह़क़ नहीं रहा यह भी अगर उसी वक़्त त़लब करता तो अब शुफ़आ कर सकता था। (आलमगीरी)

मसअ्ला.9:– त़लबे मुवास्बा के बाद त़लबे इश्हाद का मर्तबा है जिसको त़लबे तक़रीर भी कहते हैं उसकी सूरत यह है कि बाइअ् या मुश्तरी या उस जायदादे मबीआ (बेची हुई जायदाद) के पास जाकर गवाहों के सामने यह कहे कि फ़ुलाँ शख़्स ने यह जायदाद ख़रीदी है और मैं उसका शफ़ीअ् हूँ और उससे पहले मैं त़लबे शुफ़आ कर चुका हूँ और अब फिर त़लब करता हूँ तुम लोग उसके गवाह रहो। (हिदाया) यह उस वक़्त है कि जायदादे मबीआ के पास त़लबे इश्हाद करे (यानी गवाही तलब करे) और अगर मुश्तरी के पास करे तो यह कहे कि इसने फ़ुलाँ जायदाद ख़रीदी है और मैं फ़ुलाँ जायदाद के ज़रीआ से उसका शफ़ीअ् हूँ और बाइअ् के पास यूँ कहे कि इसने फ़ुलाँ जायदाद फ़रोख़्त की है और मैं फ़ुलाँ जायदाद की वजह से उसका शफ़ीअ हूँ। (नताइज)

मसअ्ला.10:– बाइअ् के पास त़लबे इश्हाद के लिए शर्त यह है कि वह जायदाद बाइअ् के क़ब्ज़े में हो यानी अब तक बाइअ् ने मुश्तरी के क़ब्ज़े में न दी हो और मुश्तरी का क़ब्ज़ा होचुका हो तो बाइअ् के पास त़लबे इश्हाद नहीं होसकती और मुश्तरी के पास बहर सूरत त़लबे इश्हाद होसकती है चाहे वह जायदाद बाइअ् के क़ब्ज़े में हो या मुश्तरी के क़ब्ज़े में हो उसी त़रह़ जायदाद मबीआ के सामने भी मुत़लक़न त़लबे इश्हाद हो सकती है।(हिदाया, दुर्रेमुख़्तार) त़लबे इश्हाद में जायदाद के हुदूदे अरबा़ (चारों तरफ कौन कौन हैं) भी ज़िक्र करदे तो बेहतर है ताकि इख़्तिलाफ़ से बच जाये।

मसअ्ला.11:– जो शख़्स बा'वजूद कुदरत त़लबे इश्हाद न करे तो शुफ़आ बात़िल होजायेगा मस्लन बिग़ैर इश्हाद क़ाज़ी के पास दअ्वा कर दिया शुफ़आ बात़िल होगया त़लबे इश्हाद क़ासिद और ख़त के ज़रीआ से भी होसकती है। (दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमुह़तार)

मसअ्ला.12:– जो शख़्स दूर है और उसे बैअ् की ख़बर मिली तो ख़बर मिलने के बाद उसको इतना मौक़ा है कि वहाँ से आकर या क़ासिद या वकील को भेजकर त़लबे इश्हाद करे उसकी वजह से जितनी ताख़ीर हुई उससे शुफ़आ बात़िल नहीं होगा।(आलमगीरी)

मसअ्ला.13:– शफ़ीअ् को रात में ख़बर मिली और वह वक़्त बाहर निकलने का नहीं है इस वजह से सुबह़ तक त़लबे इश्हाद को मुअख़्ख़र किया उससे शुफ़आ बात़िल नहीं होगा।(आलमगीरी)

मसअ्ला.14:– बाइअ् व मुश्तरी व जायदादे मबीआ एक ही शहर में हों तो कुर्ब व बोअ्द का एअ्तिबार नहीं यानी यह ज़रूर नहीं कि क़रीब ही के पास त़लब करे बल्कि उसे इख़्तियार है कि दूर वाले के पास करे या कुर्ब वाले के पास करे हाँ अगर क़रीब के पास से गुज़रा और यहाँ त़लबे इश्हाद न की दूर वाले के पास जाकर की तो शुफ़आ बात़िल है और अगर उनमें से एक ही शहर में है और दूसरा दूसरे शहर में या गाँव में है और उस शहर वाले के सामने त़लब न की दूसरे शहर या गाँव में इश्हाद के लिये गया तो शुफ़आ बात़िल होगया। (आलमगीरी, रद्दुल'मुह़तार)

मसअ्ला.15:– त़लबे इश्हाद का त़लबे मुवास्बा के बाद होना उस वक़्त है कि बैअ् का जिस मज्लिस में इल्म हुआ वहाँ न बाइअ् है न मुश्तरी है न जायदादे मबीआ और अगर शफ़ीअ् उन तीनों में से किसी के पास मौजूद था और बैअ् की ख़बर मिली और उस वक़्त अपना शफ़ीअ् होना ज़ाहिर करदिया तो यह एक ही त़लब दोनों के क़ाइम मक़ाम है यानी यही त़लबे मुवास्बा भी है और त़लबे इश्हाद भी।(दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.16:– उन दोनों तलबों के बाद तलबे तम्लीक है यानी अब काज़ी के पास जाकर यह कहे कि फुलाँ शख़्स ने फुलाँ जायदाद ख़रीदी है और फुलाँ जायदाद के ज़रीआ से मैं उसका शफ़ीअ् हूँ वह जायदाद मुझे दिलादी जाये तलबे तम्लीक में ताख़ीर होने से शुफ़आ बातिल होता है या नहीं ज़ाहिरुर्रिवाया यह है कि बातिल नहीं होता और हिदाया वग़ैरहा में तसरीह है कि उसी पर फ़तवा है और इमाम मुहम्मद रहमतुल्लाहि तआला अलैह फ़रमाते हैं कि बिला उज़्र एक माह की ताख़ीर से बातिल होजाता है बाज़ किताबों में उसपर फ़तवा होने की तसरीह है और नज़र ब'हाले ज़माना उस क़ौल को इख़्तियार करना क़रीने मस्लेहत है क्योंकि अगर उसके लिये कोई मीआद न होगी तो ख़ौफ़े शुफ़आ की वजह से मुश्तरी न उस ज़मीन में कोई तामीर कर सकेगा न दरख़्त नसब कर सकेगा और यह मुश्तरी का ज़रर (नुकसान) है। (दुर्रेमुख़्तार, रद्दुल'मुहतार)

मसअ्ला.17:– जवार (पडोस) की वजह से शुफ़आ का हक़ है और क़ाज़ी का मज़हब यह है कि जवार की वजह से शुफ़आ नहीं है शफ़ीअ् ने दअ्वा इस वजह से नहीं किया कि क़ाज़ी मेरे ख़िलाफ़ फ़ैसला करदेगा इस इन्तिज़ार में है कि दूसरा क़ाज़ी आये तो दअ्वा करूँ उस सूरत में बिल' इत्तिफ़ाक़ उसका हक़ बातिल नहीं होगा।(आलमगीरी)

मसअ्ला.18:– शफ़ीअ् के दअ्वा करने पर क़ाज़ी उससे चन्द सुवालात करेगा वह जायदाद कहाँ है, और उसके हुदूदे अरबा क्या हैं, और मुश्तरी ने उस पर क़ब्ज़ा किया है या नहीं, उस पर शुफ़आ किस जायदाद की वजह से करता है और उसके हुदूद क्या हैं,। उस जायदाद के फ़रोख़्त होने का उस शफ़ीअ् को कब इल्म हुआ और उसने उसके मुतअल्लिक़ क्या किया फिर तलबे तक़रीर की या नहीं और किन लोगों के सामने तलबे तक़रीर की और किसके पास तलबे तक़रीर की वह क़रीब था या दूर था जब तमाम सुवालों के जवाबात शफ़ीअ् ने ऐसे देदिये जिनसे दअ्वा पर बुरा असर न पड़ता हो तो उसका दअ्वा मुकम्मल होगया अब मुद्दआ'अलैह से दरयाफ़्त करेगा कि शफ़ीअ् जिस जायदाद के ज़रीआ से शुफ़आ करता है उसका मालिक है या नहीं अगर उसने इन्कार कर दिया तो शफ़ीअ् को गवाहों के ज़रीआ से उस जायदाद का मालिक होना साबित करना होगा या गवाह न होने की सूरत में मुद्दआ'अलैह पर हल्फ़ दिया जायेगा गवाह से या मुद्दआ'अलैह के हल्फ़ से इन्कार करने से जब शफ़ीअ् की मिल्क साबित होगई तो मुद्दआ'अलैह से दरयाफ़्त करेगा कि वह जायदाद जिस पर शुफ़आ का दअ्वा है उसने ख़रीदी है या नहीं अगर उसने ख़रीदने से इन्कार कर दिया तो शफ़ीअ् को गवाहों से उसका ख़रीदना साबित करना होगा और अगर गवाह न हों तो मुद्दआ'अलैह पर फिर हल्फ़ पेश किया जायेगा अगर हल्फ़ से नुकूल (इनकार) किया या गवाहों से ख़रीदना साबित होगया तो क़ाज़ी शुफ़आ का फ़ैसला कर देगा। (हिदाया, दुर्रेमुख़्तार, रद्दुल'मुहतार)

मसअ्ला.19:– शुफ़आ का दअ्वा करने के लिये यह ज़रूर नहीं कि शफ़ीअ् समन को क़ाज़ी के पास हाज़िर करदे जब ही उसका दअ्वा सुना जाये और यह भी ज़रूर नहीं कि फ़ैसले के वक़्त समन क़ाज़ी के पास पेश करदे जब ही वह फ़ैसला करे।(दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.20:– फ़ैसले के बाद उसे समन लाकर देना होगा और अगर समन अदा करने को कहा गया और उसने अदा करने में ताख़ीर की कहदिया कि इस वक़्त मेरे पास नहीं है या यह कि कल हाज़िर करदूँगा या इसी क़िस्म की कुछ और बात कही तो शुफ़आ बातिल न होगा।(हिदाया)

मसअ्ला.21:– फ़ैसले के बाद समन वसूल करने के लिये मुश्तरी उस जायदाद को रोक सकता है कह सकता है कि जब तक समन अदा न करोगे यह जायदाद मैं तुमको नहीं दूँगा।(हिदाया)

मसअ्ला.22:– शुफ़आ का दअ्वा मुश्तरी पर मुतलक़न होसकता है उसने जायदाद पर क़ब्ज़ा किया हो या न किया हो उसको मुद्दआ'अलैह बनाया जासकता है और बाइअ् को भी मुद्दअ्'अलैह बनाया जा सकता है जब कि जायदाद अब तक बाइअ् के क़ब्ज़े में हो मगर बाइअ् के मुक़ाबले में गवाह नहीं सुने जायेंगे जब तक मुश्तरी हाज़िर न हो यूँही अगर बाइअ् पर दअ्वा हुआ तो जब तक मुश्तरी

हाज़िर न हो हक़्क़े मुश्तरी में वह बैअ् फ़स्ख़ नहीं की जायेगी और अगर मुश्तरी का क़ब्ज़ा होचुका हो तो बाइअ् के हाज़िर होने की ज़रूरत नहीं। (हिदाया, दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.23:– बाइअ् के क़ब्ज़े में जायदाद हो तो बाइअ् पर क़ाज़ी शुफ़आ का फ़ैसला करेगा और उसकी तमाम'तर ज़िम्मेदारी बाइअ् पर होगी जायदादे मशफ़ूआ में अगर किसी दूसरे का हक़ साबित हुआ और उसने लेली तो समन की वापसी बाइअ् के ज़िम्म है और अगर जायदाद पर मुश्तरी का क़ब्ज़ा होचुका है तो ज़िम्मेदारी मुश्तरी पर होगी यानी जब कि मुश्तरी ने बाइअ् को समन अदा कर दिया है और शफ़ीअ् ने मुश्तरी को समन दिया और अगर अभी मुश्तरी ने समन अदा नहीं किया है शफ़ीअ् ने बाइअ् को समन दिया तो बाइअ् ज़िम्मेदार है। (दुर्रेमुख़्तार, रद्दुल'मुहतार)

मसअ्ला.24:– शफ़ीअ् को ख़ियारे रूयत और ख़ियारे ऐब हासिल है यानी अगर उसने जायदाद मशफ़ूआ नहीं देखी है तो देखने के बाद लेने से इन्कार कर सकता है यूंही अगर उसमें कोई ऐब है तो ऐब की वजह से वापस कर सकता है क्योंकि शुफ़आ के ज़रीआ से जायदाद का मिलना बैअ् का हुक्म रखता है लिहाज़ा बैअ् में जिस तरह यह दोनों ख़ियार हासिल होते हैं यहाँ भी होंगे। और अगर मुश्तरी ने ऐब से बराअत करली है, कह दिया है कि उसमें कोई ऐब निकले तो उसकी ज़िम्मेदारी नहीं उस सूरत में भी ऐब की वजह से वापस कर सकता है। मुश्तरी का बराअत क़बूल करना कोई चीज़ नहीं।(हिदाया)

मसअ्ला.25:– शुफ़आ में ख़ियारे शर्त नहीं होसकता न उसमें समन अदा करने के लिये कोई मीआद मुक़र्रर की जासकती न उसमें ग़ुरर यानी धोके की वजह से ज़मान लाज़िम होसकता है यानी मसलन शफ़ीअ् ने उस जायदाद में कोई जदीद तअ्मीर की उसके बाद मुस्तहक़ ने दअ्वा किया कि यह जायदाद मेरी है और वह जायदाद मुस्तहक़ को मिलगई तो तअ्मीर की वजह से शफ़ीअ् का जो कुछ नुक़सान हुआ वह न बाइअ् से ले सकता है न मुश्तरी से कि उसने यह जायदाद जबरन वुसूल की है उन्होंने अपने क़स्द व इख़्तियार से उसे नहीं दी है कि वह उसके नुक़सान का ज़मान दें। (दुर्रेमुख़्तार, रद्दुल'मुहतार)

मसअ्ला.26:– मुश्तरी यह कहता है कि शफ़ीअ् को जिस वक़्त बैअ् का इल्म हुआ उसने तलब नहीं की और शफ़ीअ् कहता है मैंने उस वक़्त तलब की तो शफ़ीअ् को गवाहों से साबित करना होगा और गवाह न हों तो क़सम के साथ मुश्तरी का क़ौल मोअ्तबर है।(आलमगीरी)

मसअ्ला.27:– शफ़ीअ् व मुश्तरी में समन का इख़्तिलाफ़ है और गवाह किसी के पास न हों तो क़सम के साथ मुश्तरी का क़ौल मोअ्तबर है और अगर दोनों गवाह पेश करें तो गवाह शफ़ीअ् के मोअ्तबर होंगे।(हिदाया)

मसअ्ला.28:– मुश्तरी ने दअ्वा किया कि समन इतना है और बाइअ् ने उससे कम समन का दअ्वा किया उसकी दो सूरतें हैं बाइअ् ने समन पर क़ब्ज़ा किया है या नहीं अगर क़ब्ज़ा नहीं किया है तो बाइअ् का क़ौल मोअ्तबर है यानी उसने जो कुछ बताया शफ़ीअ् उतने ही में लेगा और अगर बाइअ् समन पर क़ब्ज़ा कर चुका है तो मुश्तरी का क़ौल मोअ्तबर है यानी अगर शफ़ीअ् लेना चाहे तो वह समन अदा करे जिसको मुश्तरी बताता है और बाइअ् की बात ना'मोअ्तबर है कि जब वह समन लेचुका है तो उस मुआमले में उसका तअ़ल्लुक़ ही क्या है और अगर बाइअ् समन ज़्यादा बताता है और मुश्तरी कम बताता है और यह इख़्तिलाफ़ बाइअ् के समन वसूल कर लेने के बाद है तो मुश्तरी की बात मोअ्तबर है और समन पर क़ब्ज़ा करने से पहले यह इख़्तिलाफ़ है तो बाइअ् व मुश्तरी दोनों पर हल्फ़ है जो हल्फ़ से इन्कार करदे उसके मुक़ाबिल की मोअ्तबर है और अगर दोनों ने हल्फ़ करलिया तो दोनों यानी बाइअ् व मुश्तरी के मा'बैन बैअ् फ़स्ख़ करदी जायेगी मगर शफ़ीअ् के हक़ में यह बैअ् फ़स्ख़ नहीं होगी वह चाहे तो उतने समन के एवज़ में लेसकता है जिस को बाइअ् ने बताया।(हिदाया)

मसअ्ला.29:– बाइअ् का स्मन पर क़ब्ज़ा करना ज़ाहिर न हो और मिक़दारे स्मन में इख़्तिलाफ़ हो उसकी दो सूरतें हैं बाइअ् ने स्मन पर क़ब्ज़ा करने का इक़रार किया है या नहीं अगर इक़रार नहीं किया है तो उसका हुक्म वही जो क़ब्ज़ा न करने की सूरत में है और अगर इक़रार कर लिया है और मुश्तरी ज़्यादा का दअ्वा करता है और जायदाद उसके क़ब्ज़े में है तो उसकी फिर दो सूरतें हैं पहले मिक़दारे स्मन का इक़रार किया फिर क़ब्ज़ा का या उसका अक्स है यानी पहले क़ब्ज़ा का इक़रार किया फिर मिक़दार का अगर पहली सूरत है मस्लन यूँ कहा कि उस मकान को मैंने हज़ार रुपये में बेचा और स्मन पर क़ब्ज़ा पा लिया शफ़ीअ् एक हज़ार में लेगा और मुश्तरी जो एक हज़ार से ज़्यादा स्मन बताता है उसका एअ्तिबार नहीं और अगर दूसरी सूरत है यानी पहले क़ब्ज़ा का इक़रार है फिर मिक़दारे स्मन का मस्लन यूँ कहा कि मकान मैंने बेच दिया और स्मन पर क़ब्ज़ा करलिया और स्मन एक हज़ार है तो उस सूरत में मुश्तरी की बात मोअ्तबर है।(हिदाया, एनाया)

मसअ्ला.30:– मुश्तरी यह कहता कि मैंने स्मने मुअज्जल(معجل) (फ़ौरन अदा करना) के एवज़ में ख़रीदा है यानी स्मन अभी वाजिबुल'अदा है और शफ़ीअ् कहता है कि स्मने मुअज्जल(مؤجل)(मुद्दत होना) के एवज़ में ख़रीदा है यानी फ़ौरन वाजिबुलअदा नहीं है उसके लिये कोई मीआद मुक़र्रर है तो मुश्तरी का क़ौल मोअ्तबर है।(आलमगीरी)

मसअ्ला.31:– मुश्तरी यह कहता है कि यह पूरा मकान मैंने दो अ़क्द के ज़रीआ से ख़रीदा है यानी पहले यह हिस्सा इतने में ख़रीदा उसके बाद यह हिस्सा इतने में ख़रीदा और शफ़ीअ् कहता है कि तुमने पूरा मकान एक अ़क्द से ख़रीदा है तो शफ़ीअ् का क़ौल मोअ्तबर है और अगर किसी के पास गवाह हों तो गवाह मक़बूल हैं और अगर दोनों गवाह पेश करें और गवाहों ने वक़्त नहीं बयान किया तो मुश्तरी के गवाह मोअ्तबर हैं।(आलमगीरी)

मसअ्ला.32:– एक शख़्स ने मकान ख़रीदा शफ़ीअ् ने शुफ़आ का दअ्वा किया और मुश्तरी ने उसका स्मन एक हज़ार बताया था शफ़ीअ् ने एक हज़ार देकर लेलिया फिर शफ़ीअ् को गवाह मिले जो कहते हैं उसने पाँचसौ में ख़रीदा था यह गवाह सुने जायेंगे और अगर मुश्तरी के कहने की शफ़ीअ् ने तस्दीक़ करली थी तो अब यह गवाह नहीं सुने जायेंगे।(आलमगीरी)

मसअ्ला.33:– बाइअ् व मुश्तरी उस पर मुत्तफ़िक़ हैं कि उस बैअ् में बाइअ को ख़ियारे शर्त है और शफ़ीअ् उससे इन्कार करता है तो उन्ही दोनों की बात मोअ्तबर है और शफ़ीअ् को शुफ़आ का हक़ हासिल नहीं और अगर बाइअ् शर्ते ख़ियार का मुद्दई है और मुश्तरी व शफ़ीअ् दोनों उससे इन्कार करते हैं तो मुश्तरी का क़ौल मोअ्तबर है और शफ़ीअ् को हक़्क़े शुफ़आ हासिल है और अगर मुश्तरी शर्ते ख़ियार का मुद्दई है और बाइअ् व शफ़ीअ् दोनों इन्कार करते हैं तो बाइअ् का क़ौल मोअ्तबर है और शुफ़आ होसकता है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.34:– जायदाद तीन शख़्सों की शिरकत में है उनमें से दो शख़्सों ने यह शहादत दी कि हम तीनों ने यह जायदाद फ़ुलाँ शख़्स के हाथ बैअ् करदी है और वह शख़्स भी कहता है कि मैंने ख़रीदली है मगर वह तीसरा शरीक बैअ् से इन्कार करता है उनकी गवाही शरीक के ख़िलाफ़ ना'मोअ्तबर है मगर शफ़ीअ् उन दोनों के हिस्सों को शुफ़आ के ज़रीआ से लेसकता है और अगर मुश्तरी ख़रीदने से इन्कार करता है और यह तीनों शुरका बैअ् की शहादत देते हैं तो उनकी यह गवाही भी बातिल है मगर शफ़ीअ् पूरी जायदाद को बज़रीआ शुफ़आ लेसकता है।(आलमगीरी)

मसअ्ला.35:– एक हज़ार में मकान ख़रीदा उस पर शुफ़आ का दअ्वा हुआ मुश्तरी यह कहता है कि उस मकान में मैंने यह जदीद तामीर की है और शफ़ीअ् मुन्किर है उसमें मुश्तरी का क़ौल मोअ्तबर है और दोनों ने गवाह पेश किये तो गवाह शफ़ीअ् ही के मोअ्तबर होंगे यूंही अगर ज़मीन ख़रीदी है और मुश्तरी यह कहता है कि मैंने उस में यह दरख़्त नसब किये हैं और शफ़ीअ् इन्कार करता है तो क़ौल मुश्तरी का मोअ्तबर है और गवाह शफ़ीअ् के मगर उन दोनों सूरतों में यह ज़रूर

है कि मुश्तरी का क़ौल ज़ाहिर के ख़िलाफ़ न हो मस्लन दरख़्तों की निस्बत कहता है मैंने कुल नसब किये हैं हालांकि मालूम होता है कि वह बहुत दिनों के हैं या इमारत को कहता है कि मैंने अब बनाई है और वह इमारत पुरानी मालूम होती है।(आलमगीरी)

मसअ्ला.36:– मुश्तरी कहता है मैंने सिर्फ़ ज़मीन ख़रीदी है उसके बाद बाइअ् ने यह इमारत मुझे हिबा करदी है या यह कि पहले उसने मुझे इमारत हिबा करदी थी उसके बाद मैंने ज़मीन ख़रीदी और शफ़ीअ् यह कहता है तुमने दोनों चीज़ें ख़रीदी हैं यहाँ मुश्तरी का क़ौल मोअ्तबर है शफ़ीअ् अगर चाहे तो उसको बज़रीआ शुफ़आ लेले जो मुश्तरी ने ख़रीदा है।(आलमगीरी)

मसअ्ला.37:– दो मकान ख़रीदे और एक शख़्स दोनों का जारे'मुलासिक़ है वह शुफ़आ करता है मुश्तरी यह कहता है कि मैंने दोनों आगे पीछे ख़रीदे हैं यानी दो अक़्दों में ख़रीदे हैं लिहाज़ा दूसरे मकान में तुम्हें शुफ़आ करने का हक़ नहीं शफ़ीअ् यह कहता है कि दोनों मकान तुमने एक अक़्द के ज़रीआ से ख़रीदे हैं और मुझे दोनों में शुफ़आ का हक़ है इस सूरत में मुश्तरी को यह साबित करना होगा कि दो अक़्दों के ज़रीआ ख़रीदा है वरना क़ौल शफ़ीअ् का मोअ्तबर होगा यूंही अगर मुश्तरी यह कहता है कि मैंने निस्फ़ मकान पहले ख़रीदा उसके बाद निस्फ़ ख़रीदा और शफ़ीअ् यह कहता है कि पूरा मकान एक अक़्द से ख़रीदा है तो शफ़ीअ् का क़ौल मोअ्बर है और अगर मुश्तरी यह कहता है कि पूरा मकान मैंने एक अक़्द से ख़रीदा है और शफ़ीअ् यह कहता है कि आधा–आधा करके दो मर्तबा में लिहाज़ा मैं सिर्फ़ निस्फ़ मकान पर शुफ़आ करता हूँ तो उसमें मुश्तरी का क़ौल मोअ्तबर है।(आलमगीरी)

मसअ्ला.38:– शफ़ीअ् यह कहता है कि मुश्तरी ने मकान का एक हिस्सा मुन्हदिम करदिया और मुश्तरी उससे इन्कार करता है तो मुश्तरी का क़ौल मोअ्तबर है और गवाह शफ़ीअ् के मोअ्तबर होंगे(आलमगीरी)

जायदाद कितने दामों में शफ़ीअ् को मिलेगी

यह बयान किया जा चुका कि मुश्तरी ने जिन दामों में जायदाद ख़रीदी है शफ़ीअ् को उतने ही में मिलेगी मगर बाज़ मर्तबा अक़्द के बाद स्मन में कमी बेशी करदी जाती है और बाज़ मर्तबा उस चीज़ में कमी बेशी होजाती है यहाँ यह बयान करना है कि उस कमी बेशी का अस्र शफ़ीअ् पर होगा या नहीं।

मसअ्ला.1:– अगर बाइअ् ने अक़्द के बाद स्मन में कुछ कमी करदी तो चूंकि यह कमी अस्ल अक़्द के साथ मुलहक़ (मिली हुई) होती है जिसका बयान किताबुल'बुयूअ् में गुज़र चुका है लिहाज़ा शफ़ीअ् के हक़ में भी उस कमी का एअ्तिबार होगा यानी उस कमी के बाद जो कुछ बाक़ी है उसके बदले में शफ़ीअ् उस जायदाद को लेगा और अगर बाइअ् ने पूरा स्मन साक़ित करदिया तो उसका एअ्तिबार नहीं यानी शफ़ीअ् को पूरा स्मन देना होगा।(हिदाया)

मसअ्ला.2:– बाइअ् ने पहले निस्फ़ स्मन कम कर दिया उसके बाद बक़िया निस्फ़ भी साक़ित करदिया तो शफ़ीअ् से निस्फ़ अव्वल साक़ित होगया और बाद में जो साक़ित किया है यह देना होगा(दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.3:– बाइअ् ने मुश्तरी को स्मन हिबा करदिया उसकी दो सूरतें हैं स्मन पर क़ब्ज़ा करने के बाद हिबा किया है तो उसका एअ्तिबार नहीं यानी शफ़ीअ् पूरा स्मन दे और क़ब्ज़ा से पहले स्मन का कुछ हिस्सा हिबा किया तो शफ़ीअ् से यह रक़म साक़ित होजायेगी।(दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.4:– बाइअ् ने एक शख़्स को बैअ् का वकील किया उस वकील ने अक़्द के बाद मुश्तरी से स्मन का कुछ हिस्सा कम करदिया अगर्चे यह कमी मुश्तरी के हक़ में मोअ्तबर है कि उससे यह हिस्सा कम होजायेगा मगर उस कमी का वकील ज़ामिन है यानी बाइअ् को पूरा स्मन यह देगा लिहाज़ा शफ़ीअ् के हक़ में उस कमी का एअ्तिबार नहीं। (रद्दुल'मुहतार)

मसअ्ला.5:– शफ़ीअ् को मालूम था कि एक हज़ार में मुश्तरी ने ख़रीदा है उसने हज़ार देदिये उस के बाद बाइअ् ने सौ रुपये की मुश्तरी से कमी करदी तो यह रक़म शफ़ीअ् से भी कम होजायेगी यानी शुफ़आ से पहले बाइअ् ने कम किया या बाद में दोनों का एक हुक्म है।(दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.6:– मुश्तरी ने अक़्द के बाद समन में इज़ाफ़ा किया यह ज़्यादती भी अस्ल अक़्द के साथ लाहिक़ होगी मगर शफ़ीअ् का हक़ पहले समन के साथ मुतअ़ल्लिक़ होचुका और शफ़ीअ् पर यह ज़्यादती लाज़िम करने में उसका ज़रर है लिहाज़ा उसका एअ्तिबार नहीं शफ़ीअ् को वह चीज़ पहले ही समन में मिलजायेगी।(हिदाया)

मसअ्ला.7:– मुश्तरी ने जायदाद को मिस्ली चीज़ के एवज़ में ख़रीदा है तो शफ़ीअ् उसकी मिस्ल देकर जायदाद को हासिल कर सकता है और क़ीमती चीज़ के एवज़ में ख़रीदा है तो उस चीज़ की बैअ् के वक़्त जो क़ीमत थी शफ़ीअ् को वह देनी होगी और अगर जायदादे ग़ैर मन्कूला को जायदादे ग़ैर मन्कूला के एवज़ में ख़रीदा है मस्लन अपने मकान के एवज़ में दूसरा मकान ख़रीदा और फ़र्ज़ करो दोनों मकान के दो शफ़ीअ् हों और दोनों ने ब'ज़रीआ शुफ़आ लेना चाहा तो उस मकान की क़ीमत के बदले में इस मकान को लेगा और इसकी क़ीमत के एवज़ में उसको लेगा।(हिदाया)

मसअ्ला.8:– अक़्दे बैअ् में समन की अदा के लिये कोई मीआ़द मुक़र्रर थी तो शफ़ीअ् को इख़्तियार है कि अभी समन देकर मकान लेले और चाहे तो मीआ़द पूरी होने का इन्तिज़ार करे जब मीआ़द पूरी हो उस वक़्त समन अदा करके चीज़ ले और यह नहीं कर सकता कि चीज़ तो अब ले और समन मीआ़द पूरी होने पर अदा करे मगर दूसरी सूरत में जो इन्तिज़ार करने के लिये किया गया उसका यह मतलब नहीं कि शुफ़आ तलब करने में इन्तिज़ार करे अगर तलबे शुफ़आ में देर करेगा तो शुफ़आ ही बातिल होजायेगा बल्कि शुफ़आ तो उसी वक़्त तलब करेगा और चीज़ उस वक़्त लेगा जब मीआ़द पूरी होगी और पहली सूरत में कि उसी वक़्त समन अदा करके ले अगर उसने वह समन बाइअ् को दिया तो मुश्तरी से बाइअ् का मुतालबा साक़ित होगया और अगर मुश्तरी को दिया तो मुश्तरी को इख़्तेयार है कि बाइअ् को उस वक़्त दे जब मीआ़द पूरी होजाये बाइअ् उससे अभी मुतालबा नहीं कर सकता हिदाया।(दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.9:– मुश्तरी ने जदीद तअ़्मीर की या ज़मीन में दरख़्त नसब करदिये और ब'ज़रीआ शुफ़आ यह जायदाद शफ़ीअ् को दिलाई गई तो वह मुश्तरी से यह कहे कि अपनी इमारत तोड़कर और दरख़्त काटकर लेजा और अगर इमारत तोड़ने और दरख़्त खोदने में ज़मीन ख़राब होने का अन्देशा हो तो इस इमारत को तोड़ने के बाद और दरख़्त काटने के बाद जो क़ीमत हो वह क़ीमत मुश्तरी को देदे और उन चीज़ों को ख़ुद लेल।(हिदाया, दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.10:– मुश्तरी ने उस ज़मीन में काश्त की और फ़स्ल तैयार होने से पहले शफ़ीअ् ने शुफ़आ करके लेली तो मुश्तरी को उसपर मजबूर नहीं किया जायेगा कि अपनी कच्ची खेती काटले बल्कि शुफ़अ् को फ़स्ल तैयार होने तक इन्तिज़ार करना होगा और उस ज़माने की उजरत भी मुश्तरी से नहीं दिलाई जायेगी। हाँ अगर ज़राअत से ज़मीन में कुछ नुक़सान पैदा होगया तो बक़द्र नुक़सान समन में से कम करके बक़िया समन शफ़ीअ् अदा करेगा।(आलमगीरी)

मसअ्ला.11:– मुश्तरी ने मकान में रोग़न करलिया या रंग कराया या सफ़ेदी कराई या पलास्तर कराया तो उन चीज़ों की वजह से मकान की क़ीमत में जो कुछ इज़ाफ़ा हुआ शफ़ीअ् को यह भी देना होगा और अगर न देना चाहे तो शुफ़आ छोड़दे।(दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.12:– एक शख़्स ने मकान ख़रीदा और उसे ख़ुद उसी मुश्तरी ने मुन्हदिम करदिया या किसी दूसरे शख़्स ने मुन्हदिम करदिया तो समन को ज़मीन और बनी हुई इमारत की क़ीमत पर तक़सीम करें। ज़मीन के मुक़ाबिल में समन का जितना हिस्सा आये वह देकर ज़मीन लेले और अगर वह इमारत ख़ुद मुन्हदिम होगई किसी ने गिराई नहीं तो समन को उस ज़मीन और उस मलबे पर तक़सीम करें जो हिस्सा ज़मीन के मुक़ाबिल में पड़े उसके एवज़ में ज़मीन को लेले और आग से वह मकान जल गया और कोई सामान बाक़ी न रहा या सैलाब सारी इमारत को बहा ले गया तो पूरे समन के एवज़ में शफ़ीअ् उस ज़मीन को ले सकता है।(आलमगीरी)

मसअ्ला.13:– मुश्तरी ने सिर्फ़ इमारत बेच दी और ज़मीन नहीं बेची है मगर इमारत अभी क़ाइम है तो शफ़ीअ् उस बैअ् को तोड़ सकता है और इमारत व ज़मीन दोनों को ब'ज़रीआ शुफ़आ ले सकता है।(आलमगीरी)

मसअ्ला.14:– मुश्तरी या किसी दूसरे ने इमारत मुन्हदिम करदी है या वह खुद गिरगई और मलबा मौजूद है शफ़ीअ् यह चाहता है कि शुफ़आ में उस सामान को भी लेले वह ऐसा नहीं कर सकता बल्कि सिर्फ़ ज़मीन को ले सकता है। यूंहीं अगर मुश्तरी ने मकान में से दरवाज़े निकलवाकर बेचडाले तो शफ़ीअ् उन दरवाज़ों को नहीं ले सकता बल्कि दरवाज़ों की क़ीमत की क़द्र ज़रे समन से कम करके मकान को शुफ़आ में ले सकता है।(आलमगीरी)

मसअ्ला.15:– मकान का कुछ हिस्सा दरिया बुर्द होगया (दरिया बहा ले गया) कि उस हिस्से में दरिया का पानी जारी है तो मा'बकिया (जो बचा) को हिस्सा समन के मुक़ाबिल में शफ़ीअ् ले सकता है(आलमगीरी)

मसअ्ला.16:– ज़मीन ख़रीदी जिसमें दरख़्त हैं और दरख़्तों में फल लगे हुए हैं और मुश्तरी ने फल भी अपने लिये शर्त कर लिये हैं और उस में शुफ़आ हुआ अगर फल अब भी मौजूद हैं तो शफ़ीअ् ज़मीन व दरख़्त और फल सब को लेगा और अगर फल टूट चुके हैं तो सिर्फ़ ज़मीन व दरख़्त लेगा और फलों की क़ीमत समन से कम करदी जायेगी और अगर ख़रीदने के बाद फल आये उसमें चन्द सूरतें हैं अभी तक दरख़्त बाइअ् ही के क़ब्ज़े में थे कि फल आगये तो शफ़ीअ् फलों को भी लेगा और फल तोड़ लिये हों तो उनकी क़ीमत की मिक़दार समन से कम की जायेगी और अगर मुश्तरी के क़ब्ज़ा करने के बाद फल आये और फल मौजूद हैं तो शफ़ीअ् फलों को भी लेगा और समन में इज़ाफ़ा नहीं किया जायेगा और अगर मुश्तरी ने तोड़कर बेचडाले या खालिये तो शफ़ीअ् को ज़मीन व दरख़्त मिलेंगे और समन में कुछ कमी नहीं की जायेगी। (हिदाया, दुर्रेमुख़्तार, आलमगीरी)

मसअ्ला.17:– बैअ् में फल मशरूत थे और आफ़ते समाविया (क़ुदरती आफ़त जैसे आंधी, तूफ़ान वग़ैरह) से फल जाते रहे तो उनके मुक़ाबिल में समन का हिस्सा साक़ित होजायेगा और अगर बाद में पैदा हुए और आफ़ते समाविया से जाते रहे तो समन में कुछ कमी नहीं की जायेगी। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.18:– शफ़ीअ् के लेने से पहले मुश्तरी ने जायदाद में तसर्रुफ़ात किये शफ़ीअ् उसके तमाम तसर्रुफ़ात को रद कर देगा मसलन मुश्तरी ने बैअ् करदी या हिबा करदी और क़ब्ज़ा भी देदिया या उसको सदक़ा करदिया बल्कि उसको मस्जिद करदिया और उसमें नमाज़ भी पढ़ली गई या उस को क़ब्रिस्तान बनाया और मुर्दा भी उसमें दफ़्न करदिया गया या और किसी क़िस्म का वक़्फ़ किया ग़र्ज़ किसी क़िस्म का तसर्रुफ़ किया हो शफ़ीअ् उन तमाम तसर्रुफ़ात को बातिल करके वह जायदाद ले लेगा।(दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.19:– शुफ़आ से पहले मुश्तरी ने जो कुछ तसर्रुफ़ किया है वह तसर्रुफ़ सहीह है मगर शफ़ीअ् उसको तोड़ देगा यह नहीं कहा जासकता है कि वह तसर्रुफ़ ही सहीह नहीं है लिहाज़ा उस जायदाद को अगर मुश्तरी ने किराया पर दिया तो यह किराया मुश्तरी के लिये हलाल है बल्कि अगर उसने बैअ् करडाली है तो समन भी मुश्तरी के लिये हलाल तैयिब है।(आलमगीरी)

मसअ्ला.20:– एक मकान का निस्फ़ हिस्सा ग़ैर मुअय्यन ख़रीदा ख़रीदने के बाद ब'ज़रीआ तक़सीम मुश्तरी ने अपना हिस्सा जुदा कर लिया यह तक़सीम आपस की रज़ा'मन्दी से हो या हुक्मे क़ाज़ी से बहर हाल शफ़ीअ् उसी हिस्से को लेसकता है जो मुश्तरी को मिला उस तक़सीम को तोड़कर जदीद तक़सीम नहीं कर सकता और अगर मकान में दो शख़्स शरीक थे एक ने अपना हिस्सा बैअ् करदिया और मुश्तरी ने दूसरे शरीक से तक़सीम कराई और अपना हिस्सा जुदा कर लिया उस सूरत में शफ़ीअ् उस तक़सीम को तोड़ सकता है।(आलमगीरी)

किस में शुफ़आ होता है और किस में नहीं

मसअ्ला.1:– शुफ़आ सिर्फ़ जायदादे ग़ैर मुन्कूला में हो सकता है जिसकी मिल्क माल के एवज़ में

हासिल हुई हो अगर्चे वह जायदाद क़ाबिले तक़सीम न हो जैसे चक्की का मकान और हम्माम और कुँआ और छोटी कोठरी कि यह चीज़ अगर्चे क़ाबिले तक़सीम नहीं हैं उनमें भी शुफ़आ हो सकता है। जायदादे मन्कूला में शुफ़आ नहीं हो सकता लिहाज़ा कश्ती और सिर्फ़ इमारत या सिर्फ़ दरख़्त किसी ने ख़रीदे उनमें शुफ़आ नहीं होसकता अगर्चे यह तै पाया हो कि इमारत और दरख़्त बरक़रार रहेंगे हाँ अगर इमारत या दरख़्त को ज़मीन के साथ फ़रोख़्त किया तो तब्अ़न उनमें भी शुफ़आ होगा।(दुर्रेमुख़्तार)

मसअला.2:– जायदादे ग़ैर मन्कूला को निकाह का महर क़रार दिया या औरत ने उसके एवज़ खुलअ़ कराया या किसी चीज़ की उजरत उसको क़रार दिया या दमे अ़मद (जान बूझकर क़त्ल का बदला) का उसे बदले सुलह क़रार दिया या विरासत में मिली या किसी ने बतौर सदक़ा देदी या हिबा की बशर्ते कि हिबा में एवज़ की शर्त न हो तो शुफ़आ नहीं हो सकता कि उन सब सूरतों में माल के एवज़ में मिल्क नहीं हासिल हुई।(दुर्रेमुख़्तार)

मसअला.3:– किसी शख़्स पर एक चीज़ का दअ़वा था उसने अपना मकान देकर मुद्दई से सुलह करली उस पर शुफ़आ हो सकता है अगर्चे सुलह इन्कार या सुकूत के बाद हो क्योंकि मुद्दई उस को अपने उस हक़ के एवज़ में लेना क़रार देता है और शुफ़आ का तअ़ल्लुक़ उसी मुद्दई से है लिहाज़ा मुद्दआ'अ़लैह के इन्कार का एअ़तिबार नहीं और अगर उसी मकान का दअ़वा था और मुद्दआ अ़लैह ने इक़रार के बाद कुछ देकर मुद्दई से सुलह करली तो शुफ़आ हो सकता है कि यह सुलह हक़ीक़तन उन दामों के एवज़ उस मकान को ख़रीदना है और अगर मुद्दआ'अ़लैह ने इन्कार या सुकूत के बाद सुलह की तो शुफ़आ नहीं हो सकता कि यह सुलह बैअ़ के हुक्म में नहीं है बल्कि कुछ देकर झगड़ा काटना है। (रद्दुल'मुहतार)

मसअला.4:– अगर बैअ़ में बाइअ़ ने अपने लिये ख़ियारे शर्त किया हो तो जब तक ख़ियार साक़ित न हो शुफ़आ नहीं हो सकता कि ख़ियार होते हुए मबीअ़ मिल्के बाइअ़ से ख़ारिज ही न हुई शुफ़आ क्योंकर हो और सहीह यह है कि शुफ़आ की तलब ख़ियारे साक़ित होने पर की जाये और अगर मुश्तरी ने अपने लिये ख़ियारे शर्त किया तो शुफ़आ हो सकता है क्योंकि मबीअ़ मिल्के बाइअ़ से ख़ारिज होगई और अन्दरुने मुद्दत ख़ियार शफ़ीअ़ ने ले लिया तो बैअ़ वाजिब होगई और शफ़ीअ़ के लिये ख़ियारे शर्त नहीं हासिल होगा। (हिदाया)

मसअला.5:– बैअ़ फ़ासिद में उस वक़्त शुफ़आ होगा जब बाइअ़ का हक़ मुन्क़तेअ़ होजाये यानी उसे वापस लेने का हक़ न रहे मसलन उस जायदाद में मुश्तरी ने कोई तसर्रुफ़ कर लिया नई इमारत बनाई अब शुफ़आ होसकता है और हिबा ब'शर्तिल'एवज़ में उस वक़्त शुफ़आ होसकता है जब तक़ाबुज़े बदलैन होजाये यानी उसने उसकी चीज़ और उसने उसकी चीज़ पर क़ब्ज़ा कर लिया और फ़क़त एक ने क़ब्ज़ा किया हो दूसरे ने क़ब्ज़ा नहीं किया हो तो शुफ़आ नहीं हो सकता और फ़र्ज़ करो एक ने ही क़ब्ज़ा किया और शफ़ीअ़ ने शुफ़आ की तस्लीम करदी तो दूसरे के क़ब्ज़े के बाद शुफ़आ कर सकता है कि वह पहली तस्लीम सहीह नहीं कि क़ब्ल अज़ वक़्त है।(दुर्रेमुख़्तार)

मसअला.6:– बैअ़ फ़ासिद के ज़रीआ से एक मकान ख़रीदा उसके बाद उस मकान के पहलू में दूसरा मकान फ़रोख़्त हुआ अगर वह मकाने अव्वल अभी तक बाइअ़ ही के क़ब्ज़े में है तो बाइअ़ शुफ़आ कर सकता है क्योंकि बैअ़ फ़ासिद से बाइअ़ की मिल्क ज़ाइल नहीं हुई और अगर मुश्तरी को क़ब्ज़ा देदिया है तो मुश्तरी शुफ़आ कर सकता है कि अब यह मालिक है और अगर बाइअ़ का क़ब्ज़ा था और उसने शुफ़आ का दअ़वा किया था और क़ब्ले फ़ैसला मुश्तरी को क़ब्ज़ा देदिया शुफ़आ बातिल होगया और फ़ैसले के बाद मुश्तरी के क़ब्ज़े में दिया तो जायदादे मश्फ़ूआ पर इस का कुछ असर नहीं और अगर मुश्तरी का क़ब्ज़ा था और मुश्तरी ने शुफ़आ का दअ़वा भी किया था और क़ब्ले फ़ैसला बाइअ़ ने मुश्तरी से वापस लेलिया तो मुश्तरी का दअ़वा बातिल होगया और बादे फ़ैसला बाइअ़ ने वापस लिया तो उसका कुछ असर नहीं यानी मुश्तरी उस मकान का मालिक है

जिस को बज़रीआ शुफ़आ हासिल किया।(हिदाया)

मसअला.7:– जायदाद फ़रोख़्त हुई और शफ़ीअ ने शुफ़आ से इन्कार करदिया फिर मुश्तरी ने ख़ियारे रुयत या ख़ियारे शर्त की वजह से वापस करदी या उसमें ऐब निकला और हुक्मे काज़ी से वापस हुई तो उस वापसी को बैअ क़रार देकर शफ़ीअ शुफ़आ नहीं कर सकता कि यह वापसी फ़स्ख़ है बैअ नहीं है और अगर ऐब की सूरत में बिग़ैर हुक्मे काज़ी बाइअ ने ख़ुद वापस लेली तो शुफ़आ हो सकता है कि हक़्क़े सालिस (तीसरे के हक़) में यह बैअ जदीद है यूंही अगर बैअ का इक़ाला हुआ तो शुफ़आ हो सकता है। (दुर्रेमुख़्तार)

शुफ़आ बातिल होने के वुजूह

मसअला.1:– तलबे मुवासबत या तलबे इश्हाद न करने से शुफ़आ बातिल होजाता है शुफ़आ की तस्लीम से भी बातिल होजाता है मसलन यह कहे कि उस मकान का शुफ़आ मैंने तस्लीम कर दिया। बाइअ के लिये तस्लीम करे या मुश्तरी या वकीले मुश्तरी के लिये क़ब्ज़ा–ए–मुश्तरी से क़ब्ल तस्लीम करे या बाद में हर सूरत में बातिल होजाता है अलबत्ता यह ज़रूर है कि बैअ के बाद तस्लीम हो और अगर बैअ से क़ब्ल तस्लीम पाई गई तो उससे शुफ़आ बातिल नहीं होगा यूंही अगर यह कहे कि मैंने शुफ़आ बातिल करदिया या साक़ित करदिया जब भी शुफ़आ बातिल होजायेगा नाबालिग़ के लिये हक़्क़े शुफ़आ था उसके बाप या वसी ने तस्लीम की शुफ़आ बातिल होगया(दुर्रेमुख़्तार)

मसअला.2:– तलबे शुफ़आ के लिये वकील किया था वकील ने क़ाज़ी के पास शुफ़आ की तस्लीम करदी या यह इक़रार किया कि मेरे मुवक्किल ने तस्लीम करदी है इससे भी शुफ़आ बातिल हो जायेगा और अगर यह तस्लीम या इक़रारे तस्लीम क़ाज़ी के पास न हो तो शुफ़आ बातिल नहीं होगा मगर यह वकील वकालत से ख़ारिज होजायेगा।(दुर्रेमुख़्तार)

मसअला.3:– जिस शख़्स के लिये तस्लीम का हक़ है उसका सुकूत भी शुफ़आ को बातिल कर देता है मसलन बाप या वसी का ख़ामोश रहना भी मुब्तिल (बातिल करने वाला) है।(दुर्रेमुख़्तार)

मसअला.4:– मुश्तरी ने शफ़ीअ को कुछ देकर मुसालहत करली कि शुफ़आ न करे यह सुलह भी बातिल है कि जो कुछ देना क़रार पाया है रिश्वत है और उस सुलह की वजह से शुफ़आ भी बातिल होगया यूंही अगर हक़्क़े शुफ़आ को माल के बदले में बैअ किया यह बैअ भी बातिल है और शुफ़आ भी बातिल होगया।(हिदाया)

मसअला.5:– शफ़ीअ ने मुश्तरी से यूँ मुसालहत की निस्फ़ मकान मुझे इतने में देदे यह सुलह सहीह है अगर यूँ मुसालहत की कि यह कमरा मुझे देदे उसके मुक़ाबिल में समन का जो हिस्सा है वह मैं दूँगा तो सुलह सहीह नहीं मगर शुफ़आ भी साक़ित न होगा।(दुर्रेमुख़्तार)

मसअला.6:– शफ़ीअ ने मुश्तरी से उस जायदाद का नर्ख़ चुकाया यह कहा कि मेरे हाथ बैअ तौलिया करो या इजारे पर लिया या मुश्तरी से कहा मेरे पास वदीअत रखदो या मेरे लिये वदीअत रखदो या मेरे लिये उसकी वसियत करदो या मुझे सदक़ा के तौर पर देदो इन सब सूरतों में शुफ़आ की तस्लीम है। (आलमगीरी)

मसअला.7:– हिबा ब'शर्तिल'एवज़ में बाद तक़ाबुज़े बदलैन (दोनों तरफ़ माल व क़ीमत पर क़ब्ज़ा हो जाने के बाद (अमीनुल क़ादरी)) शफ़ीअ ने शुफ़आ की तस्लीम की उसके बाद उन दोनों ने यह इक़रार किया कि हमने उस एवज़ के मुक़ाबिल में बैअ की थी अब शफ़ीअ को शुफ़आ का हक़ नहीं है और अगर हिबा बिग़ैर एवज़ में बादे तस्लीम शुफ़आ उन दोनों ने हिबा ब'शर्तिलएवज़ या बैअ का इक़रार किया तो शुफ़आ कर सकता है।(आलमगीरी)

मसअला.8:– शुफ़आ के फ़ैसले से पहले शफ़ीअ मरगया शुफ़आ बातिल होगया यानी उसमें मीरास नहीं होगी कि वह मरगया तो उसका वारिस उसके क़ाइम मक़ाम होकर शुफ़आ करे और फ़ैसले के बाद शफ़ीअ का इन्तिक़ाल हुआ तो शुफ़आ बातिल नहीं हुआ।(दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.9:– मुश्तरी या बाइअ् की मौत से शुफ़आ बातिल नहीं होता बल्कि शफ़ीअ् उनके वारिसों से मुतालबा करेगा कि यह उनके क़ाइम मक़ाम हैं और मुश्तरी के ज़िम्मे अगर दैन है तो उसकी अदा के लिये यह जायदाद नहीं बेची जायेगी। क़ाज़ी या वसी ने बैअ् करदी हो तो शफ़ीअ् उस बैअ् को बातिल कर देगा और अगर मुश्तरी ने यह वसियत की है कि फ़ुलाँ को दी जाये तो यह वसियत भी शफ़ीअ् बातिल कर देगा।(दुर्रेमुख़्तार, रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला.10:– जिस जायदाद के ज़रीआ से शुफ़आ करता है क़ब्ले फ़ैसला शफ़ीअ् ने वह जायदाद बैअ् करदी हक़्क़े शुफ़आ बातिल होगया अगर्चे उस जायदाद की बैअ् का उसे इल्म न था जिस पर शुफ़आ करता यूंही अगर उसको मस्जिद या मक़बरा कर दिया या किसी दूसरी तरह वक़्फ़ कर दिया अब शुफ़आ नहीं कर सकता और अगर उस जायदाद को बैअ् कर दिया मगर अपने लिये ख़ियारे शर्त रखा है तो जब तक ख़ियार साक़ित न हो शुफ़आ बातिल नहीं होगा।(हिदाया, दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.11:– शफ़ीअ् ने अपनी पूरी जायदाद नहीं फ़रोख़्त की है बल्कि आधी या तिहाई बेची अल ग़र्ज़ कुछ बाक़ी है तो शुफ़आ का हक़ ब'दस्तूर क़ाइम है।(आलमगीरी)

मसअ्ला.12:– शफ़ीअ् ने मुश्तरी से वह जायदाद ख़रीदली उस का शुफ़आ बातिल होगया दूसरा शख़्स जो उसकी बराबर का है यानी मसलन यह भी शरीक है वह भी शरीक है या उनसे कम दर्जा का है यानी यह शरीक है वह पड़ोसी है यह शुफ़आ कर सकता है और इख़्तियार है कि पहली बैअ् के लिहाज़ से शुफ़आ करे या दूसरी मबीअ् जो मुश्तरी व शफ़ीअ् के माबैन हुई है उस के लिहाज़ से शुफ़आ करे।(दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.13:– शफ़ीअ् ने ज़मान दर्क किया यानी मुश्तरी को अन्देशा था कि अगर उस जायदाद का कोई दूसरा मालिक निकल आया तो जायदाद हाथ से निकल जायेगी और बाइअ् से समन की वसूल की क्या सूरत होगी शफ़ीअ् ने ज़मानत करली शुफ़आ बातिल होगया।(दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.14:– बाइअ् ने शफ़ीअ् को बैअ् का वकील किया उसी वकील ने बैअ् की अब शुफ़आ नहीं कर सकता और मुश्तरी ने किसी को मकान ख़रीदने का वकील किया था उसने ख़रीदा तो उस ख़रीदने की वजह से शुफ़आ नहीं बातिल होगा यूंही अगर बाइअ् ने बैअ् में शफ़ीअ् के लिये ख़ियारे शर्त किया कि उसे इख़्तियार है बैअ् को नाफ़िज़ करे या न करे उसने नाफ़िज़ करदी हक़्क़े शुफ़आ बातिल होगया और अगर मुश्तरी ने ऐसे शख़्स के लिये ख़ियारे शर्त किया जो शुफ़आ करेगा उसने ख़ियार साक़ित करके बैअ् को नाफ़िज़ कर दिया हक़्क़े शुफ़आ नहीं बातिल होगा।(हिदाया)

मसअ्ला.15:– शफ़ीअ् को यह ख़बर मिली थी कि मकान एक हज़ार को फ़रोख़्त हुआ है उसने तस्लीमे शुफ़आ करदी बाद में मालूम हुआ कि हज़ार से कम में फ़रोख़्त हुआ है या हज़ार रुपये में नहीं फ़रोख़्त हुआ है बल्कि उतने मन गेहूँ या जौ के बदले में फ़रोख़्त हुआ है अगर्चे उनकी क़ीमत एक हज़ार बल्कि एक हज़ार से ज़्यादा हो तो तस्लीम सहीह नहीं बल्कि शुफ़आ कर सकता है और अगर बाद में यह मालूम हुआ कि हज़ार रुपये की अशर्फ़ियों के एवज़ में फ़रोख़्त हुआ है या ज़ुरूज़ के एवज़ में फ़रोख़्त हुआ जिनकी क़ीमत एक हज़ार है तो शुफ़आ नहीं कर सकता।(हिदाया)

मसअ्ला.16:– शफ़ीअ् को यह ख़बर मिली कि समन अज़ क़बीले मकील व मौज़ून (नापने वाली और तोलने वाली चीज़ से है) फ़ुलाँ चीज़ है और तस्लीमे शुफ़आ करदी बाद को मालूम हुआ कि मकील व मौज़ून की दूसरी जिन्स समन है तो शुफ़आ कर सकता है अगर्चे उसकी क़ीमत उससे कम या ज़्यादा हो।(आलमगीरी)

मसअ्ला.17:– यह ख़बर मिली थी कि मुश्तरी ज़ैद है उसने तस्लीम करदी बाद को मालूम हुआ कि दूसरा शख़्स है तो शुफ़आ कर सकता है अगर बाद को मालूम हुआ कि ज़ैद व अ़म्र दोनों मुश्तरी हैं तो ज़ैद के हिस्से में नहीं कर सकता अ़म्र के हिस्से में कर सकता है।(हिदाया)

मसअ्ला.18:– शफ़ीअ् को ख़बर मिली थी कि निस्फ़ मकान फ़रोख़्त हुआ है उसने तस्लीमे शुफ़आ

करदी बाद में मालूम हुआ कि पूरा मकान फ़रोख़्त हुआ तो शुफ़आ कर सकता है अगर पहले यह ख़बर थी कि कुल फ़रोख़्त हुआ उसने तस्लीम करदी बाद को मालूम हुआ कि निस्फ़ फ़रोख़्त हुआ तो शुफ़आ नहीं कर सकता।(दुर्रेमुख़्तार) यह उस सूरत में है कि कुल का जो समन था उतने ही में निस्फ़ का फ़रोख़्त होना मालूम हुआ अगर यह सूरत न हो बल्कि निस्फ़ का समन कुल के समन का निस्फ़ है तो शुफ़आ कर सकता है मसलन पहले यह ख़बर मिली थी कि पूरा मकान एक हज़ार में फ़रोख़्त हुआ और अब यह मालूम हुआ कि निस्फ़ मकान पाँच सौ में फ़रोख़्त हुआ तो शुफ़आ हो सकता है पहले की तस्लीम मानेअ् (रोकने वाली) नहीं है।(आलमगीरी)

मसअ्ला.19:– शफ़ीअ् ने यह दअ्वा किया कि यह मकान जो फ़रोख़्त हुआ है मेरा ही है बाइअ् का नहीं है शुफ़आ नहीं कर सकता यानी शुफ़आ बातिल होगया और अगर पहले शुफ़आ का दअ्वा किया और अब कहता है कि मेरा ही मकान है यह दअ्वा ना'मक़बूल है(ख़ानिया) और अगर यूंही कहा कि यह मकान मेरा है और मैं उसका शफ़ीअ् हूँ अगर मालिक होने की हैसियत से मिला तो मिला वरना शुफ़आ से लूँगा इसतरह कहने से न शुफ़आ बातिल हुआ न दअ्वाए मिल्क बातिल(दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.20:– जिस जानिब शफ़ीअ् का मकान या ज़मीन है उस जानिब एक किनारे से दूसरे किनारे तक एक हाथ छोड़कर बाक़ी मकान बेच डाला यानी जायदादे मबीआ और जायदादे शफ़ीअ् में फ़ासिला होगया अब शुफ़आ नहीं कर सकता कि दोनों में इत्तिसाल (मिला होना) ही न रहा। यूंही अगर एक हाथ की क़द्र यहाँ से वहाँ तक मुश्तरी को हिबा करदिया और क़ब्ज़ा भी देदिया उसके बाद बाक़ी जायदाद को फ़रोख़्त किया तो शुफ़आ नहीं कर सकता।(हिदाया)

मसअ्ला.21:– मकान के सौ सिहाम(हिस्सों)में से एक सिहम(हिस्सा)पहले ख़रीद लिया बाक़ी सिहाम को बाद में ख़रीदा तो पड़ोसी का शुफ़आ सिर्फ़ पहले सिहम में हो सकता है कि बाद में जो कुछ ख़रीदा है उसमें खुद मुश्तरी शरीक है मुश्तरी उन तर्कीबों से शुफ़आ का हक़ बातिल कर सकता है(हिदाया)

मसअ्ला.22:– शुफ़आ साबित होजाने के बाद उस के इस्क़ात का हीला करना बिल'इत्तिफ़ाक़ मकरूह है मसलन मुश्तरी शफ़ीअ् से यह कहे कि तुम शुफ़आ करके क्या करोगे अगर तुम उसे लेना ही चाहते हो तो जितने में मैंने लिया है उतने में तुम्हारे हाथ फ़रोख़्त करूँगा शफ़ीअ् ने कह दिया हाँ या कहा मैं ख़रीद लूँगा शुफ़आ बातिल होगया या उस से किसी माल पर मुश्तरी ने मुसालहत करली शुफ़आ भी बातिल होगया और माल भी नहीं देना पड़ा।(निहाया वग़ैरहा)

मसअ्ला.23:– ऐसी तर्कीब करना कि शुफ़आ का हक़ ही न पैदा होने पाये इमाम मुहम्मद रहमतुल्लाहि तआला अलैह के नज़्दीक मकरूह है और इमाम अबू यूसुफ़ रहमतुल्लाहि तआला अलैह फ़रमाते हैं कि उसमें कराहत नहीं क़ौले इमाम अबूयूसुफ़ रहिम'हुल्लाहु तआला पर फ़तवा दिया जाता है।(दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.24:– ना'बालिग़ बच्चे को भी हक़्क़े शुफ़आ हासिल होता है बल्कि जो बच्चा अभी पेट में है उसको भी यह हक़ हासिल है जब कि जायदाद की ख़रीदारी से छः माह के अन्दर पैदा होगया हो और अगर शिकम में बच्चा है और उसका बाप मरगया और यह जायदाद का वारिस् हुआ और उसके बाप के मरने के बाद जायदाद फ़रोख़्त हुई तो अगर्चे वक़्ते ख़रीदारी से छः माह के बाद पैदा हुआ हो शुफ़आ का भी उसे हक़ मिलेगा।(आलमगीरी)

मसअ्ला.25:– ना'बालिग़ के लिये जब हक़्क़े शुफ़आ है तो उसका बाप या बाप का वसी यह न हो तो दादा फिर उसके बाद उसका वसी यह भी न हो तो क़ाज़ी ने जिसको वसी मुक़र्रर किया हो वह शुफ़आ को तलब करेगा और उनमें से कोई न हो तो यह खुद बालिग़ होकर मुतालबा करेगा और अगर उनमें से कोई हो मगर उसने क़स्दन तलब न किया तो शुफ़आ का हक़ जाता रहा।(आलमगीरी)

मसअ्ला.26:– बाप ने एक मकान ख़रीदा और उसका ना'बालिग़ लड़का शफ़ीअ् है और बाप ने ना'बालिग़ की तरफ़ से तलबे शुफ़आ नहीं की शुफ़आ बातिल होगया कि ख़रीदना तलबे शुफ़आ के मुनाफ़ी न था और अगर बाप ने मकान बेचा और ना'बालिग़ लड़का शफ़ीअ् है और बाप ने तलब न

की शुफ़आ बात़िल न हुआ कि बैअ़ करना त़लबे शुफ़आ के मनाफ़ी था और इस सूरत में वह लड़का बा'दे बुलूग़ शुफ़आ त़लब कर सकता है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.27:– बाप ने मकान ग़बने फ़ाह़िश के साथ ख़रीदा था इस वजह से ना'बालिग़ के लिये शुफ़आ त़लब नहीं किया कि उसके माल से नुक़सान के साथ उसे लेने का ह़क़ न था उस सूरत में ह़क़्क़े शुफ़आ बात़िल नहीं है वह लड़का बालिग़ होकर शुफ़आ कर सकता है।(आलमगीरी)

तक़सीम का बयान

तक़सीम का जवाज़ क़ुर्आन व ह़दीस व इजमाअ़ से स़ाबित।

क़ुर्आन मजीद में फ़रमाया

﴿وَ نَبِّئْهُمْ اَنَّ الْمَآءَ قِسْمَةٌۢ بَیْنَهُمْ﴾

"और उन्हें ख़बर देदो कि पानी की उन के मा'बैन तक़सीम है"

और दूसरे मक़ाम पर फ़रमाया

﴿وَاِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ اُولُوا الْقُرْبٰی﴾

"जब तक़सीम के वक़्त रिश्ता वाले आ जायें"

और अह़ादीस इस बारे में बहुत हैं कि नबी करीम स़ल्लल्लाहु तआला अ़लैहि वसल्लम ने ग़नीमतों और मीरास़ों की तक़सीम फ़रमाई और उसके जवाज़ पर इजमाअ़ भी मुन्अ़क़िद है।

मसअ्ला.1:– शिरकत की सूरत में हर एक शरीक की मिल्क दूसरे की मिल्क से मुमताज़ नहीं होती और हर एक किसी मख़्सूस ह़िस़्से से नफ़अ़ पर क़ादिर नहीं होता उन ह़िस़्सों को जुदा कर देने का नाम तक़सीम है जब शुरका में से कोई शख़्स तक़सीम की दरख़्वास्त करे तो क़ाज़ी पर लाज़िम है कि उसकी दरख़्वास्त क़बूल करे और तक़सीम करदे। (आलमगीरी, रद्दुलमुह़तार)

मसअ्ला.2:– क़ाज़ी को उसकी दरख़्वास्त क़बूल करना उस वक़्त ज़रूरी है कि तक़सीम से उस चीज़ की मन्फ़अ़त फ़ौत न हो या'नी वह चीज़ जिस काम के लिये उ़र्फ़ में है वह काम तक़सीम के बा'द भी उस से लिया जा सके और अगर तक़सीम से मन्फ़अ़त जा'ती रहे मस़लन ह़म्माम को अगर तक़सीम कर दिया जाये तो ह़म्माम न रहेगा अगर्चे उस में दूसरे काम हो सकते हों लिहाज़ा उस की तक़सीम से मन्फ़अ़त फ़ौत होती है यह तक़सीम क़ाज़ी के ज़िम्मे लाज़िम नहीं जिस चीज़ में तक़सीम से मन्फ़अ़त फ़ौत हो उसकी तक़सीम उस वक़्त की जायेगी जब तमाम शुरका तक़सीम पर राज़ी हों।(दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमुह़तार)

मसअ्ला.3:– तक़सीम में अगर्चे एक शरीक का ह़िस़्सा दूसरे शुरका के ह़िस़्सों से जुदा करना है मगर उस में मुबादला का पहलू भी पाया जाता है क्योंकि शिरकत की सूरत में हर जुज़ में हर एक शरीक की मिल्क है और तक़सीम से यह हुआ कि उसके ह़िस़्से में जो उसकी मिल्क थी उसके एवज़ में उस ह़िस़्से में जो उस की मिल्क थी ह़ास़िल करली। मिस़्ली चीज़ों में जुदा करने का पहलू ग़ालिब है और क़ियमी में मुबादला का पहलू ग़ालिब।(दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.4:– मकील (नाप से बिकने वाली चीज़ें) व मौज़ून (वज़न से बिकने वाली चीज़ें) और दीगर मिस़्ली चीज़ों में तक़सीम के बा'द एक शरीक अपना ह़िस़्सा दूसरे की अ़दमे मौजूदगी (मौजूद न होने) में ले सकता है और क़ियमी चीज़ों में चूंकि मुबादला का पहलू ग़ालिब है तक़सीम के बा'द एक शरीक दूसरे की अ़दमे मौजूदगी में नहीं ले सकता।(हिदाया)

मसअ्ला.5:– दो शख़्सों ने चीज़ ख़रीदी फिर उसको बाहम तक़सीम कर लिया अब एक शख़्स अपना ह़िस़्सा मुराबह़ा के त़ौर पर बैअ़ करना चाहता है यह नहीं कर सकता।(हिदाया)

मसअ्ला.6:– मकील या मौज़ून दो शख़्सों में मुश्तरक है उनमें एक मौजूद है दूसरा ग़ाइब है या एक बालिग़ है दूसरा ना'बालिग़ है तक़सीम के बा'द उस मौजूद या बालिग़ ने अपना ह़िस़्सा ले लिया यह तक़सीम उस वक़्त स़ह़ीह़ है कि दूसरे शरीक या'नी ग़ाइब या ना'बालिग़ को इस का

हिस्सा पहुँच जाये और अगर उनको हिस्सा न मिला फ़र्ज़ करो कि हलाक होगया तो तक़सीम बाक़ी नहीं रहेगी टूट जायेगी यानी जो शख़्स हिस्सा ले चुका है उस हिस्से को उन दोनों के मा'बैन फिर तक़सीम किया जायेगा।(दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.7:– ग़ैर मिस्ली चीज़ें अगर एक ही जिन्स की हों और एक शरीक ने तक़सीम का मुतालबा किया तो दूसरा शरीक तक़सीम पर मजबूर किया जायेगा यह नहीं ख़्याल किया जायेगा कि यह मुबादला है उस में रज़ा'मन्दी ज़रूरी है अलबत्ता शिरकत की लौन्डी गुलाम में जब्रियाह तक़सीम नहीं है।(हिदाया, दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.8:– बेहतर यह है कि तक़सीम के लिये कोई शख़्स हुकूमत की जानिब से मुक़र्रर कर दिया जाये जिसको बैतुल'माल से वज़ीफ़ा दिया जाये और अगर बैतुल'माल से वज़ीफ़ा न दिया जाये बल्कि उस की मुनासिब उजरत शुरका के ज़िम्मे डालदी जाये यह भी जाइज़ है।(हिदाया)

मसअ्ला.9:– बांटने वाले की उजरत तमाम शुरका पर बराबर बराबर डाली जाये उनके हिस्सों के कम ज़्यादा होने का एअ्तिबार न होगा एक शख़्स की एक तिहाई है दूसरे की दो तिहाईयाँ दोनों के ज़िम्मे उजरत तक़सीम यकसां होगी कोई फ़र्क़ नहीं किया जायेगा। दूसरे मवाक़ेअ् पर मुश्तरक चीज़ में काम करने वाले की उजरत हर एक शरीक पर बक़द्र हिस्सा है मस्लन मुश्तरक ग़ल्ला के नापने या किसी चीज़ के तोलने की उजरत या मुश्तरक दीवार बनाने या उसमें कहगुल (भुस मिली हुई मिट्टी का पलास्तर) करने की उजरत या मुश्तरक नहर खोदने या उसमें से मिट्टी निकालने की उजरत सब शुरका के ज़िम्मे बराबर नहीं बल्कि हर एक का जितना हिस्सा है उसी मुनासिबत से सब को उजरत देनी होगी।(दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.10:– तक़सीम करने के लिये ऐसा शख़्स मुक़र्रर किया जाये जो आ़दिल हो अमीन हो और तक़सीम करना जानता हो बद दियानत या अनाड़ी को यह काम न सिपुर्द किया जाये।(हिदाया)

मसअ्ला.11:– एक ही शख़्स उस काम के लिये मुअ़य्यन न किया जाये यानी लोगों को उस पर मजबूर न किया जाये कि उसी से तक़सीम करायें कि उस सूरत में वह जो चाहेगा उजरत ले लिया करेगा और वाजिबी उजरत से ज़्यादा लोगों से वसूल कर लिया करेगा और ऐसा भी मौक़ा न दिया जाये कि तक़सीम कुनन्दगान बाहम शिरकत करलें कि जो कुछ उस तक़सीम के ज़रीआ़ से हासिल करेंगे सब बांट लेंगे कि उस में भी वही अन्देशा है कि इत्तिफ़ाक़ करके यह लोग उजरत में इज़ाफ़ा कर देंगे।(हिदाया, दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.12:– शुरका ने बाहम रज़ा'मन्दी के साथ ख़ुद ही तक़सीम करली यह तक़सीम सहीह व लाज़िम है हाँ अगर उनमें कोई ना'बालिग़ या मजनून है जिसका कोई क़ाइम मक़ाम न हो या कोई शरीक ग़ाइब है और उसका कोई वकील भी नहीं है जिसकी मौजूदगी में तक़सीम हो तो यह उस वक़्त लाज़िम होगी कि क़ाज़ी उसे जाइज़ करदे या वह ग़ाइब हाज़िर होकर या ना'बालिग़, बालिग़ होकर या उसका वली उस तक़सीम को जाइज़ करदे यह तमाम अहकाम उस वक़्त हैं कि मीरास् में उनकी शिरकत हो।(दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.13:– जायदादे मन्कूला में चन्द अशख़ास शरीक हैं वह कहते हैं हमको यह जायदाद विरासत में मिली है या मिल्के मुतलक़ का दअ्वा करते हैं या कहते हैं हमने ख़रीदी है या और किसी सबब से सब अपनी मिल्क व शिरकत का दअ्वा करते हैं यह लोग तक़सीम कराना चाहते हैं महज़ उनके कहने पर तक़सीम करदी जायेगी उनसे ख़रीदारी वग़ैरा के गवाह का मुतालबा नहीं होगा यूंहीं जायदादे ग़ैर'मन्कूला के मुतअ़ल्लिक़ अगर यह लोग ख़रीदना बताते हैं या मिल्के मुतलक़ का दअ्वा करते हैं तो उसे भी तक़सीम कर दिया जायेगा।(दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.14:– जायदादे ग़ैर मन्कूला के मुतअ़ल्लिक़ यह कहते हैं कि यह हम को विरासत में मिली है तो तक़सीम उस वक़्त की जायेगी जब लोग यह साबित करदें कि मूरिस् मरगया और उसके वुरसा हम ही हैं हमारे सिवा कोई दूसरा वारिस् नहीं है यूंहीं अगर किसी जायदादे ग़ैर'मन्कूला की निस्बत चन्द शख़्स यह कहते हैं कि हमारे क़ब्ज़े में है और तक़सीम कराना चाहते हैं तो तक़सीम

नहीं की जायेगी जब तक यह साबित न करदें कि वह जायदाद उन्हीं की है क्योंकि हो सकता है कि उनके कब्ज़े में होना बतौर आरियत व इजारा हो।(दुर्रेमुख़्तार)

मसअला.15:– शुरका ने मूरिस् की मौत और वुरसा की तअदाद को साबित कर दिया मगर उन वारिसों में कोई ना'बालिग भी है या कोई वारिस् मौजूद नहीं है गाइब है तो किसी शख़्स को उस ना'बालिग या गाइब के काइम मकाम किया जायेगा जो ना'बालिग के लिये वसी और गाइब की तरफ से वकील होगा उस की मौजूदगी में तकसीम होगी।(दुर्रेमुख़्तार)

मसअला.16:– एक वारिस् तन्हा हाजिर होता है और मौते मूरिस को साबित करना चाहता है तो उसके कहने पर तकसीम नहीं हो सकती जब तक कम अज़ कम दो शख़्स न हों अगर्चे उनमें एक ना'बालिग हो या मूसा'लहू हो।(दुर्रेमुख़्तार)

मसअला.17:– चन्द अश्ख़ास ने शिरकत में कोई चीज खरीदी है या मीरास् के सिवा किसी दूसरे तरीका से चीजों में शिरकत है और उन शुरका में से बाज गाइब हैं तो जब तक यह हाजिर न हों तकसीम नहीं हो सकती।(दुर्रेमुख़्तार)

मसअला.18:– एक वारिस् गाइब है और जायदादे मन्कूला कुल या उस का जुज़ उसी गाइब के कब्ज़े में है तो जो वुरसा हाजिर हैं वह तक़सीम नहीं करा सकते यूंही अगर वारिस् ना'बालिग के कब्ज़े में जायदादे गैर'मन्कूला कुल या जुज है तो बिल'ग़ैन के मुतालबा पर तक़सीम नहीं हो सकती। (हिदाया)

क्या चीज़ तक़सीम की जायेगी और क्या नही

मसअला.1:– मुश्तरक चीज़ अगर ऐसी है कि तकसीम के बाद हर एक शरीक को जो कुछ हिस्सा मिलेगा वह काबिले इन्तिफाअ् (फ़ायदे के लायक) होगा तो एक शरीक की तलब पर तक़सीम करदी जायेगी और अगर बादे तक़सीम बाज़ शरीक को इतनी कलील मिलेगी कि नफ़अ् के काबिल न होगी और तकसीम वह शख़्स चाहता है जिस का हिस्सा ज्यादा है तो तकसीम करदी जायेगी और जिसका हिस्सा इतना कम है कि बाद तक़सीम काबिले नफअ् नहीं रहेगा उसकी तलब पर तकसीम नहीं होगी।(हिदाया)

मसअला.2:– तकसीम के बाद हर शरीक को इतना ही हिस्सा मिलेगा जो काबिले नफअ् नहीं तो जब तक सब शुरका राज़ी न हों एक के चाहने से तक़सीम नहीं होगी मस्लन दुकान दो शख़्सों की शिरकत में है अगर्चे तक़सीम के बाद हर एक को दुकान का इतना हिस्सा मिलता है कि जो काम उस में कर रहा था अब भी कर सकेगा तो हर एक के कहने से तकसीम करदी जायेगी और इतना हिस्सा न मिले तो तक़सीम नहीं होगी जब तक दोनों राजी न हों।(हिदाया, दुर्रेमुख़्तार)

मसअला.3:– एक ही जिन्स की चीज़ हो या चन्द तरह की चीजें हों मगर हर एक में तक़सीम करनी हो यानी मस्लन सिर्फ गेहूँ या सिर्फ़ जौ हो या दोनों हों मगर दोनों में तकसीम करनी हो तो एक के कहने से क़ाजी तक़सीम कर देगा और अगर दो किस्म की चीजें हों मगर दोनों में तक़सीम जारी न करनी हो बल्कि एक को एक चीज देदी जाये और दूसरे को दूसरी इस तरह की तक़सीम बिगैर हर एक की रज़ा'मन्दी के नहीं हो सकती।(दुर्रेमुख़्तार वगैरा)

मसअला.4:– जवाहिर की तक़सीम बिगैर रज़ा'मन्दीए शुरका नहीं हो सकती क्योंकि उनमें बहुत ज़्यादा तफ़ावुत(फ़र्क)होता है यूंही हम्माम और कुँआ और चक्की कि उन की जब्रिया(गैर रजामन्दी)तकसीम नहीं होसकती कि तक़सीम के बाद वह चीज़ क़ाबिले इन्तिफाअ्(फायदे के लायक)न रहेगी और हम्माम अगर बड़ा है कि बादे तक़सीम हर एक को जो कुछ हिस्सा मिलेगा वह काम के काबिल रहेगा तो तक़सीम करदिया जायेगा और अगर रज़ा'मन्दी के साथ हम्माम को तक़सीम करना चाहते हैं तो तक़सीम होसकती है अगर्चे तक़सीम के बाद हर एक का हिस्सा हम्माम न रहे क्योंकि हो सकता है कि उन शुर्का का मकसूद ही यह है कि उसे हम्माम न रखें बल्कि किसी दूसरे काम में लायें(दुर्रेमुख़्तार)

मसअला.5:– चौखट, किवाड़ और जानवर और मोती और बांस और कमान और चिराग़ यह चीजें अगर एक एक हों तो उनकी तक़सीम नहीं होगी कि तक़सीम से यह चीजें ख़राब होजायेंगी उसी

तरह हर वह चीज़ जिसकी तक़सीम में तोड़ने या फाड़ने की ज़रूरत हो तक़सीम नहीं होगी।(आलमगीरी)

मसअ्ला.6:– कुँआ या चश्मा या नहर मुश्तरक हो शुर्का तक़सीम चाहते हों अगर इस के साथ ज़मीन नहीं है तो तक़सीम नहीं की जायेगी और अगर ज़मीन भी है तो ज़मीन की तक़सीम कर दी जाये और वह चीज़ें मुश्तरक रहें।(आलमगीरी)

मसअ्ला.7:– किताबों को वुरसा के मा'बैन तक़सीम नहीं करेंगे कि उनमें बहुत ज़्यादा तफ़ावुत होता है बल्कि हर एक शरीक मुहायात यानी बारी मुक़र्रर करके उनसे नफ़अ् हासिल कर सकता है और अगर रज़ा'मन्दी के तौर पर तक़सीम करना चाहते हैं तो कर सकते हैं मगर वह लोग अगर यह चाहते हैं कि किताबों को वर्क़ वर्क़ करके तक़सीम कर दिया जाये यानी हर एक शरीक को उसके औराक़ देदिये जायें यह नहीं किया जा सकता अगर्चे वह सब इस पर राज़ी भी हों यूंही अगर एक किताब की कई जिल्दें हों यानी सब जिल्दें मिलकर वह किताब पूरी होती हो और उन जिल्दों को तक़सीम करना चाहते हों तक़सीम नहीं की जायेगी अगर्चे वह सब रज़ा'मन्द हों। वुरसा अगर यह कहें कि किताबों की क़ीमतें लगाकर क़ीमत के लिहाज़ से शुरका पर किताबें तक़सीम करदी जायें अगर सब इस तरह तक़सीम पर राज़ी हों तक़सीम करदी जायेगी।(दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.8:– दो मकानों के मा'बैन एक दीवारे मुश्तरक है उसकी तक़सीम बिगैर दोनों की रज़ा'मन्दी के नहीं हो सकती और रज़ा'मन्द हों तो तक़सीम करदी जायेगी यानी जब कि दीवार ब'दस्तूर बाक़ी रखते हुए दोनों अपने अपने हिस्से से नफ़अ् उठा सकें और अगर यह चाहें कि दीवार को मुन्हदिम कर के बुनियाद को तक़सीम कर दिया जाये तो अगर्चे दोनों रज़ा'मन्द हों इस तरह तक़सीम नहीं की जायेगी हाँ अगर वह खुद दीवार को गिराकर ख़ुद ही तक़सीम करना चाहते हैं तो क़ाज़ी उन्हें मनअ् भी न करेगा।(आलमगीरी)

मसअ्ला.9:– एक शख़्स की ज़मीन में दो शख़्सों ने मालिक ज़मीन की इजाज़त से दीवार बनाई और यह दोनों दीवार को तक़सीम करना चाहते हैं उनकी रज़ा'मन्दी से मालिक ज़मीन की अ़दम मौजूदगी में भी दीवार की तक़सीम होसकती है और अगर मालिक ज़मीन ने उन दोनों से कह दिया कि मेरी ज़मीन ख़ाली करदो तो दीवार मुन्हदिम करनी होगी और मलबा अगर क़ाबिले तक़सीम है तो तक़सीम कर दिया जायेगा।(आलमगीरी)

मसअ्ला.10:– एक शरीक यह चाहता है कि उस मुश्तरक चीज़ को बैअ् कर दिया जाये और दूसरा इन्कार करता है उसको बैअ् करने पर मजबूर नहीं किया जा सकता।(दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.11:– दुकाने मुश्तरक क़ाबिले तक़सीम न हो एक शरीक यह कहता है कि न उसे किराये पर दूँगा न बारी मुक़र्रर करके उससे नफ़अ् हासिल करूँगा यहाँ बारी मुक़र्रर करदी जायेगी और उससे यह कह दिया जायेगा कि तुम को इख़्तियार है अपनी बारी में दुकान को बन्द रखो या किसी काम में लाओ।(दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.12:– ज़राअ़त मुश्तरक है अगर दाने पड़ चुके हैं मगर अभी काटने के क़ाबिल नहीं है उस की तक़सीम नहीं होसकती जब तक खेत कट न जाये अगर्चे सब शुरका राज़ी हों। अगर खेती बिल्कुल कच्ची है यानी दाने पैदा नहीं हुए हैं और शुरका तक़सीम पर राज़ी हों तो तक़सीम हो सकती है मगर इस शर्त से कि तक़सीम के बाद हर एक अपना हिस्सा काट ले यह नहीं कि पकने तक खेत ही में छोड़ रखे।(आलमगीरी)

मसअ्ला.13:– कपड़े का थान अपनी रज़ा'मन्दी से फाड़कर तक़सीम कर सकते हैं उसमें जबरी तक़सीम नहीं हो सकती सिला हुआ कपड़ा मसलन कुर्ता या अचकन उसकी तक़सीम नहीं हो सकती दो कपड़े मुख़्तलिफ़ क़ीमत के हों उनकी भी जबरी तक़सीम नहीं होसकती इस लिये कि जो कम दर्जा का है उसके साथ रुपया शामिल करना होगा ताकि दोनों जानिब बराबरी होजाये और यह बात बिगैर दोनों की रज़ा'मन्दी के हो नहीं सकती और जब दोनों राज़ी हों तो तक़सीम कर दी जायेगी। (आलमगीरी)

मसअ्ला.14:– एक ही धात के मुख़्तलिफ किस्म के बर्तन मसलन देगची, लोटा, कटोरा, तश्त उन को बिग़ैर रज़ा मन्दी शुरका तकसीम नहीं किया जायेगा यूंही सोने या चाँदी या पीतल या और किसी धात के ज़ेवर बिग़ैर रज़ा मन्दी तकसीम नहीं होंगे अगर्चे सब ज़ेवर एक ही धात के हों और सोना चाँदी वगैरहा धातें अगर उनकी कोई चीज़ बनी हुई न हो तो उनकी तक़सीम में तमाम शुरका की रज़ा मन्दी दरकार नहीं।(आलमगीरी)

मसअ्ला.15:– चन्द मकानात मुश्तरक हों तो हर एक को जुदा तकसीम किया जायेगा यह नहीं किया जायेगा कि तमाम मकानात को एक चीज़ फर्ज करके तकसीम करें कि एक को एक मकान दे दिया जाये दूसरे को दूसरा। यह सब मकानात एक ही शहर में हों या मुख़्तलिफ़ शहरों में दोनों का एक हुक्म है। यूंही अगर चन्द क़त्आते ज़मीन मुश्तरक हों तो हर क़त्आ की तक़सीम जुदा न होगी। यूंही अगर मकान व दुकान व ज़मीन सब चीज़ें हों तो हर एक को अलाहिदा तक़सीम किया जाये।(हिदाया, दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.16:– मुश्तरक नाली या परनाला है एक तक़सीम चाहता है दूसरा इन्कार करता है अगर उसके मकान में ऐसी जगह है कि बिग़ैर ज़रर नाली या परनाला होसकता है तो तक़सीम कर दें वरना नहीं।(आलमगीरी)

तरीक़ा–ए–तक़सीम

मसअ्ला.1:– तक़सीम करने वाले को यह चाहिए कि हर शरीक के सिहाम (हिस्से) जितने हों उन्हें पहले लिख ले और ज़मीन की पैमाइश करके हर शरीक के सिहाम के मुक़ाबिल में जितनी ज़मीन पड़े सहीह तौर पर काइम करले और हर हिस्से के लिए रास्ता वग़ैरा अलाहिदा क़ाइम करदे ताकि आइन्दा झगडे का एहतिमाल न रहे और उन हिस्सों पर एक दो तीन वग़ैरा नम्बर डालदे और जमीअ् शुरका (तमाम शरीकों) के नाम लिख कर कुरआ अन्दाज़ी करे जिसका नाम पहले निकले उसे पहला नम्बर जिसका नाम दूसरी मर्तबा निकले उसे नम्बर दोम देदे व अला हाज़ाल क़ियास।(हिदाया)

मसअ्ला.2:– तकसीम में कुरआ डालना ज़रूरियात में नहीं बल्कि ततबीबे क़ल्ब (दिल के इत्मीनान) के लिये है कि कहीं हिस्से दारों को यह वहम न हो कि फुलां का हिस्सा मेरे हिस्से से अच्छा है और क़स्दन ऐसा किया गया है अव्वल तो तकसीम करने वाला हर हिस्से में मसावात (बराबरी) का ही लिहाज़ रखेगा फिर उसके बावजूद कुरआ भी डालेगा ताकि वहम ही न पैदा होसके और अगर काज़ी ने बिग़ैर कुरआ डाले हुए खुद ही हिस्सों को नामज़द कर दिया कि यह तुम्हारा है और यह तुम्हारा उस में भी हरज नहीं कि काज़ी के फ़ैसले से इन्कार की गुन्जाइश नहीं।(दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.3:– क़ाज़ी या नाइब काज़ी ने तकसीम की हो और कुरआ डाला और बाज़ के नाम निकल आये तो किसी शरीक को इन्कार की गुन्जाइश नहीं जिस तरह नाम निकलने से पहले उसे इन्कार का हक न था अब भी नहीं है। और अगर बाहम रज़ा मन्दी से तक़सीम कर रहे हों और कुरआ डाला गया बाज़ नाम निकल आये तो बाज शुरका का इन्कार कर सकते हैं और अगर सब शुरका के नाम निकल आये या सिर्फ़ एक ही नाम बाक़ी रहगया तो क़िस्मत (बटवारा) मुकम्मल हो गई। अब रज़ा मन्दी की सूरत में इन्कार की गुन्जाइश बाक़ी नहीं।(रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला.4:– मकान की तकसीम में जब ज़मीन की पैमाइश करके हिस्से काइम करेगा इमारत की कीमत लगायेंगा क्योंकि आगे चलकर उसकी भी ज़रूरत पड़ेगी मस्लन किसी के हिस्से में अच्छी इमारत आई और किसी के हिस्से में खराब तो बिग़ैर कीमत मालूम किये क्योंकर मसावात काइम रहेगी।(हिदाया)

मसअ्ला.5:– अगर ज़मीन व इमारत दोनों की तकसीम मन्ज़ूर है और इमारत कुछ अच्छी है कुछ बुरी या एक तरफ इमारत ज़ाइद है और एक तरफ़ कम और एक को अच्छी या ज़्यादा इमारत मिले तो दूसरे को ज़मीन ज़्यादा देकर वह कमी पूरी करदी जाये और अगर ज़मीन ज़्यादा देने में कमी

पूरी न हो कि एक तरफ की इमारत ऐसी अच्छी या इतनी ज्यादा है कि बकिया कुल ज़मीन देने से भी कमी पूरी नहीं होती तो यह कमी रुपये से पूरी की जाये।(हिदाया)

मसअला.6:– मकान की तक़सीम में एक का परनाला या रास्ता दूसरे के हिस्से में होगा जब तो उस तक़सीम को ब'दस्तूर बाकी रखा जायेगा और शर्त न हो तो दो सूरतें हैं उस हिस्से का रास्ता वग़ैरा फेर कर दूसरा किया जा सकता है या नहीं अगर मुम्किन हो तो रास्ता वग़ैरा फेर कर दूसरा करदिया जाये और ना'मुम्किन हो तो उस तक़सीम को तोड़कर अज़ सरे नो तक़सीम की जाये(हिदाया)

मसअला.7:– अगर शुरका में इख़्तिलाफ़ है बाज़ यह कहते हैं कि रास्ते को तक़सीम में न लिया जाये बल्कि जिस तरह पहले पूरे मकान का एक रास्ता था अब भी रहे और मकान का ऐसा मौका है कि हर हिस्से का जुदागाना रास्ता हो सकता है यानी जदीद दरवाज़ा खोलकर आमद व रफ़्त हो सकती है तो उस शरीक का कहना माना जा सकता है और अगर यह बात ना'मुम्किन है तो उसका कहना नहीं माना जायेगा।(दुर्रेमुख़्तार)

मसअला.8:– रास्ते की चौड़ाई और ऊँचाई में इख़्तिलाफ़ हो तो सदर दरवाज़ा की चौड़ाई की बराबर रास्ते की चौड़ाई रखी जाये और उसकी बलन्दी की बराबर रास्ते की बलन्दी रखी जाये यानी उस बलन्दी से ऊपर अगर कोई अपनी दीवार में छज्जा निकालना चाहता है निकाल सकता है और उस से नीचे नहीं निकाल सकता इनाया।(दुर्रेमुख़्तार)

मसअला.9:– मकान तक़सीम में अगर यह शर्त हो कि रास्ते की मिक़दारें मुख़्तलिफ़ होंगी अगर्चे शुरका के हिस्से उस मकान में बराबर–बराबर हों यह जाइज़ है जबकि यह तक़सीम आपस की रज़ा'मन्दी से हो कि गैर अम्वाले रिबविया (वह माल जिस में कमी बेशी करने से सूद नहीं होता) में रज़ा'मन्दी के साथ कमी बेशी हो सकती है।(दुर्रेमुख़्तार)

मसअला.10:– दो मन्ज़िला मकान है उसमें चन्द सूरतें हैं पूरा मकान यानी दोनों मन्ज़िलें मुश्तरक हैं या सिर्फ़ नीचे की मन्ज़िल मुश्तरक है या सिर्फ़ बाला ख़ाना मुश्तरक है उसकी तक़सीम में हर एक की क़ीमत लगाई जाये और क़ीमत के लिहाज़ से तक़सीम होगी।(दुर्रेमुख़्तार)

मसअला.11:– ज़मीने मुश्तरक में दरख़्त और ज़राअत थी सिर्फ़ ज़मीन की तक़सीम हुई तो जिस के हिस्से में दरख़्त या ज़राअत पड़ी वह क़ीमत देकर उस का मालिक होगा।(आलमगीरी)

मसअला.12:– भूसे की तक़सीम गठरियों से हो सकती है वज़न के साथ होना ज़रूरी नहीं।(आलमगीरी)

मसअला.13:– एक शख़्स की दो रोटियाँ हैं और एक की तीन रोटियाँ दोनों ने एक साथ बैठ कर खाना चाहा एक तीसरा शख़्स आगया उसे दोनों ने खाने में शरीक कर लिया और तीनों ने बराबर बराबर खाया उसने खाने के बाद पाँच रुपये दिये और यह कहा कि जितनी मैंने तुम्हारी रोटी खाई उसी हिसाब से रुपये बांट लो तो जिसकी दो थीं उसे एक रुपया मिलेगा और जिसकी तीन थीं उसे चार। (आलमगीरी)

तक़सीम में ग़लती का दावा

मसअला.14:– तकसीम होने के बाद एक शरीक यह कहता है कि मेरा हिस्सा मुझे नहीं मिला और तक़सीम करने वालों ने गवाही दी कि उसने अपना हिस्सा वसूल पा लिया यह गवाही मक़बूल है और फ़क़त एक तक़सीम करने वाले ने शहादत दी तो गवाही मक़बूल नहीं।(दुर्रेमुख़्तार)

मसअला.15:– तक़सीम के बाद एक शरीक यह कहता है फ़ुलां चीज़ मेरे हिस्से में थी और ग़लती से दूसरे के पास पहुँच गई और उस से पहले यह इक़रार कर चुका था कि मैंने अपना हिस्सा वसूल पा लिया या वसूल पाने का इक़रार न किया हो दोनों सूरतों में उस की बात जब ही मानी जायेगी कि उस के क़ौल के सहीह होने पर दलील हो यानी गवाहों से ऐसा साबित करदे या दूसरा शरीक इक़रार करले कि हाँ उस के हिस्से की फ़ुलां चीज़ मेरे पास है और यह दोनों बातें न हों तो उसके शरीक पर क़सम दी जाये और वह क़स्म खाने से नुकूल करे।(दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.16:– तक़सीम के बाद कहता है कि मुझे मेरा हिस्सा मिल गया था और मैंने क़ब्ज़ा भी कर लिया था फिर मेरे शरीक ने उस में से फुलाँ चीज़ लेली और शरीक उससे इन्कार करता है उसका हासिल यह हुआ कि शरीक पर ग़सब का दअ्वा करता है और वह इन्कार करता है अगर उस के पास गवाह न हों तो शरीक पर हल्फ़ रखा जाये और अगर वसूल पाने का इक़रार नहीं किया है सिर्फ़ इतनी बात कही है कि यहाँ से यहाँ तक मेरे हिस्से में आई मगर मुझे दी नहीं और शरीक इस की तकज़ीब (झुटलाता है) करता है तो दोनों को हल्फ़ दिया जाये और दोनों क़सम खा जाये तो तक़सीम फ़स्ख़ करदी जाये।(दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.17:– मकान दो शख़्सों में मुश्तरक था दोनों ने उसे बांट लिया फिर एक यह दअ्वा करता है कि यह कमरा जो मेरे शरीक के पास है यह मेरे हिस्से का है और दूसरा उससे इन्कारी है तो मुद्दई के ज़िम्मे गवाह पेश करना है और अगर दोनों ने गवाह पेश किये तो मुद्दई के गवाह मक़बूल होंगे और अगर क़ब्ज़ा करने पर गवाह न किये हों तो दोनों पर हल्फ़ है और इस सूरत में अगर दोनों ने क़स्में खा लीं तो तक़सीम फ़स्ख़ करदी जायेगी। इसी तरह अगर हुदूद में इख़्तिलाफ़ हो मसलन एक यह कहता है कि यह हद मेरी थी जो उसके हिस्से में जा पड़ी और दूसरा भी यही कहता है कि यह हद मेरी थी जो उसके हिस्से में चली गई अगर दोनों गवाह पेश करें तो हर एक के गवाह उसके हक़ में मोअ्तबर हैं जो उसके क़ब्ज़े में न हो और अगर फ़क़त एक ने गवाह पेश किये तो उसी के मुवाफ़िक़ फ़ैसला होगा और किसी ने भी गवाह नहीं पेश किये तो दोनों पर हल्फ़ है।(हिदाया)

मसअ्ला.18:– तक़सीम में चीज़ों की क़ीमतें लगाई गईं अब मालूम हुआ कि क़ीमतों में बहुत फ़र्क़ है जिस को ग़ब्ने फ़ाहिश कहते हैं यानी उतनी कमी या बेशी है जो अन्दाज़े से बाहर है मसलन जिस चीज़ की क़ीमत पाँच सौ है उसकी हज़ार रुपये क़ीमत क़रार दी यह तक़सीम तोड़दी जायेगी। क़ाज़ी ने उसके मुतअ़ल्लिक़ फ़ैसला किया हो या दोनों की रज़ामन्दी से तक़सीम हुई हो बहर सूरत तोड़ दी जाये।(दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.19:– दो शख़्सों की सौ बकरियाँ थीं तक़सीम के बाद एक यह कहता है ग़लती से तुमने पचपन बकरियाँ लेलीं और मुझे पैंतालीस ही मिलीं दूसरा कहता है ग़लती से नहीं बल्कि तक़सीम इसी तरह हुई और गवाह किसी के पास न हों तो दोनों पर हल्फ़ है यह उस वक़्त है कि उसने अपना पूरा हक़ पालने का इक़रार न किया हो और अगर इक़रार कर चुका हो तो ग़लती का दअ्वा नामसमूअ् है।(आलमगीरी)

इस्तिहक़ाक़ के मसाइल

मसअ्ला.20:– तक़सीम होजाने के बाद इस्तिहक़ाक़ हुआ यानी किसी दूसरे शख़्स ने उसमें अपनी मिल्क
का दअ्वा किया उस की तीन सूरतें हैं एक के हिस्से में जुज़ व मुअय्यन का दअ्वा करना है कि यह
चीज़ मेरी है या जुज़ व शाइअ् का दअ्वा करता है कि उसके हिस्से में निस्फ़ या तिहाई मेरी है या कुल
में जुज़ व शाइअ् का मुद्दई है यानी पूरी जायदाद में मसलन निस्फ़ या तिहाई का मुद्दई है। पहली सूरत में
कि फ़क़त एक के हिस्से में जुज़वे मुअय्यन का इस्तिहक़ाक़ करता है उस में तक़सीम को फ़स्ख़ नहीं
किया जायेगा बल्कि मुस्तहिक़ ने जितना अपना हक़ साबित कर दिया उस को देदिया जाये और माबक़िय
उस का है जिस के हिस्से में था और उसके हिस्से में जो कमी पड़ी उसे शरीक के हिस्से में से उतनी
दिलादी जाये कि उस का हिस्सा सिहाम के मुवाफ़िक़ हो जाये दूसरी सूरत में कि एक के हिस्से में जुज़
व शाइअ् का मुद्दई है उस में हिस्से वाले को इख़्तियार है कि मुस्तहक़ को देने के बाद जो कमी पड़ती है
वह शरीक के हिस्से में से लेले या तक़सीम तुड़वाकर अज़ सरे नो तक़सीम कराये। यह उस सूरत में है
कि इस्तिहक़ाक़ से पहले उस में का कुछ बैअ् न किया हो वरना तक़सीम नहीं तोड़ी जायेगी बल्कि अपने
हिस्से की क़द्र शरीक के हिस्से में से ले सकता है व बस। तीसरी सूरत में कि कुल में जुज़ व शाइअ् का
मुद्दई है तक़सीम फ़स्ख़ करदी जाये और उन तीनों यानी मुस्तहक़ और दोनों शरीकों के माबैन अज़ सरे

नो (नये सिरे से) तक़सीम की जायेगी।(हिदाया)

मसअ्ला.21:– इस्तिहक़ाक़ की एक चौथी सूरत भी है वह यह कि हर एक के हिस्से में मुस्तहक़ ने अपना हिस्सा साबित कर दिया उसकी दो सूरतें हैं एक यह कि हर एक के हिस्से में उसने जुज़ व शाइअ् साबित किया उस का हुक्म यह है कि तक़सीम फ़स्ख़ करदी जाये दूसरी सूरत यह है कि दोनों में जुज़वे मुअय्यन साबित करे उस का हुक्म यह है कि दोनों के हिस्सों में उसका जो कुछ है अगर बराबर है जब तो ज़ाहिर है कि मुस्तहक़ के लिये लेने के बाद हर एक के पास जो कुछ बचा वह बक़द्र हिस्सा है लिहाज़ा न तक़सीम तोड़ी जायेगी न रुजूअ् का हुक्म दिया जायेगा और अगर मुस्तहक़ का हक़ एक के हिस्से में ज़ाइद है दूसरे के हिस्से में कम तो उस ज़ाइद की ज़्यादती का एअ्तिबार होगा कि उसी के हिसाब से कम वाले के हिस्से में रुजूअ् करेगा।(दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.22:– सौ बकरियाँ दो शख़्सों में मुश्तरक थीं तक़सीम इस तरह हुई कि एक को चालीस बकरियाँ मिलीं जिन की क़ीमत पाँच सौ है और दूसरे को साठ बकरियाँ दी गईं यह भी पाँच सौ की क़ीमत की हैं चालीस वाले की एक बकरी में किसी ने अपना हक़ साबित किया कि यह मेरी है और यह बकरी दस रुपये क़ीमत की है तो यह शख़्स दूसरे से पाँच रुपये वसूल कर सकता है(आलमगीरी)

मसअ्ला.23:– मकान या ज़मीने मुश्तरक का बंटवारा हुआ एक ने दूसरे के हिस्से में एक कमरे का दअ्वा किया कि यह मेरा है मैंने उसे बनाया है या यह दरख़्त मेरा है मैंने उसे लगाया है और अपनी उस बात पर गवाह पेश करता है यह गवाह ना'मक़बूल हैं कि इमारत या दरख़्त ज़मीन की तक़सीम में तब्अन दाख़िल होगये। (दुर्रेमुख़्तार, रद्दुल'मुहतार)

मसअ्ला.24:– दरख़्त या इमारत की तक़सीम हुई उसके बाद एक ने पूरी ज़मीन का या उसके जुज़ का दअ्वा किया यह दअ्वा जाइज़ व मसमूअ् है क्योंकि हो सकता है कि दरख़्त या इमारत मुश्तरक हो और ज़मीन मुश्तरक न हो और ज़मीन तवाबेअ् में भी नहीं कि तक़सीम में तबअन दाख़िल होजाये।(रद्दुल'मुहतार)

मसअ्ला.25:– एक के हिस्से में जो दरख़्त मिला उसकी शाख़ें दूसरे के हिस्से में लटक रही हैं उन शाख़ों को यह शख़्स जबरन नहीं कटवा सकता उसी तरह मकान की तक़सीम में जो दीवार एक के हिस्से में पड़ी उस पर दूसरे की कड़ियाँ हैं तो दूसरे को यह हुक्म नहीं दिया जायेगा कि अपनी कड़ियाँ उठाले मगर जब कि तक़सीम में यह शर्त होचुकी हो कि वह अपनी कड़ियाँ उठा लेगा(आलमगीरी)

मसअ्ला.26:– ज़मीने मुश्तरक में एक शरीक ने बिग़ैर इजाज़त शरीक मकान बना लिया दूसरा यह कहता है कि उस इमारत को हटालो तो इस सूरत में ज़मीन को तक़सीम कर दिया जाये अगर यह इमारत उसी के हिस्से में पड़ी जिसने बनाई है फ़बिहा और अगर दूसरे के हिस्से में पड़ी तो हो सकता है कि इमारत की क़ीमत देकर इमारत ख़ुद लेले या उसको मुन्हदिम करा दिया जाये ज़मीने मुश्तरक में एक ने दरख़्त लगाया उसका भी वही हुक्म है। और अगर शरीक की इजाज़त से मकान बनवाया या पेड़ लगाये अगर अपने लिये यह तामीर की है या पेड़ लगाया है उसका भी वही हुक्म है क्योंकि मुईर को इख़्तियार होता है कि आरियत को जब चाहे वापस ले सकता है और अगर इजाज़त इस लिये है कि वह इमारत या दरख़्त शिरकत का होगा तो बक़द्र हिस्सा उस से मसारिफ़ वसूल कर सकता है।(दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.27:– तर्का की तक़सीम के बाद मालूम हुआ कि मय्यित के ज़िम्मे दैन है तो तक़सीम तोड़ दी जायेगी क्योंकि अगर दैन पूरे तर्का की बराबर है जब तो ज़ाहिर है कि यह तर्का वारिसों की मिल्क ही नहीं तक़सीम क्योंकर करेंगे और अगर दैन पूरे तर्का से कम है जब भी तोड़ी जाये कि तर्का के साथ दूसरों का हक़ मुतअ़ल्लिक़ है हाँ अगर मय्यित का मतरुका उसके इलावा भी है जिस से दैन अदा किया जा सकता है तो जो कुछ मुन्क़सिम हो चुका है उसकी तक़सीम बाक़ी रहेगी। अगर दैन पूरे तर्का के बराबर था मगर जिनका था उन्होंने मुआफ़ करदिया या वारिसों ने अपने माल

से दैन अदा कर दिया तो उन सूरतों में तक़सीम न तोड़ी जाये कि वह सबब ही बाक़ी न रहा।(हिदाया)
मसअ्ला.28:– जिन दो शख़्सों ने तक़सीम की उन में एक ने यह दअ्वा किया कि तर्का में दैन है उस का यह दअ्वा मस्मूअ् होगा तनाक़ुज़ क़रार देकर दअ्वे को रद न किया जाये। हाँ जिन चीज़ों की तक़सीम हुई उन में से किसी मुअय्यन चीज़ का दअ्वा करता है यह मय्यित की मतरुका नहीं है बल्कि मेरी है और उसका सबब कुछ भी बताये मस्लन मैंने मय्यित से ख़रीदी है या उसने हिबा की बहर हाल यह दअ्वा ना'मसमूअ् है कि उस चीज़ को तक़सीम में दाख़िल करना यह मुश्तरक होने का इक़रार है फिर अपनी बताना उस के मुनाफ़ी है लिहाज़ा यह दअ्वा क़ाबिले समाअ्त नहीं।(हिदाया)
मसअ्ला.29:– एक शख़्स मरा और उसने किसी को वसी मुक़र्रर किया है और तर्का में दैन ग़ैर मुस्तग़रक़ है वसी से वुरसा यह कहते है कि तर्का में से बक़द्र दैन जुदा करके बाक़ी को उनमें तक़सीम करदे वसी को यह इख़्तियार है कि तक़सीम न करे बल्कि बक़द्र दैन शाइअ् फ़रोख़्त करदे(आलमगीरी)
मसअ्ला.30:– मय्यित ने दो शख़्सों को वसी किया है दोनों ने माल को तक़सीम कर के बाज़ वुरसा का माल एक ने रखा और बाज़ का दूसरे ने यह जाइज़ नहीं यूहीं एक वसी की अदम मौजूदगी में दूसरे ने वुरसा की मुक़ाबिल में तक़सीम की यह भी ना'जाइज़ है।(आलमगीरी)
मसअ्ला.31:– वुरसा मुसलमान हैं और वसी काफ़िरे ज़िम्मी अगर्चे उसका वसी होना ना'जाइज़ है मगर उसको वसियत से ख़ारिज कर देना चाहिए क्योंकि काफ़िर की जानिब से उसका इत्मीनान नहीं है कि वह मुसलमान के साथ ख़ियानत न करेगा बल्कि मुसलमान के साथ उसकी मज़हबी अदावत बहुत मुम्किन है कि ख़ियानत पर आमादा करे मगर जुदा करने से पहले उसने तक़सीम की हो तो यह तक़सीम सहीह है।(आलमगीरी)
मसअ्ला.32:– एक वारिस ने मय्यित के ज़िम्मे दैन का इक़रार किया दूसरे वुरसा इन्कार करते हैं तर्का वुरसा पर तक़सीम कर दिया जाये जिसने इक़रार किया है उस के हिस्से से दैन अदा किया जाये।(ख़ानिया)
मसअ्ला.33:– मय्यित के ज़िम्मे दैन था वुरसा ने जायदाद तक़सीम करली जिस का दैन है वह मुतालबा करता है तो तक़सीम तोड़ी जा सकती है दैन मुस्तग़रक़ हो या ग़ैर मुस्तग़रक़ (यानी इतना क़र्ज़ हो कि माल के बराबर हो या ज्यादा, या इतना न हो (अमीनुल क़ादरी)) और अगर क़ाज़ी के पास तक़सीम की दरख़्वास्त करें और क़ाज़ी को मा'लूम है कि मय्यित पर दैन है अगर वह दैन मुस्तग़रक़ है तो क़ाज़ी तक़सीम का हुक्म नहीं देगा कि उन लोगों का तर्का में हक़ ही नहीं है और अगर दैन ग़ैर मुस्तग़रक़ है तो बक़द्र दैन अलग कर के बाक़ी को तक़सीम करदे।(आलमगीरी)
मसअ्ला.34:– क़ाज़ी के पास तक़सीम की दरख़्वास्त गुज़री और क़ाज़ी को मा'लूम नहीं कि मय्यित के ज़िम्मे दैन है तो वुरसा से दरयाफ़्त करे अगर वह कहें नहीं है तो उनकी बात मान ली जायेगी और अगर कहें दैन है तो उसकी मिक़दार दरयाफ़्त करे फिर यह दरयाफ़्त करे कि मय्यित ने कोई वसियत की है या नहीं अगर वसियत की है तो किसी मुअय्यन चीज़ की वसियत है या वसियते मुरसला है यानी अपने माल की तिहाई चौथाई वग़ैरा की है किसी मुअय्यन चीज़ से तअल्लुक़ नहीं है उसके बाद तक़सीम कर देगा और अगर तक़सीम के बाद दैन ज़ाहिर हो तो तक़सीम तोड़ दी जायेगी यूहीं अगर क़ाज़ी ने दैन को बिग़ैर दरयाफ़्त किये तक़सीम करदी यह तक़सीम भी तोड़ दी जायेगी हाँ अगर वुरसा अपने माल से दैन अदा करें या जिसका दैन है वह मुआफ़ करदे तो तक़सीम न तोड़ी जाये। और तक़सीम तोड़ना उस वक़्त है कि दैन के लिये वुरसा ने कुछ तर्का जुदा न किया हो और अगर दैन के लिये पहले ही से जुदा कर दिया हो या कुल अम्वाल (बहुतसे माल) की तक़सीम ही न की हो तो तक़सीम तोड़ने की क्या ज़रूरत।(आलमगीरी)
मसअ्ला.35:– तक़सीम के बाद कोई नया वारिस ज़ाहिर हुआ या मा'लूम हुआ कि किसी के लिये तिहाई या चौथाई की वसियत है तो तक़सीम तोड़कर अज़ सरे नो (नये सिरे से) तक़सीम की जाये अगर्चे वुरसा कहते हों कि उनके हक़ हम अपने माल से अदा करेंगे हाँ अगर यह वारिस व मूसा'लहू

भी राज़ी होजाये तो न तोड़े और अगर दैन ज़ाहिर हो या यह कि किसी के लिये हज़ार रुपये की
मसलन वसियते मुरसला की है और वुरसा अपने माल से दैने वरिायत अदा करने को कहते हैं ता
तकसीम न तोड़ी जाये दाइन और मूसा लहू की रज़ा मन्दी की भी ज़रूरत नहीं। उसी तरह अगर
एक ही वारिस् ने दैन अदा करना अपने ज़िम्मे लिया और तर्का में से रुजूअ् भी न करेगा तो तोड़ी
न जाये और अगर वापस लेने की शर्त है या उस से ख़ामोश है तो तोड़ दी जाये मगर जबकि
बकिया वुरसा अपने माल से अदा करने को कहते हों।(आलमगीरी)

मसअ्ला.36:– बाज़ वुरसा ने मय्यित का दैन अदा कर दिया तो वह बाकियों से रुजूअ् कर सकता है यानी जबकि मय्यित ने तर्का छोड़ा हो जिस से दैन अदा किया जासके अदा करने के वक्त उसने रुजूअ की शर्त की हो या न की हो दोनों का एक हुक्म है क्योंकि हर वारिस् से दैन का मुतालबा किया जा सकता है और एक ही वारिस् को दाइन ने काज़ी के पास पेश किया तो तन्हा उसी पर पूरे दैन का फ़ैसला हो सकता है लिहाज़ा यह वारिस अदा–ए–दैन में मुतबर्रेअ् (यानी दूसरे वारिसों से दैन उसूल कर सकता है) न हुआ हाँ अगर मुतबर्रेअ् हो कह दिया हो कि मैं रुजूअ् न करूँगा तो अब रुजूअ् नहीं कर सकता।(आलमगीरी)

मसअ्ला.37:– मय्यित का तर्का वुरसा ने तकसीम किया और उन वारिसों में उसकी औरत भी है तकसीम के बाद औरत ने दैन महर का दअ्वा किया और गवाहों से साबित कर दिया तकसीम तोड़ दी जायेगी उसी तरह अगर किसी वारिस् ने तर्का में दैन का दअ्वा किया उसका दअ्वा सहीह है उस पर गवाह लिये जायेंगे और साबित होने पर तकसीम तोड़ दी जायेगी।

मसअ्ला.38:– मय्यित का दैन दूसरों के ज़िम्मे था यह दैन व ऐन यानी जो कुछ तर्का मौजूद है दोनों को तकसीम किया मसलन यूँ कि यह वारिस् यह चीज़ ले और यह दैन जो फुलाँ के ज़िम्मे है और वह वारिस् यह चीज और यह दैन ले जो फुलाँ के ज़िम्मे है यह तकसीम दैन व ऐन दोनों में बातिल और अगर अअ्यान यानी जो चीजें मौजूद हैं उनको तकसीम करे के फिर दैन की तकसीम की तो ऐन की तकसीम सहीह है और दैन की बातिल। दैन की तकसीम बातिल होने का यह नतीजा होगा कि एक मदयून से दैन वसूल हुआ तो वह तन्हा उसी का नहीं होगा जिसके हिस्से में कर दिया गया था बल्कि दूसरे वुरसा भी उस में शरीक होंगे।(आलमगीरी)

मसअ्ला.39:– तीन भाई हैं जिनको अपने बाप से जमीन मीरास् में मिली उनमें से एक का इन्तिकाल हुआ उसने एक लड़का छोड़ा उस लड़के और उसके दोनों चचाओं के मा'बैन जमीन तकसीम हुई। यह लड़का तकसीम के बाद यह कहता है कि मेरे दादा ने जो मूरिसे् अअ्ला था उस ने उस में एक सुलुस् (तिहाई) की मेरे लिए वसियत की थी और तकसीम को बातिल करना चाहता है उसकी यह बात ना मोअ्तबर है कि तनाकुज़ है और अगर यह कहता है कि मेरे बाप के ज़िम्मे मेरा दैन है यह बात सुनी जायेगी और गवाह लिये जायेंगे अगर गवाहों से दैन साबित होजाये तो तकसीम तोड़ दी जायेगी उस सूरत में चचा यह नहीं कह सकते कि दैन तुम्हारे बाप के ज़िम्मे है उसका हिस्सा जो तुम्हें मिला तुमको इख्तियार है कि उसे दैन में फरोख़्त करलो या अपने पास रखो तुम्हारा दैन तुम्हारे दादा के ज़िम्मे नहीं कि पूरी जायदाद से दैन वसूल किया जाये लिहाज़ा तकसीम के तोड़ने में कोई फायदा नहीं क्योंकि यह लड़का कह सकता है कि तकसीम तोड़ने में फायदा यह है कि मुश्तरक चीज मे जो हिस्सा होता है उसकी कीमत कभी ज्यादा होती है और तकसीम के बाद वह कीमत नहीं रहती लिहाज़ा मेरा यह फायदा न रहने की सूरत में मेरे बाप की मालियत ज्यादा दामों मे फरोख़्त होगी।(आलमगीरी)

मसअ्ला.40:– तकसीम को तोड़ा जा सकता है यानी शुर्का ने अपनी रज़ा'मन्दी से तकसीम करली उसके बाद यह चाहते हैं कि यह चीजें शिरकत में रहें यह हो सकता है।(दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.41:– महज़ तकसीम कर देने से कोई मुअय्यन हिस्सा शुर्का में से किसी ख़ास की मिल्क

नहीं होगा बल्कि उसके लिये यह ज़रूर है कि क़ाज़ी ने मुअय्यन कर दिया हो कि यह फुलां का है और यह फुलां का या यह कि एक ने तक़सीम के बाद एक हिस्से पर क़ब्ज़ा कर लिया तो यह उसका होगया या कुर्आ के ज़रीआ से हसस (हिस्सों) की तअ्ईन होजाये या यह कि शुर्का ने किसी को वकील कर दिया हो कि तक़सीम करके हर एक का हिस्सा मुशख़्ख़स (ख़ास) करदे और उसने मुशख़्ख़स कर दिया।(आलमगीरी)

मसअ्ला.42:— दो शख़्सों में कोई चीज़ मुश्तरक थी उन्होंने तक़सीम करली और कुर्आ डाल कर हिस्से का तअय्युन कर लिया उसके बाद एक शरीक उस तक़सीम पर नादिम हुआ और चाहता यह है कि तक़सीम टूट जाये यह नहीं हो सकता कि तक़सीम मुकम्मल हो चुकी यूंही अगर उन दोनों ने किसी तीसरे शख़्स को तक़सीम के लिये मुक़र्रर किया और उसने इन्साफ़ के साथ तक़सीम करके कुर्आ डाला तो जिसके नाम का जो हिस्सा कुर्आ के ज़रीआ मुतअय्यन हो चुका बस वही उसका मालिक है।(आलमगीरी)

मसअ्ला.43:— तीन शरीकों में तक़सीम हुई और कुर्आ डाला गया अभी एक का नाम निकला है दो बाक़ी हैं तो हर एक रुजूअ् कर सकता है और दो के नाम निकल आये तो अब कोई रुजूअ् नहीं कर सकता और चार शरीकों में दो के नाम निकल आये तो रुजूअ् कर सकते हैं और तीन के नाम निकलने के बाद रुजूअ् नहीं कर सकते।(आलमगीरी)

मसअ्ला.44:— तर्का में ऊँट, गाय, बकरियाँ सब हैं एक हिस्सा ऊँटों का दूसरा गायों का तीसरा बकरियों का क़रार दिया और कुर्आ डाला गया जिसके हिस्से में जो जानवर आये लेले यह जाइज़ है और अगर यह क़रार पाया कि जिसके हिस्से में ऊँट आयेंगे वह ऊँट लेगा और इतने रुपये देगा जो उसके शरीकों को दिये जायेंगे यह भी जाइज़ है।(आलमगीरी)

मसअ्ला.45:— तक़सीम में एक शरीक ने बैअ् या हिबा या सदक़ा की शर्त की यानी इस शर्त पर तक़सीम करता हूँ कि मेरा यह मकान या मकाने मुश्तरक में जो मेरा हिस्सा है तुम ख़रीद लो या फुलाँ चीज़ मुझ को हिबा या सदक़ा करदो यह तक़सीम फ़ासिद है तक़सीम फ़ासिद में क़ब्ज़ा करने से मिल्क हासिल होजायेगी और तसर्रुफ़ात नाफ़िज़ होंगे।(आलमगीरी)

मसअ्ला.46:— मकाने मुश्तरक की इस तरह तक़सीम हुई कि एक शरीक पूरी ज़मीन लेगा और दूसरा सारी इमारत लेगा ज़मीन उसको बिल्कुल नहीं मिलेगी उसकी तीन सूरतें हैं एक यह कि जिसके हिस्से में इमारत आई उससे शर्त यह ठहरी है कि इमारत खोदकर निकाल लेगा यह सूरत जाइज़ है दूसरी सूरत यह कि इमारत खोदने या न खोदने का कोई ज़िक्र नहीं हुआ यह भी जाइज़ है तीसरी सूरत यह है कि इमारत बाक़ी रखने की शर्त है उस सूरत में तक़सीम फ़ासिद है(आलमगीरी)

मुहायात का बयान

मसअ्ला.1:— कभी ऐसा भी होता है कि मुश्तरक चीज़ को तक़सीम न करें उसको मुश्तरक ही रखें और हर एक शरीक नोबत और बारी के साथ उस चीज़ से नफ़अ् उठाये उसे इस्तिलाहे फुक़्हा में मुहायात और तहायू कहते हैं इस तौर पर नफ़अ् उठाना शरअन जाइज़ है बल्कि अगर बाज़ शुर्का क़ाज़ी के पास उसकी दरख़्वास्त करें और दूसरे शुर्का इन्कार करें तो क़ाज़ी उनको मुहायात पर मजबूर करेगा अल्बत्ता अगर बाज़ मुहायात को चाहें और दूसरे तक़सीम कराना चाहें तो क़ाज़ी तक़सीम का हुक्म देगा कि तक़सीम का मर्तबा मुहायात से बढ़कर है।(इनाया)

मसअ्ला.2:— जो चीज़ क़ाबिले तक़सीम है उस से बतौर मुहायात दोनों नफ़अ् उठा रहे थे फिर एक ने तक़सीम की दरख़्वास्त की तो तक़सीम करदी जायेगी और मुहायात बातिल करदी जायेगी और दोनों शरीकों में से कोई मरगया या दोनों मरगये उस से मुहायात बातिल नहीं होगी बल्कि जो मरगया उसका वारिस् उसके क़ाइम मक़ाम होगा।(हिदाया)

मसअ्ला.3:— मुहायात की कई सूरतें हैं एक मकान के एक हिस्से में एक रहता है दूसरे में दूसरा

या एक बालाख़ाना पर रहता है दूसरा नीचे की मन्ज़िल में या एक महीने में एक रहेगा दूसरे महीने में दूसरा या दो मकान हैं एक में एक रहेगा दूसरे में दूसरा या गुलाम से एक दिन एक शख़्स काम करायेगा दूसरे दिन दूसरा या दो गुलाम हैं एक से एक ख़िदमत लेगा दूसरे से दूसरा या मकान को किराये पर देदिया एक माह का किराया एक लेगा दूसरे महीने का दूसरा या दो मकान हैं एक का किराया एक लेगा दूसरे का दूसरा यह सब सूरतें जाइज़ हैं।(दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.4:– मुहायात के तौर पर जो चीज़ उसके हिस़्से में आई यह उस चीज़ को किराये पर भी दे सकता है मस्लन उस मकान में उसको रहना ही ज़रुरी नहीं बल्कि किराये पर उठा सकता है अगर्चे मुहायात के वक़्त यह शर्त उसने ज़िक्र नहीं की हो कि मैं उसको किराये पर भी दे सकूँगा।(हिदाया)

मसअ्ला.5:– गुलामों से ख़िदमत लेने में यह तै हुआ कि जो गुलाम जिसकी ख़िदमत करेगा उस का नफ़ा उसी के ज़िम्मे है यह जाइज़ है बल्कि अगर नफ़ा का ज़िक्र नहीं आया जब भी उसी के ज़िम्मे है जिसकी ख़िदमत करता है।(दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.6:– मकाने मुश्तरक को किराये पर दिया गया और यह ठहरा है कि बारी बारी दोनों किराया वसूल करेंगे अब इस का किराया ज़्यादा होगया तो जिसकी बारी में किराये की ज़्यादती हुई है तन्हा यही उस का मुस्तहक़ नहीं बल्कि उस ज़्यादती के दोनों ह़क़दार हैं और अगर दो मकान थे एक का किराया एक को लेना था दूसरे का दूसरे को और एक मकान के किराये में इज़ाफ़ा हुआ तो जो उस का किराया लेता था यह ज़्यादती तन्हा उसी की है दूसरा उसमें से मुतालबा नहीं कर सकता।(दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.7:– दो चीज़ें मुश्तरक हैं और दोनों की मन्फ़अ़त मुख़्तलिफ़ क़िस्म की है मस्लन एक मकान और एक गुलाम मुश्तरक हैं और मुहायात उस त़रह़ हुई कि एक से एक शरीक मन्फ़अ़त हासिल करे और दूसरे से दूसरा यानी एक शख़्स गुलाम से ख़िदमत ले और दूसरा मकान में सुकूनत करे यह भी जाइज़ है।(दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.8:– अगर फ़रीक़ैन की रज़ा'मन्दी से मुहायात हुई हो तो उसे तोड़ भी सकते हैं दोनों तोड़ें या एक। उज़्र से हो या बिला उज़्र सब जाइज़ है। हाँ अगर क़ज़ा–ए–क़ाज़ी से मुहायात हुई तो जब तक दोनों राज़ी न हों फ़क़त एक नहीं तोड़ सकता।(आलमगीरी)

मसअ्ला.9:– गुलाम में इस त़रह़ मुहायात हुई कि उस से उजरत पर काम कराया जाये एक महीने की उजरत एक शरीक लेगा दूसरे महीने की दूसरा यह ना'जाइज़ है यूंही अगर दो गुलाम हों एक की उजरत शरीक लेगा दूसरे की दूसरा यह भी ना'जाइज़ एक जानवर या दो जानवरों की सवारी लेने या किराये पर देने में मुहायात हुई यह भी ना'जाइज़ है यूंही अगर गाय या भैंस मुश्तरक है यह ठहरा कि पन्द्रह रोज़ एक के यहाँ रहे और दूध से नफ़अ् उठाये और पन्द्रह दिन दूसरे के यहाँ रहे और यह दूध से नफ़अ् उठाये यह ना'जाइज़ है और दूध जिसके यहाँ कुछ ज़्यादा हुआ यह ज़्यादती भी उसके लिये ह़लाल नहीं अगर्चे दूसरे ने इजाज़त देदी हो और कह दिया हो कि जो कुछ ज़्यादती हो वह तुम्हारे लिए ह़लाल है हाँ इस ज़्यादती को ख़र्च कर देने के बाद अगर ह़लाल करदे तो हो सकता है कि यह ज़मान से इब्रा है और यह जाइज़ है ख़ानिया।(दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.10:– दरख़्तों के फलों में मुहायात हुई यह ना'जाइज़ है यूंही बकरियाँ मुश्तरक थीं दोनों ने बत़ौर मुहायात कुछ कुछ बकरियाँ लेलीं कि हर एक अपने हिस़्से की चरायेगा और दूध वग़ैरा से नफ़अ् उठायेगा यह ना'जाइज़ है।(आलमगीरी)

मसअ्ला.11:– बकरियों और फलों वग़ैरा में मुहायात जाइज़ होने का ह़ीला यह है कि अपनी बारी में शरीक का हिस़्सा ख़रीद ले जब बारी की मुद्दत पूरी होजाये उस हिस़्से को शरीक के हाथ बैअ् कर डाले। दूसरी सूरत यह है कि रोज़ाना दूध को वज़न करले और शरीक के हिस़्से का जितना दूध हो उस से क़र्ज़ लेले जब मुद्दत पूरी होजाये और जानवर दूसरे के पास जाये उस ज़माने में जो कुछ दूध उसके हिस़्से का हो क़र्ज़ में अदा करता रहे यहाँ तक कि जितना क़र्ज़

लिया था वह मिक़दार पूरी होजाये इस तरह करना जाइज़ है कि मुशाअ् (शय मुश्तरक) को क़र्ज़ लिया जा सकता है।(दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.12:– कपड़ा मुश्तरक है उसमें इस तरह मुहायात हुई कि दोनों बारी बारी से पहनेंगे या दो कपड़े हैं एक को एक पहनेगा दूसरे को दूसरा यह मुहायात ना'जाइज़ है कि कपड़ा पहनने में लोगों की मुख़्तलिफ़ हालत होती है किसी के बदन पर जल्द फटता है और किसी के देर में(रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.13:– मकान में दोनों बारी से सुकूनत करेंगे या दूसरी चीज़ों में जबकि बारी के साथ नफ़अ् हासिल करना हो उसमें शुरू किस से करें उसके दो तरीक़े हैं एक यह कि क़ाज़ी मुतअय्यन करदे कि पहले फुलां शख़्स नफ़अ् उठाये दूसरा यह कि क़ुर्आ डाला जाये जिसके नाम का क़ुर्आ निकले वह पहले नफ़अ् उठाये और यह दूसरा तरीक़ा बेहतर है कि पहली सूरत में क़ाज़ी की तरफ़ बद'गुमानी का मौक़ा है।(आलमगीरी)

मसअ्ला.19:– दोनों शरीकों में इख़्तिलाफ़ है एक यह कहता है कि बारी मुक़र्रर करदी जाये दूसरा यह कहता है कि मकान के हिस्से मुतअय्यन कर दिये जायें कि एक हिस्सा में मैं सुकूनत करूँ दूसरे में दूसरा उस सूरत में दोनों से कहा जायेगा कि तुम दोनों एक बात पर मुत्तफ़िक़ होजाओ जिस एक बात पर मुत्तफ़िक़ होजाये वही की जाये।(हिदाया)

मसअ्ला.20:– किसी गाँव की हिफ़ाज़त के लिये सिपाही मुक़र्रर हुए और हुकूमत ने हिफ़ाज़त के मसारिफ़ गाँव वालों पर डाले यह ख़र्चा गाँव वालों से किस हिसाब से वसूल होगा उसकी दो सूरतें हैं अगर जान की हिफ़ाज़त मक़सूद तो गाँवों की मरदुम'शुमारी के हिसाब से हर एक पर डाला जाये और अगर अम्वाल की हिफ़ाज़त मक़सूद है तो उन लोगों के अम्वाल व इम्लाक के लिहाज़ से ख़र्चा डाला जाये और अगर दोनों की हिफ़ाज़त मक़सूद हो तो दोनों का लिहाज़ किया जाये(दुर्रेमुख़्तार)

मुतफ़र्रिक़ात

मसअ्ला.1:– ज़मीन की तक़सीम में दरख़्त तब्अन दाख़िल होजाते हैं अगर्चे यह ज़िक्र न किया गया हो कि यह ज़मीन मअ् हुक़ूक़ व मुराफ़िक़ (वह चीज़ें जो शय में तब्अन शामिल हों) के तुमको दी गई जिस तरह बैअ् ज़मीन में दरख़्त दाख़िल हुआ करते हैं और ज़राअत और फल ज़मीन की तक़सीम में दाख़िल नहीं अगर्चे हुक़ूक़ व मुराफ़िक़ का ज़िक्र कर दिया हो और अगर तक़सीम में यह कह दिया कि जो कुछ क़लील व कसीर उस में है सब के साथ तक़सीम हुई तो ज़राअत और फल भी दाख़िल हैं जो कुछ सामान व मताअ् उस में हैं उस कहने से भी तक़सीम में दाख़िल न होंगे परनाला और नाली और रास्ता और आब'पाशी का हक़ तक़सीम में दाख़िल होते हैं या नहीं इस में तफ़सील है अगर्चे यह चीज़ें दूसरी जानिब से हो सकती हैं तो दाख़िल नहीं और अगर नहीं हो सकतीं और वक़्ते तक़सीम इल्म में है कि यह चीज़ें तक़सीम में नहीं दी गईं तो तक़सीम जाइज़ है और यह चीज़ें नहीं मिलेंगी और अगर इल्म में नहीं तो तक़सीम बातिल है।(आलमगीरी वग़ैरा)

तक़सीम में ख़्यार के अहकाम

मसअ्ला.2:– अज्नासे मुख़्तलिफ़ा (मुख़्तलिफ़ क़िस्म की चीज़ें) की तक़सीम में ख़ियारे रुयत, ख़ियारे शर्त, ख़ियारे ऐब, तीनों साबित होते हैं और ज़वातुल'इम्साल जैसे मकीलात (वह चीज़ें जो नाप से बिकती हैं) व मौज़ूनात (वह चीज़ें जो तोलकर बिकती हैं) में ख़ियारे ऐब होता है ख़ियारे शर्त व ख़ियारे रुयत नहीं होता और ग़ैर मिस्ली जैसे गाय, बकरी और एक क़िस्म के कपड़ों में ख़ियारे ऐब होता है और फ़तवा इस पर है कि ख़ियारे शर्त व ख़ियारे रूयत भी होता है। सिर्फ़ गेहूँ तक़सीम किये गये मगर वह मुख़्तलिफ़ क़िस्म के हैं तो उसमें भी ख़ियारे रूयत हासिल होगा।(आलमगीरी)

मसअ्ला.3:– दो थैलियों में रुपये थे एक एक थैली दोनों को दी गई और एक ने रुपये देख लिये थे दूसरे ने नहीं यह तक़सीम दोनों के हक़ में जाइज़ है मगर जब कि जिसने नहीं देखे हैं उसके हिस्से में ख़राब रुपये आये तो उसे ख़ियार हासिल होगा।(आलमगीरी)

मसअ्ला.4:– मकान की तक़सीम हुई उसे बाहर से देख लिया है अन्दर से नहीं देखा है तो ख़ियार हासिल नहीं थान तै किये हुए ऊपर से देख लिये अन्दर से नहीं देखे ख़ियार बाक़ी न रहा।(आलमगीरी)

मसअ्ला.5:– तक़सीम में ख़ियार के वही अह्काम हैं जो बैअ् में हैं लिहाज़ा उसके हिस्से में जो चीज़ें आईं उन में कोई चीज़ ऐबदार है और क़ब्ज़ा से पहले उसे इल्म होगया तो सब को वापस करदे उसके हिस्से में एक ही क़िस्म की चीज़ें या मुख़्तलिफ़ क़िस्म की और अगर क़ब्ज़े के बाद ऐब पर ख़बर हुई और उसका हिस्सा एक चीज़ हो हक़ीक़तन या हुक्मन जैसे मकील व मौज़ून तो सब वापस करदे यह नहीं कर सकता कि कुछ रखले कुछ वापस करदे और अगर मुख़्तलिफ़ चीज़ें हों जैसे बकरियाँ तो सिर्फ़ ऐबदार को वापस कर सकता है।(आलमगीरी)

मसअ्ला.6:– तक़सीम में जो चीज़ उसे मिली उसने बेच डाली मुश्तरी ने उस में ऐब पाकर वापस करदी अगर यह वापसी क़ाज़ी के हुक्म से हुई है तो तक़सीम तोड़ी जा सकती है और बिग़ैर हुक्मे क़ाज़ी वापसी हुई तो तक़सीम को नहीं तोड़ सकता।(आलमगीरी)

वली भी तक़सीम कर सकता है

मसअ्ला.7:– जो शख़्स किसी की चीज़ बैअ् कर सकता है वह उसके अम्वाल की तक़सीम भी करा सकता है ना'बालिग़ और मजनून व मअ्तूह के अम्वाल की तक़सीम बाप ने कराई यह जाइज़ है जब तक उस तक़सीम में ग़ब्ने फ़ाहिश न हो। बाप न हो तो उसका वसी बाप के क़ाइम मक़ाम है और बाप का वसी न हो तो दादा उसके क़ाइम मक़ाम है। माँ ने औलाद के लिये तर्का छोड़ा है और किसी को वसी मुक़र्रर कर गई है यह वसी उस तर्का में तक़सीम करा सकता है बशर्ते कि वह तीनों जिनका पहले ज़िक्र किया गया न हो मगर माँ का वसी जायदादे ग़ैर मन्कूला में तक़सीम नहीं कर सकता। माँ और भाई और चचा और ना'बालिग़ा औरत के शौहर को या बालिग़ा औरत जो ग़ाइब है उसके शौहर को तक़सीम कराने का हक़ नहीं।(आलमगीरी)

मसअ्ला.8:– ना'बालिग़ मुस्लिम का बाप काफ़िर है यह उसकी मिल्क की तक़सीम नहीं करा सकता यूंही अगर ना'बालिग़ आज़ाद है और उसका बाप ग़ुलाम है या मकातिब उसे भी विलायत हासिल नहीं उसी तरह पड़ा हुआ बच्चा कोई उठा लाया वह अगर्चे उस की परवरिश में हो उस के अमवाल को यह तक़सीम नहीं करा सकता।(आलमगीरी)

मसअ्ला.9:– क़ाज़ी ने यतीम के लिये किसी को वसी मुक़र्रर कर दिया है अगर यह हर चीज़ में वसी है तो तक़सीम करा सकता है जायदादे मन्कूला और ग़ैर मन्कूला सब की तक़सीम करा सकता है और अगर वह नफ़क़ा या किसी मुअय्यन चीज़ की हिफ़ाज़त के लिये वसी है तो तक़सीम नहीं करा सकता और बाप का वसी अगर एक चीज़ में वसी है तो सब चीज़ों में वसी है।(आलमगीरी)

मसअ्ला.10:– एक शख़्स दो बच्चों का वसी है तो उनके मुश्तरक अम्वाल को तक़सीम नहीं कर सकता जिस तरह एक के माल को दूसरे के माल से बैअ् नहीं कर सकता और बाप अपने ना'बालिग़ बच्चों के मुश्तरक माल को तक़सीम कर सकता है जिस तरह एक के माल को दूसरे के माल से बैअ् कर सकता है। वसी अगर दोनों ना'बालिग़ों के अम्वाल को तक़सीम कराना ही चाहता है तो उसका हीला यह है कि एक का हिस्सा किसी के हाथ बैअ् करदे फिर उस मुश्तरी और दूसरे ना'बलिग़ के मा'बैन तक़सीम कराये फिर उस मुश्तरी से पहले ना'बालिग़ की तरफ़ से ख़रीद ले दोनों हिस्से मुमताज़ होजायेंगे। दूसरी सूरत यह है कि दोनों के माल फ़रोख़्त करदे फिर हर एक के लिये मुश्तरी से मुमताज़ करके ख़रीदले।(आलमगीरी)

मसअ्ला.11:– अगर यतीम व वसी के मा'बैन माले मुश्तरक है तो उस सूरत में वसी माल को तक़सीम नहीं करा सकता मगर जब कि तक़सीम में ना'बालिग़ के लिये खुला हुआ फ़ायदा मा'लूम होता हो और बाप और उसके ना'बालिग़ बच्चे के मा'बैन माले मुश्तरक हो तो बाप तक़सीम करा सकता है अगर्चे ना'बालिग़ का खुला हुआ नफ़अ् न भी हो।(आलमगीरी)

मसअ्ला.12:– बालिग़ व ना'बालिग़ दोनों क़िस्म के वुरसा हैं और बिल'ग़ैन मौजूद हैं वसी ने बिल'ग़ैन के मुक़ाबिले में तक़सीम कराई और सब ना'बालिग़ों के हिस्से यकजाई रखे यह जाइज़ है फ़िर ना'बालिग़ों के हिस्से तक़सीम करना चाहे यह नहीं हो सकता और अगर एक नाबालिग़ है बाक़ी बालिग़ और बिल'ग़ैन में एक ग़ाइब है और बाक़ी मौजूद वसी ने मौजूदीन के मुक़ाबला में तक़सीम कराई और ग़ाइब के हिस्से को ना'बालिग़ के साथ रखा यह जाइज़ है।(आलमगीरी)

मसअ्ला.13:– वुरसा में बालिग़ व ना'बालिग़ दोनों हैं वसी ने इस तरह तक़सीम कराई कि हर ना'बालिग़ का हिस्सा भी मुमताज़ होगया यह तक़सीम ना'जाइज़ है मय्यित ने किसी के लिये तिहाई की वसियत की है वसी ने मूसा'लहू (जिस के मुतअ़ल्लिक़ वसियत की गई) और ना'बालिग़ीन के मा'बैन तक़सीम की मूसा'लहू की तिहाई उसको देदी और दो तिहाईयाँ ना'बालिग़ीन के लिये रखें यह जाइज़ है और अगर वुरसा बालिग़ हों मगर मौजूद नहीं हैं वसी ने तक़सीम कर के मूसा'लहू की तिहाई उसे देदी और वुरसा का हिस्सा महफ़ूज़ रखा यह भी जाइज़ है और अगर मूसा'लहू ग़ाइब है वसी ने वुरसा के मुक़ाबिल में तक़सीम कर के मूसा'लहू का हिस्सा महफ़ूज़ रखा यह तक़सीम बातिल है।(आलमगीरी)

मुज़ारअ़त का बयान

मुज़ारअ़त के मुतअ़ल्लिक़ मुख़्तलिफ़ क़िस्म की हदीसें आई बाज़ से जवाज़ साबित होता है और बाज़ से अ़दमे जवाज़ इसी वजह से सहाबा व अइम्मा में उसके जवाज़ व अ़दमे जवाज़ में इख़्तिलाफ़ रहा।

हदीस् (1) सहीह मुस्लिम में अ़ब्दुल्लाह इब्ने उ़मर रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा से मरवी कहते हैं हम मुज़ारअ़त किया करते थे उस में हरज नहीं जानते थे यहाँ तक कि राफ़ेअ् इब्ने ख़दीज रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु ने जब यह कहा कि नबी सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने उस से मना फ़रमाया तो हमने उसे छोड़ दिया।

हदीस् (2) सहीह बुख़ारी व मुस्लिम में राफ़ेअ् इब्ने ख़दीज रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से मरवी कहते हैं मदीना में सब से ज़्यादा हमारे खेत थे और हम में कोई शख़्स ज़मीन को इस तरह किराये पर देता कि इस टुकड़े की पैदावार मेरी है और उस की तुम्हारी तो कभी ऐसा होता कि एक में पैदावार होती और दूसरे में नहीं होती लिहाज़ा नबी करीम सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने उन को मना फ़रमाया।

हदीस् (3) सहीहैन में हन्ज़ला इब्ने क़ैस राफ़ेअ् इब्ने ख़दीज रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रावी कहते हैं मेरे दो चचाओं ने मुझे ख़बर दी कि हुज़ूर के ज़माने में कुछ लोग ज़मीन को इस तरह देते कि जो कुछ नालियों के आस पास पैदावार होगी वह मालिक ज़मीन की है या मालिके ज़मीन पैदावार में से किसी मख़्सूस शय को अपने लिये मुस्तस्ना कर लेता लिहाज़ा नबी सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने उस से मनअ् फ़रमा दिया। कहते हैं मैंने राफ़ेअ् से पूछा कि रुपया अशर्फ़ी से ज़मीन को देना कैसा है तो कहा उस में हरज नहीं बाज़ रावी यह कहते हैं कि जिस सूरत में मुमानअ़त है उसको जब वह शख़्स देखेगा जिसे हलाल व हराम की समझ है तो जाइज़ नहीं कह सकता।

हदीस् (4) सहीह बुख़ारी व मुस्लिम में अ़म्र इब्ने दीनार से मरवी है कहते हैं मैंने ताऊस से कहा कि आप मुज़ारअ़त छोड़ देते तो अच्छा था क्योंकि लोग यह कहते हैं इस से नबी सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने मुमानअ़त फ़रमाई है उन्होंने कहा ऐ अ़म्र इस ज़रीआ़ से लोगों को मैं देता हूँ और लोगों की इआ़नत (मदद) करता हूँ और मुझे इब्ने अ़ब्बास रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा ने यह ख़बर दी कि नबी सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने उस को मनअ् नहीं फ़रमाया और हुज़ूर ने यह फ़रमाया कि "कोई शख़्स अपने भाई को ज़मीन मुफ़्त देदे यह उस से बेहतर है कि उस पर उजरत ले"।

हदीस् (5) सहीह बुख़ारी में अबू जअ्फ़र यानी इमाम मुहम्मद बाक़र रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से मरवी कहते हैं मदीने में मुहाजिरीन का कोई घराना ऐसा नहीं जो तिहाई और चौथाई पर मुज़ारअ़त न करता हो और हज़रत अ़ली व सअ़्द इब्ने मालिक व अ़ब्दुल्लाह इब्ने मसऊ़द व उ़मर इब्ने अ़ब्दुल

अ़ज़ीज़ व क़ासिम व उ़रवा व आले अबी बक्र आले उ़मर व आले अ़ली व इब्ने सीरीन सब ने मुज़ारअ़त की रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हुम अजमईन।

मसअ्ला.1:— किसी को अपनी ज़मीन इस तौर पर काश्त के लिये देना कि जो कुछ पैदावार होगी दोनों में मसलन निस्फ़ या एक तिहाई, दो तिहाईयाँ तक़सीम हो जायेंगी इस को मुज़ारअ़त कहते हैं उसी को हिन्दुस्तान में बटाई पर खेत देना कहते हैं इमामे आज़म रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु के नज़्दीक मुज़ारअ़त ना'जाइज़ है मगर फ़तवा क़ौले साहिबैन (यानी इमाम अबू यूसुफ़ व इमाम मुहम्मद रदियल्लाहु अ़न्हुमा के क़ौल पर) पर है कि मुज़ारअ़त जाइज़ है मुज़ारअ़त के जवाज़ के लिये चन्द शर्तें हैं कि बिग़ैर उन शर्तों के जाइज़ नहीं। (1)आ़क़िदैन आ़क़िल बालिग़ आज़ाद हों अगर ना'बालिग़ या ग़ुलाम हों तो उस का माज़ून होना ज़रूरी है। (2)ज़मीन क़ाबिले ज़राअ़त हो अगर शोर ज़मीन (खारी ज़मीन जिसमें पैदावार की सलाहियत कम हो (अमीनुल क़ादरी)) या बन्जर जिस में ज़राअ़त की क़ाबिलयत नहीं है मुज़ारअ़त पर दी गई तो यह अ़क़्द नाजाइज़ है अगर किसी वजह से उस वक़्त ज़मीन क़ाबिले ज़राअ़त नहीं है मकरूह वजह ज़ाइल हो जायेगी मसलन उस वक़्त वहाँ पानी नहीं है मगर वक़्त पर पानी होजायेगा या उस वक़्त खेत पानी में डूबा हुआ है बोने के वक़्त तक सूख जायेगा तो मुज़ारअ़त जाइज़ है (3)वह ज़मीन जो मुज़ारअ़त पर दी गई मालूम हो। (4)मालिके ज़मीन काश्तकार को वह ज़मीन सिपुर्द करदे और अगर यह ठहरा है कि मालिके ज़मीन भी उस में काम करेगा तो मुज़ारात सहीह नहीं (5)बयाने मुद्दत मसलन एक साल, दो साल, के लिये ज़मीन दी और अगर मुद्दत का बयान न हो तो सिर्फ़ पहली फ़स्ल के लिये मुज़ारअ़त हुई और अगर ऐसी मुद्दत बयान की जिस में मुज़ारअ़त न हो सके या इतनी मुद्दत बयान की कि उतनी मुद्दत तक एक के ज़िन्दा रहने की ब'ज़ाहिर उम्मीद नहीं है तो उन दोनों सूरतों में मुज़ारअ़त फ़ासिद। (6)यह बयान कि बीज मालिके ज़मीन देगा या काश्तकार के ज़िम्मे होगा। अगर बयान न हो तो वहाँ का जो उ़र्फ़ हो वह किया जाये जैसे यहाँ हिन्दुस्तान भर में यही उ़र्फ़ है कि बीज काश्तकार के होते हैं (7)यह बयान कि क्या चीज़ बोयेगा और अगर मुतअ़य्यन न करे तो यह इजाज़त दे कि तेरा जो जी चाहे उस में बोना यह बताने की ज़रूरत नहीं कि कितने बीज डालेगा कि ज़मीन जितनी होती है उसी हिसाब से काश्तकार बीज डाला करते हैं (8)हर एक को क्या मिलेगा उसका अ़क़्द में ज़िक्र करना ज़रूरी है और जो कुछ पैदावार हुआ उसमें दोनों की शिरकत हो अगर फ़क़त एक को देना क़रार पाया तो अ़क़्द सहीह नहीं और यह शर्त कि दूसरी चीज़ में से दिया जायेगा उस से भी शिरकत न हुई और जो मिक़दार हो हर एक के लिये उसका मुतअ़य्यन हो जाना ज़रूरी है मसलन निस्फ़ या तिहाई या चौथाई और जो कुछ हिस्सा हो वह जुज़ व शाइअ़ हो लिहाज़ा अगर एक के लिये यह ठहरा कि एक मन या दो मन दिये जायेंगे तो सहीह नहीं यूंही अगर यह ठहरा कि बीज की मिक़दार निकालने के बाद बाक़ी को इस तरह तक़सीम किया जायेगा तो मुज़ारअ़त सहीह न हुई इसी तरह अगर यह ठहरा कि खेत के उस हिस्से की पैदावार फ़ुलाँ लेगा और बाक़ी फ़ुलाँ या बाक़ी को दोनों में तक़सीम किया जायेगा यह मुज़ारअ़त सहीह नहीं और अगर यह ठहरा कि ज़मीन का फ़र्श निकालकर बाक़ी को तक़सीम किया जायेगा तो हरज नहीं यूंही अगर यह तै हो कि दोनों में एक को पहले पैदावार का दसवाँ हिस्सा दिया जाये उस के बाद इस तरह तक़सीम हो तो इस में भी हरज नहीं।

शुरूते मुन्दरजा ज़ैल (नीचे लिखी शर्तों) से मुज़ारअ़त फ़ासिद होजाती है। (1)पैदावार का एक के लिये मख़्सूस होना। (2)मालिके ज़मीन के काम करने की शर्त। (3)हल, बैल, मालिके ज़मीन के ज़िम्मे शर्त कर देना। (3)खेत काटना, और ढोकर ख़िर्मन (ग़ल्ले का ढेर लगाने की जगह) में पहुँचाना फिर दायें चलाना और ग़ल्ले को भूसा उड़ाकर जुदा करना इन सब को मुज़ारेअ़ (काश्तकार) पर शर्त करना मुफ़्सिद है या नहीं उस में दो रिवायतें हैं और यहाँ का उ़र्फ़ यह है कि यह चीज़ें भी मुज़ारेअ़ ही करता है मगर रिवाज यह है कि उन सब चीज़ों में मज़दूरी जो कुछ दी जाती है वह मुश्तरक ग़ल्ले

से दी जाती है मुज़ारेअ़ अपने पास से नहीं देता बल्कि उन तमाम मसारिफ़ के बाद जो कुछ ग़ल्ला बचता है वह हस्बे क़रारदाद तक़सीम होता है। **(4)**एक को ग़ल्ला मिलेगा और दूसरे को सिर्फ़ भूसा। **(5)**ग़ल्ला बांटा जायेगा और भूसा वह लेगा जिस के बीज नहीं हैं मसलन मालिके ज़मीन। **(6)**भूसा बांटा जायेगा और ग़ल्ला सिर्फ़ एक को मिलेगा। और अगर यह शर्त़ है कि ग़ल्ला बंटेगा और भूसा उसको मिलेगा जिसके बीज हैं जैसा यहाँ का यही उ़र्फ़ है कि मुज़ारेअ़ ही बीज देता है और भूसा लेता है यह सूरत स़ह़ीह़ है यूंही अगर भूसे के मुतअ़ल्लिक़ कुछ ज़िक्र ही न आया कि उसको कौन लेगा यह भी सह़ीह़ है मगर उस सूरत में भूसा कौन लेगा उस में दो क़ौल हैं एक यह कि यह भी बंटेगा दूसरा यह कि जिस के बीज हैं उसे मिलेगा यही ज़ाहिरुर्रिवाया है और यहाँ का उ़र्फ़ दूसरे क़ौल के मुवाफ़िक़ है।

मसअ्ला.2:– एक शख़्स की ज़मीन और बीज और दूसरा शख़्स अपने हल बैल से जोते, बोयेगा या एक की फ़क़त़ ज़मीन बाक़ी सब कुछ दूसरे का यानी बीज भी उसी के और हल, बैल भी उसी के और काम भी यही करेगा या मुज़ारेअ़ सिर्फ़ काम करेगा बाक़ी सब कुछ मालिके ज़मीन का यह तीनों सूरतें जाइज़ हैं और अगर यह हो कि ज़मीन और बैल एक के और काम करना और बीज मुज़ारेअ़ के ज़िम्मे या यह कि बैल और बीज एक के और ज़मीन और काम दूसरे का या यह कि एक के ज़िम्मे फ़क़त़ बैल या बीज बाक़ी सब कुछ दूसरे का यह चारों सूरतें ना'जाइज़ व बातिल हैं

मसअ्ला.3:– मुज़ारअ़त जब स़ह़ीह़ हो तो जो कुछ पैदावार हो उस को उस त़ौर पर तक़सीम करें जैसा तै़ हुआ है और कुछ पैदावार न हुई तो किसी को कुछ नहीं मिलेगा और अगर मुज़ारअत फ़ासिद हो तो बहर सूरत काम करने वाले को उजरत मिलेगी पैदावार हो या न हो।(दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.4:– तीन या चार शख़्स मुज़ारअ़त में शरीक हुए यूंही कि एक के फ़क़त़ बीज या बैल होंगे या यूँ कि एक की ज़मीन और एक के बीज, और एक के बैल और एक काम करेगा या यूँ कि एक की ज़मीन और बीज और दूसरे के बैल और तीसरा काम करेगा यह सब सूरतें मुज़ारअ़ते फ़ासिदा की हैं।(रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.5:– अ़क़्दे मुज़ारअ़त हो जाने के बाद यह अ़क़्द लाज़िम होता है या नहीं इस में यह तफ़स़ील है कि जिस के बीज होंगे उस की जानिब से लाज़िम नहीं वह इस पर अ़मल'पैरा होने से (मानने से) इन्कार कर सकता है और जिस के बीज नहीं उस पर लाज़िम है यह नहीं कह सकता कि मुझे यह अ़क़्द मन्ज़ूर नहीं बल्कि उसको अ़क़्द के मुवाफ़िक़ करना ही पड़ेगा और बीज ज़मीन में डालदेने के बाद दोनों त़रफ़ से लाज़िम होगया कोई भी इन्कार नहीं कर सकता।(आलमगीरी)

मसअ्ला.6:– जिस के बीज हैं अगर वह इस अ़क़्द से इन्कार इस वजह से करता है कि वह ख़ुद अपने हाथ से बोना चाहता है या उसको कोई दूसरा शख़्स मिल गया जो कम में काम करेगा मस़लन यह मुज़ारेअ़ निस्फ़ लेना चाहता है वह दूसरा तिहाई पर काम करने को तै़यार है इन सूरतों में बीज वाला इन्कार नहीं कर सकता उसको इस अ़क़्द के मुवाफ़िक़ करना ही होगा।(रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.7:– मुज़ारअ़त में अगर मुज़ारेअ़ के ज़िम्मे खेत का जोतना शर्त़ है जब तो उसे जोतना ही है और अगर अ़क़्द में यह शर्त़ मज़कूर न हुई तो उस की दो सूरतें हैं अगर वह ज़मीन ऐसी है कि बिग़ैर जोते भी उस में वैसी ही पैदावार हो सकती है जो मक़सूद है तो जबरन उस से नहीं जुतवाया जा सकता और अगर बिग़ैर जोते कुछ पैदावार न होगी या बहुत कम होगी तो खेत जोतने पर मजबूर किया जायेगा। यही हुक्म आब'पाशी का है कि अगर मह़ज़ आसमानी बारिश काफ़ी है पानी न दिया जाये जब भी ठीक पैदावार होगी तो पानी देने पर मजबूर नहीं किया जा सकता वरना उसें पानी देना ही होगा इन्कार नहीं कर सकता।(आलमगीरी)

मसअ्ला.8:– मुज़ारअ़त होजाने के बाद पैदावार की तक़सीम जिस त़रह तै़ पा गई है उस में कमी बेशी हो सकती है या नहीं मसलन निस्फ़ निस्फ़ तक़सीम करना तै़ पाया था अब एक तिहाई, दो तिहाई लेना देना चाहता है उस की तफ़सील यह है कि यह कमी या बेशी मालिक ज़मीन की त़रफ़

से होगी या मुज़ारेअ़ की तरफ़ से और बहर सूरत बीज मालिक ज़मीन के हैं या मुज़ारेअ़ के। अगर खेत तैयार होगया और बीज मुज़ारेअ़ के हैं और पहले मुज़ारअत निस्फ़ पर थी अब काश्तकार मालिक ज़मीन का हिस्सा बढ़ाना चाहता है उसे दो तिहाईयाँ देना चाहता है यह ना'जाइज़ है बल्कि पैदावार उसी तरह पर तक़सीम होगी जो तै है और अगर मालिक ज़मीन मुज़ारेअ़ का हिस्सा बढ़ाना चाहता है बजाये निस्फ़ उस को दो तिहाईयाँ देना चाहता है यह जाइज़ है। और अगर बीज मालिक ज़मीन के हैं और यह मुज़ारेअ़ का हिस्सा ज़्यादा करना चाहता है यह ना'जाइज़ है और मुज़ारेअ़ मालिक ज़मीन का हिस्सा ज़्यादा करना चाहता है यह जाइज़ है। और अगर फ़स्ल तैयार होने से पहले कमी बेशी करना चाहते हैं तो मुतलक़न जाइज़ है मुज़ारेअ़ की तरफ़ हो या मालिक ज़मीन की तरफ़ से बीज उस के हों या इस के।(आलमगीरी)

मसअ्ला.9:– मुज़ारअ़त इस तरह हुई कि एक की ज़मीन है और बीज दोनों के हैं और मुज़ारेअ़ के ज़िम्मे काम करना है और शर्त यह है कि जो कुछ पैदावार होगी दोनों बराबर बांट लेंगे यह मुज़ारअ़त फ़ासिद है यूंही अगर एक के लिये दो तिहाईयाँ और दूसरे के लिए एक तिहाई मिलना शर्त हो यह भी फ़ासिद है और अगर ज़मीन दोनों की हो और बीज भी दोनों देंगे और काम भी दोनों करेंगे और जो कुछ पैदावार होगी दोनों बराबर बांट लेंगे। यह मुज़ारअ़त सहीह है और अगर ज़मीन दोनों में मुश्तरक है और बीज एक के हैं और पैदावार बराबर लेंगे यह सूरत फ़ासिद है और अगर उसी सरूत में कि ज़मीन मुश्तरक है यह शर्त हो कि जो काम करेगा उस की दो तिहाईयाँ और दूसरे को या'नी जिसके बीज नहीं हैं उस को एक तिहाई मिलेगी यह जाइज़ है।(आलमगीरी)

मसअ्ला.10:– मुज़ारअ़ते फ़ासिदा के यह अह़काम हैं। जो कुछ इस सूरत में पैदावार हो उसका मालिक तन्हा वह शख़्स है जिस के बीज हैं फिर अगर बीज मुज़ारेअ़ के हैं तो यह मालिक ज़मीन को ज़मीन की उजरते मिस्ल देगा और अगर बीज मालिक ज़मीन के हैं तो यह मुज़ारेअ़ को उस के काम की उजरते मिस्ल देगा और अगर बैल भी मालिक ज़मीन ही के हैं तो ज़मीन और बैल दोनों की उजरते मिस्ल उस को मिलेगी इमाम अबूयूसुफ़ रहमतुल्लाहि तआ़ला अ़लैह के नज़्दीक उजरते मिस्ल उतनी ही दी जाये जो मुक़र्रर शुदा से ज़ाइद न हो या'नी अगर मुक़र्रर शुदा से ज़ाइद हो तो उतनी ही दे जो मुक़र्रर है या'नी मस्लन निस्फ़ पैदावार की बराबर और इमाम मुहम्मद रह़मतुल्लाहि तआ़ला अ़लैह के नज़्दीक यह पाबन्दी नहीं बल्कि जितनी भी उजरते मिस्ल हो अगरचे मुक़र्रर शुदा से ज़्यादा हो वही दी जायेगी। (हिदाया)

मसअ्ला.11:– मुज़ारअ़ते फ़ासिदा में अगर बीज मालिक ज़मीन के हैं और पैदावार उसने ली यह उस के लिये ह़लाल व तय्यिब है और अगर मुज़ारेअ़ के बीज थे और पूरी पैदावार उसने ली तो इस के लिये फ़क़त उतना ही तय्यिब है जो बीज और लगान के मुक़ाबिल में है बाक़ी को सदक़ा करे(हिदाया)

मसअ्ला.12:– मुज़ारअ़ते फ़ासिदा में अगर यह चाहें कि पैदावार का जो कुछ हिस्सा मिला है वह तय्यिब व ताहिर (पाक) होजाये तो उसका तरीक़ा यह है कि हिस्से बंट जाने के बाद मालिक ज़मीन मुज़ारेअ़ से कहे तुम्हारा मेरे ज़िम्मे यह वाजिब है और मेरा तुम्हारे ज़िम्मे यह वाजिब है उस ग़ल्ला को लेकर मुसालहत करलो और मुज़ारेअ़ भी उसी तरह करे और दोनों आपस में मुसालहत करलें अब कोई ह़रज न रहेगा।(आलमगीरी)

मसअ्ला.13:– एक शख़्स ने दूसरे को बीज दिये और यह कहा कि तुम उन्हें अपनी ज़मीन में बोदो और जो कुछ ग़ल्ला पैदा हो वह तुम्हारा है या यूँ कहा कि अपनी ज़मीन में मेरे बीज से काश्त करो जो कुछ पैदावार हो वह तुम्हारी है यह दोनों सूरतें जाइज़ हैं मगर यह मुज़ारअ़त नहीं है क्योंकि पैदावार में शिरकत नहीं है बल्कि उस शख़्स ने अपने बीज उसे क़र्ज़ दिये और अगर बीज वाले ने मालिक ज़मीन से यह कहा कि मेरे बीज से तुम अपनी ज़मीन काश्त करो और जो कुछ पैदावार हो मेरी है यह सूरत भी जाइज़ है और उस का मतलब यह हुआ कि उस की ज़मीन काश्त के लिये आ़रियत ली।(आलमगीरी)

मसअ्ला.14:– मुज़ारेअ् को ज़मीन दी और यह कहा कि उस में गेहूँ और जौ दोनों बोये जायें एक को गेहूँ मिलेंगे और दूसरे को जौ यह मुज़ारअत फ़ासिद है।(आलमगीरी)

मसअ्ला.15:– मुज़ारेअ् को ज़मीन दी और यह कहा कि अगर तुमने गेहूँ बोये तो निस्फ़ निस्फ़ दोनों के और जौ बोये तो कुल मुज़ारेअ् के यह सूरत जाइज़ है इसका मतलब यह है कि गेहूँ बोने की सूरत में मुज़ारअत है और जौ बोने की सूरत में आरियत है और अगर यह कह कर ज़मीन दी कि गेहूँ बोये तो निस्फ़ निस्फ़ और जौ बोये तो यह कुल मालिके ज़मीन के इस का हुक्म यह है कि गेहूँ बोने की सूरत में मुज़ारअत है और जाइज़ है और जौ बोये तो यह कुल मुज़ारेअ् के होंगे और मालिके ज़मीन को ज़मीन की उजरते मिस्ल यानी वाजिबी लगान दिया जाये।(आलमगीरी)

मसअ्ला.16:– यह कह कर ज़मीन दी कि अगर गेहूँ बोये तो निस्फ़ निस्फ़ और जौ बोये तो मालिके ज़मीन के लिये एक तिहाई और मुज़ारेअ् के लिये दो तिहाईयाँ और तिल बोये तो मालिक ज़मीन की एक चौथाई, बाक़ी मुज़ारेअ् की यह सूरत जाइज़ है जो कुछ बोयेगा उसी शर्त के मुवाफ़िक़ तक़सीम होगी।(आलमगीरी)

मसअ्ला.17:– एक शख़्स को तीस बरस के लिये ज़मीन देदी कि गेहूँ या जौ या जो कुछ रबीअ् या ख़रीफ़ की पैदावार हो दोनों में तक़सीम होगी और उस ज़मीन में मुज़ारेअ् जो दरख़्त लगायेगा वह एक तिहाई मालिके ज़मीन का बाक़ी मुज़ारेअ् का यह जाइज़ है वह जो कुछ बोये या जिस क़िस्म के दरख़्त लगाये उसी शर्त के मुवाफ़िक़ किया जायेगा।(आलमगीरी)

मसअ्ला.18:– मुज़ारअत में यह शर्त हुई कि अगर मज़दूर से काम लिया जायेगा तो उस की उजरत मुज़ारेअ् के ज़िम्मे होगी यह जाइज़ है और अगर यह शर्त हो कि मज़दूरी मालिके ज़मीन के ज़िम्मे होगी यह ना'जाइज़ है और मुज़ारअ़ते फ़ासिद। यूहीं अगर यह शर्त हो कि मज़दूरी मुज़ारेअ् देगा मगर जो कुछ उजरत में सर्फ़ होगा उस के एवज़ का ग़ल्ला निकालकर बाक़ी को तक़सीम किया जायेगा यह भी ना'जाइज़।(आलमगीरी)

मसअ्ला.19:– मुज़ारअत में ऐसी शर्त थी जिसकी वजह से मुज़ारअत फ़ासिद होगई थी और वह शर्त जिस के लिये मुफ़ीद थी उसने अमल से पहले शर्त बातिल करदी मसलन यह शर्त थी कि मालिक ज़मीन या मुज़ारेअ् बीस रुपये और निस्फ़ पैदावार लेगा जिसको यह रुपये मिलते उसने यह शर्त बातिल करदी तो अब यह मुज़ारअत जाइज़ होगई और अगर वह शर्त दोनों के लिये मुफ़ीद हो तो जब तक दोनों उस शर्त को बातिल न करें फ़क़त एक के बातिल करने से मुज़ारअत जाइज़ न होगी।(आलमगीरी)

मसअ्ला.20:– काश्तकार ने खेत जोत लिया अब मालिक ज़मीन कहता है बटाई पर बुवाना नहीं चाहता अगर बीज काश्तकार के ज़िम्मे हैं तो मालिक ज़मीन को इन्कार करने का कोई हक़ नहीं उससे ज़मीन जबरन ली जायेगी और काश्तकार बोयेगा और अगर बीज मालिके ज़मीन के ज़िम्मे हैं तो इन्कार कर सकता है उस पर जब्र नहीं किया जा सकता रहा यह कि काश्तकार को खेत जोतने का मुआवज़ा दिया जायेगा या नहीं दियानत का हुक्म यह है कि काश्तकार को खेत जोतने की उजरते मिस्ल देकर राज़ी करे क्योंकि अगर्चे खेत जोतने पर वह अजीर नहीं है मगर चूंकि मालिके ज़मीन ने उस से अक़्दे मुज़ारअत किया इस वजह से उसने जोता वरना क्यों जोतता(दुर्रेमुख़्तार)

मुज़ारेअ् का दूसरे को मुज़ारअत पर ज़मीन दे देना

मसअ्ला.21:– काश्तकार को मुज़ारअत पर ज़मीन दी काश्तकार यह चाहता है कि दूसरे शख़्स को मुज़ारअत पर देदे अगर बीज मालिके ज़मीन के हैं तो ऐसा नहीं कर सकता जब तक मालिके ज़मीन से सराहतन या दलालतन इजाज़त न हासिल करे दलालतन इजाज़त की यह सूरत है कि उसने कह दिया हो तुम अपनी राय से काम करो और बिग़ैर इजाज़त उसने दूसरे को देदी तो इन दोनों के मा'बैन हस्बे शराइत ग़ल्ला तक़सीम होगा और मालिके ज़मीन बीज का तावान लेगा पहले से लेगा तो वह दूसरे से वापस नहीं ले सकता और दूसरे से लेगा तो वह पहले से रुजूअ् करेगा और

ज़राअत की वजह से ज़मीन में जो कुछ नुक़सान होगा वह मुज़ारेअ् दोम से मालिके ज़मीन वसूल करेगा फिर इस सूरत में मुज़ारेअ् अव्वल को पैदावार का जो हिस्सा मिला है उस में से उतना हिस्सा उस के लिये जाइज़ है जो तावान में दे चुका है बाक़ी को सदक़ा करदे।(आलमगीरी)

मसअ्ला.22:– मालिक ज़मीन ने मुज़ारेअ् को सराहतन या दलालतन इजाज़त देदी है कि वह दूसरे को मुज़ारअत के तौर पर देदे और मालिके ज़मीन ने निस्फ़ पर उस को दी थी और उसने दूसरे को निस्फ़ पर देदी तो यह दूसरी मुज़ारअत जाइज़ है। और जो पैदावार होगी उस में का निस्फ़ मालिके ज़मीन लेगा और निस्फ़ मुज़ारेअ् दोम लेगा मुज़ारेअ् अव्वल के लिये कुछ नहीं बचा और अगर मुज़ारेअ् अव्वल ने दूसरे से यह तय कर लिया है कि आधा मालिक ज़मीन को मिलेगा और आधे में हम दोनों बराबर लेंगे या एक तिहाई, दो तिहाई लेंगे तो जो कुछ तय पाया उसके मुवाफ़िक़ तक़सीम हो।

मसअ्ला.23:– मालिक ज़मीन ने मुज़ारअत पर ज़मीन दी और यह कहा कि अपने बीज से काश्त करो उसने ज़मीन और बीज दूसरे को बोने के लिये मुज़ारअत पर देदी यह जाइज़ है मालिके ज़मीन ने सराहतन या दलालतन ऐसा करने की इजाज़त दी हो या न दी हो दोनों का एक हुक्म है अब अगर पहली मुज़ारअत निस्फ़ पर थी और दूसरी भी निस्फ़ पर हुई तो निस्फ़ ग़ल्ला मालिके ज़मीन लेगा और निस्फ़ मुज़ारेअ् दोम। और मुज़ारेअ् अव्वल को कुछ नहीं मिलेगा और अगर दूसरी मुज़ारअत में यह ठहरा है कि एक तिहाई मुज़ारेअ् दोम की तो निस्फ़ मालिके ज़मीन का और एक तिहाई दोम की और छठा हिस्सा मुज़ारेअ् अव्वल का या उस के सिवा जो सूरत तै पा गई हो उसके मुताबिक़ तक़सीम हो।(आलमगीरी)

मसअ्ला.24:– मालिके ज़मीन ने मुज़ारेअ् से कहा कि तुम अपने बीजों से काश्त करो दोनों निस्फ़ निस्फ़ लेंगे और मुज़ारेअ् (किसान) ने दूसरे को देदी कि तुम अपने बीज से काश्त करो और जो कुछ पैदावार हो उस में दो तिहाईयाँ तुम्हारी इस सरूत में मुज़ारेअ् दोम हस्बे शर्त दो तिहाईयाँ लेगा और एक तिहाई मालिके ज़मीन लेगा और मालिके ज़मीन मुज़ारेअ् अव्वल से तिहाई ज़मीन की उजरत (लगान) लेगा और अगर बीज मुज़ारेअ् अव्वल ही ने दिये मगर मुज़ारेअ् दोम के लिये पैदावार की दो तिहाईयाँ देना तै पाया उस सूरत में भी वही हुक्म है।(आलमगीरी)

मसअ्ला.25:– काश्त के लिये दूसरे को ज़मीन दी और यह ठहरा कि बीज दोनों के होंगे और बैल काश्तकार के होंगे और पैदावार दोनों में निस्फ़ निस्फ़ तक़सीम हो जायेगी काश्तकार ने एक दूसरे शख़्स को अपने हिस्से में शरीक कर लिया कि यह भी उस के साथ काम करेगा उस सूरत में मुज़ारअत और शिरकत दोनों फ़ासिद हैं। जितने जितने दोनों के बीज हों उसी हिसाब से ग़ल्ला दोनों में तक़सीम होगा और मालिक ज़मीन मुज़ारेअ् अव्वल से निस्फ़ ज़मीन की उजरते मिस्ल लेगा और यह दूसरा शख़्स भी मुज़ारेअ् अव्वल से अपने काम की उजरते मिस्ल लेगा। और मुज़ारेअ् अव्वल अपने बीज की क़द्र और जो कुछ ज़मीन की उजरत और काम की उजरत दे चुका है उन की क़ीमत का ग़ल्ला रख ले बाक़ी को सदक़ा कर दे।(आलमगीरी) और अगर काश्तकार ने दूसरे को शरीक न किया हो जब भी फ़ासिद है और वही अहकाम हैं जो मज़कूर हुये।(दुर्रेमुख़्तार, रद्दुल मुहतार)

मुज़ारअत फ़स्ख़ होने की सूरते

मसअ्ला.26:– जिन दो शख़्सों के मा'बैन मुज़ारअत हुई उनमें किसी के मरजाने से मुज़ारअत फ़स्ख़ हो जायेगी जैसा कि इजारा का हुक्म था फिर अगर मसलन तीन साल के लिये मुज़ारअत पर ज़मीन दी थी और पहली साल में खेत बोने और उगने के बाद मालिक ज़मीन मरगया और खेत अभी काटने के क़ाबिल नहीं हो तो ज़मीन मुज़ारेअ् के पास उस वक़्त तक छोड़दी जायेगी कि फ़सल तैयार होजाये इस सूरत में पैदावार हस्बे क़रारदाद तक़सीम होगी और दूसरे तीसरे साल के हक़ में मुज़ारअत फ़स्ख़ होजायेगी। (हिदाया)

मसअ्ला.27:– मुज़ारेअ् ने खेत जोतकर तैयार किया मेंढ भी दुरुस्त करली नालियाँ भी बनालीं मगर अभी बोया नहीं है कि मालिके ज़मीन मरगया तो मुज़ारअत फ़स्ख़ होगई और मुज़ारेअ् ने जो कुछ काम किया है इस सूरत में उसका कोई मुआवज़ा नहीं।(हिदाया)

मसअ्ला.28:– खेत बो दिया गया और अभी उगा नहीं कि मालिक ज़मीन मरगया इस सूरत में मुज़ारअत फ़स्ख़ होगी या बाक़ी रहेगी उस में मशाइख़ का इख़्तिलाफ़ है।(आलमगीरी) जो मशाइख़ यह कहते हैं कि मुज़ारअत फ़स्ख़ नहीं होगी उनका क़ौल बेहतर मालूम होता है कि मुज़ारेअ् को नुक़सान से बचाना है जबकि बीज मुज़ारेअ् के हों।

मसअ्ला.29:– मुज़ारेअ् ने खेत बोने में देर की कि मुद्दत ख़त्म होगई और अभी ज़राअत कच्ची है कटने के क़ाबिल नहीं हुई मालिक ज़मीन कहता है कि कच्ची खेती कांट ली जाये और मुज़ारेअ् इन्कार करता है मालिक ज़मीन को खेत काटने से रोका जायेगा और चूंकि आधी ज़राअत मुज़ारेअ् की है खेत तैयार होने तक दोनों के मा'बैन एक जदीद इजारा क़रार दिया जायेगा लिहाज़ा उतने दिनों की जो कुछ उजरत उस ज़मीन की हो उस का निस्फ़ मुज़ारेअ् मालिक ज़मीन को देगा।(आलमगीरी)

मसअ्ला.30:– फ़स्ल तैयार होने से पहले मुज़ारेअ् मरगया उस के वुरसा कहते हैं कि हम इस खेत का काम करेंगे उनको यह हक़ दिया जायेगा कि यह लोग मुज़ारेअ् के क़ाइम मक़ाम हैं इस सूरत में काम की उन को कुछ उजरत नहीं मिलेगी बल्कि पैदावार का हिस्सा मिलेगा और अगर यह लोग ज़राअत के काम से इन्कार करते हैं तो उन को मजबूर नहीं किया जा सकता बल्कि मालिक ज़मीन को इख़्तियार है कि कच्ची खेती काटकर आधी उन को देदे और आधी ख़ुद लेले या उन के हिस्से की क़ीमत देकर ज़राअत लेले या उन के हिस्से पर भी ख़र्च करे और जो कुछ उन के हिस्से पर सर्फ़ हो वह उन के हिस्से की पैदावार से वसूल करे।(हिदाया)

मसअ्ला.31:– खेत बोने के बाद मुज़ारेअ् ग़ाइब होगया मालूम नहीं कहाँ है मालिक ज़मीन ने क़ाज़ी से हुक्म हासिल कर के ज़राअत पर सर्फ़ किया खेत जब तैयार होगया मुज़ारेअ् आया और अपना हिस्सा मांगता है तो जो कुछ सर्फ़ा हुआ है जब तक सब न देदे अपना लेने का हक़दार नहीं और अगर बिग़ैर हुक्मे क़ाज़ी मालिक ज़मीन ने सर्फ़ किया तो मुतबर्रेअ् है वसूल नहीं कर सकता और क़ाज़ी हुक्म उस वक़्त देगा जब मालिक ज़मीन गवाहों से साबित करदे कि ज़मीन मेरी है मुज़ारअत पर फुलां को देदी है वह खेत बोकर ग़ाइब होगया।(आलमगीरी)

मसअ्ला.32:– फ़स्ल तैयार होने के बाद मुज़ारेअ् मरगया मालिक ज़मीन यह देखता है कि खेत में ज़राअत मौजूद नहीं है और यह मालूम नहीं क्या हुई तो अपने हिस्से का तावान उसके तर्का से वसूल करेगा अगर्चे वुरसा कहते हों कि ज़राअत चोरी होगई।(आलमगीरी)

मसअ्ला.33:– मालिक ज़मीन पर दैन है और सिवा इस ज़मीन के जिस को मुज़ारअत पर दे चुका है कोई माल नहीं है जिस से दैन अदा किया जाये अगर अभी फ़क़त अक़्दे मुज़ारअत ही हुआ है काश्तकार ने खेत बोया नहीं है तो ज़मीन दैन की अदा के लिये बैअ् कर दी जाये और मुज़ारअत फ़स्ख़ कर दी जाये और अगर खेत बोया जा चुका है मगर अभी उगा नहीं है जब भी बैअ् हो सकती है और दियानत का हुक्म यह है कि मुज़ारेअ् को कुछ देकर राज़ी कर लिया जाये और ज़राअत उग चुकी है मगर अभी तैयार नहीं हुई है तो बिग़ैर इजाज़त मुज़ारेअ् नहीं बेची जा सकती वह अगर इजाज़त देदे तो अब बेचना जाइज़ है और उस में दो सूरतें हैं सिर्फ़ ज़मीन की बैअ् हो या ज़मीन व ज़राअत दोनों की हो अगर दोनों की बैअ् हो और मुज़ारेअ् ने इजाज़त देदी तो दोनों में बैअ् नाफ़िज़ होगी और इस सूरत में समन को क़ीमते ज़मीन और क़ीमते ज़राअत पर तक़सीम करें जो हिस्सा ज़मीन के मुक़ाबिल में हो वह मालिक ज़मीन का है और जो हिस्सा ज़राअत के मुक़ाबिल में है दोनों पर हस्बे क़रारदाद तक़सीम किया जाये और अगर मुज़ारेअ् ने इजाज़त नहीं दी तो मुश्तरी को इख़्तियार है कि बैअ् को फ़स्ख़ करदे या ज़राअत तैयार होने का इन्तिज़ार करे और

अगर सिर्फ़ ज़मीन की बैअ् हुई है और मुज़ारेअ् ने इजाज़त देदी तो ज़मीन मुश्तरी की है और ज़राअत बाइअ् व मुज़ारेअ् की है और अगर मुज़ारेअ् ने इजाज़त नहीं दी तो मुश्तरी को इख़्तियार है कि बैअ् फ़स्ख़ करदे या इन्तिज़ार करे और अगर मालिक ज़मीन ने ज़मीन और ज़राअत का अपना हिस्सा बैअ् किया तो उस में भी वही दो सूरतें हैं। और मुज़ारेअ् यह चाहे कि बैअ् को फ़स्ख़ करदे यह हक़ उसे हासिल नहीं।(हिदाया, दुर्रेमुख़्तार, आलमगीरी)

मसअ्ला.34:– फ़स्ल तैयार होने के बाद दैन अदा करने के लिये ज़मीन बेची गई अगर सिर्फ़ ज़मीन की बैअ् हुई तो बिला तवक़्क़ुफ़ जाइज़ है और अगर ज़मीन और पूरी ज़राअत बैअ् करदी तो ज़मीन और ज़राअत के उस हिस्से में जो मालिक ज़मीन का है बैअ् जाइज़ है और मुज़ारेअ् के हिस्से में उसकी इजाज़त पर मौक़ूफ़ है और फ़र्ज़ करो मुज़ारेअ् ने इजाज़त नहीं दी और मुश्तरी को यह मालूम था कि यह ज़मीन मुज़ारअत पर है तो मुश्तरी को इख़्तियार हासिल है कि सिर्फ़ बाइअ् के हिस्से पर क़नाअत करे और हिस्सा–ए–मुज़ारेअ् के मुक़ाबिल में समन का जो हिस्सा हो वह कम करदे और चाहे तो बैअ् फ़स्ख़ करदे कि उसने पूरी ज़राअत ख़रीदी थी फ़क़त इतना ही हिस्सा उसे ख़रीदना मक़सूद न था।(आलमगीरी)

मसअ्ला.35:– खेत में बीज डाल दिये गये और अभी उगे नहीं खेत को बैअ् कर दिया अगर वह बीज सड़ गये हैं तो मुश्तरी के हैं और अगर सड़े नहीं हैं तो यह बीज बाइअ् के हैं और फ़र्ज़ करो मुश्तरी ने पानी दिया बीज उगे गल्ला पैदा हुआ तो यह सब बाइअ् ही का है मुश्तरी को कोई मुआवज़ा नहीं मिलेगा कि उसने जो कुछ किया तबर्रोअ् (एहसान) है।(आलमगीरी)

मसअ्ला.36:– मदयून (मक़रूज़) दैन (क़र्ज़) की वजह से क़ैद किया गया और उस के पास यही ज़मीन है जो मुज़ारअत पर उठा चुका है और ज़मीन में कच्ची ज़राअत है जिसकी वजह से बैअ् नहीं की जा सकती कि बेच कर दैन अदा किया जाता तो उसे क़ैद ख़ाना से रिहा किया जायेगा कि दैन की अदा में जो कुछ देर होगी वह उ़ज़्र से है।(हिदाया)

मसअ्ला.37:– मुज़ारेअ् ऐसा बीमार होगया कि काम नहीं कर सकता या सफ़र में जाना चाहता है या वह उस पेशा–ए–ज़राअत ही को छोड़ना चाहता है उन सूरतों में मुज़ारअत फ़स्ख़ करदी जायेगी या मुज़ारेअ् यह कहता है कि मैं दूसरी ज़मीन की काश्त करूँगा और बीज उसी के हैं तो छोड़ सकता है।(आलमगीरी)

मसअ्ला.38:– मुद्दत पूरी होगई और अभी फ़स्ल तैयार नहीं है तो मुद्दत के बाद जितने दिनों तक ज़राअत तैयार न होगी उतने दिनों की मुज़ारेअ् के ज़िम्मे निस्फ़ ज़मीन की उजरते मिस्ल वाजिब है और मुद्दत के बाद ज़राअत पर जो कुछ सर्फ़ होगा वह दोनों के ज़िम्मे होगा क्योंकि अक़्दे मुज़ारअत ख़त्म होचुका अब यह ज़राअत दोनों की मुश्तरक चीज़ है लिहाज़ा ख़र्च भी दोनों के ज़िम्मे मगर यह ज़रूर है कि जो कुछ एक ख़र्च करे वह दूसरे की इजाज़त से हो या हुक्मे क़ाज़ी से। बिग़ैर उसके जो कुछ ख़र्च किया मुतबर्रेअ् है उसका मुआवज़ा नहीं मिलेगा।(हिदाया)

मसअ्ला.39:– मुद्दत ख़त्म होगई मालिक ज़मीन यह चाहता है कि यही कच्ची खेती काट ली जाये यह नहीं किया जा सकता और अगर मुज़ारेअ् कच्ची काटना चाहता है तो मालिक ज़मीन को इख़्तियार दिया जायेगा कि कच्चा खेत काटकर दोनों बांट लें या मुज़ारेअ् के हिस्से की क़ीमत देकर कुल ज़राअत लेले या खेत पर अपने पास से सर्फ़ करे और तैयार होने पर उसके हिस्से से वसूल करे।(हिदाया)

मसअ्ला.40:– दो शख़्सों की मुश्तरक ज़मीन है एक ग़ाइब है तो जो मौजूद है वह पूरी ज़मीन में काश्त कर सकता है जब शरीक आजाये तो जितने दिनों तक उसकी काश्त में रही अब यह उतने दिनों काश्त में रखे यह उस सूरत में है कि ज़राअत से ज़मीन को नुक़सान न पहुँचे उस की क़ुव्वत कम न हो और अगर मालूम है कि ज़राअत से ज़मीन कमज़ोर होजायेगी या ज़राअत न करने में ज़मीन को नफ़अ् पहुँचेगा उसकी क़ुव्वत ज़्यादा होगी तो शरीके मौजूद को ज़राअत की इजाज़त नहीं(आलमगीरी)

मसअ्ला.41:– दूसरे की ज़मीन में बिग़ैर इजाज़त काश्त की और मालिक को उस वक़्त ख़बर हुई जब फ़स्ल तैयार हुई उसने अपनी रज़ा'मन्दी ज़ाहिर की या यह हुआ कि पहले नाराज़ हुआ फिर रज़ा'मन्दी देदी दोनों सूरतों में काश्तकार के लिए पैदावार हलाल होगई।(आलमगीरी)

मसअ्ला.42:– एक शख़्स ने दूसरे की ज़मीन पर ग़ासिबाना क़ब्ज़ा किया और मुज़ारअ़त पर उठा दी मुज़ारेअ़ ने अपने बीज बोये और अभी उगे नहीं थे कि मालिक ज़मीन ने इजाज़त देदी तो इजाज़त होगई और जो कुछ पैदावार होगी वह मालिक ज़मीन और मुज़ारेअ़ के मा'बैन उस तरह तक़सीम होगी जो ग़ासिब ने तै की थी और अगर खेती उग आई है और ऐसी होगई है कि उसकी कुछ क़ीमत हो और अब मालिक ज़मीन ने इजाज़त दी तो मुज़ारअ़त जाइज़ होगई या'नी मालिके ज़मीन उसके बाद ना'जाइज़ करना चाहे तो नहीं कर सकता और इजाज़त से पहले अपना खेत ख़ाली करा सकता था मुज़ारअ़त के जाइज़ होने का यह मतलब नहीं कि पैदावार में उसे हिस्सा मिलेगा बल्कि इस सूरत में जो कुछ पैदावार होगी वह मुज़ारेअ़ व ग़ासिब के मा'बैन तक़सीम होगी(आलमगीरी)

मसअ्ला.43:– बीज ग़सब कर के अपनी ज़मीन में बो दिये तो जब तक उगे न हों मालिक इजाज़त दे सकता है कि अभी बीज मौजूद हैं और उगने के बाद इजाज़त नहीं हो सकती कि बीज मौजूद नहीं(आलमगीरी)

मसअ्ला.44:– मालिके ज़मीन ने अपनी ज़मीन रहन रखी फिर वह ज़मीन मुरतहिन को मुज़ारअ़त पर देदी कि मुरतहिन अपने बीज से काश्त करेगा यह मुज़ारअ़त सहीह है मगर ज़मीन रहन से ख़ारिज होगई जब तक फिर से रहन न रखी जाये रहन में नहीं आयेगी।(आलमगीरी)

मसअ्ला.45:– ज़मीन किसी के पास रहन है उसको बतौर मुज़ारअ़त कोई शख़्स लेना चाहता है तो राहिन से ले सकता है जब कि मुरतहिन भी उसकी इजाज़त देदे।(आलमगीरी)

मसअ्ला.46:– ज़राअ़त तैयार होने से पहले जो कुछ काम होगा मस्लन खेत जोतना, बोना, पानी देना, हिफ़ाज़त करना वग़ैरा यह सब मुज़ारेअ़ के ज़िम्मे है चाहे वह ख़ुद करे या मज़दूरों से कराये और दूसरी सूरत में मज़दूरी उसी के ज़िम्मे होगी और जो काम ज़राअ़त तैयार होने के बाद के हैं मस्लन खेत काटना उसे लाकर ख़िरमन में जमा करना, दायें चलाना, भूसा उड़ाना वग़ैरा उसके मुतअ़ल्लिक़ ज़ाहिरुर्रिवाया यह है कि दोनों के ज़िम्मे हैं क्योंकि मुज़ारेअ़ का काम फ़स्ल तैयार होने पर ख़त्म होगया मगर इमाम अबूयूसुफ़ रहमतुल्लाहि तआ़ला से एक रिवायत यह है कि यह काम भी मुज़ारेअ़ के ज़िम्मे हैं और बाज़ मशाइख़ ने इसी को इख़्तियार फ़रमाया कि मुसलमानों का उस पर अ़मल है। और जो काम तक़सीम के बाद है मस्लन ग़ल्ला मकान पर पहुँचाना यह बिल'इत्तिफ़ाक़ दोनों के ज़िम्मे है मुज़ारेअ़ अपना ग़ल्ला ख़ुद लेजाये और मालिक अपना ग़ल्ला अपने घर लाये या दोनों अपने अपने मज़दूरों से उठवा लेजायें। (हिदाया) क़िस्मे दोम या'नी फ़स्ल तैयार होने के बाद जो काम हैं उनके मुतअ़ल्लिक़ मुज़ारेअ़ के करने की शर्त करली तो यह शर्त सहीह है उसकी वजह से मुज़ारअ़त फ़ासिद नहीं होगी तन्वीर में इस क़ौल को असह (ज़्यादा सहीह) कहा और दुर्रेमुख़्तार में मुलतक़ी से इसी पर फ़तवा होना बताया। मगर हिन्दुस्तान में उमूमन यह होता है कि फ़सल तैयार होने के बाद मज़दूरों से काम कराते हैं और मज़दूरी उसी ग़ल्ले में से दी जाती है या'नी खेत काटने वाले और दायें चलाने वाले वग़ैरा को जो कुछ मज़दूरी दी जाती है वह कोई अपने पास से नहीं देता बल्कि उसी ग़ल्ले की कुछ मिक़दार मज़दूरी में दी जाती है यह तरीक़ा कि जिस काम को किया उसी में से मज़दूरी दीजाये अगर्चे ना'जाइज़ है जिसको हम इजारा में बयान कर चुके हैं मगर इस से इतना ज़रूर मालूम हुआ कि फ़स्ल की तैयारी के बाद जो काम किया जायेगा यहाँ के उ़र्फ़ के मुताबिक़ वह तन्हा मुज़ारेअ़ के ज़िम्मे नहीं है बल्कि दोनों के ज़िम्मे है क्योंकि मज़दूरी में दोनों की मुश्तरक चीज़ दी जाती है।

मसअ्ला.47:– फ़स्ल तैयार होने के बाद के जो काम हैं अगर मालिके ज़मीन के ज़िम्मे शर्त किये गये यह बिल'इत्तिफ़ाक़ फ़ासिद है कि उसके मुतअ़ल्लिक़ उ़र्फ़ भी ऐसा नहीं जिस की वजह से

जाइज़ कहा जाये।(हिदाया)

मसअ्ला.48:– मुज़ारअत में जो कुछ ग़ल्ला है यह मुज़ारेअ् के पास अमानत है अगर्चे वह मुज़ारअते फ़ासिदा हो लिहाज़ा अगर मुज़ारेअ् के पास हलाक होजाये मगर उस के फ़ेअ्ल से हलाक न हो तो मुज़ारेअ् के ज़िम्मे उस का तावान नहीं और उस ग़ल्ले की मुज़ारेअ् की तरफ़ से किसी ने किफ़ालत भी की यह किफ़ालत सहीह नहीं उस कफ़ील से मुतालबा नहीं किया जा सकता हाँ अगर मालिके ज़मीन के हिस्से की मुज़ारेअ् की तरफ़ से किसी ने यूँ कफ़ालत की कि अगर मुज़ारेअ् खुद हलाक कर देगा तो मैं ज़ामिन हूँ और यह किफ़ालत मुज़ारअत के लिये शर्त न हो तो मुज़ारअत भी जाइज़ है और किफ़ालत भी और अगर किफ़ालत शर्त हो तो मुज़ारअत फ़ासिद।(दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.49:– मुज़ारेअ् ने खेत को पानी देने में कोताही की जिस की वजह से ज़राअत बर्बाद हो गई अगर यह मुज़ारअते फ़ासिदा है तो मुज़ारेअ् पर तावान नहीं कि इस में मुज़ारेअ् पर काम करना वाजिब नहीं और अगर मुज़ारअते सहीहा है तो तावान वाजिब है कि उस में काम करना वाजिब था ज़मान की सूरत यह होगी कि ज़राअत उगी थी और पानी न देने से खुश्क होगई तो उस ज़राअत की जो क़ीमत हो उसका निस्फ़ ब'तौर तावान मालिके ज़मीन को दे और क़ीमत न हो तो ख़ाली खेत की क़ीमत और उस बोये हुए खेत में जो तफ़ावुत (फ़र्क़) हो उसका निस्फ़ तावान दिलाया जाये(दुर्रेमु0)

मसअ्ला.50:– काश्तकार ने पानी देने में ताख़ीर की अगर इतनी ताख़ीर है कि काश्तकारों के यहाँ इतनी ताख़ीर हुआ करती है जब तो तावान नहीं और ग़ैर मामूली ताख़ीर की तो तावान है।(दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.51:– फ़स्ल काटना काश्तकार के ज़िम्मे शर्त था उसने काटने में देर की और फ़स्ल ज़ाइअ् होगई अगर मअ्मूली ताख़ीर है तो कुछ नहीं और ग़ैर मअ्मूली देर की तो तावान वाजिब यूंही अगर काश्तकार ने हिफ़ाज़त नहीं की जानवरों ने खेत चरलिया काश्तकार को तावान देना होगा। टिड्डियाँ खेत में गिरीं अगर उड़ाने पर कुदरत थी और न उड़ायीं और टिड्डियाँ खेत खागईं तावान है और अगर उसके बस की बात न थी तो तावान वाजिब नहीं।(दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.52:– दो शख़्सों ने शिरकत में खेत बोया था एक शरीक उस में पानी देने से इन्कार करता है यह मुआमला हाकिम के पास पेश किया जाये उसके हुक्म देने के बाद भी अगर उसने पानी नहीं दिया और फ़स्ल मारी गई तो उस पर तावान है।(दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.53:– मुज़ारअत में बीज मुज़ारेअ् के ज़िम्मे थे मगर मालिके ज़मीन ने खुद उस खेत को बोया अगर उससे मक़सूद मुज़ारेअ् की मदद करना है जब तो मुज़ारअत बाक़ी रहेगी और यह मक़सूद न हो तो मुज़ारअत जाती रही।(दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.54:– किसी से इजारा पर ज़मीन ली मस्लन ज़मींदार से बोने के लिये खेत लिया फिर उस मालिक ज़मीन को उस में काम करने के लिये अजीर (मज़दूर) रखा यह जाइज़ है उजरत पर काम करने से ज़मीन के इजारे में कोई ख़राबी पैदा नहीं होगी।(दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.55:– एक शख़्स मर गया और उसने बीवी और ना'बालिग़ और बालिग़ औलादें छोड़ीं यह सब छोटे बड़े एक साथ रहते हैं और वह औरत सब की निगेहदाश्त करती है बड़े लड़कों ने ज़मीने मुश्तरक या दूसरे से ज़मीन लेकर उस में काश्त की और जो कुछ ग़ल्ला पैदा हुआ मकान पर लाये और यकजाई तौर पर सब के ख़र्च में आया जैसा कि उ़मूमन देहातों में ऐसा होता है। यह ग़ल्ला आया मुश्तरक क़रार पायेगा या सिर्फ़ बड़े लड़कों का होगा जिन्होंने काश्त की उसका हुक्म यह है कि अगर मुश्तरक बीज बोये गये हैं और सब की इजाज़त से बोये हैं यानी जो उन में बालिग़ हैं उन से इजाज़त हासिल कर ली है और जो ना'बालिग़ हैं उनके वसी से इजाज़त लेली है तो पैदावार मुश्तरक है और अगर बड़ों ने खुद अपने बीज से काश्त की है या मुश्तरक से की है मगर इजाज़त नहीं ली है तो ग़ल्ला उन का काश्त करने वालों का है दूसरे उस में शरीक नहीं।(आलमगीरी)

मुआमला या मुसाक़ात का बयान

बाग़ या दरख़्त किसी को इस लिये देना कि उसकी ख़िदमत करे और जो कुछ उस से पैदावार होगी उसका एक हिस्सा काम करने वाले को और एक हिस्सा मालिक को दिया जायेगा उस को मुसाक़ात कहते हैं और उसका दूसरा नाम मुआमला भी है जिस तरह हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु

तआला अलैहि वसल्लम ने फ़तहे ख़ैबर के बाद वहाँ के बाग़ात यहूदियों को दे दिये थे कि उन बाग़ात के काम करें और जो कुछ फल होंगे उन में से निस्फ़ उन को दिये जायेंगे जिस तरह मुज़ारअ़त जाइज़ है मुआ़मला भी जाइज़ है और उस के जवाज़ के शराइत यह हैं। (1)आक़िदैन का आक़िल होना (2)जो पैदावार हो वह दोनों में मुश्तरक हो और अगर फ़क़त एक के लिये पैदावार मख़्सूस कर दी गई तो अ़क़्दे फ़ासिद है। (3)हर एक का हिस़्सा मुशाअ़ हो जिस की मिक़दार मालूम हो मस्लन निस्फ़ या तिहाई या चौथाई। (4)बाग़ या दरख़्त आ़मिल को सिपुर्द कर देना यानी मालिक का क़ब्ज़ा उस पर न रहे और अगर यह क़रार पाया कि मालिक भी उस में काम करेगा तो मुआ़मला फ़ासिद है। (5)जो दरख़्त मुसाक़ात के तौर पर दिये गये वह ऐसे हों कि आ़मिल के काम करने से उस में ज़्यादती होसके यानी अगर फल पूरे हो चुके, जितना बढ़ना बढ़ चुके सिर्फ़ पकना ही बाक़ी रह गया है तो यह अ़क़्द स़हीह़ नहीं। बाज़ शराइत़ ऐसे हैं जिनकी वजह से मुआ़मला फ़ासिद हो जायेगा मस्लन यह कि कुल पैदावार एक को मिलेगी या पैदावार में से इतना मालिक या आ़मिल लेगा उसके बाद निस्फ़ निस्फ़ तक़सीम होगी। आ़मिल के ज़िम्मे फल तोड़ना वग़ैरा जो काम फल तैयार होने के बाद होते हैं शर्त कर देना या यह कि तक़सीम के बाद आ़मिल उन की हिफ़ाज़त करे या मालिक के मकान पर पहुँचाये ऐसे किसी काम की शर्त कर देना जिस की मन्फ़अ़त मुद्दते मुआ़मला पूरी होने के बाद बाक़ी रहे मस्लन पेड़ों में खाद डालना अंगूरों के लिये छप्पर बनाना बाग़ की ज़मीन खोदना या उन में नये पौधे लगाना वग़ैरा।

मसअ्ला.1:– मुआ़मला उन्हीं पेड़ों का हो सकता है जो एक साल या ज़्यादा तक बाक़ी रह सकें और जो ऐसे नहीं हैं उन का मुआ़मला जाइज़ नहीं। बैंगन और मिर्च के दरख़्तों में मुआ़मला हो सकता है कि यह मुद्दतों बाक़ी रहते और फलते रहते हैं।(रद्दुलमुह़तार)

मसअ्ला.2:– दरख़्तों के सिवा मस्लन बकरियाँ या मुर्ग़ियाँ किसी मुद्दत तक के लिये बतौर मुआ़मला किसी को दीं यह ना'जाइज़ है।(रद्दुलमुह़तार)

मसअ्ला.3:– ऐसे दरख़्त जो फलते न हों और उनकी शाख़ों और पत्तो से नफ़अ़ उठाया जाता हो। जैसे सेंठे, नरकुल, बेद वग़ैरा अगर ऐसे दरख़्तों में पानी देने और हिफ़ाज़त करने की ज़रूरत होती हो तो मुआ़मला हो सकता है वरना नहीं।(रद्दुलमुह़तार)

मसअ्ला.4:– मुज़ारअ़त और मुआ़मला में बाज़ बातों में फ़र्क़ है। मुआ़मला अ़क़्दे लाज़िम है दोनों में से कोई भी उस से इन्ह़िराफ़ नहीं कर सकता (यानी फिर नहीं सकता) हर एक को पाबन्दी पर मजबूर किया जायेगा अगर मुद्दत पूरी होगई और फल तैयार नहीं हैं तो बाग़ आ़मिल ही के पास रहेगा और उन ज़ाइद दिनों की उसे उजरत नहीं मिलेगी और आ़मिल को भी बिला उजरत इतने दिनों काम करना होगा और मुज़ारअ़त में मालिके ज़मीन उतने दिनों की उजरत लेगा और मुज़ारेअ़ भी उन ज़ाइद दिनों के काम की उजरत लेगा।(दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमुह़तार)

मसअ्ला.5:– मुआ़मला में मुद्दत बयान करना ज़रूर नहीं बिग़ैर बयाने मुद्दत भी मुआ़मला स़ही है और इस सूरत में पहली मरतबा फल तैयार होने पर मुआ़मला ख़त्म होगा और तरकारियों में भी तैयार होने पर ख़त्म होगा जबकि बीज मक़्सूद हों वरना ख़ुद तरकारियों की पहली फ़स्ल होजाने पर मुआ़मला ख़त्म होगा और अगर मुद्दत ज़िक्र नहीं की गई और उस साल फल पैदा ही न हुये तो मुआ़मला फ़ासिद है।(दुर्रेमुख़्तार, हिदाया)

मसअ्ला.6:– मुआ़मला में मुद्दत ज़िक्र हुई मगर मालूम है कि उस मुद्दत में फल नहीं पैदा होंगे तो मुआ़मला फ़ासिद है और अगर ऐसी मुद्दत ज़िक्र की जिस में एहतिमाल है कि फल पैदा हों या न हों तो मुआ़मला स़हीह़ है फिर उस सूरत में अगर फल आगये तो जो शराइत़ हैं उन पर अ़मल होगा और अगर उस मुद्दत में नहीं आये बल्कि मुद्दत पूरी होने के बाद फल आये तो मुआ़मला फ़ासिद है और इस सूरत में आ़मिल को उजरते मिस्ल मिलेगी यानी इब्तिदा से फल तैयार होने तक की उजरते मिस्ल पायेगा और अगर इस सूरत में कि मुद्दत मज़कूर हुई और यह एहतिमाल था कि फल

आयेंगे मगर उस साल बिल्कुल फल नहीं आये न मुद्दत न बादे मुद्दत तो आमिल को कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि यह मुआमला सहीह है फ़ासिद नहीं है कि उजरते मिस्ल दिलाई जाये और अगर उस मुद्दते'मुअय्यिना (खास मुद्दत) में कुछ फल निकले कुछ बाद में निकले तो जो फल मुद्दत के अन्दर पैदा हुये उन में आमिल को हिस्सा मिलेगा बाद वालों में नहीं।(दुर्रेमुख़्तार, रद्दुल'मुहतार)

मसअ्ला.7:– नये पौधे जो अभी फलने के काबिल नहीं हैं बतौर मुआमला दिये कि आमिल उस में काम करे जब फल आयेंगे तो दोनों निस्फ़ निस्फ़ तक़सीम कर लेंगे यह मुआमला फ़ासिद है क्योंकि यह मालूम नहीं कितने दिनों में फल आयें ज़मीन मुवाफ़िक़ है तो जल्द फलेंगे ना'मुवाफ़िक़ है तो देर में फलेंगे हाँ अगर मुद्दत ज़िक्र करदी जाये और वह इतनी हो कि उन में फलने का एहतिमाल हो तो मुआमला सहीह है।(हिदाया, दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.8:– तरकारियों के दरख़्त मुआमला के तौर पर दिये कि जब तक फलते रहें काम करो और इतना हिस्सा तुम को मिला करेगा यह मुआमला फ़ासिद है यूंही बाग़ दिया और कहदिया कि जब तक यह फलता रहे काम करो और निस्फ़ लिया करो यह मुआमला फ़ासिद है कि मुद्दत न बयान करने की सूरत में सिर्फ़ पहली फ़स्ल पर मुआमला होता है।(हिदाया, दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.9:– तरकारियों के दरख़्त का मुआमला किया और अब उन में से तरकारियों के निकलने का वक़्त ख़त्म होचुका बीज लेने का वक़्त बाक़ी है जैसे मेथी, पालक, सोया वग़ैरा जब इस हद को पहुँच जायें कि उन से साग नहीं लिया जा सकता बीज लिये जा सकते हैं और यह बीज काम के हों उन की ख़्वाहिश होती हो और आमिल से कह दिया कि काम करे आधे बीज उसे मिलेंगे यह मुआमला सहीह है अगर्चे मुद्दत न ज़िक्र की जाये और इस सूरत में वह पेड़ मालिक के होंगे सिर्फ़ बीजों की तक़सीम होगी और अगर पेड़ों की तक़सीम भी मशरूत हो तो मुआमला फ़ासिद है।(दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.10:– दरख़्तों में फल आ चुके हैं उन को मुआमला के तौर पर देना चाहता है मगर अभी वह फल तैयार नहीं हैं आमिल के काम करने से उन में ज़्यादाती होगी तो मुआमला सहीह है और अगर फल बिल्कुल पूरे हो चुके हैं अब उन के बढ़ने का वक़्त ख़त्म हो चुका तो मुआमला सहीह नहीं।(दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.11:– किसी को ख़ाली ज़मीन दी कि उस में दरख़्त लगाये फल और दरख़्त दोनों निस्फ़ निस्फ़ तक़सीम हो जायेंगे यह जाइज़ है और अगर यह ठहरा है कि ज़मीन व दरख़्त दोनों चीज़ें दोनों के मा'बैन तक़सीम होंगी तो यह मुआमला ना'जाइज़ है और इस सूरत में फल और दरख़्त मालिके ज़मीन के होंगे और दूसरे को पौधों की क़ीमत मिलेगी और उजरते मिस्ल और क़ीमत से मुराद उस रोज़ की क़ीमत है जिस दिन लगाये गये।(दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.12:– किसी शख़्स के बाग़ से गुठली उड़ कर दूसरे की ज़मीन में चली गई और यहाँ जम गई और पेड़ होगया जैसा कि ख़ुदरो (खुद उगे हुए) दरख़्तो में अकस्र यही होता है कि इधर उधर से बीज आकर जम जाता है यह दरख़्त उस का है जिस की ज़मीन है उस का नहीं है जिस की गुठली है क्योंकि गुठली की कोई क़ीमत नहीं है उसी तरह शफ़तालू या आम या उसी क़िस्म के दूसरे फल अगर दूसरे की ज़मीन में गिरे और उग गये यह दरख़्त भी मालिके ज़मीन के होंगे कि पहले यह फल सड़ेंगे उसके बाद जमेंगे और जब सड़ कर ऊपर का हिस्सा जाता रहा तो फ़क़त गुठली बाक़ी रही जिस की कोई क़ीमत नहीं।(दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.13:– मुआमला–ए–सहीहा के अहकाम हस्बे ज़ैल हैं दरख़्तों के लिये जिन कामों की ज़रूरत है मसलन नालियां ठीक करना, दरख़्तों को पानी देना उन की हिफ़ाज़त करना यह सब काम आमिल के ज़िम्मे हैं और जिन चीज़ों में ख़र्च की ज़रूरत होती है मसलन ज़मीन को खोदना, उस में खाद डालना, अंगूर की बेलों के लिये छप्पर बनवाना, यह ब'क़द्र हसस (हिस्से के मुताबिक़) दोनों के ज़िम्मे हैं उसी तरह फल तोड़ना जो कुछ फल पैदा हों वह हस्बे क़रार दाद दोनों तक़सीम करलें

कुछ पैदा न हुआ तो किसी को कुछ नहीं मिलेगा। यह अक़्द दोनों जानिब से लाज़िम होता है बादे अक़्द दोनों में से किसी को बिग़ैर उज़्र मनअ् का इख़्तियार नहीं और न बिग़ैर दूसरे की रज़ा'मन्दी के फ़स्ख़ कर सकता है। आमिल को काम करने पर मजबूर किया जायेगा मगर जबकि उज़्र हो। जो कुछ तरफ़ैन के लिए मुक़र्रर हुआ है उस में कमी बेशी भी हो सकती है आमिल को यह इख़्तियार नहीं कि दूसरे को मुआमला के तौर पर देदे मगर जबकि मालिक ने यह कह दिया हो कि तुम अपनी राय से काम करो।(आलमगीरी)

मसअ्ला.14:– मुआमला–ए–फ़ासिदा के अहकाम यह हैं आमिल काम करने पर मजबूर नहीं किया जा सकता। जो कुछ पैदावार हो वह कुल मालिक की है और उस पर यह ज़रूर नहीं कि उस में का कोई जुज़ सदक़ा करे। आमिल के लिए उजरते मिस्ल वाजिब है पैदावार हो या न हो और उस में वही साहेबैन का इख़्तिलाफ़ है कि पूरी उजरते मिस्ल अगर्चे मुक़र्रर से ज़्यादा हो वाजिब है या यह कि मुक़र्रर शुदा से ज़ाइद न होने पाये और अगर हिस्से की तय न हुई हो तो बिल'इत्तिफ़ाक़ पूरी उजरते मिस्ल वाजिब है।(आलमगीरी)

मसअ्ला.15:– आमिल अगर चोर है उस का चोर होना लोगों को मालूम है अन्देशा है कि फलों को चुरायेगा तो मुआमला को फ़स्ख़ किया जा सकता है यूंही अगर आमिल बीमार होगया कि पूरी तरह काम न कर सकेगा मुआमला फ़स्ख़ किया जा सकता है। दोनों में से एक के मरजाने से मुआमला ख़ुद ही फ़स्ख़ होजाता है और इसी तरह मुद्दत का पूरा होना भी सबबे फ़स्ख़ है जब कि उन दोनों सूरतों में फल तैयार न हुये हों।(दुर्रेमुख़्तार, आलमगीरी)

मसअ्ला.16:– मरने की सूरत में अगर्चे मुआमला फ़स्ख़ होजाता है मगर दफ़अे ज़रर (नुक़सान दूर करने) के लिये अक़्द को फल तैयार होने तक बाक़ी रखा जायेगा लिहाज़ा आमिल के मरने के बाद उस के वुरसा अगर यह चाहें कि फल तैयार होने तक हम काम करेंगे तो उन को ऐसा मौक़ा दिया जायेगा अगर्चे मालिक ज़मीन उन को देने से इन्कार करता हो। और अगर वुरसा काम करना न चाहते हों, कहते हों कि कच्चे ही फल तोड़कर तक़सीम कर दिये जायें तो उनको काम करने पर मजबूर नहीं किया जायेगा बल्कि इस सूरत में मालिक को इख़्तियार दिया जायेगा कि यह भी अगर यही चाहता हो तो तोड़कर तक़सीम करलें या वुरसा पर आमिल को उन के हिस्से की क़ीमत देदे या ख़ुद अपने सर्फ़ा से काम कराये और तैयार होने के बाद सर्फ़ा उन के हिस्से से मिन्हा (कटौती) कर के बाक़ी फल उन को देदे।(हिदाया, दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.17:– दो शख़्श बाग़ में शरीक हैं एक ने दूसरे को बतौर मुआमला देदिया यह मुआमला फ़ासिद है जब कि आमिल को निस्फ़ से ज़्यादा देना क़रार पाया और इस सूरत में दोनों निस्फ़ निस्फ़ तक़सीम करलें और अगर यह शर्त ठहरी है कि दोनों निस्फ़ निस्फ़ लेंगे तो मुआमला जाइज़ है।(दुर्रेमुख़्तार,रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.18:– दो शख़्सों को मुआमला पर दिया और यह ठहरा कि तीनों एक एक तिहाई लेंगे यह जाइज़ है और अगर यह ठहरा कि मालिक एक तिहाई लेगा और एक आमिल निस्फ़ लेगा और दूसरा आमिल छठा हिस्सा लेगा यह भी जाइज़ है।(आलमगीरी)

मसअ्ला.19:– दो शख़्सों का बाग़ है उसे मुआमला पर दिया यूँ कि निस्फ़ आमिल लेगा और निस्फ़ में वह दोनों यह जाइज़ है और अगर यह शर्त हुई कि निस्फ़ एक हिस्सादार लेगा और दूसरे निस्फ़ में आमिल और दूसरा हिस्सादार दोनों शरीक होंगे यह ना'जाइज़ है।(आलमगीरी)

मसअ्ला.20:– काश्तकार ने बिग़ैर इजाज़त ज़मीनदार पेड़ लगा दिया जब दरख़्त बड़ा होगया तो ज़मीनदार कहता है मेरा है और काश्तकार कहता है मेरा है अगर ज़मीनदार ने यह इक़रार कर लिया है कि काश्तकार ही ने लगाया है और पौधा भी उसी का था तो काश्तकार को मिलेगा मगर दियानतन उस के लिये यह दरख़्त जाइज़ नहीं क्योंकि बिग़ैर इजाज़त लगाया है और अगर इजाज़त लेकर लगाता और मालिके ज़मीन शिरकत की भी शर्त न करता तो काश्तकार के लिये

दियानतन भी जाइज़ होता।(आलमगीरी)

मसअ्ला.21:– गाँव के बच्चों को मुअ़ल्लिम पढ़ाता है गाँव के लोगों ने इस बात पर इत्तिफ़ाक़ किया कि मियाँ जी के लिये खेत बोदिया जाये थोड़े थोड़े बीज सब ने दिये और मियाँ जी के लिये खेत बोदिया गया तो जो कुछ पैदावार हुई वह उन की मिल्क है जिन्होंने बीज दिये हैं मुअ़ल्लिम की मिल्क नहीं क्योंकि बीज उन्होंने मुअ़ल्लिम को दिया नहीं था कि मुअ़ल्लिम मालिक होजाता हाँ अगर पैदावार मुअ़ल्लिम को देदें तो मुअ़ल्लिम मालिक होजायेगा।(आलमगीरी)

मसअ्ला.22:– ख़रबूज़ा या तरबूज़ की पालेज़ मालिक ने फल तोड़ने के बाद छोड़दी अगर छोड़ने का यह मक़सद है कि जिसका जी चाहे वह बाक़ी फलों को ले जाये तो लोगों को उसके फल लेना जाइज़ है जैसा कि उ़मूमन आख़िर फ़स्ल में ऐसा किया करते हैं। उसी त़रह खेत कटने के बाद जो कुछ बालें या दाने गिरते हैं अगर मालिक ने लोगों के लिये छोड़दिये तो लेना जाइज़ है।(आलमगीरी)

मसअ्ला.23:– आ़मिल पर लाज़िम है कि अपने को हराम से बचाये मस्लन बाग़ के दरख़्त ख़ुश्क होगये तो उन का जलाना आ़मिल के लिये जाइज़ नहीं यूंही सूखी शाख़ें तोड़कर उन से खाना पकाना जाइज़ नहीं यूंही छप्पर थुनियाँ और उस के बांस, फूंस को जलाना जाइज़ नहीं यूहीं मेहमान या मुलाक़ाती आ जायें तो फलों से उस की तवाजोअ़ जाइज़ नहीं उन सब में मालिक की इजाज़त दरकार है।(आलमगीरी)

ज़बह़ का बयान

अल्लाह अ़ज़्ज़ व जल्ल फ़रमाता है।

﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَ لَحْمُ الْخِنْزِيْرِ وَ مَا اُهِلَّ لِغَيْرِ اللّٰهِ بِهٖ وَالْمُنْخَنِقَه و الْمَوْقُوْذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَمَا اَكَلَ السَّبُعُ اِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ ۔
وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَاَنْ تَسْتَقْسِمُوْا بِالْاَزْلَامِ ذٰلِكُمْ فِسْقٌ ط﴾

"तुम पर ह़राम है मुर्दार और ख़ून और सुअर का गोश्त और जिस के ज़बह़ में ग़ैरे ख़ुदा का नाम पुकारा गया और जो गला घोंटने से मर जाये और दब कर मरा हुआ यानी बे धार की चीज़ से मारा हुआ और जो गिर कर मरा हो और जिस को किसी जानवर ने सींग मारा हो और जिस को दरिन्दे ने कुछ खा लिया हो मगर जिन्हें तुम ज़बह़ करलो और जो किसी थान पर ज़िबह़ किया गया हो और तीरों से तक़दीर को मालूम करना यह गुनाह का काम है"।

और फ़रमाता है।

﴿اَلْيَوْمَ اُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبٰتُ ط وَطَعَامُ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ حِلٌّ لَّكُمْ ط وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ﴾

"आज तुम्हारे लिए पाक चीज़ें हलाल हुई और किताबियों का खाना (ज़बीहा) तुम्हारे लिए हलाल है और तुम्हारा खाना उन के लिए हलाल है"।

और फ़रमाता है।

﴿فَكُلُوْا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ اِنْ كُنْتُمْ بِاٰيٰتِهٖ مُؤْمِنِيْنَ ٥ وَ مَا لَكُمْ اَلَّا تَاْكُلُوْا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ
عَلَيْكُمْ اِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ اِلَيْهِ ط﴾

"खाओ उस में से जिस पर अल्लाह का नाम लिया गया अगर तुम उस की आयतों पर ईमान रखते हो और तुम्हें क्या हुआ कि उस में से न खाओ जिस पर अल्लाह का नाम लिया गया और उसने तो मुफ़स्सल बयान कर दिया जो कुछ तुम पर ह़राम है मगर जब तुम उसकी त़रफ़ मजबूर हो"

और फ़रमाता है।

﴿وَلَا تَاْكُلُوْا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَ اِنَّهٗ لَفِسْقٌ ط﴾

"और उसे न खाओ जिस पर अल्लाह का नाम नहीं लिया गया और वह बेशक हुक्म उ़दूली है"।

ह़दीस़ (1) स़ह़ीह़ मुस्लिम में है ह़ज़रत मौला अ़ली रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से दरयाफ़्त किया गया कि क्या रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने आप लोगों को कोई ख़ास बात ऐसी बताई है जो आ़म लोगों को न बताई हो फ़रमाया कि नहीं मगर सिर्फ़ वह बातें जो मेरी तलवार की म्यान में हैं फिर म्यान में से एक पर्चा निकाला जिस में यह था अल्लाह की लअ़्नत उस पर जो ग़ैर ख़ुदा के नाम पर ज़बह़ करे और अल्लाह की लअ़्नत उस पर जो ज़मीन की मेंढ बदल दे (जैसा कि बाज़ काश्तकार करते हैं कि खेत की मेंढ जगह से हटा देते हैं) और अल्लाह की लअ़्नत उस पर जो अपने बाप पर लअ़्नत करे। और अल्लाह की लअ़्नत उस पर जो बद मज़हब को पनाह दे।

ह़दीस़ (2) स़ह़ीह़ बुख़ारी व मुस्लिम में राफ़ेअ़ इब्ने ख़दीज रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से मरवी है

कहते हैं मैंने अर्ज़ की या रसूलल्लाह हमें कल दुश्मन से लड़ना है और हमारे पास छुरी नहीं है क्या हम खपच्ची (बांस का चिरा हुआ टुकड़ा) से ज़बह कर सकते हैं फ़रमाया जो चीज़ ख़ून बहादे और अल्लाह का नाम लिया गया हो उसे खाओ सिवा दांत और नाख़ून के (जो जुदा न हों) और उसे मैं बताता हूँ दांत तो हड्डी है और नाख़ून हब्शियों की छुरी है। और ग़नीमत में हम को ऊँट और बकरियाँ मिली थीं उन में से एक ऊँट भाग गया एक शख़्स ने उसे तीर मार कर गिरा दिया हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया उन ऊँटों में बाज़ ऊँट वहशी जानवरों की तरह हो जाते हैं जब तुम को उस पर क़ाबू न मिले तो उस के साथ यही करो।

हदीस् (3) सहीह बुख़ारी शरीफ़ में कअ़ब इब्ने मालिक रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी उन की बकरियाँ सलअ् (मदीना मुनव्वरा में एक पहाड़ी का नाम है) में चरती थीं लौन्डी (जो बकरियाँ चराती थी) उस ने देखा कि एक बकरी मरना चाहती है उस ने पत्थर तोड़कर उस से ज़बह कर दी उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से दरयाफ़्त किया हुज़ूर ने उस के खाने का हुक्म दिया।

हदीस् (4) अबूदाऊद व नसाई ने अदी इब्ने हातिम रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कहते हैं मैंने अर्ज़ की या रसूलल्लाह यह फ़रमाईये किसी को काश्तकार मिले और उस के पास छुरी न हो तो पत्थर और लाठी की खपच्ची से ज़बह कर सकता है फ़रमाया "जिस चीज़ से चाहो ख़ून बहा दो और अल्लाह का नाम ज़िक्र करो"।

हदीस् (5) तिर्मिज़ी व अबूदाऊद व नसाई अबुलउ़शरा और वह अपने वालिद से रावी उन्होंने अर्ज़ की या रसूलल्लाह क्या ज़कात (जबहे शरई) हलक़ और लिब्बा (सीने का ऊपरी हिस्सा) ही में होती है फ़रमाया "अगर तुम उस की रान में नेज़ा भोंक दो तो भी काफ़ी है"। ज़बह की यह सूरत मजबूरी और ज़रूरत की हालत में है जैसा कि अबूदाऊद व तिर्मिज़ी ने भी उस की तसरीह की है।

हदीस् (6) तिर्मिज़ी ने अबूदर्दा रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने मुजस्समा के खाने से मनअ् फ़रमाया। मुजस्समा वह जानवर है जिस को बाँध कर तीर मारा जाये और वह मरजाये।

हदीस् (7) अबूदाऊद ने इब्ने अब्बास व अबूहुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हुम से रिवायत की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने शरीततुश्शैतान से मुमानअ़त फ़रमाई यह वह ज़बीहा है जिस की खाल काटी जाये और रगें न काटी जायें और छोड़ दिया जाये यहाँ तक कि मर जाये।

हदीस् (8) सहीह बुख़ारी में हज़रत आयशा रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से मरवी कि लोगों ने अर्ज़ की या रसूलल्लाह यहाँ कुछ लोग अभी नये मुसलमान हुए हैं और वह हमारे पास गोश्त लाते हैं हमें मालूम नहीं कि अल्लाह का नाम उन्होंने ज़िक्र किया है या नहीं। फ़रमाया कि "तुम बिस्मिल्लाह कहो और खाओ"। यानी मुस्लिम की ज़बीहा में इस क़िस्म के एहतिमालात (शक) न किये जायें।

हदीस् (9) सहीह मुस्लिम में शद्दाद इब्ने उमर रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने हर चीज़ में ख़ूबी करना लिख दिया है लिहाज़ा क़त्ल करो तो इस में भी ख़ूबी का लिहाज़ रखो (यानी बे सबब उस को ईज़ा मत पहुँचाओ) ज़बह करो तो ज़बह में ख़ूबी करो और अपनी छुरी को तेज़ करले और ज़बीहा को तकलीफ़ न पहुँचाये।

हदीस् (10) सहीह बुख़ारी व मुस्लिम में इब्ने उमर रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से मरवी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम ने चौपाया या उस के सिवा दूसरे जानवर को बाँध कर उस को तीर से क़त्ल करने की मुमानअ़त फ़रमाई।

हदीस् (11) सहीहैन में उन्हीं से मरवी नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उस पर लअ़नत की जिस ने ज़ी रूह को निशाना बनाया।

हदीस् (12) सहीह मुस्लिम में इब्ने अब्बास रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से मरवी नबी करीम

सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया "जिस में रूह हो उसको निशाना न बनाओ"।

मसअ्ला.1:– गले में चन्द रगें हैं उन के काटने को ज़बह कहते हैं और उस जानवर को जिस की वह रगें काटी गई ज़बीहा और ज़िबह कहते हैं। यहाँ ज़ाल को ज़ेर है और पहली जगह ज़बर है।

मसअ्ला.2:– बाज़ जानवर ज़बह किये जा सकते हैं बाज़ नहीं। जो शरअन ज़बह नहीं किये जा सकते हैं उन में यह दो मछली और टिड्डी बिग़ैर ज़बह हलाल हैं और जो ज़बह किये जा सकते हैं वह बिग़ैर ज़काते शरई हलाल नहीं। (दुर्रेमुख़्तार) ज़काते शरई का यह मतलब है कि जानवर को इस तरह नहर या ज़बह किया जाये कि हलाल हो जाये।

मसअ्ला.3:– ज़काते शरई दो किस्म है **1.इख़्तियारी** और **2.इज़्तिरारी**। ज़काते इख़्तियारी की दो किस्में हैं ज़बह और नहर। ज़काते इज़्तिरारी यह है कि जानवर के बदन में किसी जगह नेज़ा वग़ैरा भोंककर ख़ून निकाल दिया जाये उस से मख़सूस सूरतों में जानवर हलाल होता है जो बयान की जायेंगी। हलक़ के आख़िरी हिस्से में नेज़ा वग़ैरा भोंक कर रगें काट देने को नहर कहते हैं। ज़बह की जगह हलक़ और लिबा के माबैन है लिबा सीने के ऊपरी हिस्से को कहते हैं। ऊँट को नहर करना और गाय, बकरी वग़ैरा को ज़बह करना सुन्नत है और अगर इस का अक्स किया यानी ऊँट को ज़बह किया और गाय वग़ैरा को नहर किया तो जानवर इस सूरत में भी हलाल हो जायेगा मगर ऐसा करना मकरूह है कि सुन्नत के ख़िलाफ़ है।(आलमगीरी, दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.4:– अवाम में यह मशहूर है कि ऊँट को तीन जगह ज़बह किया जाता है ग़लत है और यूँ करना मकरूह है कि बिला फ़ायदा ईज़ा देना है।

मसअ्ला.5:– जो रगें ज़बह में काटी जाती हैं वह चार हैं। **हुल्कूम** यह वह है जिस में सांस आती जाती है **मरी** उस से खाना पानी उतरता है इन दोनों के अगल बगल और दो रगें हैं जिन में ख़ून की रवानी है उन को **वुदजैन** कहते हैं।(दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.6:– पूरा हुलकूम ज़बह की जगह है यानी उसके अअ्ला औसत असफ़ल जिस जगह में ज़बह किया जाये जानवर हलाल होगा। आजकल चूंकि चमड़े का नर्ख़ ज़्यादा है और यह वज़न या नाप से फ़रोख़्त होता है इस लिये क़स्साब इस की कोशिश करते हैं कि किसी तरह चमड़े की मिक़दार बढ़ जाये और उस के लिये यह तर्कीब करते हैं कि बहुत ऊपर से ज़बह करते हैं और इस सूरत में ऐसा भी हो सकता है कि यह ज़बह फ़ौक़ुलउ़क़दा (गले की उभरी हुई हड्डी से ऊपर जबह) हो जाये और इस में उ़लमा को इख़्तिलाफ़ है कि जानवर हलाल होगा या नहीं इस बाब में क़ौले फ़ैसल यह है कि ज़बह फ़ौक़ुलउ़क़दा में अगर तीन रगें कट जायें तो जानवर हलाल है वरना नहीं। (दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमुहतार) उ़लमा का यह इख़्तिलाफ़ और रगों के कटने में एहतिमाल देखते हुए एहतियात ज़रूरी है कि यह मुआमला हिल्लत व हुरमत का है और ऐसे मक़ाम पर एहतियात लाज़िम होती है।

मसअ्ला.7:– ज़बह की चार रगों में से तीन का कट जाना काफ़ी है यानी इस सूरत में भी जानवर हलाल हो जायेगा कि अकस़र के लिये वही हुक्म है जो कुल के लिये है और अगर चारों में से हर एक का अकस़र हिस़्सा कट जायेगा जब भी हलाल हो जायेगा और अगर आधी आधी हर रग कट गई और आधी बाक़ी है तो हलाल नहीं। (आलमगीरी)

मसअ्ला.8:– ज़बह से जानवर हलाल होने के लिए चन्द शर्ते हैं। (1)ज़बह करने वाला आ़क़िल हो। मजनून या इतना छोटा बच्चा जो बे अ़क़्ल हो उनका ज़बह जाइज़ नहीं और अगर छोटा बच्चा ज़बह को समझता हो और इस पर कुदरत रखता हो तो उस का ज़बीहा हलाल है। (2)ज़बह करने वाला मुस्लिम हो या किताबी। मुश्रिक और मुर्तद का ज़बीहा हराम व मुर्दार है। किताबी अगर ग़ैर किताबी होगया तो अब इस का ज़बीहा हराम है और ग़ैर किताबी किताबी होगया तो इस का ज़बीहा हलाल है और मआ़ज़ल्लाह मुसलमान अगर किताबी होगया तो इस का ज़बीहा हराम है कि यह मुर्तद है। लड़का ना'बालिग़ ऐसा है कि उस के वालिदैन में एक किताबी है और एक ग़ैर

किताबी तो इस को किताबी क़रार दिया जायेगा और इस का ज़बीहा हलाल समझा जायेगा।
मसअ्ला.9:– किताबी का ज़बीहा उस वक़्त हलाल समझा जायेगा जब मुसलमान के सामने ज़बह किया हो और यह मालूम हो कि अल्लाह का नाम लेकर ज़बह किया और अगर ज़बह के वक़्त उस ने हज़रत मसीह अ़लैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम लिया और मुसलमान के इल्म में यह बात है तो जानवर हराम है और अगर मुसलमान के सामने उस ने ज़बह नहीं किया और मालूम नहीं कि क्या पढ़कर ज़बह किया जब भी हलाल है। **(3)**अल्लाह अ़ज़्ज़ व जल्ल के नाम के साथ ज़बह करना। ज़बह करने के वक़्त अल्लाह तआ़ला के नामों में से कोई नाम ज़िक्र करे जानवर हलाल हो जायेगा यही ज़रूरी नहीं कि लफ़्ज़े अल्लाह ही ज़बान से कहे।
मसअ्ला.10:– तन्हा नाम ही ज़िक्र करे या नाम के साथ सिफ़त भी ज़िक्र करे दोनों सूरतों में जानवर हलाल हो जाता है मस्लन अल्लाहु अकबर,अल्लाहु अअ़्ज़म,अल्लाहु अजल्ल, अल्लाहुर्रहमान, अल्लाहुर्रहीम या सिर्फ़ अल्लाह या अर्रहमान या रहीम कहे उसी तरह सुब्हानल्लाह या अल्हमदु लिल्लाह या लाइला'ह इल्लल्लाह पढ़ने से भी हलाल होजायेगा। अल्लाह अ़ज्ज व जल्ल का नाम अ़रबी के सिवा दूसरी ज़बान में लिया जब भी हलाल होजायेगा।(आलमगीरी) **(4)**खुद ज़बह करने वाला अल्लाह अ़ज्ज व जल्ल का नाम अपनी ज़बान से कहे अगर यह खुद ख़ामोश रहा दूसरों ने नाम लिया और उसे याद भी था भूला न था तो जानवर हराम है। **(5)**नामे इलाही लेने से ज़बह पर नाम लेना मक़सूद हो और अगर किसी दूसरे मक़सद के लिये बिस्मिल्लाह पढ़ी और साथ लगे ज़बह कर दिया और उस पर बिस्मिल्लाह पढ़ना मक़सूद नहीं है तो जानवर हलाल न हुआ मस्लन छींक आई और इस पर अल्हमदु लिल्लाह कहा और जानवर ज़बह कर दिया उस पर नामे इलाही ज़िक्र करना मक़सूद न था बल्कि छींक पर मक़सूद था जानवर हलाल न हुआ। **(6)**ज़बह के वक़्त ग़ैरे खुदा का नाम न ले। **(7)**जिस जानवर को ज़बह किया जाये वह वक़्ते ज़बह ज़िन्दा हो अगर्चे उस की हयात का थोड़ा ही हिस्सा बाक़ी रह गया हो। ज़बह के बाद खून निकलना या जानवर में हरकत पैदा होना यूँ ज़रूरी है कि उस से उस का ज़िन्दा होना मालूम होता है।
मसअ्ला.11:– बकरी ज़बह की और खून निकला मगर उस में हरकत पैदा न हुई अगर वह ऐसा खून है जैसे ज़िन्दा जानवर में होता है हलाल है। बीमार बकरी ज़बह की सिर्फ़ उस के मुँह को हरकत हुई और अगर वह हरकत यह है कि मुँह खोल दिया तो हराम है और बन्द कर लिया तो हलाल है और आँखें खोल दीं तो हराम और बन्द करलीं तो हलाल और पाँव फैला दिये तो हराम और समेट लिये तो हलाल और बाल खड़े न हुए तो हराम और खड़े हो गये तो हलाल यानी अगर सहीह तौर पर उस के ज़िन्दा होने का इल्म न हो तो उन अ़लामतों से काम लिया जाये और अगर ज़िन्दा होना यक़ीनन मालूम है तो उन चीज़ों का ख़याल नहीं किया जायेगा बहर हाल जानवर हलाल समझा जायेगा।(आलमगीरी)
मसअ्ला.12:– ज़बह हर उस चीज़ से कर सकते हैं जो रगें काट दे और खून बहादे यह ज़रूर नहीं कि छुरी ही से ज़बह करें बल्कि खपच्ची और धारदार पत्थर से भी ज़बह हो सकता है सिर्फ़ नाखून और दाँत से ज़बह नहीं कर सकते जबकि यह अपनी जगह पर क़ाइम हों और अगर नाख़ून काट कर जुदा कर लिया हो या दांत अ़लाहिदा होगया हो तो इस से अगर्चे ज़बह होजायेगा मगर फिर भी उस की मुमानअ़त है कि जानवर को इस से अज़ीयत (तकलीफ़) होगी उसी तरह कुन्द छुरी से भी ज़बह करना मकरूह है।(दुर्रेमुख़्तार)
मसअ्ला.13:– मुस्तहब यह है कि जानवर को लिटाने से पहले छुरी तेज़ करें और लिटाने के बाद छुरी तेज़ करना मकरूह है यूंही जानवर को पाँव पर घसीटते हुए मज़बह (जानवर ज़बह करने की जगह) को लेजाना भी मकरूह है।
मसअ्ला.14:– इस तरह ज़बह करना कि छुरी हराम मग़ज़ तक पहुँच जाये या सर कटकर जुदा हो

जाये मकरूह है मगर वह ज़बीहा खाया जायेगा यानी कराहत उस फ़ेअ्ल में है न कि ज़बीहा में (हिदाया) आम लोगों में यह मशहूर है कि ज़बह करने में अगर सर जुदा होजाये तो इस सर का खाना मकरूह है यह कुतुबे फ़िक़्ह में नज़र से नहीं गुज़रा बल्कि फ़ुक़्हा का यह इरशाद कि ज़बीहा खाया जायेगा इस से यही साबित होता है कि सर भी खाया जायेगा।

मसअ्ला.15:– हर वह फ़ेअ्ल जिस से जानवर को बिला फ़ायदा तकलीफ़ पहुँचे मकरूह है मस्लन जानवर में अभी हयात बाक़ी हो ठन्डा होने से पहले उस की खाल उतारना उस के अअ्ज़ा काटना या ज़बह से पहले उसके सर को खींचना कि रगें ज़ाहिर होजायें या गर्दन को तोड़ना युहीं जानवर को गर्दन की तरफ़ से ज़बह करना मकरूह है बल्कि इस की बाज़ सूरतों में जानवर हराम होजायेगा।(हिदाया)

मसअ्ला.16:– सुन्नत यह है कि ज़बह करते वक़्त जानवर का मुँह क़िब्ला को किया जाये और ऐसा न करना मकरूह है।(दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.17:– अगर जानवर शिकार हो तो ज़रूर है कि ज़बह करने वाला हलाल हो यानी एहराम न बांधे हुए हो और ज़बह करना बैरूने हरम हो लिहाज़ा मुहरिम (हालते एहराम में) का ज़बह किया हुआ जानवर हराम है ओर हरम में शिकार को ज़बह किया तो ज़बह करने वाला मुहरिम हो या हलाल दोनों सूरतों में जानवर हराम है और अगर वह जानवर शिकार न हो बल्कि पलाऊ हो जैसे मुर्ग़ी, बकरी वग़ैरा इस को मुहरिम भी ज़बह कर सकता है और हरम में भी ज़बह कर सकते हैं। नसरानी ने हरम में जंगली जानवर को ज़बह किया तो जानवर हराम है यानी मुस्लिम ज़बह करे या किताबी दोनों सूरतों में हराम है।(दुर्रेमुख़्तार वग़ैरा)

मसअ्ला.18:– जंगली जानवर अगर मानूस होजाये मस्लन हिरन वग़ैरा पाल लेते हैं और वह मानूस हो जाते हैं उन को उसी तरह ज़बह किया जाये जैसे पलाऊ जानवर ज़बह किये जाते हैं यानी ज़बहे इख़्तियारी होना ज़रूर है जिसका ज़िक्र गुज़र चुका और अगर घरेलू जानवर वहशी की तरह होजाये कि क़ाबू में न आये तो उस का ज़बह इज़्तिरारी है कि जिस तरह मुम्किन हो ज़बह कर सकते हैं यूंही अगर चौपाया कुँए में गिर पड़ा कि उसे बा क़ायदा ज़बह न कर सकते हों तो जिस तरह मुम्किन हो ज़बह कर सकते हैं।(हिदाया)

मसअ्ला.19:– ज़बह में औरत का वही हुक्म है जो मर्द का है यानी मुस्लिमा या किताबिया औरत का ज़बीहा हलाल है और मुश्रिका व मुरतद्दा का ज़बीहा हराम है।(आलमगीरी)

मसअ्ला.20:– गूँगे का ज़बीहा हलाल है अगर वह मुस्लिम या किताबी हो उसी तरह अक़लफ़ का यानी जिस का ख़तना न हुआ हो और बर्स यानी सपेद दाग़ वाले का ज़बीहा भी हलाल है।(दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.21:– जिन्न अगर इन्सान की शक्ल में हो तो उस का ज़बीहा जाइज़ है और इन्सानी शक्ल में न हो तो उस का ज़बीहा जाइज़ नहीं।(रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.22:– मजूसी ने आतिशकदा के लिये या मुश्रिक ने अपने मअ्बूदाने बातिल के लिये मुसलमान से जानवर ज़बह कराया और उस ने अल्लाह का नाम लेकर जानवर ज़बह किया यह जानवर हराम न हुआ मगर मुसलमान को ऐसा करना मकरूह है।(आलमगीरी)

मसअ्ला.23:– मुसलमान ने जानवर ज़बह कर दिया उसके बाद मुश्रिक ने उस पर छुरी फेरी तो जानवर हराम न हुआ कि ज़बह तो पहले ही हो चुका और अगर मुश्रिक ने ज़बह कर डाला उसके बाद मुस्लिम ने छुरी फेरी तो हराम ही है उसके छुरी फेरने से हलाल न होगा।(आलमगीरी)

मसअ्ला.24:– ज़बह करने में क़स्दन बिस्मिल्लाह न कही जानवर हराम है और अगर भूल कर ऐसा हुआ जैसा कि बाज़ मर्तबा शिकार के ज़बह में जल्दी होती है और जल्दी में बिस्मिल्लाह कहना भूल जाता है इस सूरत में जानवर हलाल है।(हिदाया)

मसअ्ला.25:– ज़बह करते वक़्त बिस्मिल्लाह के साथ ग़ैरे ख़ुदा का नाम भी लिया इस की दो सूरतें

हैं अगर बिग़ैर अ़त्फ़ ज़िक्र किया है मस्लन यूँ कहा बिस्मिल्लाहि मुहम्मदुर्रसूलुल्लाह या बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन फुलाँ ऐसा करना मकरूह है मगर जानवर ह़राम नहीं होगा और अगर अ़त्फ़ के साथ दूसरे का नाम ज़िक्र किया मस्लन यूँ कहा बिस्मिल्लाह व इस्मु फुलाँ इस सूरत में जानवर ह़राम है कि यह जानवर ग़ैरे ख़ुदा के नाम पर ज़बह़ हुआ। तीसरी सूरत यह है कि ज़बह़ से पहले मस्लन जानवर को लिटाने से पहले इस ने किसी का नाम लिया या ज़बह़ करने के बाद नाम लिया तो इस में ह़रज नहीं जिस त़रह़ कुर्बानी और अ़क़ीक़े में दुआयें पढ़ी जाती हैं और कुर्बानी में उन लोगों के नाम लिये जाते हैं जिनकी त़रफ़ से कुर्बानी है और हुज़ूरे अक़दस सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम और ह़ज़रत सय्यदिना इब्राहीम अ़लैहिस्सलामु वत्तस्लीम के नाम भी लिये जाते हैं। (हिदाया वग़ैराहा) यहाँ से मालूम हुआ कि مـا اهـل لغيرالله بـه जो ह़राम है उसका मत़लब यह है कि ज़बह़ के वक़्त जब ग़ैरे ख़ुदा का नाम इस त़रह़ लिया जायेगा उस वक़्त ह़राम होगा और वहाबिया यह कहते हैं कि आगे पीछे जब कभी ग़ैरे ख़ुदा का नाम ले दिया जाये ह़राम हो जाता है बल्कि यह लोग तो मुत़लक़न हर चीज़ को ह़राम कहते हैं जिस पर ग़ैरे ख़ुदा का नाम लिया जाये उन का यह क़ौल ग़लत़ और बात़िल महज़ है अगर ऐसा हो तो सब ही चीज़ें ह़राम हो जायेंगी। खाने, पीने और इस्तेअ़्माल की सब चीज़ों पर लोगों के नाम ले दिये जाते हैं और उन सब को ह़राम क़रार देना शरीअ़त पर इफ़तिरा और मुस्लिम को ज़बरदस्ती ह़राम का मुरतकिब बनाना है मा़लूम हुआ कि बा़ज़ मुसलमान गाय, बकरा, मुर्ग़ जो इस लिये पालते हैं कि उनको ज़बह़ कर के खाना पकवाकर किसी वलीयुल्लाह की रूह़ को ईसा़ले सवाब किया जायेगा यह जाइज़ है और जानवर भी ह़लाल है इस को مـا اهـل لغيرالله به में दाख़िल करना जिहालत है क्योंकि मुसलमान के मुतअ़ल्लिक़ यह ख़याल करना कि उस ने तक़र्रुब इला ग़ैरिल्लाह की नियत की हट धर्मी और सख़्त बदगुमानी है मुस्लिम हरगिज़ ऐसा ख़याल नहीं रखता अ़क़ीक़ा और वलीमा और ख़तना वग़ैरा की तक़रीबों में जिस त़रह़ जानवर ज़बह़ करते हैं और बा़ज़ मर्तबा पहले ही से मुतअ़य्यन कर लेते हैं कि फुलाँ मौक़ा और फुलाँ काम के लिये ज़बह़ किया जायेगा जिस त़रह़ यह ह़राम नहीं है वह भी ह़राम नहीं।

मसअ्ला.26:– बिस्मिल्लाह की 'ह' को ज़ाहिर करना चाहिए अगर ज़ाहिर न की जैसाकि बा़ज़ अ़वाम इस का तलफ़्फ़ुज़ इस त़रह़ करते हैं कि 'ह' ज़ाहिर नहीं होती और मक़सूद अल्लाह का नाम ज़िक्र करना है तो जानवर ह़लाल है और अगर यह मक़सूद न हो और 'ह' को छोड़ना ही मक़सूद हो तो ह़लाल नहीं।(रद्दुलमुह़तार)

मसअ्ला.27:– मुस्तह़ब यह है कि ज़बह़ के वक़्त बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर कहे या़नी बिस्मिल्लाह और अल्लाहु अकबर के दरमियान 'वाव' न लाये और अगर बिस्मिल्लाह वल्लाहु अकबर 'वाव' के साथ कहा तो जानवर इस सूरत में भी ह़लाल होगा मगर बा़ज़ उ़लमा इस त़रह़ कहने को मकरूह बताते हैं।(दुर्रेमुख़्तार वग़ैरा)

मसअ्ला.28:– बिस्मिल्लाह किसी दूसरे मक़सद से पढ़ी और जानवर को ज़बह़ कर दिया तो जानवर ह़लाल नहीं और अगर ज़बान से बिस्मिल्लाह कही और दिल में यह नियत ह़ाज़िर नहीं कि जानवर ज़बह़ करने के लिये बिस्मिल्लाह कहता हूँ तो जानवर ह़लाल है।(दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.29:– ज़बह़ इख़्तियारी में शर्त़ यह है कि ज़बह़ करने वाला ज़बह़ के वक़्त बिस्मिल्लाह पढ़े यहाँ मज़बूह़ पर बिस्मिल्लाह पढ़ी जाती है या़नी जिस जानवर को ज़बह़ करने के लिये बिस्मिल्लाह पढ़ी उसी को ज़बह़ कर सकते हैं दूसरा जानवर इस तस्मिया से ह़लाल न होगा मस्लन बकरी ज़बह़ करने के लिये लिटाई और इस के ज़बह़ करने को बिस्मिल्लाह पढ़ी मगर इस को ज़बह़ नहीं किया बल्कि इस की जगह दूसरी बकरी ज़बह़ करदी यह ह़लाल नहीं हुई यह ज़रूरी नहीं कि जिस छुरी से ज़बह़ करना चाहता था और बिस्मिल्लाह पढ़ली तो उसी से ज़बह़ करे बल्कि दूसरी छुरी से

भी ज़बह कर सकता है और शिकार करने में आला (हथियार) पर बिस्मिल्लाह पढ़ी जाती है यानी उसी आला से शिकार करना होगा दूसरे से करेगा हलाल न होगा मस्लन तीर छोड़ना चाहता है और बिस्मिल्लाह पढ़ी मगर उस को रख दिया दूसरा तीर चलाया तो जानवर हलाल नहीं और अगर जिस जानवर को तीर से मारना चाहता है उस को तीर नहीं लगा दूसरा जानवर इस तीर से मारा तो यह हलाल है।(हिदाया)

मसअ्ला.30:– खुद ज़बह करने वाले को बिस्मिल्लाह कहना ज़रूर है दूसरे का कहना इस के कहने के क़ाइम मक़ाम नहीं यानी दूसरे के बिस्मिल्लाह पढ़ने से जानवर हलाल न होगा जबकि ज़ाबेह (ज़बह करने वाला) ने क़स्दन तर्क किया हो और दो शख़्सों ने ज़बह किया तो दोनों का पढ़ना ज़रूरी है एक ने क़स्दन तर्क किया तो जानवर हराम है।(रद्दुलमुहतार) मुअय्यन ज़ाबेह से यही मुराद है कि ज़बह करने में उसका मुअय्यन हो यानी दोनों ने मिलकर ज़बह किया हो दोनों ने छुरी फेरी हो मस्लन ज़ाबेह कमज़ोर है कि उस की तन्हा कुव्वत काम नहीं देगी दूसरे ने भी शिरकत की दोनों ने मिलकर छुरी चलाई। अगर दूसरा शख़्स जानवर को फ़क़त पकड़े हुये है तो यह मुअय्यन ज़ाबेह नहीं उस के पढ़ने न पढ़ने को कुछ दख़ल नहीं। यह अगर पढ़ता है तो इस का मक़सद यह हो सकता है कि ज़ाबेह को बिस्मिल्लाह याद आजाये और पढ़ले।

मसअ्ला.31:– बिस्मिल्लाह कहने और ज़बह करने के दरम्यान तवील फ़ासिला न हो और मज्लिस बदलने न पाये अगर मज्लिस बदल गई और अमले कसीर बीच में पाया गया तो जानवर हलाल न हुआ। एक लुक़्मा खाया या ज़रासा पानी पिया या छुरी तेज़ करली यह अमले क़लील है जानवर इस सूरत में हलाल है।(दुर्रेमुख़्तार, रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला.32:– दो बकरियों को नीचे ऊपर लिटाकर दोनों को एक साथ बिस्मिल्लाह पढ़कर ज़बह करदिया दोनों हलाल हैं और अगर एक को ज़बह करके फ़ौरन दूसरी को ज़बह करना चाहता है तो उसको फिर बिस्मिल्लाह पढ़नी होगी पहले जो पढ़ चुका है वह दूसरी के लिये काफ़ी नहीं।(दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.33:– बकरी ज़बह के लिये लिटाई थी बिस्मिल्लाह कह कर ज़बह करना चाहता था कि वह उठकर भाग गई फिर उसे पकड़ के लाया और लिटाया तो अब फिर बिस्मिल्लाह पढ़े पहले का पढ़ना ख़त्म होगया यूंही बकरियों का गल्ला देखा और बिस्मिल्लाह पढकर उन में से एक बकरी पकड़ लाया और ज़बह करदी उस वक़्त क़स्दन बिस्मिल्लाह तर्क करदी यह ख़याल करके कि पहले पढ़ चुका है बकरी हराम होगई।(आलमगीरी)

मसअ्ला.34:– पलाऊ जानवर अगर भाग जाये और पकड़ने में न आये तो इसके लिये ज़बह इज़्तिरारी है यानी तीर या नेज़ा वग़ैरा से ब'नियते ज़बह बिस्मिल्लाह पढ़ कर मारें और इस के लिये गर्दन में ही ज़बह करना ज़रूर नहीं बल्कि जिस जगह भी ज़ख़्मी कर दिया जाये काफ़ी है यूंही अगर जानवर कुँए में गिर गया उस को नेज़ा वग़ैरा से ब'नियते ज़बह बिस्मिल्लाह कह कर हलाक कर दी ज़बह होगया। उसी तरह अगर जानवर इस पर हमला आवर हुआ जैसा कि भैंसे और सांड अकस्र हमला कर देते हैं उन को भी उसी तरह ज़बह किया जा सकता है और अगर महज़ अपने से दफ़अ् करने के लिये उसे नेज़ा मारा ज़बह करना मक़सूद न था तो जानवर हराम है।(दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.35:– आबादी में अगर बकरी भाग गई तो उस के लिये ज़बह इज़्तिरारी नहीं है कि बकरी पकड़ी जा सकती है और मैदान में भाग गई तो ज़बह इज़्तिरारी हो सकता है और गाय, बैल, ऊँट अगर भाग जायें तो आबादी और जंगल दोनों का उन के लिये यकसां हुक्म है हो सकता है कि आबादी में भी उन के पकड़ने पर कुदरत न हो।(हिदाया वग़ैरहा)

मसअ्ला.36:– मुर्गी उड़कर दरख़्त पर चली गई अगर वहाँ तक नहीं पहुँच सकता है और बिस्मिल्लाह पढ़ कर उसे तीर मारकर हलाक किया गया उसके जाते रहने का अन्देशा न था तो न खाई जाये और अन्देशा था तो खा सकते हैं कि उस सूरत में ज़बह इज़्तिरारी हो सकता है कबूतर उड़ गया अगर वह

मकान पर वापस आ सकता है और उसे तीर से मारा अगर तीर जा–ए–ज़बह पर लगा खाया जा सकता है वरना नहीं अगर वह वापस नहीं आ सकता तो बहर सूरत खाया जा सकता है।(ख़ानिया)

मसअ्ला.37:– हिरन को पाल लिया वह इत्तिफ़ाक़ से जंगल में चला गया किसी ने बिस्मिल्लाह कह कर उसे तीर मारा अगर तीर ज़बह की जगह पर लगा हलाल है वरना नहीं हाँ अगर वहशी हो गया और अब बिग़ैर शिकार किये हाथ न आयेगा तो जहाँ भी लगे हलाल है।(ख़ानिया)

मसअ्ला.38:– गाय या बकरी ज़बह की और उस के पेट में बच्चा निकला अगर वह ज़िन्दा है ज़बह कर दिया जाये हलाल होजायेगा और मरा हुआ है तो हराम है उस की माँ का ज़बह करना उस के हलाल होने के लिये काफ़ी नहीं।(दुर्रेमुख़्तार वग़ैरा)

मसअ्ला.39:– बिल्ली ने मुर्ग़ी का सर काट लिया और वह अभी ज़िन्दा है फड़क रही है ज़बह नहीं की जा सकती।(आलमगीरी)

मसअ्ला.40:– जानवर को दिन में ज़बह करना बेहतर है और मुस्तहब यह है कि ज़बह से पहले छुरी तेज़ करले कुन्द छुरी या ऐसी चीज़ों से ज़बह करने से बचे जिस से जानवर को ईज़ा हो।(आलमगीरी)

हलाल व हराम जानवरों का बयान

हदीस (1) तिर्मिज़ी ने इरबाज़ इब्ने सारिया रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने ख़ैबर के दिन कीले वाले दरिन्दे से और पन्जे वाले परिन्द से और घरेलू गधे और मुजस्समा और ख़लीसा से मुमानअत फ़रमाई और हामिला औरत जब तक वज़ए हमल न करले उसकी वती से मुमानअत फ़रमाई यानी हामिला लौन्डी का मालिक हो या ज़ानिया औरत हामिला से निकाह किया तो जब तक वज़ए हमल न हो उस से वती न करे। मुजस्समा यह है कि परिन्द या किसी जानवर को बाँध कर उस पर तीर मारा जाये। ख़लीसा यह है कि भेड़िये या किसी दरिन्दे ने जानवर पकड़ा उस से किसी ने छीन लिया और ज़बह से पहले वह मर गया।

हदीस (2) अबूदाऊद व दारमी जाबिर रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया जिन्नीन(पेट का बच्चा)का ज़बह उसकी माँ के ज़बह की मिस्ल है।

हदीस (3) अहमद व निसाई व दारमी अब्दुल्लाह इब्ने उमर रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से रावी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया "जिसने चिड़िया या किसी जानवर को नाहक़ क़त्ल किया उससे अल्लाह तआला क़ियामत के दिन सुवाल करेगा" अर्ज़ किया गया या रसूलल्लाह उस का हक़ क्या है फ़रमाया कि "उसका हक़ यह है कि ज़बह करे और खाये यह नहीं कि सर काटे और फेंक दे"।

हदीस (4) तिर्मिज़ी व अबूदाऊद व अबूवाक़िद लैसी रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी कहते हैं जब नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मदीने में तशरीफ़ लाये उस ज़माने में यहाँ के लोग ज़िन्दा ऊँट का कोहान काट लेते और ज़िन्दा दुंबे की चक्की काट लेते हुज़ूर ने फ़रमाया "ज़िन्दा जानवर का जो टुकड़ा काट लिया जाये वह मुर्दार है खाया न जाये"।

हदीस (5) दारे क़ुतनी जाबिर रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया "दरिया के जानवर (मछली) को खुदा ने हलाल कर दिया है"।

हदीस (6) सहीह बुख़ारी व मुस्लिम में अबू क़तादा रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी उन्होंने हम्मार वहशी (गोरख़र) देखा उस का शिकार किया हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया "क्या तुम्हारे पास उस के गोश्त में का कुछ है" अर्ज़ की हाँ उसकी रान है उस को हुज़ूर ने क़बूल फ़रमाया और खाया।

हदीस (7) सहीह बुख़ारी व मुस्लिम में अनस रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी कहते हैं हमने मरज़्ज़हरान (मक्का मुकर्रमा के पास एक जगह का नाम) में ख़रगोश भगाकर पकड़ा मैं उस को अबू तलहा रदियल्लाहु तआला अन्हु के पास लाया उन्होंने ज़बह किया और उस की पीठ और रानें हुज़ूर की

ख़िदमत में भेजीं हुज़ूर ने क़बूल फ़रमाईं।

हदीस् (8) सहीहैन में अबूमूसा अश्अरी रदि़यल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से मरवी कहते हैं मैंने रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम को मुर्ग़ी का गोश्त खाते देखा है।

हदीस् (9) सहीहैन में अ़ब्दुल्लाह इब्ने अबी औफ़ा रदि़यल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से मरवी कहते हैं हम रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम के साथ सात ग़ज़वे में थे हम हुज़ूर की मौजूदगी में टिड्डी खाते थे।

हदीस् (10) सहीहैन में जाबिर रदि़यल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से मरवी कहते हैं मैं [1] **जैशुल ख़ब्त़** में गया था और अमीरे लश्कर अबू उ़बैदा इब्ने अलजर्राह़ रदि़यल्लाहु तआ़ला अ़न्हु थे हमें बहुत सख़्त भूक लगी थी दरिया ने मरी हुई एक मछली फेंकी कि वैसी मछली हमने नहीं देखी उस का नाम अम्बर है हमने आधे महीने तक उसे खाया अबूउ़बैदा रदि़यल्लाहु तआ़ला अ़न्हु ने उस की एक हड्डी खड़ी की बाज़ रिवायत में है पस्ली की हड्डी थी उस की कजी इतनी थी कि उस के नीचे से ऊँट मअ़ सवार गुज़र गया जब हम वापस आये तो हुजूर से ज़िक्र किया फ़रमाया खाओ अल्लाह ने तुम्हारे लिये रिज़्क़ भेजा हैऔर तुम्हारे पास हो तो हमें भी खिलाओ हमने उस में से हुज़ूर के पास भेजा हुज़ूर ने तनावुल फ़रमाया।

हदीस् (11)(12) सहीह़ बुख़ारी व मुस्लिम में उम्मे शरीक रदि़यल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा से मरवी कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने वज़ग (छिपकली और गिरगिट) के क़त्ल का हुक्म दिया और फ़रमाया कि इब्राहीम अ़लैहिस्सलातु वस्सलाम के लिये काफ़िरों ने जो आग जलाई थी उसे यह फूंकता था और स़हीह़ मुस्लिम में सअ़्द इब्ने अबी वक़्क़ास रदि़यल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से जो रिवायत है उस में यह भी है कि उसका नाम हुज़ूर ने फ़ुवैसिक़ रखा यानी छोटा फ़ासिक़ या बड़ा फ़ासिक़ इस लफ़्ज़ में दोनों मअ़्ना का एहतिमाल (शक) है।

हदीस् (13) सहीह़ मुस्लिम में अबूहुरैरा रदि़यल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से मरवी कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया "जो छिपकली या गिरगिट को पहली ज़र्ब में मारे उस के लिये सौ नेकियाँ और दूसरी में इस से कम और तीसरी में इस से भी कम"।

हदीस् (14) तिर्मिज़ी ने अ़ब्दुल्लाह इब्ने उ़मर रदि़यल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा से रिवायत की कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने जल्लालह (वह ह़लाल जानवर जो गन्दगी खाने लगे (अमीनुल क़ादरी)) और उस का दूध खाने से मनअ़् फ़रमाया।

हदीस् (15) अबूदाऊद ने अ़ब्दुर्रहमान इब्ने शिब्ल रदि़यल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने गोह का गोश्त खाने से मनअ़् फ़रमाया।

हदीस् (16) अबूदाऊद व तिर्मिज़ी ने जाबिर रदि़यल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने बिल्ली खाने से और उसके स़मन खाने से मनअ़् फ़रमाया।

हदीस् (17) इमाम अहमद व इब्ने माजा व दारे क़ुत़नी इब्ने उ़मर रदि़यल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा से रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया "हमारे लिये दो मरे हुये जानवर और दो ख़ून ह़लाल हैं। दो मुर्दे मछली टिड्डी हैं और दो ख़ून कलेजी और तिल्ली हैं"।

हदीस् (18) अबूदाऊद व तिर्मिज़ी जाबिर रदि़यल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रावी कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि "दरिया ने जिस मछली को फेंक दिया हो और वहाँ से पानी जाता रहा उसे खाओ और जो पानी में मरकर तैर जाये उसे न खाओ"।

1.इस लश्कर मे जब तोशा की कमी हुई तो सब के पास कुछ था इकट्ठा कर लिया गया रोज़ाना फ़ी कस एक मुठ्ठी खजूर मिल्ती जब और कमी हुई तो रोजाना एक खजूर मिलती जिस को सहाबा किराम मुंह में रख कर कुछ चूस कर निकाल लेत और रख लेते फिर ऊपर से पानी पी लेते उसी एक खजूर को चूस चूस कर एक दिन रात गुजारते और शिद्दते गुरसंगी (भूक की शिद्दत) से दरख़्तों के पत्ते झाड़ कर खाते जिस से उन के मुंह छिल गये और ज़ख्मी हो गये उसी वजह से इस का नाम जैशुल खब्त है खब्त दरख़्तों के पत्तों को कहते हैं जो झाड़ लिये जाते हैं। और पत्तों के खाने की वजह से ऊँट और बकरी की मींगनी की तरह उन को इजाबत होती खुदा ने अपना करम किया कि साहिल पर टीले बराबर की यह अम्बर उन को मिली जिस की आँखो के हल्के से मटके बराबर चर्बी निकली उस को पन्द्रह दिन तक या एक माह तक जैसा कि दूसरी रिवायत में है उन हजरात ने खाया इस वाकिआ का मुख्तसर तौर पर बयान करने का यह मकसद भी है कि मसुलमान देखें और गौर करें कि हज़रात सहाबा–ए–किराम रदियल्लाहु तआला अन्हुम न इस्लाम की तब्लीग व इशाअत में कैसी कैसी तकालीफ बरदाश्त कीं उन्हीं हजरात की कोशिशों का नतीजा है कि इस्लाम अपनी कमाल तावानी

से तमाम आलम को मुनव्वर कर रहा है।

हदीस (19) शरहुस्सुन्ना में ज़ैद इब्ने ख़ालिद रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने मुर्ग़ को बुरा कहने से मनअ् फ़रमाया क्योंकि वह नमाज़ के लिये अज़ान कहता है या ख़बरदार करता है और अबूदाऊद की रिवायत में है कि वह नमाज़ के लिये जगाता है।

तम्बीहः– गोश्त या जो कुछ गिज़ा खाई जाती है वह जुज़वे बदन होजाती है और इस के असरात ज़ाहिर होते हैं और चूंकि बाज़ जानवरों में मज़मूम सिफ़ात (बुरी आदतें) पाये जाते हैं उन जानवरों के खाने में अन्देशा है कि इन्सान भी उन बुरी सिफ़तों के साथ मुत्तसिफ़ होजाये लिहाज़ा इन्सान को उन के खाने से मनअ् किया गया हलाल व हराम जानवरों की तफ़सील दुश्वार है यहाँ चन्द कलिमात बयान किये जाते हैं जिन के ज़रीआ से जुज़ईयात जाने जा सकते हैं।

मसअ्ला.1:– कीले वाला (नोकीले दाँतों वाला) जानवर जो कीले से शिकार करता हो हराम है जैसे शेर, गीदड़, लोमड़ी, बिज्जू, कुत्ता वगै़रहा कि इन सब में कीले होते हैं और शिकार भी करते हैं। ऊँट के कीला होता है मगर वह शिकार नहीं करता लिहाज़ा वह उस हुक्म में दाख़िल नहीं।(दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.2:– पन्जा वाला परिन्द जो पन्जे से शिकार करता है हराम है जैसे शिकरा, बाज़, बहरी, चील, हशरातुल'अर्द हराम हैं जैसे चूहा, छिपकली, गिरगिट, घूंस, सांप, बिच्छू, बर, मच्छर, पिस्सू, खटमल, मक्खी, किल्ली, मेंढक वगै़रहा। (दुर्रेमुख़्तार, रद्दुल'मुहतार)

मसअ्ला.3:– घरेलू गधा और ख़च्चर हराम है और जंगली गधा जिसे गोर ख़र कहते हैं हलाल है घोड़े के मुतअल्लिक़ रिवायतें मुख़्तलिफ़ हैं यह आला–ए–जिहाद है इस के खाने में तक़लीले आला–ए–जिहाद होती है लिहाज़ा न खाया जाये।(दुर्रेमुख़्तार वगै़रहा)

मसअ्ला.4:– कछुवा ख़ुश्की का हो या पानी का हराम है गुराब'अबक़ा यानी कौआ जो मुर्दार खाता है हराम है और महुका कि यह भी कौए से मिलता जुलता एक जानवर होता है हलाल है(दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.5:– पानी के जानवरों में सिर्फ़ मछली हलाल है जो मछली पानी में मरकर तैर गई यानी जो बिगै़र मारे अपने आप मर कर पानी की सतह पर उलट गई वह हराम है मछली को मारा और वह मर कर उलटी तैरने लगी यह हराम नहीं। (दुर्रेमुख़्तार) टिड्डी भी हलाल है मछली और टिड्डी यह दोनों बिगै़र ज़बह हलाल हैं जैसा कि हदीस में फ़रमाया कि दो मुर्दे हलाल हैं मछली और टिड्डी।

मसअ्ला.6:– पानी की गर्मी या सर्दी से मछली मर गई या मछली को ड़ोरे में बाँधकर पानी में डालदिया और मरगई या जाल में फंस कर मर गई या पानी में कोई ऐसी चीज़ डालदी जिस से मछलियाँ मर गईं और यह मालूम है कि उस चीज़ के डालने से मरीं या घड़े या गढ्ढे में मछली पकड़ कर डालदी और उस में पानी थोड़ा था इस वजह से या जगह की तंगी की वजह से मर गईं उन सब सूरतों में वह मरी हुई मछली हलाल है।(दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.7:– झींगे के मुतअल्लिक़ इख़्तिलाफ़ है कि यह मछली है या नहीं इसी बिना पर उस की हिल्लत व हुरमत में भी इख़्तिलाफ़ है ब'ज़ाहिर उस की सूरत मछली की सी नहीं मालूम होती बल्कि एक किस्म का कीड़ा मालूम होता है लिहाज़ा इस से बचना ही चाहिए।

मसअ्ला.8:– छोटी मछलियाँ बिगै़र शिकम चाक किये भून ली गईं उनका खाना हलाल है।(रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.9:– मछली का पेट चाक किया उस में मोती निकला अगर यह सीप के अन्दर है तो मछली वाला इस का मालिक है। शिकारी ने मछली बेच डाली है तो वह मोती मुश्तरी का है और अगर मोती सीप में नहीं है तो मुश्तरी शिकारी को देदे और यह लुक़्ता है। और मछली के शिकम में अंगूठी या रूपया या अशर्फ़ी या कोई ज़ेवर मिला तो लुक़्ता है अगर यह शख़्स ख़ुद मोहताज व फ़कीर है तो अपने सर्फ़ (ख़र्च) में ला सकता है वरना तसद्दुक़ कर दे।(दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.10:– बाज़ गायें, बकरियाँ गलीज़ खाने लगती हैं उन को जल्लालह कहते हैं उस के बदन और गोश्त वगै़रा में बदबू पैदा होजाती है उस को कई दिन तक बाँध रखें कि निजासत न खाने

पाये जब बदबू जाती रहे ज़बह कर के खायें उसी तरह जो मुर्गी ग़लीज़ खाने की आदी हो उसे चन्द रोज़ बन्द रखें जब असर जाता रहे ज़बह कर के खायें। जो मुर्ग़ियाँ छुटी फिरती हैं उन को बन्द करना ज़रूरी नहीं जब कि ग़लीज़ खाने की आदी न हों और उन में बदबू न हो हाँ बेहतर यह है कि उन को भी बन्द रख कर ज़बह करें।(आलमगीरी, रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.11:– बकरा जो ख़स्सी नहीं होता वह अकसर पेशाब पीने का आदी होता है और उस में ऐसी सख़्त बदबू पैदा होजाती है कि जिस रास्ते से गुज़रता है वह रास्ता कुछ देर के लिये बदबूदार होजाता है उस का भी हुक्म वही है जो जल्लालह का है कि अगर उस के गोश्त से बदबू दफ़अ् होगई तो खा सकते हैं वरना मकरूह व ममनूअ्।

मसअ्ला.12:– बकरी के बच्चे को कुतिया का दूध पिलाता रहा इस का भी हुक्म जल्लालह का है कि चन्द रोज़ तक उसे बाँधकर चारा खिलायें कि वह असर जाता रहे।(आलमगीरी)

मसअ्ला.13:– बकरी से कुत्ते की शकल का बच्चा पैदा हुआ अगर वह भोंकता है तो न खाया जाये और अगर उस की आवाज़ बकरी की तरह है खाया जा सकता है और अगर दोनों तरह आवाज़ देता है तो उसके सामने पानी रखा जाये अगर ज़बान से चाटे कुत्ता है और मुँह से पिये तो बकरी है और अगर दोनों तरह पानी पिये तो उसके सामने घास और गोश्त दोनों चीज़ें रखें घास खाये तो बकरी मगर उस का सर काट कर फेंक दिया जाये खाया न जाये, और गोश्त खाये तो कुत्ता है और अगर दोनों चीज़ें खाये तो उसे ज़बह करके देखें उसके पेट में मेअ्दा है तो खा सकते हैं और न हो तो न खायें।(आलमगीरी, दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.14:– जानवर को ज़बह किया वह उठकर भागा और पानी में गिरकर मर गया या ऊँची जगह से गिरकर मरगया उसके खाने में हरज नहीं कि उसकी मौत ज़बह ही से हुई पानी में गिरने या लुढ़कने का एअ्तिबार नहीं।(आलमगीरी)

मसअ्ला.15:– ज़िन्दा जानवर से अगर कोई टुकड़ा काटकर जुदा कर लिया गया मस्लन दुंबा की चक्की काट ली या ऊँट का कोहान काट लिया या किसी जानवर का पेट फाड़ कर उस की कलेजी निकाल ली यह टुकड़ा हराम है। जुदा करने का यह मतलब है कि वह गोश्त से जुदा हो गया अगर्चे अभी चमड़ा लगा हुआ हो और अगर गोश्त से उसका तअल्लुक़ बाक़ी है तो मुर्दार नहीं यानी उस के बाद अगर जानवर को ज़बह कर लिया तो यह टुकड़ा भी खाया जा सकता है।(दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.16:– जानवर को ज़बह कर लिया है मगर अभी उस में हयात बाक़ी है उसका कोई टुकड़ा काट लिया यह हराम नहीं कि ज़बह के बाद उस जानवर का ज़िन्दों में शुमार नहीं अगर्चे जब तक जानवर ज़बह के बाद ठन्डा न हो जाये उस का कोई उ़ज़्व (हिस्सा) काटना मकरूह है(दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.17:– शिकार पर तीर चलाया उसका कोई टुकड़ा कटकर जुदा होगया अगर वह ऐसा अ़ज़्व है बिग़ैर उसके जानवर ज़िन्दा रह सकता है तो उस का खाना हराम है और अगर बिग़ैर उसके ज़िन्दा नहीं रह सकता मस्लन सर जुदा होगया तो सर भी खाया जायेगा और वह जानवर भी(आलमगीरी)

मसअ्ला.18:– ज़िन्दा मछली में से एक टुकड़ा काट लिया यह हलाल है और काटने से अगर मछली पानी में मर गई तो वह भी हलाल है।(हिदाया)

मसअ्ला.19:– किसी ने दूसरे से अपने जानवर के मुतअल्लिक़ कहा उसे ज़बह करदो उस ने उस वक़्त ज़बह नहीं किया मालिक ने वह जानवर किसी के हाथ बेच डाला अब उसने ज़बह कर दिया उस को तावान देना होगा और जिस ने उस से ज़बह करने को कहा था तावान की रक़म उस से वापस नहीं ले सकता ज़बह करने वाले को बैअ् का इ़ल्म हो या न हो दोनों सूरतों का एक ही हुक्म है।(आलमगीरी)

मसअ्ला.20:– जिन जानवरों का गोश्त नहीं खाया जाता ज़बहे शरई से उनका गोश्त और चर्बी और चमड़ा पाक हो जाता है मगर ख़िन्ज़ीर कि उसका हर जुज़ नजिस है और आदमी अगर्चे ताहिर

है उस का इस्तेअ्माल ना'जाइज़ है। (दुर्रेमुख़्तार) उन जानवरों की चर्बी वग़ैरा को अगर खाने के सिवा ख़ारिजी तौर पर इस्तेअ्माल करना चाहे तो ज़बह् करलें कि इस सूरत में उसके इस्तेअ्माल से बदन या कपड़ा नजिस नहीं होगा और निजासत के इस्तेअ्माल की क़बाहत से भी बचना होगा।

उद्हीया यानी कुर्बानी का बयान

मख़्सूस जानवर को मख़्सूस दिन में ब'नियते तक़र्रुब ज़बह् करना कुर्बानी है और कभी उस जानवर को भी उद्हीया और कुर्बानी कहते हैं जो ज़बह किया जाता है। कुर्बानी हज़रत इब्राहीम अ़लैहिस्सलाम की सुन्नत है जो इस उम्मत के लिये बाक़ी रखी गई और नबी करीम सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम को कुर्बानी करने का हुक्म दिया गया इरशाद फ़रमाया।

﴿ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ﴾ "तुम अपने रब के लिये नमाज़ पढ़ो और कुर्बानी करो"।

उस के मुतअ़ल्लिक़ पहले चन्द अहादीस ज़िक्र की जाती हैं फिर फ़िक़्ही मसाइल बयान होंगे।

हदीस (1) अबूदाऊद व तिर्मिज़ी व इब्ने माजा उम्मुलमोमिनीन आइशा रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हा से रावी कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि यौमुन्नह़र(दसवीं ज़िलहिज्जा) उस में इब्ने आदम का कोई अमल ख़ुदा के नज़्दीक ख़ून बहाने (कुर्बानी करने) से ज़्यादा प्यारा नहीं और वह जानवर क़ियामत के दिन यानी अपनी सींग और बाल और खुरों के साथ आयेगा और कुर्बानी का ख़ून ज़मीन पर गिरने से क़ब्ल ख़ुदा के नज़्दीक मक़ामे क़बूल में पहुँच जाता है लिहाज़ा उस को ख़ुश दिली से करो।

हदीस (2) तिब्रानी हज़रत इमाम हसन इब्ने अ़ली रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा से रावी कि हुज़ूर ने फ़रमाया जिसने ख़ुशी दिल से तालिबे सवाब होकर कुर्बानी की वह आतिशे जहन्नम से हिजाब(रोक) होजायेगी।

हदीस (3) तिब्रानी इब्ने अ़ब्बास रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा से रावी कि हुज़ूर ने इरशाद फ़रमाया "जो रुपया ईद के दिन कुर्बानी में ख़र्च किया गया उस से ज़्यादा कोई रुपया प्यारा नहीं"।

हदीस (4) इब्ने माजा अबूहुरैरा रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रावी कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया "जिस में वुस्अ़त हो और कुर्बानी न करे वह हमारी ईदगाह के क़रीब न आये"।

हदीस (5) इब्ने माजा ने ज़ैद इब्ने अरक़म रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की कि सहाबा ने अ़र्ज़ की या रसूलल्लाह यह कुर्बानियाँ क्या हैं फ़रमाया कि तुम्हारे बाप इब्राहीम अ़लैहिस्सलाम की सुन्नत है लोगों ने अ़र्ज़ की या रसूलल्लाह हमारे लिये इसमें क्या सवाब है फ़रमाया "हर बाल के मुक़ाबिल नेकी है" अ़र्ज़ की उन का क्या हुक्म है फ़रमाया "उन के हर बाल के बदले में नेकी है"।

हदीस (6) सहीह बुख़ारी में बर्रा रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से मरवी नबी करीम सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया सब से पहले जो काम आज हम करेंगे वह यह है कि नमाज़ पढ़ेंगे फिर उसके बाद कुर्बानी करेंगे जिस ने ऐसा किया उस ने हमारी सुन्नत (तरीक़ा) को पालिया और जिस ने पहले ज़बह् कर लिया वह गोश्त है जो उस ने पहले से अपने घर वालों के लिये तैयार कर लिया कुर्बानी से उसे कुछ तअ़ल्लुक़ नहीं। अबूहुरैरा रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु खड़े हुए और यह पहले ही ज़बह् कर चुके थे (इस ख़याल से कि पड़ोस के लोग ग़रीब थे उन्होंने चाहा कि उन को गोश्त मिल जाये) और अ़र्ज़ की या रसूलल्लाह मेरे पास बकरी का छः माहा एक बच्चा है फ़रमाया तुम उसे ज़बह् कर लो और तुम्हारे सिवा किसी के लिए छः माहा बच्चा किफ़ायत नहीं करेगा।

हदीस (7) इमाम अहमद वग़ैरा बर्रा रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रावी कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि "आज के दिन जो काम हम को पहले करना है वह नमाज़ है उस के बाद कुर्बानी करना है जिसने ऐसा किया वह हमारी सुन्नत को पहुँचा और जिस ने पहले ज़बह् कर डाला वह गोश्त है जो उसके अपने घर वालों के लिये पहले ही से कर लिया नुस्क यानी

कुर्बानी से उस को कुछ तअ़ल्लुक़ नहीं"।

हदीस् (8) इमाम मुस्लिम हज़रत आयशा रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हा से रावी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने हुक्म फ़रमाया कि सींग वाला मेंढा लाया जाये जो स्याही में चलता हो और स्याही में बैठता हो और स्याही में नज़र करता हो यानी उस के पाँव स्याह हों और पेट स्याह हो और आँखें स्याह हों वह कुर्बानी के लिये हाज़िर किया गया हुज़ूर ने फ़रमाया आइशा छुरी लाओ फिर फ़रमाया उसी पत्थर पर तेज़ कर लो फिर हुज़ूर ने छुरी ली और मेंढे को लिटाया और उसे ज़बह किया फिर फ़रमाया।

﴿بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ مُحَمَّدٍ وَّاٰلِ مُحَمَّدٍ وَّ مِنْ اُمَّةِ مُحَمَّدٍ﴾

"इलाही तू उस को मुहम्मद सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम की तरफ़ से और उन की आल और उम्मत की तरफ़ से कबूल फरमा"।

हदीस् (9) इमाम अहमद व अबूदाऊद व इब्ने माजा व दारमी जाबिर रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने ज़बह के दिन दो मेंढे सींग वाले चित कबरे ख़स्सी किए हुये ज़बह किए जब उन का मुँह क़िब्ला को किया यह पढ़ा।

اِنِّیْ وَجَّهْتُ وَجْهِیَ لِلَّذِیْ فَطَرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ عَلٰی مِلَّةِ اِبْرَاهِیْمَ حَنِیْفًا وَّمَا اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِیْنَ اِنَّ صَلَاتِیْ وَ نُسُكِیْ وَمَحْیَایَ وَ مَمَاتِیْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ لَاشَرِیْكَ لَهٗ وَبِذٰلِكَ اُمِرْتُ وَاَنَا مِنَ الْمُسْلِمِیْنَ اَللّٰهُمَّ مِنْكَ لَكَ عَنْ مُحَمَّدٍ و امته بِسْمِ اللّٰهِ وَاللّٰهُ اَكْبَر

"मैंने अपना मुँह उसकी तरफ़ किया जिस ने आसमान और ज़मीन बनाये मिल्लते इब्राहीमी पर एक उसी का होकर, और मैं मुश्रिकों में नहीं। बेशक मेरी नमाज़ और मेरी कुर्बानियाँ और मेरा जीना और मेरा मरना सब अल्लाह के लिये है जो रब है सारे जहान का उसका कोई शरीक नहीं। मुझे यही हुक्म हुआ है और मैं मुसलमान हूँ इलाही! यह तेरी तौफ़ीक़ से है और तेरे लिये ही है मुहम्मद (सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम) और आप की उम्मत की तरफ़ से बिस्मिल्लाहि वल्लाहुअकबर"

इस को पढ़कर ज़बह फ़रमाया और एक रिवायत में है कि हुज़ूर ने यह फ़रमाया कि इलाही यह मेरी तरफ़ से है और मेरी उम्मत में उसकी तरफ़ से है जिसने कुर्बानी नहीं की।

हदीस् (10) इमाम बुख़ारी व मुस्लिम ने अनस रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने दो मेंढे चित कबरे सींग वालों की कुर्बानी की उन्हें अपने दस्ते मुबारक से ज़बह किया और बिस्मिल्लाहि वल्लाहु अकबर कहा कहते हैं मैंने हुज़ूर को देखा कि अपना पाँव उन के पहलूओं पर रखा और बिस्मिल्लाहि वल्लाहु अकबर कहा।

हदीस् (11) तिर्मिज़ी में हन्श से मरवी वह कहते हैं मैंने हज़रत अ़ली रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु को देखा कि दो मेंढे की कुर्बानी करते हैं मैंने कहा यह क्या उन्होंने फ़रमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने मुझे वसियत फ़रमाई कि मैं हुज़ूर की तरफ़ से कुर्बानी करूँ लिहाज़ा मैं हुज़ूर की तरफ़ से कुर्बानी करता हूँ।

हदीस् (12) अबूदाऊद व नसाई अ़ब्दुल्लाह इब्ने अ़म्र रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा से रावी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया मुझे यौमुज़्ज़ुहा का हुक्म दिया उस दिन को ख़ुदा ने इस उम्मत के लिए ईद बनाया एक शख़्स ने अ़र्ज़ की या रसूलल्लाह यह बताईये अगर मेरे पास **1.मनीहा** (मनीहा उस जानवर को कहते हैं जो किसी ने इस लिये दिया हो कि वह उस के दूध से फ़ायदा उठाये फिर मालिक को वापस करदे) के सिवा कोई जानवर न हो तो क्या उसी की कुर्बानी कर दूँ फ़रमाया नहीं। हाँ तुम अपने बाल और नाखुन तरशवाओ और मूछें तरशवाओ और मु–ए–ज़ेरे नाफ़ को मून्ढो उसी में तुम्हारी कुर्बानी ख़ुदा के नज़्दीक पूरी हो जायेगी यानी जिस को कुर्बानी की तौफ़ीक़ न हो उसे उन चीज़ों के करने से कुर्बानी का सवाब हासिल होजायेगा।

हदीस् (13) मुस्लिम व तिर्मिज़ी व नसाई व इब्ने माजा उम्मुलमोमिनीन उम्मे सलमा रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा से रावी कि हुज़ूर ने फ़रमाया जिस ने ज़िलहिज्जा का चाँद देख लिया और उसका इरादा कुर्बानी करने का है तो जब तक कुर्बानी न करले बाल और नाख़ूनों से न ले यानी न तरशवाये।

हदीस् (14) तिबरानी अ़ब्दुल्लाह इब्ने मसऊद रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रावी कि हुज़ूर ने फ़रामाया "कुर्बानी में गाय सात की तरफ़ से और ऊँट सात की तरफ़ से है"।

हदीस् (15) अबूदाऊद व निसाई व इब्ने माजा मुजाशेअ् इब्ने मसऊद रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी कि हुज़ूर ने फ़रमाया भेड़ का जुज़अ् (छःमहीने का बच्चा) साल भर वाली बकरी के क़ाइम मक़ाम है
हदीस् (16) इमाम अहमद ने रिवायत की कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि "अफ़ज़ल कुर्बानी वह है जो ब'एअ्तिबार क़ीमत आला हो और ख़ूब फ़रबा हो"।
हदीस् (17) तिबरानी इब्ने अब्बास रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से रावी कि हुज़ूर ने रात में कुर्बानी करने से मनअ् फ़रमाया।

हदीस् (18) इमाम अहमद वग़ैरा हज़रत अली रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया चार क़िस्म के जानवर कुर्बानी के लिये दुरुस्त नहीं **काना** जिस का कानापन ज़ाहिर है और **बीमार** जिस की बीमारी ज़ाहिर हो और **लंगड़ा** जिस का लंग ज़ाहिर है और ऐसा **लाग़र** जिस की हड्डियों में मग़्ज़ न हो उसी की मिस्ल इमाम मालिक व अहमद व तिर्मिज़ी व अबूदाऊद व निसाई इब्ने माजा व दारमी बर्रा इब्ने आज़िब रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी।
हदीस् (19) इमाम अहमद व इब्ने माजा हज़रत अली रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने कान कटे हुए और सींग टूटे हुए की कुर्बानी से मनअ् फ़रमाया। **मनीहा** उस जानवर को कहते हैं जो दूसरे ने उसे इस लिये दिया है कि यह कुछ दिनों उस के दूध वग़ैरा से फ़ायदा उठाये फिर मालिक को वापस करदे। 12. मिन्हु।
हदीस् (20) तिर्मिज़ी व अबूदाऊद व निसाई व दारमी हज़रत अली रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि हम जानवरों के कान और आँखें ग़ौर से देखलें और उसकी कुर्बानी न करें जिसके कान का अगला हिस्सा कटा हो और न उस की जिस के कान का पिछला हिस्सा कटा हो और न उसकी जिसका कान फटा हो या कान में सूराख़ हो।
हदीस् (21) इमाम बुख़ारी इब्ने उमर रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से रावी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ईद गाह में नहर, ज़बह फ़रमाते थे।

मसाइले फ़िक़्हिया

कुर्बानी कई क़िस्म की है। **ग़नी** और फ़क़ीर दोनों पर वाजिब। **फ़क़ीर** पर वाजिब हो ग़नी पर वाजिब न हो। **ग़नी** पर वाजिब हो फ़क़ीर पर वाजिब न हो। दोनों पर वाजिब हो उस की सूरत यह है कि कुर्बानी की मन्नत मानी यह कहा कि अल्लाह के लिये मुझ पर बकरी या गाय की कुर्बानी करना है या उस बकरी या उस गाय को कुर्बानी करना है। फ़क़ीर पर वाजिब हो ग़नी पर न हो इस की सूरत यह है कि फ़क़ीर ने कुर्बानी के लिये जानवर ख़रीदा उस पर उस जानवर की कुर्बानी वाजिब है और ग़नी अगर ख़रीदता तो इस ख़रीदने से कुर्बानी उस पर वाजिब न होती। **ग़नी** पर वाजिब हो फ़क़ीर पर वाजिब न हो उस की सूरत यह है कि कुर्बानी का वुजूब न ख़रीदने से हो न मन्नत मानने से बल्कि खुदा ने जो उसे ज़िन्दा रखा है उसके शुक्रिया में और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम की सुन्नत के एहया (यानी सुन्नते इब्राहीमी को क़ायम रखने के लिये) में जो कुर्बानी वाजिब है वह सिर्फ़ ग़नी पर है।(आलमगीरी)
मसअ्ला.1:– मुसाफ़िर पर कुर्बानी वाजिब नहीं अगर मुसाफ़िर ने कुर्बानी की यह ततव्वोअ् (नफ़्ल) है और फ़क़ीर ने अगर न मन्नत मानी हो न कुर्बानी की नियत से जानवर ख़रीदा हो उसका कुर्बानी करना भी ततव्वोअ् है।(आलमगीरी)
मसअ्ला.2:– बकरी का मालिक था और उसकी कुर्बानी की नियत करली या ख़रीदने के वक़्त कुर्बानी की नियत न थी बाद में नियत करली तो उस की नियत से कुर्बानी वाजिब नहीं होगी(आलमगीरी)
मसअ्ला.3:– कुर्बानी वाजिब होने के शराइत यह हैं इस्लाम यानी ग़ैर मुस्लिम पर कुर्बानी वाजिब नहीं इक़ामत यानी मुक़ीम होना, मुसाफ़िर पर वाजिब नहीं। तवंगरी यानी मालिके निसाब होना

यहाँ मालदारी से मुराद वही है जिससे सदका–ए–फित्र वाजिब होता है वह मुराद नहीं जिस से ज़कात वाजिब होती है। **हुर्रियत** यानी आज़ाद होना जो आज़ाद न हो उस पर कुर्बानी वाजिब नहीं कि गुलाम के पास माल ही नहीं लिहाज़ा इबादते मालिया उस पर वाजिब नहीं। मर्द होना इस के लिये शर्त नहीं। औरतों पर वाजिब होती है जिस तरह मर्दों पर वाजिब होती है इसके लिये बुलूग़ शर्त है या नहीं इस में इख़्तिलाफ़ है और ना'बालिग़ पर वाजिब है तो आया ख़ुद उस के माल से कुर्बानी की जायेगी या उसका बाप अपने माल से कुर्बानी करेगा। ज़ाहिरुर्रिवाया यह है कि न ख़ुद ना'बालिग़ पर वाजिब है और न उस की तरफ़ से उसके बाप पर वाजिब है और इसी पर फ़तवा है(दुर्रेमुख़्तार)

मसअला.4:– मुसाफ़िर पर अगर्चे वाजिब नहीं मगर नफ़्ल के तौर पर करे तो कर सकता है सवाब पायेगा। हज करने वाले जो मुसाफ़िर हों उन पर कुर्बानी वाजिब नहीं और मुक़ीम हों तो वाजिब है जैसे कि मक्का के रहने वाले हज करें तो चूंकि यह मुसाफ़िर नहीं उन पर वाजिब होगी।(दुर्रेमुख़्तार)

मसअला.5:– शराइत का पूरे वक़्त में पाया जाना ज़रूरी नहीं बल्कि कुर्बानी के लिये जो वक़्त मुक़र्रर है उस के किसी हिस्से में शराइत का पाया जाना वुजूब के लिये काफ़ी है मसलन एक शख़्स इब्तिदा–ए–वक़्त कुर्बानी में काफ़िर था फिर मुसलमान होगया और अभी कुर्बानी का वक़्त बाक़ी है उस पर क़ुर्बानी वाजिब है जब कि दूसरे शराइत भी पाये जायें उसी तरह अगर गुलाम था और आज़ाद होगया उस के लिये भी यहीं हुक्म है यूंही अव्वल वक़्त में मुसाफ़िर था और इस्ना–ए–वक़्त में मुक़ीम होगया उस पर भी कुर्बानी वाजिब होगई या फ़क़ीर था और वक़्त के अन्दर मालदार होगया उस पर भी कुर्बानी वाजिब है।(आलमगीरी)

मसअला.6:– कुर्बानी वाजिब होने का सबब वक़्त है जब वह वक़्त आया और शराइते वुजूब पाये गये कुर्बानी वाजिब होगई और उस का रुक्न उन मख़्सूस जानवरों में किसी को कुर्बानी की नियत से ज़बह करना है कुर्बानी की नियत से दूसरे जानवर मसलन मुर्ग़ को ज़बह करना ना'जाइज़ है(दुर्रेमुख़्तार)

मसअला.7:– जो शख़्स दो सौ दिरहम या बीस दीनार का मालिक हो या हाजत के सिवा किसी ऐसी चीज़ का मालिक हो जिस की क़ीमत दो सौ दिरहम हो वह ग़नी है उस पर कुर्बानी वाजिब है। हाजत से मुराद रहने का मकान और ख़ानादारी के सामान जिन की हाजत हो और सवारी का जानवर और ख़ादिम और पहनने के कपड़े उन के सिवा जो चीज़ें हों वह हाजत से ज़ाइद हैं। (आलमगीरी वग़ैरा)

मसअला.8:– उस शख़्स पर दैन है और उस के अमवाल से दैन की मिक़दार मुजरा (कटौती) की जाये तो निसाब नहीं बाक़ी रहती उस पर कुर्बानी वाजिब नहीं और अगर उस का माल यहाँ मौजूद नहीं है और अय्यामे कुर्बानी गुज़रने के बाद वह माल उसे वसूल होगा तो कुर्बानी वाजिब नहीं(आलमगीरी)

मसअला.9:– एक शख़्स के पास दो सौ दिरहम थे साल पूरा हुआ और उन में से पाँच दिरहम ज़कात में दिये एक सौ पचानवे बाक़ी रहे अब कुर्बानी का दिन आया तो कुर्बानी वाजिब है और अगर अपने ज़रूरियात में पाँच दिरहम करता तो कुर्बानी वाजिब न होती।(आलमगीरी)

मसअला.10:– मालिके निसाब ने कुर्बानी के लिये बकरी ख़रीदी थी वह गुम होगई और उस शख़्स का माल निसाब से कम होगया अब कुर्बानी का दिन आया तो उस पर यह ज़रूर नहीं कि दूसरा जानवर ख़रीदकर कुर्बानी करे और अगर वह बकरी कुर्बानी ही के दिनों में मिल गई और यह शख़्स अब भी मालिके निसाब नहीं है तो उसपर बकरी की कुर्बानी वाजिब नहीं।(आलमगीरी)

मसअला.11:– औरत का महर शौहर के ज़िम्मे बाक़ी है और शौहर मालदार है तो उस महर की वजह से औरत को मालिके निसाब नहीं माना जायेगा अगर्चे महर मुअज्जल हो और अगर औरत के पास उस के सिवा बक़द्रे निसाब माल नहीं है तो औरत पर कुर्बानी वाजिब नहीं होगी।(आलमगीरी)

मसअला.12:– किसी के पास दो सौ दिरहम की क़ीमत का मुस्हफ़ शरीफ़ (कुर्आन मजीद) है और अगर वह उसे देखकर अच्छी तरह तिलावत कर सकता है तो उस पर कुर्बानी वाजिब नहीं चाहे उस में तिलावत करता हो या न करता हो और अगर अच्छी तरह उसे देखकर तिलावत न कर

सकता हो तो वाजिब है किताबों का भी यही हुक्म है कि उसके काम की हैं तो कुर्बानी वाजिब नहीं वरना है।(आलमगीरी)
मसअ्ला.13:– एक मकान जाड़े के लिये और एक गर्मी के लिये यह हाजत में दाख़िल है उन के एलावा उस के पास तीसरा मकान हो जो हाजत से ज़ायद है अगर यह दो सौ दिरहम का है तो कुर्बानी वाजिब है उसी तरह गर्मी, जाड़े के बिछौने हाजत में दाख़िल हैं और तीसरा बिछौना जो हाजत से ज़ायद है उस का एअ्तिबार होगा। ग़ाज़ी के लिये दो घोड़े हाजत में हैं तीसरा हाजत से ज़ाइद है। असलहू ग़ाज़ी की हाजत में दाख़िल हैं हाँ अगर हर क़िस्म के दो हथियार हों तो दूसरे को हाजत से ज़ायद क़रार दिया जायेगा। गाँव के ज़मीनदार के पास एक घोड़ा हाजत में दाख़िल है और दो हों तो दूसरे को ज़ायद माना जायेगा। घर में पहनने के कपड़े और काम काज के वक़्त पहनने के कपड़े और जुमा व ईद और दूसरे मौक़ों पर पहनकर जाने के कपड़े यह सब हाजत में दाख़िल हैं और उन तीन के सिवा चौथा जोड़ा अगर दो सौ दिरहम का है तो कुर्बानी वाजिब है(आलमगीरी)
मसअ्ला.14:– बालिग़ लड़कों या बीवी की तरफ़ से कुर्बानी करना चाहता है तो उन से इजाज़त हासिल करे बिग़ैर उन के कहे अगर करदी तो उन की तरफ़ से वाजिब अदा न हुआ और नाबालिग़ की तरफ़ से अगर्चे वाजिब नहीं है मगर कर देना बेहतर है।(आलमगीरी)
मसअ्ला.15:– कुर्बानी का हुक्म यह है कि उसके ज़िम्मे जो कुर्बानी वाजिब है कर लेने से बरियुज़्ज़िम्मा होगया और अच्छी नियत से की है रिया वग़ैरा की मुदाख़लत नहीं तो अल्लाह के फ़ज़्ल से उम्मीद है कि आख़िरत में उसका सवाब मिलेगा।(दुर्रेमुख़्तार वग़ैरा)
मसअ्ला.16:– यह ज़रूर नहीं कि दसवीं ही को कुर्बानी कर डाले उस के लिये गुन्जाइश है कि पूरे वक़्त में जब चाहे करे लिहाज़ा अगर इब्तिदाए वक़्त में उस का अहल न था वुजूब के शराइत नहीं पाये जाते थे और आख़िर वक़्त में अहल होगया यानी वुजूब के शराइत पाये गये तो उस पर वाजिब होगई और अगर इब्तिदाए वक़्त में वाजिब थी और अभी की नहीं और आख़िर वक़्त में शराइत जाते रहे तो वाजिब न रही।(आलमगीरी)
मसअ्ला.17:– एक शख़्स फ़क़ीर था मगर उसने कुर्बानी कर डाली उस के बाद अभी वक़्त कुर्बानी का बाक़ी था कि ग़नी होगया तो उस को फिर कुर्बानी करनी चाहिए कि पहले जो की थी वह वाजिब न थी और अब वाजिब है बाज़ उलमा ने फ़रमाया कि वह पहली कुर्बानी काफ़ी है और अगर बावुजूद मालिके निसाब होने के उसने कुर्बानी न की और वक़्त ख़त्म होने के बाद फ़क़ीर होगया तो उस पर बकरी की क़ीमत का सदक़ा करना वाजिब है यानी वक़्त गुज़रने के बाद कुर्बानी साक़ित नहीं होगी। और अगर मालिके निसाब बिग़ैर कुर्बानी किये हुये उन्हीं दिनों में मर गया तो उस की कुर्बानी साक़ित होगई।(आलमगीरी, दुर्रेमुख़्तार)
मसअ्ला.18:– कुर्बानी के वक़्त में कुर्बानी करना ही लाज़िम है कोई दूसरी चीज़ उसके क़ाइम मक़ाम नहीं हो सकती मस्लन बजाये कुर्बानी उसने बकरी या उसकी क़ीमत सदक़ा करदी यह नाकाफ़ी है उस में नियाबत हो सकती है यानी खुद करना ज़रूर नहीं बल्कि दूसरे को इजाज़त देदी उसने करदी यह हो सकता है।(आलमगीरी)
मसअ्ला.19:– जब कुर्बानी के शराइते मज़कूरा पाये जायें तो बकरी का ज़बह करना या ऊँट या गाय का सातवाँ हिस्सा वाजिब है, सातवें हिस्से से कम नहीं हो सकता बल्कि ऊँट या गाय के शुरका (शरीकों) में अगर किसी शरीक का सातवें हिस्से से कम है तो किसी की कुर्बानी नहीं हुई यानी जिसका सातवाँ हिस्सा इस से ज़्यादा है उस की भी कुर्बानी नहीं हुई। गाय या ऊँट में सातवें हिस्से से ज़्यादा की कुर्बानी हो सकती है। मस्लन गाय को छः या पाँच या चार शख़्सों की तरफ़ से कुर्बानी करें हो सकता है और यह ज़रूर नहीं कि सब शुरका के हिस्से बराबर हों बल्कि कम व बेश भी हो सकते हैं हाँ यह ज़रूर है कि जिस का हिस्सा कम है तो सातवें हिस्से से कम न हो।(दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.20:– सात शख़्सों ने पाँच गायों की कुर्बानी की यह जाइज है कि हर गाय में हर शख़्स का सातवाँ हिस्सा हुआ और आठ शख़्सों ने पाँच या छः गायों में ब'हिस्साए मसावी (बराबर हिस्से के साथ) शिरकत की यह ना'जाइज़ है कि हर गाय में हर एक का सातवें हिस्से से कम है। सात बकरियों की सात शख़्सों ने शरीक होकर कुर्बानी की यानी हर एक का हर बकरी में सातवाँ हिस्सा है इस्तिहसानन कुर्बानी हो जायेगी यानी हर एक की एक एक बकरी पूरी क़रार दी जायेगी यूँहीं दो शख़्सों ने दो बकरियों में शिरकत कर के कुरबानी की तो बतौर इस्तिहसान हर एक की कुर्बानी हो जायेगी।(रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.21:– शिरकत में गाय की कुर्बानी हुई तो ज़रूर है कि गोश्त वज़न करके तक़सीम किया जाये अन्दाज़े से तक़सीम न हो क्योंकि हो सकता है कि किसी को ज़ाइद या कम मिले और यह ना'जाइज़ है यहाँ यह ख़याल न किया जाये कि कम व बेश होगा तो हर एक उस को दूसरे के लिये जाइज़ कर देगा कह देगा कि अगर किसी को ज़ाइद पहुँच गया है तो मुआफ़ किया कि यहाँ अ़दमे जवाज़ हक़्क़े शरअ़ है और उन को इस के मुआफ़ करने का हक़ नहीं।(दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.22:– कुर्बानी का वक़्त दसवीं ज़िलहिज्जा के तुलूअ़ सुबह सादिक़ से बारहवीं के गुरूब आफ़ताब तक है यानी तीन दिन और दो रातें और उन दिनों को अय्यामे नहर कहते हैं और ग्यारह से तेरह तक तीन दिनों को अय्यामे तशरीक़ कहते हैं लिहाज़ा बीच के दो दिन अय्यामे नहर व अय्यामे तशरीक़ दोनों हैं और पहला दिन यानी दसवीं ज़िल्हिज्जा सिर्फ़ यौमुन्नहर है और पिछला दिन यानी तेरवीं ज़िलहिज्जा सिर्फ़ यौमुत्तशरीक़ है।(दुर्रेमुख़्तार वग़ैरा)

मसअ्ला.23:– दसवीं के बाद की दोनों रातें अय्यामे नहर में दाख़िल हैं उन में भी कुर्बानी होसकती है मगर रात में ज़बह करना मकरूह है।(आलमगीरी)

मसअ्ला.24:– पहला दिन यानी दसवीं तारीख़ सब में अफ़ज़ल है फिर ग्यारहवीं और पिछला दिन यानी बारहवीं सब में कम दर्जा है और अगर तारीख़ों में शक हो यानी तीस का चाँद माना गया है और उन्तीस के होने का भी शुबह है मसलन गुमान था कि उन्तीस का चाँद होगा मगर अब्र वग़ैरा की वजह से न दिखा या शहादतें गुज़रीं मगर किसी वजह से क़बूल न हुई ऐसी हालत में दसवीं के मुतअ़ल्लिक़ यह शुबह है कि शायद आज ग्यारहवीं हो तो बेहतर यह है कि कुर्बानी को बारहवीं तक मुअख़्ख़र न करे यानी बारहवीं से पहले कर डाले क्योंकि बारहवीं के मुतअ़ल्लिक़ तेरहवीं तारीख़ होने का शुबह होगा तो यह शुबह होगा कि वक़्त से बाद में हुई और इस सूरत में अगर बारहवीं को कुर्बानी की जिस के मुतअ़ल्लिक़ तेरहवीं होने का शुबह है तो बेहतर यह है कि सारा गोश्त सदक़ा कर डाले बल्कि ज़बह की हुई बकरी और ज़िन्दा बकरी में क़ीमत का तफ़ावुत हो कि ज़िन्दा की क़ीमत कुछ ज़ाइद हो तो इस ज़्यादती को भी सदक़ा कर दे।(आलमगीरी)

मसअ्ला.25:– अय्यामे नहर में कुर्बानी करना उतनी क़ीमत के सदक़ा करने से अफ़ज़ल है क्योंकि कुर्बानी वाजिब है या सुन्नत और सदक़ा करना ततव्वोअ़ महज़(नफ़ली इबादत)है लिहाज़ा कुर्बानी अफ़ज़ल हुई(आलमगीरी)और वुजूब की सूरत में बिग़ैर कुर्बानी किये ओहदा'बर'आ नहीं होसकता(वाजिब अदा नहीं हो सकता)

मसअ्ला.26:– शहर में कुर्बानी की जाये तो शर्त यह है कि नमाज़ हो चुके लिहाज़ा नमाज़े ईद से पहले शहर में कुर्बानी नहीं हो सकती और देहात में चूँकि नमाज़े ईद नहीं है यहाँ तुलूअ़ फ़ज्र के बाद से ही कुर्बानी हो सकती है और देहात में बेहतर यह है कि बाद तुलूअ़े आफ़ताब कुर्बानी की जाये और शहर में बेहतर यह है कि ईद का ख़ुतबा हो चुकने के बाद कुर्बानी की जाये।(आलमगीरी)यानी नमाज़ होचुकी है और अभी ख़ुतबा नहीं हुआ है इस सूरत में कुर्बानी होजायेगी मगर ऐसा करना मकरूह है।

मसअ्ला.27:– यह जो शहर व देहात का फ़र्क़ बताया गया यह मक़ामे कुर्बानी के लिहाज़ से है कुर्बानी करने वाले के एअ़तिबार से नहीं यानी देहात में कुर्बानी हो तो वह वक़्त है अगर्चे कुर्बानी करने वाला शहर में हो और शहर में हो तो नमाज़ के बाद हो अगर्चे जिस की तरफ़ से कुर्बानी है वह देहात में हो लिहाज़ा शहरी आदमी अगर यह चाहता है कि सुबह ही नमाज़ से पहले कुर्बानी की जाये बल्कि किसी मस्जिद में होगई और ईदगाह में न हुई जब भी हो सकती है।(दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.28:– अगर शहर में मुतअ़द्दिद जगह ईद की नमाज़ होती हो तो पहली जगह नमाज़ होचुकने के बाद कुर्बानी जाइज़ है यानी यह ज़रूर नहीं कि ईदगाह में नमाज़ होजाये जब ही कुर्बानी

की जाये बल्कि किसी मस्जिद में होगई और ईदगाह में न हुई जब भी हो सकती है।(दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.29:– दसवीं को अगर ईद की नमाज़ नहीं हुई ता कुर्बानी के लिये यह ज़रूरी है कि वक़्ते नमाज़ जाता रहे यानी ज़वाल का वक़्त आजाये अब कुर्बानी हो सकती है और दूसरे या तीसरे दिन नमाज़े ईद से क़ब्ल हो सकती है।(दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.30:– मिना में चूँकि ईद की नमाज़ नहीं होती लिहाज़ा वहाँ जो कुर्बानी करना चाहे तुलूए़ फ़ज्र के बा़द से कर सकता है उसके लिये वही हुक्म है जो देहात का है किसी शहर में अगर फ़ितने की वजह से नमाज़े ईद न हो तो वहाँ दसवीं की तुलूए़ फ़ज्र के बाद कुर्बानी हो सकती है।

मसअ्ला.31:– इमाम भी नमाज़ में है और किसी ने जानवर ज़बह कर लिया अगर्चे इमाम क़अ्दा में हो और बक़द्रे तशह्हुद बैठ चुका हो मगर अभी सलाम न फेरा हो तो कुर्बानी नहीं हुई और अगर इमाम ने एक त़रफ़ सलाम फेर लिया है दूसरी त़रफ़ बाक़ी था कि उस ने ज़बह़ कर दिया कुर्बानी होगई और बेहतर यह है कि ख़ुत़बा से जब इमाम फ़ारिग़ होजाये उस वक़्त कुर्बानी की जाये(आलमगीरी)

मसअ्ला.32:– इमाम ने नमाज़ पढ़ली उस के बा़द कुर्बानी हुई फिर मा़लूम हुआ कि इमाम ने बिग़ैर वुज़ू नमाज़ पढ़ादी तो नमाज़ का इआ़दा किया जाये कुर्बानी के इआ़दा की ज़रूरत नहीं(दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.33:– यह गुमान था कि आज अ़रफ़ा का दिन (यानी नवीं जिलहिज्जा का दिन) है और किसी ने ज़वाले आफ़ताब के बा़द कुर्बानी करली फिर मा़लूम हुआ कि अ़रफ़ा का दिन न था बल्कि दसवीं तारीख़ थी तो कुर्बानी जाइज़ होगई यूँहीं अगर दसवीं को नमाज़े ईद से पहले कुर्बानी करली फिर मा़लूम हुआ कि वह दसवीं न थी बल्कि ग्यारहवीं थी तो उसकी भी कुर्बानी जाइज़ होगई।(आलमगीरी)

मसअ्ला.34:– नवीं के मुतअ़ल्लिक़ कुछ लोगों ने गवाही दी कि दसवीं है इस बिना पर उसी रोज़ नमाज़ पढ़कर कुर्बानी की फिर मा़लूम हुआ कि गवाही ग़लत़ थी वह नवीं तारीख़ थी तो नमाज़ भी होगई और कुर्बानी भी।(दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.35:– अय्यामे नह़र गुज़र गये और जिस पर कुर्बानी वाजिब थी उसने नहीं की है तो कुर्बानी फ़ौत होगई अब नहीं हो सकती फिर अगर उसने कुर्बानी का जानवर मुअ़य्यन कर रखा है म़स्लन मुअ़य्यन जानवर की कुर्बानी की मन्नत मान ली है वह शख़्स ग़नी हो या फ़क़ीर बहर सूरत उसी मुअ़य्यन जानवर को ज़िन्दा स़दक़ा करे और अगर ज़बह़ कर डाला तो सारा गोश्त स़दक़ा करे उस में से कुछ न खाये और अगर कुछ खालिया है तो जितना खाया है उसकी क़ीमत स़दक़ा करे और अगर ज़बह़ किये हुये जानवर की क़ीमत ज़िन्दा जानवर से कुछ कम है तो जितनी कमी है उसे भी स़दक़ा करे और फ़क़ीर ने कुर्बानी की नियत से जानवर ख़रीदा है और कुर्बानी के दिन निकल गये चूँकि उस पर भी उसी मुअ़य्यन जानवर की कुर्बानी वाजिब है लिहाज़ा इस जानवर को ज़िन्दा स़दक़ा करदे और अगर ज़बह़ कर डाला तो वही हुक्म है जो मन्नत में मज़कूर हुआ। यह हुक्म उसी सूरत में है कि कुर्बानी ही के लिये ख़रीदा हो अगर उसके पास पहले से कोई जानवर था और उसने उस के कुर्बानी करने की नियत करली या ख़रीदने के बा़द कुर्बानी की नियत की तो उस पर कुर्बानी वाजिब न हुई और ग़नी ने कुर्बानी के लिये जानवर ख़रीद लिया है तो वही जानवर स़दक़ा करदे और ज़बह़ कर डाला तो वही हुक्म है जो मज़कूर हुआ और ख़रीदा न हो तो बकरी की क़ीमत स़दक़ा करे।(दुर्रेमुख़्तार, रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला.36:– कुर्बानी के दिन गुज़र गये और उसने कुर्बानी नहीं की और जानवर या उसकी क़ीमत को स़दक़ा भी नहीं किया यहाँ तक कि दूसरी बक़रईद आगई अब यह चाहता है कि साले गुज़श्ता की कुर्बानी की क़ज़ा इस साल करले यह नहीं हो सकता बल्कि अब भी वही हुक्म है कि जानवर या उस की क़ीमत स़दक़ा करे।(आलमगीरी)

मसअ्ला.37:– जिस जानवर की कुर्बानी वाजिब थी अय्यामे नह़र गुज़रने के बा़द उसे बेच डाला तो स़मन का स़दक़ा करना वाजिब है।(आलमगीरी)

मसअ्ला.38:– किसी शख़्स ने यह वसिय्यत की कि उसकी त़रफ़ से कुर्बानी करदी जाये और यह नहीं बताया कि गाय या बकरी किस जानवर की कुर्बानी की जाये और न क़ीमत बयान की कि उतने का जानवर ख़रीदकर कुर्बानी की जाये यह वसिय्यत जाइज़ है और बकरी कुर्बान करदेने से

वसियत पूरी होगई और अगर किसी को वकील किया कि मेरी तरफ़ से कुर्बानी करदेना और गाय या बकरी का तअय्युन न किया और क़ीमत भी बयान नहीं की तो यह तौकील(वकील बनाना)सहीह नहीं।(आलमगीरी)

मसअला.39:– कुर्बानी की मन्नत और यह मुअय्यन नहीं किया कि गाय की कुर्बानी करेगा या बकरी की तो मन्नत सहीह है बकरी की कुर्बानी कर देना काफ़ी है और अगर बकरी की कुर्बानी की मन्नत मानी तो ऊँट या गाय कुर्बानी कर देने से भी मन्नत पूरी हो जायेगी मन्नत की कुर्बानी में से कुछ न खाये बल्कि सारा गोश्त वग़ैरा सदक़ा करदे और कुछ खा लिया तो जितना खाया उस की क़ीमत सदक़ा करे।(आलमगीरी)

कुर्बानी के जानवर का बयान

मसअला.1:– कुर्बानी के जानवर तीन क़िस्म के हैं ऊँट, गाय, बकरी,। हर क़िस्म में उस की जितनी नोऐं (क़िस्में) हैं सब दाख़िल हैं नर और मादा ख़स्सी और ग़ैर ख़स्सी सब का एक हुक्म है यानी सब की कुर्बानी हो सकती है। भैंस, गाय में शुमार है उसकी भी कुर्बानी हो सकती है। भेड़ और दुम्बा बकरी में दाख़िल हैं उन की भी कुर्बानी हो सकती है।(आलमगीरी वग़ैरा)

मसअला.2:– वहशी जानवर जैसे नील गाय और हिरन उनकी कुर्बानी नहीं हो सकती वहशी और घरेलू जानवर से मिलकर बच्चा पैदा हुआ मसलन हिरन और बकरी से उस में माँ का एअतिबार है यानी उस बच्चे की माँ बकरी है तो जाइज़ है और बकरे और हिरनी से पैदा है तो नाजाइज़(आलमगीरी)

मसअला.3:– कुर्बानी के जानवर की उम्र यह होनी चाहिए ऊँट पाँच साल का, गाय दो साल की, बकरी एक साल की, इस से उम्र कम हो तो कुर्बानी जाइज़ नहीं ज़्यादा हो तो जाइज़ बल्कि अफ़ज़ल है हाँ दुम्बा या भेड़ का छः माहा बच्चा अगर इतना बड़ा हो कि दूर से देखने में साल भर का मालूम होता हो तो उसकी कुर्बानी जाइज़ है।(दुर्रेमुख़्तार)

मसअला.4:– बकरी की क़ीमत और गोश्त अगर गाय के सातवें हिस्से की बराबर हो तो बकरी अफ़ज़ल है और गाय के सातवें हिस्से में बकरी से ज़्यादा गोश्त हो तो गाय अफ़ज़ल है यानी जब दोनों की एक ही क़ीमत हो और मिक़दार भी एक ही हो तो जिस का गोश्त अच्छा हो वह अफ़ज़ल है और अगर गोश्त की मिक़दार में फ़र्क़ हो तो जिस में गोश्त ज़्यादा हो वह अफ़ज़ल है और मेंढा भेड़ से और दुम्बा, दुम्बी से अफ़ज़ल है जबकि दोनों की एक क़ीमत हो और दोनों में गोश्त बराबर हो बकरी बकरे से अफ़ज़ल है मगर ख़स्सी बकरा बकरी से अफ़ज़ल है और ऊँटनी ऊँट से और गाय बैल से अफ़ज़ल है जब कि गोश्त और क़ीमत में बराबर हों।(दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमुहतार)

मसअला.5:– कुर्बानी के जानवर को ऐब से ख़ाली होना चाहिए और थोड़ा सा ऐब हो तो कुर्बानी हो जायेगी मगर मकरूह होगी और ज़्यादा ऐब हो तो होगी ही नहीं। जिस के पैदाइशी सींग न हों उसकी कुर्बानी जाइज़ है और अगर सींग थे मगर टूट गया और मींग तक टूटा है तो नाजाइज़ है इस से कम टूटा है तो जाइज़ है जिस जानवर में जुनून है अगर इस हद का है कि वह जानवर चरता भी नहीं है तो उसकी कुर्बानी नाजाइज़ है और उस हद का नहीं है तो जाइज़ है। ख़स्सी यानी जिस के ख़ुसिये निकाल लिये गये हैं या मजबूब यानी जिस के ख़ुसिये और अज़वे तनासुल सब काट लिये गये हों उन की कुर्बानी जाइज़ है। इतना बूढ़ा कि बच्चा के क़ाबिल न रहा या दाग़ा हुआ जानवर या जिसके दूध न उतरता हो उन सब की कुर्बानी जाइज़ है। ख़ारिश्ती जानवर की कुर्बानी जाइज़ है जब कि फ़रबा हो और इतना लाग़र हो कि हड्डी में मग़्ज़ न रहा तो कुर्बानी जाइज़ नहीं।(दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमुहतार, आलमगीरी)

मसअला.6:– भींगे जानवर की कुर्बानी जाइज़ है अन्धे जानवर की कुर्बानी जाइज़ नहीं और काना जिसका कानापन ज़ाहिर हो उस की भी कुर्बानी नाजाइज़। इतना लाग़र जिस की हड्डियों में मग़्ज़ न हो और लंगड़ा जो कुर्बान गाह तक अपने पाँव से न जा सके और इतना बीमार जिस की बीमारी ज़ाहिर हो और जिस के कान या दुम या चक्की कटे हों यानी वह अज़ू तिहाई से ज़्यादा कटा हो इन सब की कुर्बानी नाजाइज़ है और अगर कान या दुम या चक्की तिहाई या इस से कम कटी हो

तो जाइज़ है। जिस जानवर के पैदायशी कान न हों या एक कान न हो उस की ना'जाइज़ है और जिस के कान छोटे हों उस की जाइज़ है जिस जानवर की तिहाई से ज़्यादा नज़र जाती रही उस की भी कुर्बानी ना'जाइज़ है. अगर दोनों आँखों की रोशनी कम हो तो उसका पहचानना आसान है और सिर्फ एक आँख की कम हो तो उसके पहचानने का तरीक़ा यह है कि जानवर को एक दो दिन भूका रखा जाये फिर उस आँख पर पट्टी बाँध दी जाये जिस की रोशनी कम है और अच्छी आँख खुली रखी जाये और इतनी दूर चारा रखें जिस को जानवर न देखे फिर चारा को नज़दीक लाते जायें जिस जगह वह चारे को देखने लगे वहाँ निशान रखदें फिर अच्छी आँख पर पट्टी बाँध दें और दूसरी खोल दें और चारा को क़रीब करते जायें जिस जगह इस आँख से देख ले यहाँ भी निशान कर दें फिर दोनों जगहों की पैमायश करें अगर्चे यह उस पहली जगह की तिहाई है तो मालूम हुआ कि तिहाई रोशनी कम है और अगर निस्फ़ है तो मालूम हुआ कि ब'निस्बत अच्छी आँख के उसकी रोशनी आधी है।(हिदाया, दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.7:– जिस के दाँत न हों या जिसके थन कटे हों या ख़ुश्क हों उसकी कुर्बानी ना'जाइज़ है बकरी में एक का ख़ुश्क होना ना'जाइज़ होने के लिये काफ़ी है और गाय, भैंस में दो ख़ुश्क हों तो ना'जाइज़ है। जिसकी नाक कटी हो या इलाज के ज़रीआ़ उसका दूध ख़ुश्क कर दिया हो और ख़ुन्सा जानवर या'नी जिस में नर व मादा दोनों की अ़लामतें हों और जल्लालह जो सिर्फ़ ग़लीज़ खाता हो उस सब की क़ुर्बानी ना'जाइज़ है।(दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.8:– भेड़ या दुम्बा की ऊन काट ली गई हो उस की क़ुर्बानी जाइज़ है और जिस जानवर का एक पाँव काट लिया गया हो उस की क़ुर्बानी ना'ज़ाइज़ है।(आ़लमगीरी)

मसअ्ला.9:– जानवर को जिस वक़्त ख़रीदा था उस वक़्त उस में ऐसा ऐ़ब न था जिस की वजह से क़ुर्बानी ना'जाइज़ होती है बा'द में वह ऐ़ब पैदा होगया तो अगर वह शख़्स मालिके निसा़ब है तो दूसरे जानवर की क़ुर्बानी करे और मालिके निसा़ब नहीं है तो उसी की कुरबानी करले यह उस वक़्त है कि उस फ़क़ीर ने पहले से अपने ज़िम्मे क़ुर्बानी वाजिब न की हो और अगर उसने मन्नत मानी है कि बकरी की क़ुर्बानी करूँगा और मन्नत पूरी करने के लिये बकरी ख़रीदी उस वक़्त बकरी में ऐसा ऐ़ब न था फिर पैदा हो गया इस सूरत में फ़क़ीर के लिये भी यही हुक्म है कि दूसरे जानवर की क़ुर्बानी करे। (हिदाया, रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.10:– फ़क़ीर ने जिस वक़्त जानवर ख़रीदा था उसी वक़्त उस में ऐसा ऐ़ब था जिससे क़ुर्बानी ना'जाइज़ होती है और वह ऐ़ब क़ुर्बानी के वक़्त तक बाक़ी रहा तो उसकी क़ुर्बानी कर सकता है और ग़नी ऐ़बदार ख़रीदे और ऐ़बदार ही की क़ुर्बानी करे तो ना'जाइज़ है और अगर ऐ़बी जानवर को ख़रीदा था और बा'द में उस का ऐ़ब जाता रहा तो ग़नी और फ़क़ीर दोनों के लिये उस की क़ुर्बानी जाइज़ है मस्'लन ऐसा लाग़र जानवर ख़रीदा जिस की क़ुर्बानी ना'जाइज़ है और उस के यहाँ वह फ़रबा होगया तो ग़नी भी उसकी क़ुर्बानी कर सकता है।(दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.11:– क़ुर्बानी करते वक़्त जानवर उछला, कूदा जिसकी वजह से ऐ़ब पैदा होगया यह ऐ़ब मुज़िर नहीं या'नी क़ुर्बानी होजायेगी और अगर उछलने, कूदने से ऐ़ब पैदा होगया और वह छूटकर भाग गया और फ़ौरन पकड़ लाया गया और ज़बह कर दिया गया जब भी क़ुर्बानी हो जायेगी। (दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.12:– क़ुर्बानी का जानवर मर गया तो ग़नी पर लाजिम है कि दूसरे जानवर की क़ुर्बानी करे और फ़क़ीर के ज़िम्मे दूसरा जानवर वाजिब नहीं और अगर क़ुर्बानी का जानवर गुम होगया या चोरी होगया और उस की जगह दूसरा जानवर ख़रीद लिया अब वह मिल गया तो ग़नी को इख़्तियार है कि दोनों में जिस एक को चाहे क़ुर्बानी करे और फ़क़ीर पर वाजिब है कि दोनों की क़ुर्बानियाँ करे।(दुर्रेमुख़्तार) मगर ग़नी ने अगर पहले जानवर की क़ुर्बानी की तो अगर्चे उसकी क़ीमत दूसरे से कम हो कोई हरज नहीं और अगर दूसरे की क़ुर्बानी की और उस की क़ीमत पहले से कम

है तो जितनी कमी है उतनी रकम सदका करे हाँ अगर पहले को भी कुर्बान कर दिया तो अब वह तसद्दुक़ (सदका करना) वाजिब न रहा।(रद्दुलमुहतार)

कुर्बानी के जानवर में शिरकत

मसअ्ला.13:– सात शख़्सों ने कुर्बानी के लिये गाय ख़रीदी थी उन में एक का इन्तिकाल होगया उस के वुरसा ने शुरका से यह कह दिया कि तुम उस गाय को अपनी तरफ़ से और उसकी तरफ़ से कुर्बानी करो उन्होंने करली तो सब की कुर्बानियाँ जाइज़ हैं और अगर बिग़ैर इजाज़ते वुरसा उन शुरका ने की तो किसी की न हुई।(हिदाया)

मसअ्ला.14:– गाय के शुरका में से एक काफ़िर है या उन में एक शख़्स का मक़सद कुर्बानी नहीं है बल्कि गोश्त हासिल करना है तो किसी की कुर्बानी न हुई बल्कि अगर शुरका में से कोई गुलाम या मुदब्बर है जब भी कुर्बानी नहीं हो सकती क्योंकि यह लोग अगर कुर्बानी की नियत भी करें तो नियत सहीह नहीं।(दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.15:– शुरका में से एक की नियत इस साल की कुर्बानी है और बाक़ियों की नियत साल गुज़श्ता की कुर्बानी है तो जिस की इस साल की नियत है उसकी कुर्बानी सहीह है और बाक़ियों की नियत बातिल क्योंकि साले गुज़श्ता की कुर्बानी इस साल नहीं हो सकती उन लोगों की यह कुर्बानी ततव्वोअ् यानी नफ़्ल हुई और उन लोगों पर लाज़िम है कि गोश्त को सदका करदें बल्कि उनका साथी जिस की कुर्बानी सहीह हुई है वह भी गोश्त सदका करदे।(रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.16:– कुर्बानी के सब शुरका की नियत तक़र्रुब हो उस का यह मतलब है कि किसी का इरादा गोश्त का न हो और यह ज़रूर नहीं कि वह तक़र्रुब एक ही क़िस्म का हो मसलन सब कुर्बानी ही करना चाहते हैं बल्कि अगर मुख़्तलिफ़ क़िस्म के तक़र्रुब हों वह तक़र्रुब सब पर वाजिब हो या किसी पर वाजिब हो और किसी पर वाजिब न हो हर सूरत में कुर्बानी जाइज़ है मसलन दमे एहसार और एहराम में शिकार करने की जज़ा और सर मुंडाने की वजह से दम वाजिब हुआ हो और तमत्तोअ् व क़िरान का दम (तफसील के लिये बहारे शरीअत हिस्सा 6 देखें (अमीनुल कादरी)) कि उन सब के साथ कुर्बानी की शिरकत हो सकती है। इसी तरह कुर्बानी और अक़ीक़ा की भी शिरकत हो सकती है कि अक़ीक़ा भी तक़र्रुब की एक सूरत है।(रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.17:– तीन शख़्सों ने कुर्बानी के जानवर ख़रीदे एक ने दस का दूसरा ने बीस का तीसरे ने तीस का और हर एक ने जितने में ख़रीदा है उस की वाजिबी क़ीमत भी उतनी ही है यह तीनों जानवर मिल गये यह पता नहीं चलता कि किस का कौन है तीनों ने यह इत्तिफ़ाक़ कर लिया कि एक एक जानवर हर शख़्स कुर्बानी करे चुनाँचे ऐसा ही किया गया सब की कुर्बानियाँ हो गईं मगर जिस ने तीस में ख़रीदा था वह बीस रूपये ख़ैरात करे क्योंकि मुम्किन है कि दस वालों को उस ने कुर्बानी किया हो और जिस ने बीस में ख़रीदा था वह दस रुपये ख़ैरात करे और जिस ने दस में ख़रीदा था उस पर कुछ सदका करना वाजिब नहीं अगर हर एक ने दूसरे को ज़बह करने की इजाज़त देदी तो कुर्बानी हो जायेगी और इस पर कुछ वाजिब न होगा। (दुर्रेमुख़्तार)

कुर्बानी के बाज़ मुस्तहब्बात

मसअ्ला.18:– मुस्तहब यह है कि कुर्बानी का जानवर ख़ूब फरबा और ख़ूबसूरत और बड़ा हो और बकरी की क़िस्म में से कुर्बानी करनी हो तो बेहतर सींग वाला मेंढा चितकबरा हो जिस के ख़ुसिये काटकर ख़स्सी कर दिया हो कि हदीस में है हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने ऐसे मेंढा की कुर्बानी की।(आलमगीरी)

मसअ्ला.19:– ज़बह करने से पहले छुरी को तेज़ कर लिया जाये और ज़बह के बाद जब तक जानवर ठन्डा न होजाये उस के तमाम अअ्ज़ा से रूह निकल न जाये उस वक़्त तक हाथ पाँव न काटें और न चमड़ा उतारें और बेहतर यह है कि अपनी कुर्बानी अपने हाथ से करे अगर अच्छी तरह ज़बह करना जानता हो और अगर अच्छी तरह न जानता हो तो दूसरे को हुक्म दे वह ज़बह करे मगर इस सूरत में बेहतर है कि वक़्ते कुर्बानी हाज़िर हो हदीस में है हुज़ूरे अक़दस सल्लल्लाहु

तआला अलैहि वसल्लम ने हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रदियल्लाहु तआला अन्हा से फ़रमाया कि खड़ी हो जाओ और अपनी कुर्बानी के पास हाज़िर होजाओ कि उस के ख़ून के पहले ही क़तरे में जो कुछ गुनाह किये हैं सब की मग़्फ़िरत होजायेगी उस पर अबू सईद ख़ुदरी रदियल्लाहु तआला अन्हु ने अर्ज़ की या नबीयल्लाह यह आप की आल के लिये ख़ास है या आप की आल के लिये भी है और आम्मा–ए–मुस्लिमीन के लिये भी फ़रमाया कि मेरी आल के लिये ख़ास भी है और तमाम मुस्लिमीन के लिये आम भी है। (आलमगीरी, जैलई, शलबिया)

मसअ्ला.20:– कुर्बानी का जानवर मुसलमान से ज़बह कराना चाहिए अगर किसी मजूसी या दूसरे मुश्रिक से कुर्बानी का जानवर ज़बह करा दिया तो कुर्बानी नहीं हुई बल्कि यह जानवर हराम व मुर्दार है और किताबी से कुर्बानी का जानवर ज़बह कराना मकरूह है कि कुर्बानी से मक़सूद तक़र्रुब इलल्लाह है उस में काफ़िर से मदद न ली जाये बल्कि बाज़ अइम्मा के नज़्दीक इस सूरत में भी कुर्बानी नहीं होगी मगर हमारा मज़हब वही पहला है कि कुर्बानी हो जायेगी और मकरूह है(जैलई शल्बिया)

कुर्बानी का गोश्त व पोस्त वग़ैरा क्या करे

मसअ्ला.21:– कुर्बानी का गोश्त ख़ुद भी खा सकता है और दूसरे शख़्स ग़नी या फ़क़ीर को दे सकता है, खिला सकता है बल्कि उस में से कुछ खा लेना कुर्बानी करने वाले के लिये मुस्तहब है। बेहतर यह है कि गोश्त के तीन हिस्से करे एक हिस्सा फ़ुक़रा के लिये और एक हिस्सा दोस्त व अहबाब के लिये और एक हिस्सा अपने घर वालों के लिये एक तिहाई से कम सदक़ा न करे। और कुल को सदक़ा कर देना भी जाइज़ है और कुल घर ही रख ले यह भी जाइज़ है। तीन दिन से ज़ाइद अपने और घरवालों के खाने के लिये रख लेना भी जाइज़ है और बाज़ हदीसों में उस की मुमानअत आई है वह मन्सूख़ है अगर इस शख़्स के अहल व अयाल बहुत हों और साहिबे वुस्अत नहीं है तो बेहतर यह है कि सारा गोश्त अपने बाल बच्चों ही के लिये रख छोड़े।(आलमगीरी)

मसअ्ला.22:– कुर्बानी का गोश्त काफ़िर को न दे कि यहाँ के कुफ़्फ़ार हरबी हैं।

मसअ्ला.23:– कुर्बानी अगर मन्नत की है तो उस का गोश्त न ख़ुद खा सकता है न अग़निया को खिला सकता है बल्कि इस को सदक़ा कर देना वाजिब है। वह मन्नत मानने वाला फ़क़ीर हो या ग़नी दोनों का एक ही हुक्म है कि ख़ुद नहीं खा सकता है न ग़नी को खिला सकता है।(जैअ्लई)

मसअ्ला.24:– मय्यित की तरफ़ से कुर्बानी की तो उसके गोश्त का भी वही हुक्म है कि ख़ुद खाये दोस्त अहबाब को दे फ़क़ीरों को दे यह ज़रूर नहीं कि सारा गोश्त फ़क़ीरों ही को दे क्योंकि गोश्त उसकी मिल्क है यह सब कुछ कर सकता है अगर मय्यित ने कह दिया है कि मेरी तरफ़ से कुर्बानी कर देना तो इस में से न खाये बल्कि कुल गोश्त सदक़ा करदे।(रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला.25:– कुर्बानी का चमड़ा और उस की झूल और रस्सी और उस के गले में हार डाला है वह हार उन सब चीज़ों को सदक़ा करदे। कुर्बानी के चमड़े को ख़ुद भी अपने काम में ला सकता है यानी उस को बाक़ी रखते हुए अपने किसी काम में ला सकता है मसलन उस की जा'नमाज़ बनाये। चलनी, थैली, मश्कीज़ा, दस्तर ख़्वान, डोल वग़ैरा बनाये या किताबों की जिल्दों में लगाये यह सब कर सकता है। (दुर्रेमुख़्तार) चमड़े का डोल बनाया तो उसी अपने काम में लाये उजरत पर न दे और अगर उजरत पर देदिया तो इस उजरत को सदक़ा करे।(रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.26:– कुर्बानी के चमड़े को ऐसी चीज़ों से बदल सकता है जिस को बाक़ी रखते हुए उस से नफ़अ् उठाया जाये जैसे किताब ऐसी चीज़ से बदल नहीं सकता जिस को हलाक कर के नफ़अ् हासिल किया जाता हो जैसे रोटी, गोश्त, सिर्का, रुपया, पैसा और अगर उसने उन चीज़ों को चमड़े के ऐवज़ हासिल किया तो उन चीज़ों को सदक़ा करदे।(दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.27:– अगर कुर्बानी की खाल को रुपये के एवज़ में बेचा मगर इस लिये नहीं कि उस को अपनी ज़ात पर या बाल बच्चों पर सर्फ़ (ख़र्च) करेगा बल्कि इस लिये कि उसे सदक़ा कर देगा तो

जाइज़ है।(आलमगीरी) जैसा कि अजकल अकसर लोग खाल मदारिसे दीनिया में दिया करते हैं और बाज़ मर्तबा वहाँ खाल भेजने में दिक्क़त होती है उसे बेचकर रुपया भेज देते हैं या कई शख़्सों को देना होता है उसे बेचकर दाम उन फुक़रा पर तक़सीम कर देते हैं यह बैअ् जाइज़ है उस में हरज नहीं और हदीस में जो इस के बेचने की मुमानअत आई है इस से मुराद अपने लिये बेचना है।

मसअ्ला.28:– गोश्त का भी वही हुक्म है जो चमड़े का है कि इस को अगर ऐसी चीज़ के बदले में बेचा जिस को हलाक कर के नफ़अ् हासिल किया जाये तो सदक़ा करदे।(हिदाया)

मसअ्ला.29:– कुर्बानी की चर्बी और उस की सिरी, पाये और ऊन और दूध जो ज़बह के बाद दूहा है उन सब का वही हुक्म कि अगर ऐसी चीज़ उस के एवज़ में ली जिस को हलाक करके नफ़अ् हासिल करेगा तो उस को सदक़ा करदे।(आलमगीरी)

मसअ्ला.30:– कुर्बानी का चमड़ा या गोश्त या इस में की कोई चीज़ क़स्साब या ज़बह करने वाले को उजरत में नहीं दे सकता कि उस को उजरत में देना भी बेचने ही के मअ्ना में है।(हिदाया)

मसअ्ला.31:– क़स्साब को उजरत में नहीं दिया बल्कि जैसे दूसरे मुसलमानों को देता है उस को भी दिया और उजरत अपने पास से दूसरी चीज़ देगा तो जाइज़ है।

मसअ्ला.32:– भेड़ के किसी जगह के बाल निशानी के लिये काट लिये हैं उन बालों को फेंक देना या किसी को हिबा कर देना ना'जाइज़ है बल्कि उन्हें सदक़ा करे।(आलमगीरी)

ज़बह से पहले कुर्बानी के जानवर से मनफ़अ़त हासिल करना मना है

मसअ्ला.33:– ज़बह से पहले कुर्बानी के जानवर के बाल अपने किसी काम के लिये काट लेना या उस का दूध दोहना मकरूह व ममनूअ् है और कुर्बानी के जानवर पर सवार होना या उस पर कोई चीज़ लादना या उस को उजरत पर देना ग़र्ज़ उस से मुनाफ़अ् हासिल करना मनअ् है अगर उस ने ऊन काट ली या दूध दोह लिया तो उसे सदक़ा करदे और उजरत पर जानवर को दिया है तो उजरत को सदक़ा करे और अगर ख़ुद सवार हुआ या उस पर कोई चीज़ लादी तो इस की वजह से जानवर में जो कुछ कमी आई उतनी मिक़दार में सदक़ा करे।(दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.34:– जानवर दूध वाला है तो उस के थन पर ठन्डा पानी छिड़के कि दूध ख़ुश्क होजाये अगर इस से काम न चले तो जानवर को दोहकर दूध सदक़ा करे।(आलमगीरी)

मसअ्ला.35:– जानवर ज़बह होगया तो अब उस के बाल को अपने काम के लिये काट सकता है और अगर उस के थन में दूध है तो दोह सकता है कि जो मक़सूद था वह पूरा हो गया अब यह उसकी मिल्क है अपने सर्फ़ में ला सकता है।(आलमगीरी)

मसअ्ला.36:– कुर्बानी के लिये जानवर ख़रीदा था कुर्बानी करने से पहले उसके बच्चा पैदा हुआ तो बच्चे को भी ज़बह कर डाले और अगर बच्चे को बेच डाला तो उस का समन सदक़ा करदे और अगर न ज़बह किया न बैअ् किया और अय्यामे नहर गुज़र गये तो उस को ज़िन्दा सदक़ा करदे और अगर कुछ न किया और बच्चा उस के यहाँ रहा और कुर्बानी का ज़माना आगया यह चाहता है कि इस साल की कुर्बानी में उसी को ज़बह करे यह नहीं कर सकता और अगर कुर्बानी उसी की करदी तो दूसरी कुर्बानी फिर करे कि वह कुर्बानी नहीं हुई और वह बच्चा ज़बह किया हुआ सदक़ा करदे बल्कि ज़बह से जो कुछ उस की क़ीमत में कमी हुई उसे भी सदक़ा करे(आलमगीरी)

मसअ्ला.37:– कुर्बानी की और उसके पेट में ज़िन्दा बच्चा है तो उसे भी ज़बह करदे और उसे सर्फ़ में ला सकता है और मरा हुआ बच्चा हो तो उसे फेंक दे मुर्दार है।

दूसरे के कुर्बानी के जानवर को बिला इजाज़त ज़बह कर दिया

मसअ्ला38:– दो शख़्सों ने ग़लती से यह किया कि हर एक ने दूसरे की कुर्बानी की बकरी ज़बह करदी यानी हर एक ने दूसरे की बकरी को अपनी समझकर कुर्बानी कर दिया तो बकरी जिस की थी उसी की कुर्बानी हुई और चूंकि दोनों ने ऐसा किया लिहाज़ा दोनों की कुर्बानियाँ होगईं और इस

सूरत में किसी पर तावान नहीं बल्कि हर एक अपनी अपनी बकरी ज़बह शुदा लेले और फ़र्ज़ करो कि हर एक को अपनी गलती उस वक़्त मालूम हुई जब उस बकरी को सर्फ़ कर चुका तो चूंकि हर एक ने दूसरे की बकरी खा डाली लिहाज़ा हर एक दूसरे से मुआफ कराले और अगर मुआफ़ी पर राज़ी न हो तो चूंकि हर एक ने दूसरे की कुर्बानी का गोश्त बिला इजाजत खा डाला गोश्त की क़ीमत का तावान लेले उस तावान को सदका करे कि कुर्बानी के गोश्त के मुआवज़ा को यही हुक्म है। यह तमाम बातें उस वक्त हैं कि हर एक दूसरे के इस फ़ेअ्ल पर कि उसने इस की बकरी ज़बह कर डाली राज़ी हो तो जिस की बकरी थी उसी की कुर्बानी हुई और अगर राज़ी न हो तो बकरी की क़ीमत का तावान लेगा और इस सूरत में जिसने ज़बह की उस की कुर्बानी हुई यानी बकरी का जब तावान लिया तो बकरी ज़ाबेह की होगई और उसी की जानिब से कुर्बानी हुई और गोश्त का भी यही मालिक हुआ।(दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.39:– दूसरे की कुर्बानी की बकरी बिग़ैर उस की इजाज़त के क़स्दन ज़बह करदी उस की दो सूरतें हैं मालिक की तरफ़ से उसने कुर्बानी की या अपनी तरफ़ से अगर मालिक की नियत से कुर्बानी की तो उस की कुर्बानी होगई कि वह जानवर कुर्बानी के लिये था और कुर्बान कर दिया गया इस सूरत में मालिक उस से तावान नहीं ले सकता और अगर इस ने अपनी तरफ़ से कुर्बानी की और ज़बह शुदा बकरी के लेने पर मालिक राज़ी है तो कुर्बानी मालिक की जानिब से हुई और ज़ाबेह की नियत का एअ्तिबार नहीं और मालिक अगर इस पर राज़ी नहीं बल्कि बकरी का तावान लेता है तो मालिक की कुर्बानी नहीं हुई बल्कि ज़ाबेह की हुई कि तावान देने से बकरी का मालिक होगया और उस की अपनी कुर्बानी होगई।(दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.40:– अगर बकरी कुर्बानी के लिये मुअ्य्यन न हो तो बिग़ैर इजाज़ते मालिक अगर दूसरा शख़्स कर देगा तो कुर्बानी न होगी मस्लन एक शख़्स ने पाँच बकरियाँ ख़रीदी थीं और उसका यह ख़याल था कि उन में से एक बकरी को कुर्बानी करूँगा और उन में से किसी एक को मुअ्य्यन नहीं किया था तो दूसरा शख़्स मालिक की जानिब से कुर्बानी नहीं कर सकता अगर करेगा तो तावान लाज़िम होगा ज़बह के बाद मालिक उसकी कुर्बानी की नियत करे बेकार है यानी इस सूरत में कुर्बानी नहीं हुई।(रद्दुल'मुहतार)

मसअ्ला.41:– दूसरे की बकरी ग़सब करली और उसकी कुर्बानी करली अगर मालिक ने ज़िन्दा बकरी का उस शख़्स से तावान लेलिया तो कुर्बानी होगई मगर यह शख़्स गुनेहगार है इस पर तौबा व इस्तिग़फ़ार लाज़िम है और अगर मालिक ने तावान नहीं लिया बल्कि ज़बह की हुई बकरी ली और ज़बह करने से जो कुछ कमी हुई उसका तावान लिया तो कुर्बानी नहीं हुई।(रद्दुल'मुहतार)

मसअ्ला.42:– अपनी बकरी दूसरे की तरफ़ से ज़बह करदी उसके हुक्म से ऐसा किया या बिग़ैर हुक्म बहर सूरत उसकी कुर्बानी नहीं क्योंकि उसकी तरफ़ से कुर्बानी उस वक़्त हो सकती है जब उसकी मिल्क हो।(शल्बिया)

मसअ्ला.43:– एक शख़्स के पास किसी की बकरी अमानत के तौर पर थी अमीन ने कुर्बानी करदी यह कुर्बानी सहीह नहीं न मालिक की तरफ़ से न अमीन की तरफ़ से अगर्चे मालिक ने अमीन से अपनी बकरी का तावान लिया हो उसी तरह अगर किसी का जानवर उसके पास आरियत या इजारा के तौर पर है और उसने कुर्बानी कर दिया यह कुर्बानी जाइज़ नहीं मरहून को राहिन ने कुर्बानी किया तो होजायेगी कि जानवर उस की मिल्क है और मरहून ने किया तो उसमें इख़्तिलाफ़ है।(रद्दुल'मुहतार)

मसअ्ला.44:– मवेशी ख़ाना के जानवर एक मुद्दते मुक़र्ररा के बाद नीलाम होजाते हैं और बाज़ लोग उसे ले लेते हैं उसकी कुर्बानी जाइज़ नहीं क्योंकि यह जानवर उसकी मिल्क नहीं।

मसअ्ला.45:– दो शख़्सों के माबैन एक जानवर मुश्तरक है उसकी कुर्बानी नहीं हो सकती कि मुश्तरक माल में दोनों का हिस्सा है एक का हिस्सा दूसरे के पास अमानत है और अगर दो जानवरों

में दो शख़्स बराबर के शरीक हैं हर एक ने एक एक की कुर्बानी करदी दोनों की कुर्बानियाँ हो जायेंगी।(रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.46:– एक शख़्स के नौ बाल–बच्चे हैं और एक खुद, उस ने दस बकरियों की कुर्बानी की और यह नियत नहीं कि किसकी तरफ़ से किस बकरी की कुर्बानी है मगर यह नियत ज़रूर है कि दसों बकरियां हम दसों की तरफ़ से हैं यह कुर्बानी जाइज़ है सब की कुर्बानियाँ हो जायेंगी।(आलमगीरी)

मसअ्ला.47:– अपनी तरफ़ से और अपने बच्चों की तरफ़ से गाय की कुर्बानी की अगर वह ना'बालिग़ हैं तो सब की कुर्बानियाँ जाइज़ हैं और बालिग़ हैं और सब लड़कों ने कह दिया है तो सब की तरफ़ से सहीह है और अगर उन्होंने कहा नहीं या बाज़ ने नहीं कहा है तो किसी की कुर्बानी नहीं हुई।(आलमगीरी)

मसअ्ला.48:– बैअ् फ़ासिद के ज़रीआ बकरी ख़रीदी और कुर्बानी करदी यह कुर्बानी होगई कि बैअ् फ़ासिद में क़ब्ज़ा कर लेने से मिल्क होजाती है और बाइअ् को इख़्तियार है अगर उसने ज़िन्दा बकरी की वाजिबी क़ीमत मुश्तरी से लेली तो अब उस के ज़िम्मे कुछ वाजिब नहीं और अगर बाइअ् ने ज़बह की हुई बकरी लेली तो कुर्बानी करने वाला उस ज़बह की हुई बकरी की क़ीमत सदक़ा करे(आलमगीरी)

मसअ्ला.49:– एक शख़्स ने दूसरे को बकरी हिबा करदी मोहूब'लहू ने उसकी कुर्बानी करदी उसके बाद वाहिब अपना हिबा वापस लेना चाहता है वह वापस ले सकता है और मोहूब'लहू की कुर्बानी सहीह है और उसके ज़िम्मे कुछ सदक़ा करना भी वाजिब नहीं।(आलमगीरी)

मुतफ़र्रिक़ मसाइल

मसअ्ला.50:– दूसरे से कुर्बानी ज़बह कराई ज़बह के बाद वह यह कहता है मैंने क़स्दन बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी इस को उस जानवर की क़ीमत देनी होगी फिर अगर कुर्बानी का वक़्त बाक़ी है तो इस क़ीमत से दूसरा जानवर ख़रीदकर कुर्बानी करे और उसका गोश्त सदक़ा करे खुद न खाये और वक़्त बाक़ी न हो तो इस क़ीमत को सदक़ा करदे।(आलमगीरी)

मसअ्ला.51:– तीन शख़्सों ने तीन बकरियाँ कुर्बानी के लिये ख़रीदीं फिर यह बकरियाँ मिल गईं पता नहीं चलता कि किस की कौनसी बकरी है इस सूरत में यह करना चाहिए कि हर एक दूसरे को ज़बह करने का वकील करदे सब की कुर्बानियाँ होजायेंगी कि उसने अपनी बकरी ज़बह की जब भी जाइज़ है और दूसरे की ज़बह की जब भी जाइज़ है कि यह उसका वकील है।(आलमगीरी)

मसअ्ला.52:– दूसरे से ज़बह कराया और खुद अपना हाथ भी छुरी पर रख दिया कि दोनों ने मिलकर ज़बह किया तो दोनों पर बिस्मिल्लाह कहना वाजिब है एक ने भी क़स्दन छोड़दी या यह ख़याल करके छोड़दी कि दूसरे ने कह ली मुझे कहने की क्या ज़रूरत दोनों सूरतों में जानवर हलाल न हुआ।(दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.53:– कुर्बानी के लिये गाय ख़रीदी फिर उस में छः शख़्सों को शरीक कर लिया सब की कुर्बानियाँ होजायेंगी मगर ऐसा करना मकरूह है हाँ अगर ख़रीदने ही के वक़्त उसका यह इरादा था कि उस में दूसरों को शरीक करूँगा तो मकरूह नहीं और अगर ख़रीदने से पहले ही शिरकत करली जाये तो यह सब से बेहतर। और अगर ग़ैर मालिके निसाब ने कुर्बानी के लिये गाय ख़रीदी तो ख़रीदने से ही उस पर इस गाय की कुर्बानी वाजिब होगई अब वह दूसरे को शरीक नहीं कर सकता।(आलमगीरी)

मसअ्ला.54:– पाँच शख़्सों ने कुर्बानी के लिये गाय ख़रीदी एक शख़्स आता है वह यह कहता है मुझे भी इस में शरीक करलो चार ने मन्ज़ूर कर लिया और एक ने इन्कार किया उस गाय की कुर्बानी हुई सब की तरफ़ से जाइज़ होगई क्योंकि यह छटा शख़्स उन चारों का शरीक है और उन में हर एक का सातवें हिस्सा से ज़्यादा है और गोश्त यूँ तक़सीम होगा कि पाँचवाँ हिस्सा उस का है जिस ने शिरकत से इन्कार किया बाक़ी चार हिस्सों को यह पाँचों बराबर बांट लें। या यूँ करो कि पच्चीस हिस्से करके उसको पाँच हिस्से दो जिसने शिरकत से इन्कार किया है बाक़ियों को चार चार हिस्से।(आलमगीरी)

मसअला.55:— कुर्बानी के लिये बकरी ख़रीदी और कुर्बानी कर दी फिर मालूम हुआ कि बकरी में ऐब है मगर ऐसा ऐब नहीं जिस की कुर्बानी न होसके उसको इख़्तियार है कि उस की वजह से जो कुछ कीमत में कमी होसकती है वह बाइअ् से वापस ले और इस का सदका करना उस पर वाजिब नहीं और अगर बाइअ् कहता है कि मैं ज़बह की हुई बकरी लूँगा और स्मन वापस कर दूँगा तो मुश्तरी उस स्मन को सदका करदे सिर्फ़ इतना हिस्सा जो ऐब की वजह से कम हो सकता है उस को रख सकता है।(आलमगीरी)

मसअला.56:— कुर्बानी की ज़बह की हुई बकरी ग़सब करली गासिब से उसका तावान ले सकता है मगर इस तावान को सदका करना ज़रूरी है कि यह उस कुर्बानी का मुआवज़ा है।(आलमगीरी)

मसअला.57:— मालिके निसाब ने कुर्बानी की मन्नत मानी तो उसके ज़िम्मे दो कुर्बानियाँ वाजिब हो गईं एक वह जो ग़नी पर वाजिब होती है और एक मन्नत की वजह से दो या दो से ज़्यादा कुर्बानियों की मन्नत मानी तो जितनी कुर्बानियों की मन्नत है सब वाजिब हैं।(दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमुहतार)

मसअला.58:— एक से ज़्यादा कुर्बानी की सब कुर्बानियाँ जाइज़ हैं एक वाजिब बाकी नफ़्ल और अगर एक पूरी गाय की कुर्बानी की तो पूरी से वाजिब ही अदा होगा यह नहीं कि सातवाँ हिस्सा वाजिब हो बाकी नफ़्ल।(दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमुहतार)

तम्बीह:— कुर्बानी के मसाइल तफ़सील के साथ मज़कूर होचुके अब मुख़्तसर तौर पर इस का तरीका बयान किया जाता है ताकि अवाम के लिये आसानी हो। कुर्बानी का जानवर उन शराइत के मुवाफ़िक हो जो मज़कूर हुए यानी जो इस की उम्र बताई गई उस से कम न हो और उन ऐब से पाक हो जिनकी वजह से कुर्बानी ना'जाइज़ होती है और बेहतर यह कि उमदा और फ़रबा हो। कुर्बानी से पहले उसे चारा पानी देदें यानी भूका प्यासा ज़बह न करें। और एक के सामने दूसरे को न ज़बह करें और पहले से छुरी तेज़ कर लें ऐसा न हो कि जानवर गिराने के बाद उसके सामने छुरी तेज़ की जाये जानवर को बायें पहलू पर इस तरह लिटायें कि किब्ला को उस का मुँह और अपना दाहिना पाँव उसके पहलू पर रखकर तेज़ छुरी से जल्द ज़बह कर दिया जाये और ज़बह से पहले यह दुआ पढ़ी जाये।

اِنِّیْ وَجَّهْتُ وَجْهِیَ لِلَّذِیْ فَطَرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ حَنِیْفًا وَّمَا اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِیْنَ اِنَّ صَلَاتِیْ وَ نُسُكِیْ وَ مَحْیَایَ وَ مَمَاتِیْ لِلّٰهِ رَبِّ
الْعٰلَمِیْنَ لَا شَرِیْكَ لَهٗ وَبِذٰلِكَ اُمِرْتُ وَاَنَا مِنَ الْمُسْلِمِیْنَ اَللّٰهُمَّ لَكَ وَ مِنْكَ بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُ اَكْبَر

तर्जमा:— "मैंने अपना मुँह उसकी तरफ़ किया जिस ने आसमान और जमीन बनाये, एक उसी का होकर, और मैं मुश्रिकों में नहीं बेशक मेरी नमाज़ और मेरी कुर्बानियाँ और मेरा जीना और मेरा मरना सब अल्लाह के लिये है जो रब सारे जहान का, उसका कोई शरीक नहीं, मुझे यही हुक्म है और मैं मुसलमानों में हूँ ऐ अल्लाह! तेरे ही लिये और तेरी दी हुई तौफ़ीक़ से अल्लाह के नाम से शुरू अल्लाह सबसे बड़ा है"।

इसे पढ़कर ज़बह करदे कुर्बानी अपनी तरफ़ से हो तो ज़बह के बाद यह दुआ पढ़े।

﴿اَللّٰهُمَّ تَقَبَّلْ مِنِّیْ كَمَا تَقَبَّلْتَ مِنْ خَلِیْلِكَ اِبْرَاهِیْمَ عَلَیْهِ السَّلَامُ وَ حَبِیْبِكَ مُحَمَّدٍ صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَسَلَّمْ﴾

"ऐ अल्लाह! तू मुझ से (इस कुर्बानी को) कबूल फरमा जैसे तूने अपने खलील इब्राहीम अलैहिस्सलाम और अपने हबीब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कबूल फरमाई"

इस तरह ज़बह करे कि चारों रगें कट जायें या कम से कम तीन रगें कट जायें इस से ज़्यादा न काटें कि छुरी गर्दन के मोहरा तक पहुँच जाये कि यह बे वजह की तकलीफ़ है फिर जब तक जानवर ठन्डा न होजाये यानी जब तक उसकी रूह बिल्कुल न निकल जाये उसके न पाँव वगैरा काटें न खाल उतारें और अगर दूसरे की तरफ़ से ज़बह करता है तो مِنِّیْ की जगह مِنْ के बाद उसका नाम ले और अगर वह मुश्तरक जानवर है जैसे गाय, ऊँट तो वज़न से गोश्त तकसीम किया जाये महज़ तख़्मीना से तकसीम न करें। फिर उस के गोश्त के तीन हिस्से कर के एक हिस्सा फुकरा पर तसद्दुक (सदका) करे और एक हिस्सा दोस्त व अहबाब के यहाँ भेजे और एक अपने घर वालों के लिये रखे और उस में से खुद भी कुछ खाले और अगर अहल व अयाल ज़्यादा हों तो तिहाई से ज़्यादा बल्कि कुल गोश्त भी घर के सर्फ़ में ला सकता है और कुर्बानी का चमड़ा अपने काम में भी ला सकता है और हो सकता है कि किसी नेक काम के लिये देदे मसलन मस्जिद या दीनी मदरसा को देदे या किसी फ़कीर को देदे। बाज़ जगह यह चमड़ा इमाम मस्जिद को दिया जाता है अगर इमाम की तनख़्वाह में न दिया जाता हो

बल्कि इआनत(मदद)के तौर पर हो तो हरज नहीं बहरुर्राइक में मजकूर है कि कुर्बानी करने वाला बकरईद के दिन सब से पहले कुर्बानी का गोश्त खाये इस से पहले कोई दूसरी चीज न खाये यह मुस्तहब है इस के खिलाफ करे जब भी हरज नहीं।

फ़ायदा:– अहादीस् से साबित है कि सय्यिदे आलम हज़रत मुहम्मदुर्रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इस उम्मते मरहूमा की तरफ से कुर्बानी की यह हुजूर के बेशुमार अलताफ में से एक खास करम है कि इस मौके पर भी उम्मत का ख़याल फ़रमाया और जो लोग कुर्बानी न कर सके उन की तरफ़ से खुद ही कुर्बानी अदा फ़रमाई। यह शुबह कि एक मेंढा उन सब की तरफ से क्योंकर हो सकता है या जो लोग अभी पैदा ही न हुए उनकी कुर्बानी क्योंकर हुई इसका जवाब यह है कि यह हुज़ूर अकदस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के ख़साइस से है जिस तरह हुज़ूर ने छः महीने के बकरी के बच्चे की कुर्बानी अबूहुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु के लिये जाइज फ़रमादी औरों के लिये उसकी मुमानअत करदी। उसी तरह इस में खुद हुज़ूर की खुसूसियत है। कहना यह है कि जब हुज़ूर ने उम्मत की तरफ़ से कुर्बानी की तो जो मुसलमान साहिब इस्तिताआत हो अगर हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के नाम की एक कुर्बानी करे तो ज़हे नसीब और बेहतर सींग वाला मेंढा है जिस की स्याही में सफ़ेदी की भी आमेज़िश हो जैसे मेंढे की खुद हुज़ूर अकरम ने कुर्बानी फ़रमाई।

अक़ीक़ा का बयान

उसके मुतअल्लिक़ पहले चन्द अहादीस् ज़िक्र की जाती हैं वह यह हैं।

हदीस् (1) इमाम बुख़ारी ने सलमान इब्ने आमिर रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कहते हैं मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को फ़रमाते सुना कि ''लड़के के साथ अक़ीका है उस की तरफ़ से खून बहाओ (यानी जानवर जबह करो) और उस से अज़ियत को दूर करो यानी उस का सर मुंढा दो''।

हदीस् (2) अबूदाऊद व तिर्मिज़ी व निसाई ने उम्मे कुर्ज़ रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से रिवायत की कहती हैं मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को फ़रमाते सुना कि ''लड़के की तरफ़ से दो बकरियाँ और लड़की की तरफ़ से एक उस में हरज नहीं कि नर हों या मादा''।

हदीस् (3) इमाम अहमद व अबूदाऊद व तिर्मिज़ी व निसाई समुरा रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया ''लड़का अपने अक़ीके में गिरवी है सातवें दिन उसकी तरफ से जानवर जबह किया जाये और उस का नाम रखा जाये और सर मूंढा जाये''गिरवी होने का यह मतलब है कि उस से पूरा नफ़अ् हासिल न होगा जब तक अक़ीका न किया जाये और बाज ने कहा बच्चे की सलामती और उस की नश्वो नुमा और उस में अच्छे औसाफ़ होना अक़ीके के साथ वाबस्ता हैं।

हदीस् (4) तिर्मिज़ी ने अमीरूल मोमिनीन हज़रत अली रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हज़रत हसन रदियल्लाहु तआला अन्हु की तरफ़ से अक़ीका में बकरी ज़बह की और यह फ़रमाया कि ऐ फ़ातिमा इस का सर मुंढादो और बाल के वज़न की चाँदी सदका करो हम ने बालों को वज़न किया तो एक दिरहम या कुछ कम थे।

हदीस् (5) अबूदाऊद व इब्ने अब्बास रदियल्लाहु तआला अन्हुमा की तरफ़ से एक एक मेंढे का अक़ीका किया और निसाई की रिवायत में है कि दो दो मेंढे।

हदीस् (6) अबूदाऊद व बुरैदा रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी कहते हैं कि ज़माना–ए–जाहिलयत में जब हम में किसी के बच्चा पैदा होता तो बकरी ज़बह करता और उसका खून बच्चे के सर पर पोत देता अब जबकि इस्लाम आया तो सातवें दिन हम बकरी ज़बह करते हैं और बच्चे का सर मुंढाते हैं और सर पर ज़अ्फ़रान लगा देते हैं।

हदीस् (7) अबूदाऊद व तिर्मिज़ी अबू राफ़ेअ् रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी कहते हैं कि जब हज़रत इमाम हसन इब्ने अली रदियल्लाहु तआला अन्हुमा पैदा हुए तो मैंने देखा कि हुज़ूरे अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उन के कान में वही अज़ान कही जो नमाज के लिये कही जाती है।

हदीस (8) इमाम मुस्लिम हज़रत आइशा रदियल्लाहु तआला अन्हा से रावी कहती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ख़िदमत में बच्चे लाये जाते हुज़ूर उनके लिये बरकत की दुआ करते और तहनीक करते यानी कोई चीज़ मसलन खजूर चबाकर उस बच्चे के तालू में लगा देते कि सब से पहले उस के शिकम में हुज़ूर का लुआबे दहन पहुँचे।

हदीस (9) बुख़ारी व मुस्लिम हज़रत अस्मा बिन्ते अबी बक्र सिद्दीक़ रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से रावी कहते हैं कि अब्दुल्लाह इब्ने ज़ुबैर रदियल्लाहु तआला अन्हु मक्का ही में हिजरत से क़ब्ल मेरे पेट में थे बादे हिजरत क़ुबा में यह पैदा हुए मैं उन को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ख़िदमत में लाई और हुज़ूर की गोद में उन को रख दिया फिर हुज़ूर ने खजूर मंगाई और चबाकर उनके मुँह में डालदी और उन के लिये दुआ–ए–बरकत की और बादे हिजरत मुसलमान मुहाजिरीन के यहाँ यह सब से पहला बच्चा है।

फ़िक़ही मसाइल

बच्चा पैदा होने के शुक्रिया में जो जानवर ज़बह किया जाता है उस को अक़ीक़ा कहते हैं। हन्फ़िया के नज़्दीक अक़ीक़ा मुबाह व मुस्तहब है। यह जो बाज़ किताबों में मज़कूर है कि अक़ीक़ा सुन्नत नहीं इस से मुराद यह है कि सुन्नते मुअक्कदा नहीं वरना जब ख़ुद हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के फ़ेअ्ल से इस का सुबूत मौजूद है तो मुतलक़न उस की सुन्नियत से इन्कार सहीह नहीं। बाज़ किताबों में यह आया है कि क़ुर्बानी से यह मन्सूख़ है इस का यह मतलब है कि इस का वुजूब मन्सूख़ है जिस तरह यह कहा जाता है कि ज़कात ने हुक़ूक़े मालिया को मन्सूख़ कर दिया यानी उन की फ़र्ज़ियत मन्सूख़ होगई। जब बच्चा पैदा हो तो मुस्तहब यह है कि उसके कान में अज़ान व इक़ामत कही जाये अज़ान कहने से इन्शाअल्लाह तआला बलायें दूर हो जायेंगी बेहतर यह है कि दाहिने कान में चार मरतबा अज़ान और बायें में तीन मर्तबा इक़ामत कही जाये। बहुत लोगों में यह रिवाज है कि लड़का पैदा होता है तो अज़ान कही जाती है और लड़की पैदा होती है तो नहीं कहते। यह न चाहिए बल्कि लड़की पैदा हो जब भी अज़ान व इक़ामत कही जाये। सातवें दिन उसका नाम रखा जाये और इस का सर मूंढा जाये और सर मुंढाने के वक़्त अक़ीक़ा किया जाये। और बालों को वज़न कर के उतनी चाँदी या सोना सदक़ा किया जाये।

मसअ्ला.1:– हिन्दुस्तान में उमूमन बच्चा पैदा होने पर छटी की जाती है। बाज़ लोगों में इस मौक़े पर नाजाइज़ रस्में बरती जाती हैं मसलन औरतों का गाना बजाना ऐसी बातों से बचना और उन को छोड़ना ज़रूरी व लाज़िम है बल्कि मुसलमानों को वह करना चाहिए जो हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के क़ौल व फ़ेअ्ल से साबित है। अक़ीक़ा से बहुत ज़ाइद रुसूम में सर्फ़ कर देते हैं और अक़ीक़ा नहीं करते। अक़ीक़ा करें तो सुन्नत भी अदा होजाये और मेहमानों के खिलाने के लिये गोश्त भी होजाये।

मसअ्ला.2:– बच्चे का अच्छा नाम रखा जाये। हिन्दुस्तान में बहुत लोगों के ऐसे नाम हैं जिन के कुछ मअ्ना नहीं या उनके बुरे मअ्ना हैं ऐसे नामों से एहतिराज़ करें (ऐसे नाम न रखें) अम्बियाए किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के अस्मा–ए–तय्यिबा और सहाबा व ताबेईन व बुज़ुर्गाने दीन के नाम पर नाम रखना बेहतर है उम्मीद है कि उन की बरकत बच्चे के शामिले हाल हो।

मसअ्ला.3:– अब्दुल्लाह व अब्दुर्रहमान बहुत अच्छे नाम हैं मगर इस ज़माने में यह अकसर देखा जाता है कि बजाये अब्दुर्रहमान उस शख़्स को बहुत से लोग रहमान कहते हैं और ग़ैरे ख़ुदा को रहमान कहना हराम है। उसी तरह अब्दुल ख़ालिक़ को ख़ालिक़ और अब्दुल मअ्बूद को मअ्बूद कहते हैं इस क़िस्म के नामों में ऐसी नाजाइज़ तर्मीम हरगिज़ न की जाये। उसी तरह बहुत कसरत से नामों में तस्ग़ीर का रिवाज है यानी नाम को इस तरह बिगाड़ते हैं जिस से हिक़ारत निकलती है और ऐसे नामों में तसग़ीर हरगिज़ न की जाये लिहाज़ा जहाँ यह गुमान हो कि नामों में तसग़ीर की जायेगी यह नाम न रखे जायें दूसरे नाम रखे जायें।(आलमगीरी वग़ैरा)

मसअ्ला.4:– मुहम्मद बहुत प्यारा नाम है इस नाम की बड़ी तअ्रीफ़ हदीसों में आई है अगर तसग़ीर का अन्देशा न हो तो यह नाम रखा जाये और एक सूरत यह कि अक़ीक़ा का यह नाम हो और पुकारने के

लिये कोई दूसरा नाम तजवीज़ कर लिया जाये और हिन्दुस्तान में ऐसा बहुत होता है कि एक शख़्स के कई नाम होते हैं इस सूरत में नाम की बरकत भी होगी और तसग़ीर से भी बच जायेंगे।

मसअ्ला.5:– मुर्दा बच्चा पैदा हुआ तो उसका नाम रखने की ज़रूरत नहीं बिग़ैर नाम उस को दफ़न कर दें और ज़िन्दा पैदा हो तो उसका नाम रखा जाये अगर्चे पैदा होकर मरजाये।

मसअ्ला.6:– अक़ीक़ा के लिये सातवाँ दिन बेहतर है और सातवें दिन न कर सकें तो जब चाहें कर सकते हैं सुन्नत अदा हो जायेगी। बाज़ ने यह कहा कि सातवें या चौदहवें या इक्कीसवें दिन यानी सात दिन का लिहाज़ रखा जाये यह बेहतर है और याद न रहे तो यह करे कि जिस दिन बच्चा पैदा हुआ हो उस दिन को याद रखें उस से एक दिन पहले वाला दिन जब आये वह सातवाँ होगा मसलन जुमा को पैदा हुआ तो जुमेअ्रात सातवें दिन है और सनीचर को पैदा हुआ तो सातवें दिन जुमा होगा पहली सूरत में जिस जुमेअ्रात को और दूसरी सूरत में जिस जुमा को अक़ीक़ा करेगा उस में सातवें का हिसाब ज़रूर आयेगा।

मसअ्ला.7:– लड़के के अक़ीक़ा में दो बकरे और लड़की में एक बकरी ज़बह की जाये यानी लड़के में नर जानवर और लड़की में मादा मुनासिब है और लड़के के अक़ीक़ा में बकरियाँ और लड़की में बकरा किया जब भी हरज नहीं और अक़ीक़ा में गाय ज़बह की जाये तो लड़के के लिये दो हिस्से और लड़की के लिये एक हिस्सा काफ़ी है यानी सात हिस्सों में दो हिस्से या एक हिस्सा।

मसअ्ला.8:– गाय की कुर्बानी हुई उसमें अक़ीक़े की शिरकत हो सकती है जिस का ज़िक्र कुर्बानी में गुज़रा।

मसअ्ला.9:– बच्चे का सर मुंढाने के बाद सर पर ज़अ्फ़रान पीस कर लगा देना बेहतर है।

मसअ्ला.10:– अक़ीक़े का जानवर उन्ही शराइत के साथ होना चाहिए जैसा कुर्बानी के लिये होता है। इस का गोश्त फ़ुक़रा और अ़ज़ीज़ व क़रीब दोस्त व अहबाब को कच्चा तक़सीम कर दिया जाये या पकाकर दिया जाये या उन को बतौर ज़ियाफ़त दअ्वत खिलाया जाये यह सब सूरतें जाइज़ हैं।

मसअ्ला.11:– बेहतर यह है कि उस की हड्डी न तोड़ी जाये बल्कि हड्डियों पर से गोश्त उतार लिया जाये यह बच्चे की सलामती की नेक फ़ाल है और हड्डी तोड़कर गोश्त बनाया जाये इस में भी हरज नहीं। गोश्त को जिस तरह चाहे पका सकते हैं मगर मीठा पकाया जाये तो बच्चे के अख़लाक़ अच्छे होने की फ़ाल है।

मसअ्ला.12:– बाज़ का यह क़ौल है कि सिरी, पाय, हज्जाम को और एक रान दाई को दें बाक़ी गोश्त के तीन हिस्से करें एक हिस्सा फ़ुक़रा का एक अहबाब का और एक हिस्सा घर वाले खायें।

मसअ्ला.13:– अवाम में यह बहुत मशहूर है कि अक़ीक़े का गोश्त बच्चे के माँ बाप और दादा,दादी नाना, नानी न खायें यह महज़ ग़लत है उसका कोई सुबूत नहीं।

मसअ्ला.14:– लड़के के अक़ीक़े में दो बकरियों की जगह एक ही बकरी किसी ने की तो यह भी जाइज़ हैं। एक हदीस से ब'ज़ाहिर ऐसा मालूम होता है कि अक़ीक़े में एक मेंढा ज़बह हुआ।

मसअ्ला.15:– उस की खाल का वही हुक्म है जो कुर्बानी की खाल का है कि अपने सर्फ़ में लाये या मसाकीन को दे या किसी और नेक काम मस्जिद या मदरसा में सर्फ़ करे।

मसअ्ला.16:– अक़ीक़ा में जानवर ज़बह करते वक़्त एक दुआ पढ़ी जाती है उसे पढ़ सकते हैं और याद न हो तो बिग़ैर दुआ पढ़े भी ज़बह करने से अक़ीक़ा हो जायेगा।

و الله تعالی اعلم قد تم هذا الجزء بحمدالله سبحنه و تعالیٰ و صلی الله علی افضل خلقه محمد و اله و صحبه و ابنه و حزبه اجمعین و الحمد لله رب العالمین ۔

و انا الفقیر ابو العلا محمد امجد علی الا عظمی عفی عنه

हिन्दी तर्जमा

मुहम्मद अमीनुल क़ादरी बरेलवी

मो0:–09219132423